NEXT IAS

करेंट अफ़ेयर्स

सितम्बर 2024

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2024

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

भारत में महिला सुरक्षा 4
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन 9
SC/ST का उप-वर्गीकरण 13
सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री) 16

विशेष लेख

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 20
भारत में पर्यटन क्षेत्र 23
भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र 26
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र का योगदान 28
भारत-यूक्रेन संबंध 30
भारत-जापान संबंध 33
AUKUS नया समझौता 35
ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 37
भारत के पड़ोस में अस्थिरता 42
बिम्सटेक के साथ FTA वार्ता 47
नए रामसर स्थल 50
वैश्विक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि 53
आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 56
INS अरिघात 58
भारत में e-मोबिलिटी 59
BioE3 नीति 63
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 66
पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन 68

1 राजव्यवस्था एवं शासन

जमानत नियम है और जेल अपवाद: सर्वोच्च न्यायालय 71
स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों पर केंद्रीय कानून 72
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता 73
विशेषाधिकार प्रस्ताव 73
न्यायिक बुनियादी ढाँचे पर विधि मंत्रालय की रिपोर्ट 74
उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 75
जन पोषण केंद्र 75
दीन दयाल स्पर्श योजना 76
प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN) योजना 76
फ्लडवॉच इंडिया 2.0 77
मॉडल सौर गाँव 77

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-श्रीलंका मछुआरों का मुद्दा 79
आपूर्ति शृंखला परिषद 80
यूक्रेन ने ICC में शामिल होने के लिए मतदान किया 80
रेल फोर्स वन 81
प्रधानमंत्री की पोलैंड की राजकीय यात्रा 81

3 अर्थव्यवस्था

जम्मू-कश्मीर लिथियम ब्लॉक के लिए कोई बोली नहीं लगी 82
SEBI प्रमुख पर हिंडेनबर्ग का नवीनतम प्रकटीकरण 83
अमेरिका, भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता बन गया 84
मध्यम आय ट्रैप 85
राज्य सीधे FCI से चावल खरीद सकते हैं 86
विमान रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण के लिए नीति में परिवर्तन 87
बागवानी क्लस्टर 87
भूतापीय ऊर्जा की खोज 88
येन संचालित व्यापार (येन कैरी ट्रेड) 89
RBI ने कर भुगतान के लिए UPI लेन-देन की सीमा बढ़ाई 89
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 90
युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति 2024 90
आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs) 91
भारत में कृषि सुधार के लिए अंतरिक्ष-संचालित समाधान 92
आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCMNF) 93
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की कार्य-निष्पादन समीक्षा 94

4 पर्यावरण

पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना . 96
भू-स्तर पर ओजोन प्रदूषण 97
गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य 98
बैलस्ट जल का प्रबंधन 99
जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे (गुड़मार) 100
मालाबार ट्री टॉड (MTT) 100
खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण 101
भारत का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 103
मेट्टूकुरिंजी (स्ट्रोबिलैन्थेस सेसिलिस) 104

5 भूगोल

तड़ित (विद्युत् विसर्जन) से मृत्यु 106
भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' का टैग 108
पाइरोक्यूमुलोनिम्बस (उच्च तापीय कपासी वर्षा स्तरी) बादल 109
बोत्सवाना द्वारा विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज 110
तिब्बती पठार के सेडोंगपु घाटी का व्यापक स्तर पर सामूहिक स्थानांतरण 110
माउंट किलिमंजारो 112
सेंट मार्टिन द्वीप 112
गुआम द्वीप 112
चर्चित स्थल 112
गुमटी नदी 113

6 आंतरिक सुरक्षा

LRGB गौरव 114
BPR&D का 54वाँ स्थापना दिवस 114
द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 115

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

एक्सट्रीमोफाइल 116
WHO ने Mpox को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया 116
विज्ञान धारा 116
टैनेजर-1 उपग्रह 117
वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) 118
क्वांटम नॉनलोकैलिटी 118
विशाल रेडियो स्रोत 119
AXIOM-4 मिशन 119
सिरेमिक वस्तुएँ 119
विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 120
DDoS हमला 120
साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 121

8 समाज

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट 124
महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम 124
महाराष्ट्र के धनगर 125
पसमांदा मुस्लिम 126
डिस्कनेक्ट होने का अधिकार 127
हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की 128
उधम सिंह 130

9 संस्कृति एवं इतिहास

पिंगली वेंकैया 130
श्रीनगर को मिला 'विश्व शिल्प नगरी' का दर्जा 131
भारत छोड़ो आंदोलन 132
नामधारी संप्रदाय 133
श्री अरबिंदो की 152वीं जयंती 133

10 विविध

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 135
एरी सिल्क 135
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 135
वाधवन बंदरगाह: विकासशील भारत के लिए एक गेम-चेंजर 136
पंप स्टोरेज परियोजनाएँ 136
NATS 2-0 137
वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र 137
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 138

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

..... 139

स्वयं परीक्षण

मुख्य परीक्षा प्रश्न 140

भारत में महिला सुरक्षा

हाल ही में, कोलकाता में हुए एक भयानक अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।

परिचय:

- आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर के एक सेमिनार हॉल के अंदर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
  - यह अपराध 9 अगस्त, 2024 के आरंभिक घंटों में हुआ।
- इस घटना ने सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण खामियों को उजागर किया और अस्पतालों जैसे पेशेवर वातावरण में भी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध

- **हाथरस सामूहिक बलात्कार (2020):**
  - **घटना:** सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। दो सप्ताह बाद दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी ।
  - **परिणाम:** इस मामले की व्यापक निंदा हुई और न्याय की माँग की गई, जिससे भारत में दलित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।
- **हैदराबाद पशु चिकित्सक बलात्कार और हत्या (2019):**
  - **घटना:** नवंबर 2019 में, हैदराबाद के पास चार लोगों ने 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को आग लगा दी। यह अपराध पूर्व नियोजित था, अपराधियों ने हमला करने से पूर्व तैयारी के रूप में उसके स्कूटर के टायर की हवा निकाल दी थी।
  - **प्रभाव:** इस मामले ने महिला सुरक्षा पर पुन: चर्चा प्रारंभ कर दी, जिससे यौन हिंसा के मामलों में सख्त कानून और तेजी से सुनवाई की माँग उठी।
- **उन्नाव बलात्कार मामला (2017):**
  - **घटना:** उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया। मामले ने तब राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, जब पीड़िता ने उत्पीड़न और धमकियों का सामना करने के बाद 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया।
  - **महत्त्व:** इस मामले ने सत्ता के दुरुपयोग और पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, विशेषकर जब आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति हो।
- **मुंबई शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार (2013):**
  - **घटना:** अगस्त 2013 में, मुंबई के सुनसान शक्ति मिल परिसर में 22 वर्षीय फोटो पत्रकार के साथ पाँच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। यह घटना तब हुई जब वह और उसका एक पुरुष सहकर्मी कार्य पर गए हुए थे।
  - **कानूनी परिणाम:** त्वरित सुनवाई के परिणामस्वरूप अपराधियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से तीन को नए लागू किए गए बलात्कार विरोधी कानूनों के तहत मौत की सजा सुनाई गई।
- **निर्भया दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला (2012):**
  - 2012 निर्भया दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला 16 दिसंबर, 2012 की रात को भारत के नई दिल्ली में घटित एक क्रूर घटना को संदर्भित करता है।
  - 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्न, जिसे बाद में मीडिया ने उसकी पहचान छिपाने के लिए 'निर्भया' (जिसका अर्थ है 'निडर') नाम दिया, के साथ चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उस पर हमला किया। उसके साथ मौजूद उसके पुरुष साथी को भी बुरी तरह पीटा गया।

कानूनी कार्यवाही:

- **गिरफ्तारियाँ:** घटना के तुरंत बाद सभी छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक किशोर था, जिस पर किशोर न्याय अधि नियम के तहत अलग से मुकदमा चलाया गया।
- **दोषसिद्धि:** चार वयस्क हमलावरों को 2013 में एक फास्ट-ट्रैक अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
- कई अपीलों और विलंब के बाद, चारों दोषी व्यक्तियों को 20 मार्च, 2020 को फाँसी दे दी गई।

प्रभाव:

- **विधायी परिवर्तन:** इस मामले के कारण भारतीय कानूनों में महत्त्वपूर्ण संशोधन हुए, जिनमें आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 का लागू होना भी शामिल है, जिसके तहत बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया तथा यौन हिंसा के लिए दंड में वृद्धि की गई।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:** निर्भया मामला यौन हिंसा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिससे लिंग आधारित हिंसा और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा मिला।

जिस दिन एक महिला रात व दिन में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चल सकेगी, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है

—महात्मा गांधी

भारत में महिलाओं के सामने आने वाली सुरक्षा समस्याएँ:

- **घरेलू हिंसा:**
  - **शारीरिक दुर्व्यवहार:** कई महिलाओं को घनिष्ठ साथी या परिवार के सदस्यों से शारीरिक हिंसा का अनुभव होता है। इसमें मारपीट, हमले और अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति शामिल हो सकती है।
  - **वैवाहिक बलात्कार:** हालाँकि, कई देशों में यह गैरकानूनी है, लेकिन भारत में वैवाहिक बलात्कार एक विवादास्पद और प्राय: गैर-मान्यता प्राप्त मुद्दा बना हुआ है।
- **यौन हिंसा:**
  - **बलात्कार:** हाई-प्रोफाइल मामलों ने भारत में बलात्कार की व्यापकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन कलंक और प्रतिशोध के डर के कारण कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं।
  - **यौन उत्पीड़न:** महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और यहाँ तक कि अपने घरों के भीतर भी यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वे गर्भ से लेकर कब्र तक यौन अपराध के प्रति संवेदनशील होती हैं।
  - **बाल यौन शोषण:** बच्चियाँ विशेष रूप से, अक्सर किसी परिचित द्वारा, यौन शोषण का शिकार होती हैं।
- **सड़क पर उत्पीड़न (ईव-टीजिंग):**
  - **मौखिक उत्पीड़न:** सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए छेड़खानी, भद्दी टिप्पणियाँ और अवांछित व्यवहार आम अनुभव हैं।
  - **शारीरिक उत्पीड़न:** बाजारों, बसों या ट्रेनों जैसे भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर अवांछित स्पर्श या छेड़खानी अक्सर चिंता का विषय है।
  - **पीछा करना:** महिलाओं को प्राय: अजनबियों या परिचितों द्वारा पीछा करने का सामना करना पड़ता है, जिससे डर और तनाव उत्पन्न होता है।
- **कार्यस्थल पर उत्पीड़न:**
  - **यौन उत्पीड़न:** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध और निवारण), जैसे कानूनों के बावजूद, कई महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनुचित टिप्पणियाँ, अवांछित अग्रिम और जबरदस्ती शामिल हैं।
  - **भेदभाव:** नियुक्ति, पदोन्नति और वेतन में लिंग आधारित भेदभाव कई महिलाओं के लिए प्रतिकूल कार्य वातावरण बनाता है।
- **साइबर उत्पीड़न:**
  - **बदला लेना:** बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें या वीडियो साझा करना एक बढ़ता हुआ मुद्दा है, जिससे पीड़ितों को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात होता है।
  - **ऑनलाइन दुर्व्यवहार:** महिलाओं को प्राय: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें हिंसा की धमकियाँ, अभद्र भाषा और ट्रोलिंग शामिल हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक महिला का दावा है कि मेटा के वीआर मेटावर्स (VR metaverse) में उसके साथ छेड़खानी की गई।
- **सांस्कृतिक प्रथाएँ:**
  - **ऑनर किलिंग:** कुछ क्षेत्रों में, जिन महिलाओं के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने परिवार का अपमान किया है, (उदाहरण के लिए, अपने साथी को स्वयं चुनकर) उन्हें हिंसा या यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ सकता है।
  - **दहेज-संबंधी हिंसा:** गैरकानूनी होने के बावजूद, दहेज प्रथा जारी है और जो महिलाएँ दहेज की माँग पूरी नहीं कर पाती हैं, उन्हें अधिकतर हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसमें दहेज हत्या भी शामिल है।
  - **पितृसत्तात्मक मानदंडों की गहरी जड़ें:** भारतीय समाज पितृसत्तात्मक परंपराओं में गहराई से निहित है, जो प्राय: महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानता है। यह मानसिकता जीवन के कई पहलुओं में व्याप्त है, जिससे लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव सामान्य हो गया है।
  - **पीड़ित को दोष देना:** हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं को अक्सर सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहराने का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपराधों की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है। इससे चुप्पी और कम रिपोर्टिंग का एक चक्र कायम हो जाता है।
- **सीमित कानूनी सुरक्षा और न्याय:**
  - **अपराधों की कम रिपोर्टिंग:** सामाजिक कलंक के डर, पीड़िता को ही दोष देना और न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी के कारण महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं।
  - **भ्रष्टाचार और अक्षमता:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार प्राय: अपर्याप्त जाँच और जवाबदेही की कमी का कारण बनता है।
  - **विलंबित न्याय:** जब अपराधों की रिपोर्ट की जाती है, तब भी न्यायिक प्रक्रिया में विलंब और कम सजा दर महिलाओं को न्याय माँगने से हतोत्साहित करती है।
  - **कानूनी खामियाँ:** कुछ कानूनी प्रावधान, जैसे कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध न बनाया जाना, महिलाओं को अपने ही घर में हिंसा के प्रति असुरक्षित बना देता है।

सरकारी पहल:

- **कानूनी सुधार:**
  - **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर्भया अधिनियम):** 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद, इस अधिनियम को यौन अपराधों की परिभाषा का विस्तार करने, दंड बढ़ाने और एसिड हमलों, पीछा करने तथा ताक-झांक जैसे नए अपराधों को सम्मिलि करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपराधियों के लिए जल्द सुनवाई और कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है।
  - **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण सहित घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। यह पीड़ितों को सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।
  - **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:** सामान्यत: POSH अधिनियम के रूप में जाना जाता है, यह कानून कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दूर करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों (ICCs) की स्थापना को अनिवार्य करता है।

- **पुलिस और कानून प्रवर्तन पहल:**
  - **वन स्टॉप सेंटर** (OSC): इन्हें सखी केंद्रों के रूप में भी जाना जाता है, ये केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय सहित एकीकृत सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - **महिला हेल्पलाइन (181):** एक राष्ट्रव्यापी टोल-फ्री हेल्पलाइन जो संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24/7 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करती है और उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करती है और उन्हें संबंधित अधिकारियों से जोड़ती है।
  - **भरोसा केंद्र:** ये विभिन्न राज्यों में व्यापक सहायता केंद्र हैं, जो हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों को परामर्श, चिकित्सा, कानूनी और आश्रय सहायता प्रदान करते हैं।
- **जन जागरूकता अभियान:**
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** इस अभियान का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है।
    - यह बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने एवं शिक्षा और सशक्तीकरण के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है।
  - **निर्भया फंड:** 2013 में स्थापित, यह फंड भारत में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए समर्पित है।
    - इस फंड के तहत परियोजनाओं में ओएससी (one stop centre) की स्थापना, महिला हेल्पलाइन का निर्माण और मोबाइल फोन पर पैनिक बटन और सार्वजनिक परिवहन में जीपीएस ट्रैकिंग जैसे तकनीकी समाधानों का वित्तपोषण शामिल है।
- **प्रौद्योगिकीय और बुनियादी ढाँचा उपाय:**
  - **सुरक्षित शहर परियोजना:** कई शहरों में आरंभ की गई इस पहल का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे में सुधार, सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित करना और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करके महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरी स्थान बनाना है।
  - **सार्वजनिक परिवहन में पैनिक बटन:** निर्भया फंड के तहत, बसों और टैक्सियों सहित सार्वजनिक परिवहन वाहनों में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली से जुड़े पैनिक बटन होना अनिवार्य है, जिससे उत्पीड़न या हमले के मामले में तत्काल मदद सुनिश्चित हो सके।
  - **जीपीएस ट्रैकिंग:** सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए, कई शहरों में वाहन जीपीएस ट्रैकिंग से लैस हैं, जिससे अधिकारियों को किसी भी संकट की स्थिति की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है।
- **सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम:**
  - **महिला शक्ति केंद्र:** इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है।
    - यह कानूनी अधिकारों, वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है।
  - **उज्ज्वला योजना:** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और पीड़ितों को सुरक्षित आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कानूनी सहायता प्रदान करके उनका पुनर्वास करना है।
- **यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस** (NDSO) **(2018):**
  - **उद्देश्य:** देश भर में दोषी यौन अपराधियों पर नजर रखना और उनकी निगरानी करना।
  - **उपयोग:** यह डेटाबेस केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध है और इसका उद्देश्य बार-बार अपराधियों की पहचान और ट्रैकिंग करके यौन अपराधों को रोकने में मदद करना है।

भारत में महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण के निहितार्थ:

- **मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव:**
  - **सदमा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** जो महिलाएँ हिंसा या उत्पीड़न का अनुभव करती हैं, वे अक्सर अवसाद, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) सहित दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित होती हैं। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता और दैनिक गतिविधियों में कार्य करने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
  - **डर और चिंता:** उत्पीड़न या हिंसा का लगातार डर दीर्घकालिक चिंता का कारण बन सकता है, जिससे महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की क्षमता सीमित हो सकती है।
  - **आत्म-सम्मान की हानि:** हिंसा का अनुभव करना या यहां हिंसा के डर से महिलाओं का आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास कम हो सकता है, जिससे उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ:**
  - **लैंगिक असमानता को बनाए रखना:** एक असुरक्षित वातावरण पितृसत्तात्मक मानदंडों और लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है, जिससे लैंगिक असमानता कायम रहती है। यह महिलाओं की अधीनता को सामान्य बनाता है और समाज में उनकी भूमिकाओं को सीमित करता है।
  - **सामाजिक अलगाव:** महिलाएँ सामाजिक रूप से अलग-थलग हो सकती हैं, क्योंकि वे सुरक्षा चिंताओं के कारण सार्वजनिक स्थानों, सामाजिक समारोहों, या शैक्षिक और कार्य के अवसरों से बचती हैं।
  - **परिवारों पर प्रभाव:** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का असर परिवारों पर भी पड़ता है, विशेषकर बच्चों पर, जो घरेलू हिंसा के गवाह हो सकते हैं या माँ या बहन हिंसा के परिणाम भुगत सकते हैं। यह पीढ़ियों तक हिंसा और आघात के चक्र को कायम रख सकता है।
- **आर्थिक निहितार्थ:**
  - **कार्यबल भागीदारी में कमी:** हिंसा या उत्पीड़न का डर महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से रोक सकता है, जिससे महिला श्रम बल भागीदारी दर कम हो सकती है।
    - यह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को भी बाधित करता है।

- **उत्पादकता में कमी:** हिंसा या उत्पीड़न की शिकार महिलाएँ कार्य करने में असमर्थ हो सकती हैं या मनोवैज्ञानिक संकट के कारण कम उत्पादक हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसायों और व्यापक अर्थव्यवस्था को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल लागत:** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों को संबोधित करने के लिए महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की आवश्यकता है।
- घाव, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और दीर्घकालिक विकलांगताओं के इलाज की लागत परिवारों और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर आर्थिक बोझ बढ़ाती है।

- **शैक्षिक निहितार्थ:**
  - **बालिकाओं की शिक्षा में बाधा:** सुरक्षा चिंताओं के कारण अक्सर लड़कियों को स्कूल से रोक दिया जाता है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। माता-पिता को यात्रा के दौरान या स्कूल में अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर होता है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ जाती है।
  - **शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव:** जो लड़कियाँ उत्पीड़न का सामना करती हैं या हिंसा के डर में रहती हैं, वे चिंता और तनाव का अनुभव कर सकती हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
  - **उच्च शिक्षा में बाधा:** यदि महिलाएँ शैक्षणिक संस्थानों को असुरक्षित वातावरण मानती हैं, तो उन्हें उच्च शिक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
    - इससे उनके पेशे (करियर) के अवसर सीमित हो जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लिंग अंतर में योगदान होता है।
  - **सतत विकास लक्ष्यों** (SDGs) **में बाधा:** महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण कई सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की उपलब्धि में बाधा डालता है, विशेष रूप से लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित।
- **राष्ट्रीय छवि और पर्यटन पर प्रभाव:**
  - **नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय धारणा:** जिन देशों में महिलाओं की सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, वे नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे राजनयिक संबंध और वैश्विक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
  - **पर्यटन पर प्रभाव:** सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पर्यटकों, विशेषकर एकल महिला यात्रियों को भारत आने से रोक सकती हैं, जिससे पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो देश के लिए राजस्व का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

आगे की राह:

- **कानूनी सुधार और प्रवर्तन:**
  - **मौजूदा कानूनों को मजबूत करना:** सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं की सुरक्षा करने वाले कानून, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बलात्कार के विरूद्ध कानून प्रभावी ढंग से लागू किए जाएँ। वैवाहिक बलात्कार को अपराध न करने जैसी कमियों को दूर करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जाए।
  - **फास्ट-ट्रैक अदालतें:** लिंग आधारित हिंसा के मामलों में तेजी लाने, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने और लंबी कानूनी लड़ाई के कष्टों को कम करने के लिए अधिक फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करें।
- **पुलिस और न्यायिक सुधार:**
  - **महिला पुलिस अधिकारी:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएँ अपराधों की रिपोर्ट करने में अधिक सहज महसूस करें, पुलिस बलों और नेतृत्व पदों पर महिलाओं की भर्ती और उपस्थिति बढ़ाएँ।
  - **विशिष्ट इकाइयाँ:** हिंसा और उत्पीड़न के मामलों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने के लिए SHE टीमों, एंटी-रोमियो स्क्वॉड और केवल महिला पुलिस स्टेशनों जैसी विशेष पुलिस इकाइयों की उपस्थिति का विस्तार करें।
- **शैक्षिक जागरूकता**
  - **स्कूलों में लिंग संवेदीकरण:** पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को चुनौती देने और बदलने के लिए कम उम्र से ही स्कूली पाठ्यक्रमों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिंग संवेदनशीलता और जागरूकता को एकीकृत करें।
  - **जन जागरूकता अभियान:** पुरुषों और महिलाओं दोनों की लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने के महत्त्व और लिंग आधारित हिंसा के कानूनी परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जाए।
- **सशक्तीकरण और आर्थिक स्वतंत्रता:**
  - **महिला आर्थिक सशक्तीकरण:** व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता कार्यक्रमों और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
    - आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की हिंसा के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकता है और उन्हें अपमानजनक स्थितियों से निकलने का साधन दे सकता है।
  - **हिंसा के उत्तरजीवियों के लिए सहायता:** हिंसा से बचे लोगों के लिए परामर्श, कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और सुरक्षित आश्रयों सहित व्यापक सहायता सेवाएँ प्रदान करें।
    - पुनर्वास कार्यक्रमों को हिंसा के उत्तरजीवी लोगों को उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **बुनियादी ढाँचा और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:**
  - **सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन:** उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने के लिए निगरानी कैमरे स्थापित करके, पुलिस गश्त बढ़ाकर और परिवहन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा में सुधार करें।
  - **आपातकालीन हेल्पलाइन और ऐप्स:** सुनिश्चित करें कि आपातकालीन हेल्पलाइन (जैसे 181) और सुरक्षा ऐप्स अच्छी तरह से प्रचारित, सुलभ और उत्तरदायी हों।
    - इन संसाधनों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएँ और त्वरित कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन के साथ उनके एकीकरण में सुधार करें।
- **साझेदारी और सहयोग:**
  - **गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ सहयोग:** महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और नागरिक समाज समूहों के साथ साझेदारी को मजबूत करें।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, संसाधनों और रणनीतियों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के साथ सहयोग करें।

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

- **महिलाओं के विरुद्ध अपराध:** NCRB 2023 रिपोर्ट भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में चिंताजनक वृद्धि पर प्रकाश डालती है, जिसमें 2022 में 4% की वृद्धि हुई है।
  - 4.45 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो विगत वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
  - सबसे आम अपराधों में पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (31.4%), अपहरण (19.2%), शीलभंग करने के इरादे से हमला (18.7%), और बलात्कार (7.1%) शामिल हैं।
- **बलात्कार के मामले:** 2021 में, NCRB ने बलात्कार के 31,677 से अधिक मामले दर्ज किए, जिनमें प्रतिदिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए।
  - अधिकांश पीड़ित अपने हमलावरों को जानते थे तथा मुख्य अपराधी उनके परिचित, पड़ोसी और परिवार के सदस्य थे।
- **दहेज के लिए की जाने वाली हत्याएँ:** 2021 में दहेज हत्या के 6,910 मामले दर्ज किए गए, जो कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद दहेज से संबंधित हिंसा के चल रहे मुद्दे को दर्शाते हैं।

लिंग आधारित हिंसा:

- **यौन उत्पीड़न:** NCRB डेटा के मुताबिक, 2021 में यौन उत्पीड़न के 14,192 मामले सामने आए।
- **एसिड अटैक:** 2021 में एसिड अटैक के 176 मामले सामने आए; यह एक जघन्य अपराध है जो अक्सर पीड़ितों को आजीवन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घाव देता है।

कार्यस्थल पर उत्पीड़न:

- भारतीय राष्ट्रीय बार एसोसिएशन द्वारा 2017 में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 38% महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, हालाँकि अधिकांश ने प्रतिशोध या रोजगार की क्षति के डर से इसकी रिपोर्ट नहीं की।

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध:

- NCRB ने 2021 में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध के 10,405 मामले दर्ज किए, जिनमें साइबरस्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न और रिवेंज पोर्न शामिल हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध बढ़ रहे हैं।

सार्वजनिक धारणा और भय:

- **सुरक्षा धारणा:** थॉमसन रॉयटर्स द्वारा 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण में यौन हिंसा, मानव तस्करी और सांस्कृतिक प्रथाओं के संबंध में विशेषज्ञों की धारणाओं के आधार पर भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताया गया।
- **गतिशीलता प्रतिबंध:** एक्शनएड इंडिया द्वारा 2019 में किए गए सर्वेक्षण में देखा गया कि 79% महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों पर, विशेष रूप से शाम और रात के समय, असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके कारण कई महिलाएँ कुछ क्षेत्रों में जाने से बचती हैं या अपनी गतिविधियों को सीमित कर देती हैं।

वंचित महिलाओं के विरुद्ध हिंसा:

- दलित महिलाएँ हिंसा के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, जिसमें उत्पीड़न के उपकरण के रूप में उपयोग की जाने वाली यौन हिंसा भी शामिल है।
- ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा 2018 में किए गए एक अध्ययन में दलित महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा की उच्च घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें अक्सर दंड से मुक्ति के साथ अंजाम दिया जाता है।

कोविड-19 का प्रभाव:

- COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महामारी से पहले के स्तर की तुलना में 2020 में घरेलू हिंसा की शिकायतों में 2.5 गुना वृद्धि दर्ज की।

वैश्विक तुलनाएँ:

- **वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक:** 2023 विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में, भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो विशेष रूप से आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक सशक्तीकरण के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता को दर्शाता है।
- **महिला, शांति एवं सुरक्षा सूचकांक 2021-22:** भारत 170 देशों में 148वें स्थान पर है।

कानूनी एवं न्यायिक डेटा:

- **दोषसिद्धि दर:** महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषसिद्धि दर कम बनी हुई है।
  - 2021 में, बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर लगभग 30% थी, जो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, सबूतों की कमी और पीड़ित को डराने-धमकाने सहित चुनौतियों का संकेत देती है।
- **मामलों की लंबितता:** 2021 तक, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित 50% से अधिक मामले भारतीय अदालतों में लंबित थे, जिससे न्याय में विलंब हो रही थी।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:

- **NFHS-5 (2019-21):** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) ने संकेत दिया कि 18-49 आयु वर्ग की 29.3% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का सामना किया है और 5.2% ने यौन हिंसा का सामना किया है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के हाल ही में सत्ता से बेदखल होने से भारत-बांग्लादेश संबंध जोखिम में पड़ सकता है और बढ़ते व्यापार संबंधों को प्रभावित कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं आदि की आवाजाही पर रोक लग सकती है।

शेख हसीना के त्यागपत्र देने के कारण:

- **छात्र विरोध से प्रेरित राष्ट्रव्यापी आंदोलन:** स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सिविल सेवा में 30% आरक्षण के विरूद्ध शांतिपूर्ण छात्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ, यह आंदोलन सरकार की कठोर प्रतिक्रिया के कारण देशव्यापी आंदोलन में बदल गया।
  - यह स्थिति तब और खराब हो गई जब अवामी लीग की छात्र शाखा, बांग्लादेश छात्र लीग ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया और सरकार ने 'देखते ही गोली मारने' के आदेश के साथ सख्त कर्फ्यू लगा दिया।
  - प्रदर्शनकारियों को 'रजाकार' नाम देने से - जो शब्द ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान पाक सेना के सहयोगियों से जुड़ा हुआ था - तनाव और बढ़ गया।

अतिरिक्त जानकारी

भारतीय संदर्भ में, रजाकार हैदराबाद रियासत में एक स्वयंसेवी मिलिशिया थे, जो निजाम के शासन की रक्षा करने और हैदराबाद के भारत में विलय का विरोध करने के लिए स्थापित किए गए थे। उन्हें हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत का 'एकीकरण विरोधी मिलिशिया' माना जाता था।

- **आर्थिक मंदी:** शेख हसीना के नेतृत्व में, बांग्लादेश ने तेजी से आर्थिक विकास देखा, प्रति व्यक्ति आय एक दशक में तीन गुना बढ़ गई और विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 25 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकल आए। हालाँकि, 2020 में कोविड-19 महामारी और उसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी ने परिधान उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और लोगों में असंतोष बढ़ गया।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण:** वर्ष 2014, 2018 और 2024 के संसदीय चुनाव विवाद, कम मतदान, हिंसा और विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार से प्रभावित रहे, जिससे बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण की चिंता बढ़ गई।
- **कठोर शक्ति पर निर्भरता:** नियंत्रण बनाए रखने के लिए हसीना की सरकार ने कठोर शक्ति पर अधिकाधिक निर्भरता बढ़ा दी, जिससे भय और दमन का माहौल उत्पन्न हो गया।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2018 का डिजिटल सुरक्षा अधिनियम सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के लिए आलोचकों को चुप कराने और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का एक उपकरण बन गया।
- **बढ़ती आर्थिक असमानता:** समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद, बढ़ती आर्थिक असमानता, बैंक घोटालों, ऋण चूककर्त्ताओं की बढ़ती सूची और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण जनता में असंतोष बढ़ा।
  - उल्लेखनीय उदाहरणों में CLC पावर, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड और रेमेक्स फुटवियर जैसी कंपनियाँ शामिल हैं, जो 965 करोड़ रुपये से लेकर 1,649 करोड़ बांग्लादेशी टका तक के खराब ऋणों के साथ डिफॉल्टरों की सूची में सबसे ऊपर हैं।

शेख हसीना के शासन में भारत-बांग्लादेश संबंध:

- **भारत विरोधी आतंकवादी समूहों का उन्मूलन:** शेख हसीना के नेतृत्व में, भारत विरोधी आतंकवादी समूहों और उनके समर्थक जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश, जो 2001-2006 तक BNP-जमात शासन के दौरान बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकानों से कार्य कर रहे थे, को उनके सत्ता में लौटने के बाद खत्म कर दिया गया।

अतिरिक्त जानकारी

- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और अवामी लीग बांग्लादेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं।
- जियाउर रहमान द्वारा स्थापित BNP राष्ट्रवादी नीतियों की वकालत करती है, जबकि शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग धर्मनिरपेक्षता में निहित है और 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- BNP को भारत विरोधी और अवामी लीग को भारत समर्थक माना जाता है।

- **द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि:** शेख हसीना के शासनकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी फला-फूला।
  - वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 13 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया, जबकि भारत, चीन के बाद एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया।
  - भारत ने वर्ष 2011 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के अंतर्गत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा पहुँच की पेशकश की है।
- **उन्नत कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कई बुनियादी ढाँचा और संपर्क परियोजनाएँ विकसित की गईं, जिनमें शामिल हैं:
  - नवंबर 2023 में अखौरा-अगरतला सीमा पार रेल लिंक और खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन।
  - कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी को ढाका से जोड़ने वाले पाँच परिचालन बस मार्ग।
  - मुख्य भूमि भारत और पूर्वोत्तर के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए चटगाँव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग की अनुमति देने वाला समझौता।
  - भारत ने 2016 से बांग्लादेश को सड़क, रेल, शिपिंग और बंदरगाह अवसंरचना के विकास के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तीन ऋण लाइनें दी हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौता** (FTA) **चर्चा:** शेख हसीना के शासनकाल के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत प्रारंभ की थी। प्रस्तावित FTA से दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क कम या खत्म हो जाएगा और व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को सरल बनाया जाएगा।

- **भूमि सीमा समझौता (2015):** भारत और बांग्लादेश ने विवादित क्षेत्रों की अदला-बदली करके तथा निवासियों को अपने निवास का देश चुनने की अनुमति देकर, लंबे समय से चले आ रहे एक बड़े विवाद को सुलझा लिया, जो उनके संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
- **ऊर्जा सहयोग:** शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा सहयोग और भी मजबूत हुआ था। बांग्लादेश अब भारत से लगभग 2,000 मेगावाट विद्युत आयात करता है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और बांग्लादेश में पार्वतीपुर को जोड़ने वाली भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को प्रतिवर्ष एक मिलियन मीट्रिक टन (MMTPA) हाई-स्पीड डीजल पहुँचाएगी।
- **रक्षा सहयोग:** भारत-बांग्लादेश सीमा 4,096.7 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाया है, अभ्यास सम्प्रीति (सेना) और अभ्यास बोंगोसागर (नौसेना) जैसे संयुक्त अभ्यास आयोजित किए हैं।
- **पर्यटन क्षेत्र:** भारत आने वाले पर्यटकों में बांग्लादेशियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। वर्ष 2017 में बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों से ज्यादा हो गई।
- **चिकित्सा सहयोग:** भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों में से 35% से अधिक बांग्लादेश से आते हैं तथा चिकित्सा पर्यटन से भारत के राजस्व में 50% से अधिक का योगदान बांग्लादेश से आता है।

तात्कालिक चुनौतियाँ:

- **शेख हसीना की उपस्थिति और प्रत्यर्पण मुद्दे:** शेख हसीना की भारत में मौजूदगी ढाका में संदेह उत्पन्न कर रही है। अगर नई बांग्लादेशी सरकार उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध करती है, तो इससे और भी कूटनीतिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- BNP **की सत्ता में संभावित वापसी:** बांग्लादेश में आगामी चुनावों में BNP फिर से सत्ता में आ सकती है। BNP सरकार (2001-2006) के साथ भारत के पिछले अनुभव, जिसने भारत विरोधी समूहों को शरण दी और चीन और पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया, भविष्य के संबंधों के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
- **अल्पसंख्यक संरक्षण पर चिंताएँ:** बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील और एक संरक्षण समिति की स्थापना को ढाका में पक्षपातपूर्ण माना जा रहा है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने का खतरा:** बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन से क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो सकती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के सुरक्षा हितों और दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
- **व्यापार संबंधों में व्यवधान:** शेख हसीना के जाने से भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जिससे 13 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार बाधित हो सकता है और एशिया में बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर प्रभाव:** यदि नया नेतृत्व प्राथमिकताओं या नीतियों में परिवर्तन करता है, तो अखौरा-अगरतला रेल संपर्क और चटगाँव तथा मोंगला बंदरगाहों के उपयोग जैसी चालू और नियोजित संपर्क परियोजनाओं में विलंब या जटिलताएँ आ सकती हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौते** (FTA) **का रुकना:** नए नेतृत्व के अंतर्गत मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता रुक सकती है या उसमें बाधा आ सकती है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क में संभावित कमी और व्यापार मानदंडों के सरलीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **आव्रजन नीतियों में संभावित परिवर्तन:** चिकित्सा पर्यटकों और अन्य यात्रियों सहित लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित या परिवर्तित हो सकती है, जिससे भारत के चिकित्सा पर्यटन राजस्व और क्षेत्रीय पर्यटन गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है।

बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण

- **सतर्क और विवेकपूर्ण संबंध:** भारत को बांग्लादेश में उभरती स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया में सावधानी और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। निरंतर घनिष्ठ और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के लिए खुले चैनल बनाए रखना आवश्यक है, जैसा कि मोहम्मद मुइज्ज़ू के शासन के दौरान मालदीव के साथ भारत का दृष्टिकोण था।
- **राजनयिक संबंध:** नई बांग्लादेशी सरकार के साथ खुले और सक्रिय कूटनीतिक चैनल बनाए रखें। शेख हसीना की मौजूदगी के बारे में किसी भी चिंता का समाधान कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से करें ताकि तनाव को बढ़ने से रोका जा सके।
- **राजनीतिक बदलावों के लिए तैयार रहें:** बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में संभावित परिवर्तनों के लिए रणनीति बनाएँ, जिसमें BNP की संभावित वापसी भी शामिल है। सत्तारूढ़ पार्टी की परवाह किए बिना द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक गुटों के साथ संबंध बनाएँ।
- **मानवीय और कूटनीतिक चिंताओं में संतुलन:** बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए वकालत जारी रखें, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि पक्षपात की धारणा से बचने के लिए ऐसी कार्रवाइयों को कूटनीतिक रूप से तैयार किया जाए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करने और शिकायतों को सहयोगात्मक रूप से दूर करने के लिए संयुक्त पहल में शामिल हों।
- **क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना:** आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना। संभावित राजनीतिक बदलावों के प्रति लचीलापन बनाने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए सहयोगी परियोजनाओं और व्यापार समझौतों को बढ़ाना।
- **निगरानी और अनुकूलन:** बांग्लादेश में उभरती राजनीतिक स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखें और उसके अनुसार नीतियाँ और रणनीतियाँ अपनाएँ। संभावित कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएँ तैयार करें।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का महत्त्व:

- **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध:**
  - भारत, दिसम्बर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसे मान्यता देने तथा उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
  - भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से लिए गए हैं।
  - इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, दोनों ही देशों के बीच साझा सांस्कृतिक संबंधों के उत्सव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - योग, कथक, मणिपुरी नृत्य, हिन्दी और बंगाली भाषाएँ तथा हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत जैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं।
- **भू-राजनीतिक महत्त्व:**
  - बांग्लादेश, भारत को बंगाल की खाड़ी तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है और हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।
  - बांग्लादेश को दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है।
  - भारत और बांग्लादेश एक लंबी स्थलीय सीमा साझा करते हैं तथा इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना उग्रवादी गतिविधियों और तस्करी को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत-बांग्लादेश संबंध इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव के लिए भू-राजनीतिक संतुलन के रूप में कार्य करते हैं, तथा चीन द्वारा भारत को घेरने की कोशिशों का मुकाबला करते हैं।
  - संयुक्त प्रयासों से सामान्य चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक भू-राजनीतिक माहौल को बढ़ावा मिल सकता है। बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंचों में सहयोग से भारत के पड़ोस में स्थिरता लाने में मदद मिलती है।
  - क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर एकजुट मोर्चा बहुपक्षीय मंचों पर उनके प्रभाव को बढ़ाता है और उनकी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करता है, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं।
- **भूमि सीमा समझौता** (LBA): वर्ष 2015 के ऐतिहासिक 100वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दोनों देशों के बीच अनिर्धारित भूमि सीमा विवाद को हल कर दिया। भारत से बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई, और बदले में भारत को 51 एन्क्लेव प्राप्त हुए।
- **संयुक्त नदी आयोग** (JRC): भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का साझा प्रवाह साझा करते हैं। JRC जून 1972 से दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है ताकि साझा नदी प्रणालियों से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
- **भू-आर्थिक लिंक:**
  - बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
  - भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात का लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर है। वित्त वर्ष 2022-23 में, कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 बिलियन अमरीकी डॉलर बताया गया है।
  - भारत और बांग्लादेश आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश वर्तमान में भारत से 1160 मेगावाट विद्युत आयात कर रहा है।

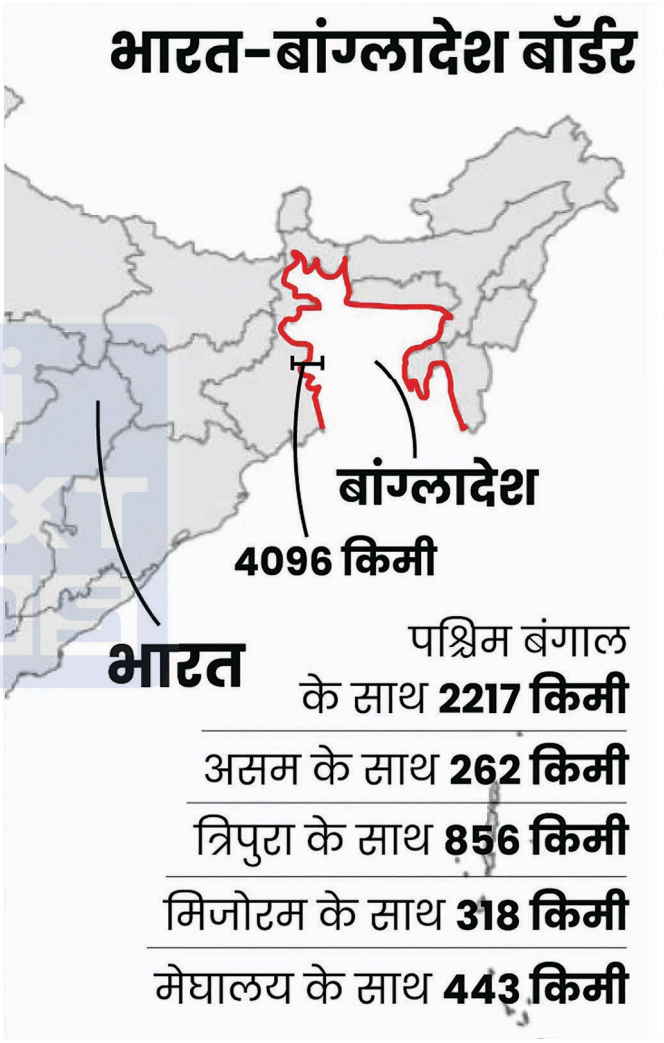

- **कनेक्टिविटी:**
  - **यात्री टर्मिनल भवन:** सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण और सीमा पार संपर्क को मजबूत करने के लिए 2021 में एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) पेट्रापोल में इसका उद्घाटन किया गया।
    - पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आसान आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध सड़क और रेल नेटवर्क के लिए बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) समझौता ज्ञापन।
  - **अगरतला-अखौरा रेल लिंक:** त्रिपुरा (अगरतला) को बांग्लादेश (अखौरा) से जोड़ने वाली 12.24 किमी. लम्बी परियोजना।

- भारतीय पक्ष की ओर से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (PSU) तथा बांग्लादेश की ओर से टेक्समैको (निजी भारतीय फर्म) द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

- **रक्षा सहयोग:**
  - **संयुक्त अभ्यास:** अभ्यास सम्प्रीति (सेना के बीच) और अभ्यास मिलन (नौसेना के बीच)।
  - बांग्लादेश को लगभग 8 बिलियन डॉलर की ऋण-व्यवस्था (LoC) प्रदान की गई है, जिसमें भारत से रक्षा-संबंधी खरीद के लिए 500 मिलियन डॉलर शामिल हैं।
  - वर्ष 2021 में, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े गए 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई।

व्यापक चुनौतियाँ:

- **तीस्ता जल विवाद:** तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में यमुना में मिल जाती है। वर्ष 2011 में, एक प्रस्तावित समझौते में सुझाव दिया गया था कि भारत को तीस्ता का 42.5% जल मिलेगा, जबकि बांग्लादेश को 37.5% जल मिलेगा।
  - लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार, जल राज्य का विषय है। इसलिए अनुबंध को निष्पादित करने से पहले राज्य को मंजूरी देनी होगी। विवाद अभी भी अनसुलझा है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए लिटमस टेस्ट माना जाता है।
- **छिद्रयुक्त सीमा:** एक छिद्रपूर्ण सीमा के कारण लोगों, वस्तुओं या सूचनाओं का आसानी से और अनधिकृत आवागमन संभव है। इससे बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवास होता है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त, यह बड़े पैमाने पर स्वर्ण और मवेशियों की तस्करी को भी बढ़ावा देता है।
- **रोहिंग्या मुद्दा:** म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण कई लोग बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों में भाग गए हैं।
  - बांग्लादेश शरणार्थी संकट से निपटने के लिए भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है। भारत, म्यांमार से प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बात कर रहा है, वहीं बांग्लादेश इस संबंध में भारत से और अधिक प्रयास की माँग कर रहा है।
- **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019:** यह अधिनियम 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।
  - ऐसी आशंकाएँ हैं कि भारतीय मुसलमान हिरासत में लिए जाने के डर से बांग्लादेश भाग सकते हैं, जिससे बांग्लादेश में प्रवासियों की बढ़ती आमद को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **सांप्रदायिक मुद्दा:** दोनों देश ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित धार्मिक और जातीय मतभेदों के कारण सांप्रदायिक मुद्दों का सामना करते हैं। उल्लेखनीय घटनाओं में वर्ष 2021 में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा शामिल है, जिसके कारण द्विपक्षीय तनाव उत्पन्न हुआ, और 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 12 मृत्युएँ हुईं।
- **चीन का प्रभाव:** बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक प्रमुख हिस्सा है और कथित तौर पर चीन की "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति का हिस्सा है।
  - यह अवधारणा सैन्य केंद्रों और बंदरगाहों के नेटवर्क के माध्यम से हिंद महासागर में चीन की रणनीतिक नौसैनिक उपस्थिति को संदर्भित करती है, जिसे भारत को घेरने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।

आगे की राह:

- **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हितधारकों को शामिल करते हुए पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए तकनीकी और कूटनीतिक चर्चाओं को प्राथमिकता दें।
- **सीमा सुरक्षा में वृद्धि:** अवैध गतिविधियों और अनधिकृत आवाजाही को कम करने के लिए सीमा पर बुनियादी ढाँचे और निगरानी को मजबूत करना।
- **मानवीय सहायता:** रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश को निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करना तथा सुरक्षित प्रत्यावर्तन के लिए म्यांमार के साथ कूटनीतिक रूप से कार्य करना।
- **आश्वासन और संवाद:** बांग्लादेश के साथ बातचीत करके उसकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा तथा आश्वस्त किया जाएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुँचाना नहीं है।
  - धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक संवाद और सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना।
- **आर्थिक संबंधों को मजबूत करना:** चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रतिस्पर्धी व्यापार सौदों, निवेश और विकास परियोजनाओं के माध्यम से बांग्लादेश के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाना।
- **नियमित द्विपक्षीय वार्ता:** द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए नियमित उच्च स्तरीय वार्ता को संस्थागत बनाना तथा स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाए रखना।

निष्कर्ष:

- शेख हसीना के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंधों में व्यापार, संपर्क और सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- आगे बढ़ते हुए, मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना, आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना निरंतर पारस्परिक समृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

SC/ST का उप-वर्गीकरण

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 बहुमत से निर्णय सुनाया कि राज्यों को आरक्षण के उद्देश्य से SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की अनुमति है।

2024 का निर्णय:

- इस निर्णय ने **ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** मामले में 2004 के निर्णय को पलट दिया, जिसमें पहले इस तरह के उप-वर्गीकरण को अस्वीकृति घोषित किया गया था।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए SC और ST के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि उप-वर्गीकरण की अनुमति इसलिए दी गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ इन समुदायों के सबसे वंचित वर्गों तक पहुँचे।
- **कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश:** न्यायालय ने उप-वर्गीकरण के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित किए, जिसमें समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए डेटा-संचालित नीतियों, विधायी कार्रवाई और नियमित निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया।

फैसले के बाद के घटनाक्रम:

- **विधायी और नीतिगत कार्रवाई:** फैसले के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों ने उप-वर्गीकरण को लागू करने के लिए विधायी और नीतिगत उपायों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया।
- **हितधारक सहभागिता:** उप-वर्गीकरण के लिए एक समावेशी और प्रभावी ढाँचा विकसित करने के लिए सामुदायिक समूहों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया गया।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन:** उप-वर्गीकरण के प्रभाव का आकलन करने तथा आवश्यक समायोजन करने के लिए नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु तंत्र स्थापित किए गए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित तथ्य

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342:**
  - **अनुच्छेद 341:** अनुसूचित जातियों को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ माना जाएगा।
  - **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा।
- **अनुच्छेद 15(4) और 16(4):**
  - **अनुच्छेद 15(4):** राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 16(4):** नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 244:** अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है। संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ इन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती हैं।
- **अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332:**
  - **अनुच्छेद 330:** लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
  - **अनुच्छेद 332:** राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338ए:**
  - **अनुच्छेद 338:** अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जाँच और निगरानी के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है।
  - **अनुच्छेद 338ए:** अनुसूचित जनजातियों के लिए समान कार्यों के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है।

मुख्य तथ्य:

- **जनसंख्या:** 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% है, जबकि अनुसूचित जनजाति लगभग 8.6% है।
- **शिक्षा और रोजगार में आरक्षण:** शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में, आरक्षण निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:
  - **एससी:** 15% आरक्षण।
  - **एसटी:** 7.5% आरक्षण।

निर्णय की मुख्य बातें:

- **कानूनी और संवैधानिक स्पष्टता:**
  - **पिछले फैसलों को पलटना:** 2024 के फैसले ने 2004 के ईवी चिन्नैया फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उप-वर्गीकरण पर रोक लगाई गई थी। यह राज्यों को SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण लागू करने के लिए एक नया कानूनी आधार प्रदान करता है।
  - **संवैधानिक व्याख्या:** फैसले में स्पष्ट किया गया है कि उप-वर्गीकरण भारतीय संविधान में निहित मूल समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करता है कि सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ अधिक प्रभावी और न्यायसंगत हों।

- **सामाजिक न्याय और समानता में वृद्धि:**
  - **लक्षित लाभ:** उप-वर्गीकरण की अनुमति देकर, न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर सबसे अधिक हाशिए पर पड़े उप-समूह आरक्षण लाभों तक पहुँच सकें। यह लाभ को अधिक उन्नत उप-समूहों द्वारा हथियाने के मुद्दे को संबोधित करता है तथा इस प्रकार न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देता है।
  - **ऐतिहासिक निवारण:** यह निर्णय ऐतिहासिक और अंतर-समुदाय असमानताओं को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, जो व्यापक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर सबसे अधिक वंचित रहे हैं।
- **नीति और प्रशासनिक निहितार्थ:**
  - **राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन:** राज्यों के पास अब अपनी आरक्षण नीतियों में उप-वर्गीकरण को लागू करने के लिए स्पष्ट न्यायिक समर्थन है, जिससे अधिक लक्षित और प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई के उपाय किए जा सकेंगे।
  - **डेटा-संचालित नीतियाँ:** उप-वर्गीकरण के लिए "मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा" पर आधारित होने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ साक्ष्य-आधारित और न्यायोचित हों, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिले।
- **राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव:**
  - **राजनीतिक गतिशीलता पर प्रभाव:** यह निर्णय राजनीतिक रणनीतियों और गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल SC और ST के भीतर विभिन्न उप-समूहों से समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित कर सकते हैं। इससे जाति-आधारित राजनीति के प्रति अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित हो सकता है।
  - **समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना:** यह सुनिश्चित करना कि SC और ST के भीतर सभी उप-समूह आरक्षण से लाभान्वित हों, यह निर्णय समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जो समग्र सामाजिक विकास में योगदान देता है।
- **न्यायिक मिसाल और भविष्य के निहितार्थ:**
  - **एक मिसाल कायम करना:** यह निर्णय आरक्षण और उप-वर्गीकरण से संबंधित भविष्य के मामलों के लिए एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक मिसाल कायम करता है, जो इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - **समीक्षा के लिए रूपरेखा:** यह निर्णय उप-वर्गीकरण पर राज्य की नीतियों की न्यायिक समीक्षा के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी नीतियों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए।
- **चुनौतियों और आलोचनाओं का समाधान:**
  - **एकता और विविधता को संतुलित करना:** हालाँकि, SC और ST समुदायों के भीतर विखंडन के बारे में चिंताएँ हैं, निर्णय इस बात पर बल देता है कि उप-वर्गीकरण का उद्देश्य वास्तविक असमानताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करके एकता को बढ़ावा देना है कि सभी वर्गों को उचित समर्थन मिले।
  - **राजनीतिक हेरफेर को रोकना:** उप-वर्गीकरण को अनुभवजन्य डेटा पर आधारित और न्यायिक समीक्षा के अधीन करने की आवश्यकता के द्वारा, निर्णय मनमाने या राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णयों को रोकने का प्रयास करता है, जिससे सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की अखंडता की रक्षा होती है।

न्यायिक मामलों की पृष्ठभूमि

प्रारंभिक बहस और प्रारंभिक प्रयास:

- 1950-1980:
  - **संवैधानिक प्रावधान:** 1950 में अधिनियमित भारत के संविधान में ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान शामिल किए गए थे।
  - **शिक्षा और रोजगार में आरक्षण:** दशकों से सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विभिन्न आरक्षण नीतियों को लागू किया है।
- 1980-1990:
  - **बढ़ती असमानताएँ:** जैसे-जैसे सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ लागू की गईं, यह स्पष्ट हो गया कि लाभ SC/ST समुदायों के बीच समान रूप से वितरित नहीं किए गए थे। इन समुदायों के भीतर कुछ उप-समूहों को लाभों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हुए देखा गया।
  - **उप-वर्गीकरण के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव:** नीति निर्माताओं और विद्वानों ने लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए SC और ST के भीतर उप-वर्गीकरण का प्रस्ताव करना आरंभ कर दिया।

कानूनी एवं राजनीतिक घटनाक्रम:

- 1990-2000:
  - **राज्य स्तरीय पहल:** कुछ राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश ने अंतर-समूह असमानताओं को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण प्रारंभ करने का प्रयास किया। इन उपायों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अक्सर अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया।
  - **राजनीतिक लामबंदी:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर विभिन्न उप-समूहों ने सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण की माँग करते हुए राजनीतिक रूप से लामबंदी प्रारंभ कर दी।
- 2000-2010:
  - **न्यायालयीन मामले और न्यायिक निर्णय:** राज्य स्तरीय उप-वर्गीकरण नीतियों को चुनौती देने वाले कई मामले उच्च न्यायपालिका तक पहुँचे। न्यायालयों ने सामान्यत: माना कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप-वर्गीकरण संविधान के तहत स्वीकार्य नहीं था।
  - **कानूनी मिसालें:** ई.वी. चिन्नैया मामले (2005) जैसे प्रमुख मामलों में निर्णय सुनाया कि राज्यों के पास आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों को और अधिक उप-विभाजित करने का अधिकार नहीं है।

SC/ST/OBC **के उप-वर्गीकरण के लिए गठित समितियाँ:**

- **न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग (2007):**
  - **उद्देश्य:** विभिन्न राज्यों में SC की स्थिति की जाँच करने और लाभों के समान वितरण के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए आयोग की स्थापना की गई थी।
  - **निष्कर्ष:** आयोग ने SC समुदाय के भीतर महत्त्वपूर्ण असमानताओं को उजागर किया और यह सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण की आवश्यकता का सुझाव दिया कि लाभ सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों तक पहुँचें।
- **न्यायमूर्ति रघुनाथ राव समिति (2008):**
  - **उद्देश्य:** आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित, समिति का उद्देश्य राज्य में SC श्रेणी के भीतर विभिन्न उप-जातियों की स्थिति का विश्लेषण करना था।
  - **सिफारिशें:** इसने आरक्षण लाभों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश में SC के उप-वर्गीकरण की सिफारिश की।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** (NCSC) **की रिपोर्ट:**
  - **भूमिका:** संवैधानिक निकाय NCSC ने समय-समय पर आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की जाँच की है और अपनी रिपोर्ट में उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
  - **सिफारिशें:** NCSC ने SC के भीतर असमानताओं को पहचानते हुए आरक्षण के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की सिफारिश की है।
- **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग (2017):**
  - **उद्देश्य:** आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जाँच करने के लिए की गई थी, लेकिन इसका कार्य SC और ST के लिए भी प्रासंगिक है।
  - **प्रगति:** यद्यपि इसका प्राथमिक ध्यान OBC पर था, रोहिणी आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों ने उप-वर्गीकरण पर व्यापक चर्चा को सूचित किया है।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** (NCBC) **की रिपोर्ट:**
  - **भूमिका:** यद्यपि मुख्य रूप से OBC पर ध्यान केंद्रित किया गया। NCBC ने समय-समय पर अंतर-समूह असमानताओं तथा SC और ST सहित पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों की जाँच की है।
  - **सिफारिशें:** NCBC ने लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा-संचालित नीतियों और नियमित निगरानी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

संभावित चुनौतियाँ:

कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ:

- **संवैधानिक अस्पष्टताएँ:** आलोचकों का तर्क है कि राज्यों द्वारा उप-वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 का उल्लंघन कर सकता है, जो राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इससे राज्य-स्तरीय उप-वर्गीकरण की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते है।
- **न्यायिक असंगति:** सर्वोच्च न्यायालय के 2004 के ईवी चिन्नैया फैसले ने उप-वर्गीकरण को अस्वीकार्य घोषित किया। 2024 के फैसले ने इसे पलट दिया, जिससे पिछले और भविष्य के फैसलों की व्याख्या करने में संभावित कानूनी असंगतियाँ और चुनौतियाँ पैदा हो गईं।

सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ:

- **अंतर-समुदाय तनाव:** उप-वर्गीकरण SC और ST समुदायों के भीतर मौजूदा विभाजन को बढ़ा सकता है, जिससे अंतर-समुदाय तनाव बढ़ सकता है और सामूहिक एकजुटता कमजोर हो सकती है।
  - SC और ST के भीतर अधिक उन्नत उप-समूह उप-वर्गीकरण को अनुचित मान सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति और नई नीतियों के विरुद्ध प्रतिरोध हो सकता है।
- **राजनीतिक हेरफेर:** एक जोखिम है कि उप-वर्गीकरण का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो सामाजिक रूप से प्रेरित न होकर राजनीतिक रूप से प्रेरित हों। यह सामाजिक न्याय प्राप्त करने के प्राथमिक लक्ष्य को कमजोर कर सकता है।
  - सख्त दिशा-निर्देशों और निगरानी के बिना, उप-वर्गीकरण मनमाना हो सकता है, जो वास्तविक सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के बजाय राजनीतिक विचारों के आधार पर कुछ उप-समूहों का पक्ष ले सकता है।

प्रशासनिक और कार्यान्वयन चुनौतियाँ:

- **परिमाणात्मक साक्ष्य:** यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि उप-वर्गीकरण नीतियाँ परिमाणात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा पर आधारित हों। इसके लिए व्यापक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, जो प्रशासनिक क्षमताओं पर दबाव डाल सकती है।
- **कार्यान्वयन जटिलता:** राज्यों को उप-वर्गीकरण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और निगरानी के लिए वित्तीय संसाधन, साथ ही प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

- **संतुलनकारी कार्य:**
  - **समानता बनाम एकता:** जबकि उप-वर्गीकरण का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर समानता को बढ़ावा देना है, इसे एकता बनाए रखने और पहले से ही कमजोर समूहों को और अधिक हाशिए पर जाने से बचाने की आवश्यकता के साथ संतुलन बनाना चाहिए।
  - **दीर्घकालिक प्रभाव:** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक सशक्तीकरण पर उप-वर्गीकरण के दीर्घकालिक प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों के बिना अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।

सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश (लेटरल एंट्री)

अगस्त 2024 में, संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के लिए 45 पदों का विज्ञापन दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान था। तथापि, इस प्रक्रिया को, विशेष रूप से SC/ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की कमी के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ा है।

चर्चा में क्यों:

- राजनीतिक दबावों के जवाब में, सरकार ने पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में चल रही बहस को उजागर करते हुए, इस भर्ती अभियान को रद्द करने का अनुरोध किया।
  - सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश का अर्थ निजी क्षेत्र, शिक्षा या अन्य गैर-सरकारी क्षेत्रों से पेशेवरों की सीधे सरकारी मंत्रालयों और विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर भर्ती से है।
  - यह दृष्टिकोण पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया से अलग है, जिसमें आमतौर पर भारत में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश शामिल होता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- **स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक काल:**
  - **सामान्यवादियों का प्रभुत्व:** 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत को प्रशासन की ब्रिटिश प्रणाली विरासत में मिली, जो मुख्य रूप से सिविल सेवकों के सामान्यवादी संवर्ग पर निर्भर थी।
    - भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), अन्य संबद्ध सेवाओं के साथ, भारतीय नौकरशाही की रीढ़ बन गई।
    - इन अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के माध्यम से की जाती थी और उनसे प्राय: विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण के बिना, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती थी।
- **विशेषज्ञता की आवश्यकता:**
  - **1990 के दशक के आर्थिक सुधार:** 1990 के दशक की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के साथ, भारत ने अपने आर्थिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव का अनुभव किया।
    - सरकार ने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि सिविल सेवाओं का पारंपरिक सामान्यवादी दृष्टिकोण उदारीकृत और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को संभालने के लिए अपर्याप्त था।
    - विशेष रूप से वित्त, बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञों की आवश्यकता की मान्यता बढ़ रही थी।
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव:** इस अवधि के दौरान, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर भी गौर करना प्रारंभ किया, जहाँ सरकारी भूमिकाओं में विशेषज्ञों का पार्श्व प्रवेश एक सामान्य प्रथा थी।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में ऐसी व्यवस्था थी, जहाँ निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और थिंक टैंकों के विशेषज्ञों को विशिष्ट ज्ञान और नए दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सरकारी भूमिकाओं में शामिल किया जाता था।
- **प्रशासनिक सुधार और रिपोर्ट:**
  - **कोठारी आयोग (1976):** भर्ती नीति और चयन पद्धति पर कोठारी आयोग ने पहली बार सिविल सेवाओं में मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर नए लोगों और विशेषज्ञता को शामिल करने के लिए पार्श्व भर्ती की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
    - हालाँकि, उस समय इस सिफारिश को ज्यादा समर्थन नहीं मिला।
  - **दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-2009):** वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिविल सेवाओं में सुधार के लिए अपनी व्यापक सिफारिशों के एक भाग के रूप में पार्श्व प्रवेश की पुरजोर वकालत की।
    - आयोग ने इस बात पर बल दिया कि पार्श्व प्रवेश विशेषज्ञता ला सकता है, करिअर नौकरशाहों के एकाधिकार को तोड़ सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रशासन बदलती सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बनाए रखे।
- **प्रारंभिक प्रयास और चुनौतियाँ:**
  - **1990 और 2000 का दशक:** विशेष रूप से सलाहकार भूमिकाओं में टेक्नोक्रेट और पेशेवरों की नियुक्ति के माध्यम से पार्श्व प्रवेश को प्रारंभ करने के छिटपुट प्रयास हुए।
    - हालाँकि, ये सीमित थे और अक्सर कार्यक्षेत्र, पदानुक्रम और पारंपरिक प्रणाली को कमजोर करने की आशंका के कारण नौकरशाही के भीतर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था।
- **पार्श्व प्रवेश का औपचारिक परिचय:**
  - **नरेंद्र मोदी सरकार (2014 से आगे):** मोदी सरकार के तहत पार्श्व प्रवेश के विचार को महत्त्वपूर्ण रूप से गति मिली, जो अपने "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" एजेंडे के हिस्से के रूप में नौकरशाही को आधुनिक बनाने के लिए उत्सुक थी।
  - 2018 में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नीति में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करते हुए, संयुक्त सचिव स्तर पर पार्श्व प्रविष्टि के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन आमंत्रित किए।
- **वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएँ:**
  - **पार्श्व प्रविष्टि का संस्थागतकरण:** 2018 से, पार्श्व प्रवेश के कई दौर हुए हैं, जिसमें विविध पृष्ठभूमि के पेशेवरों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया है।
    - सरकार के अन्य स्तरों पर पार्श्व प्रवेश के विस्तार के बारे में चर्चा के साथ, यह प्रक्रिया अधिक संस्थागत होने लगी है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **उद्देश्य:**
  - प्राथमिक लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र में विशिष्ट कौशल, विशेषज्ञता और नए दृष्टिकोण लाना है, जो पारंपरिक करिअर वाले सिविल सेवकों के बीच पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं।

- यह वित्त, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे डोमेन-विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाली भूमिकाओं के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

- **शामिल पद:**
  - यह योजना सामान्यत: केंद्र सरकार के भीतर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर के पदों को लक्षित करती है।
  - ये भूमिकाएँ निर्णायक हैं, क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण नीति-निर्माण और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।
- **क्रियान्वयन:**
  - भर्ती प्रक्रिया की देख-रेख UPSC द्वारा की जाती है, जो विशिष्ट पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन करता है। आवेदकों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और भूमिका के लिए उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है।
  - पारंपरिक सिविल सेवकों के विपरीत, जिनकी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है, पार्श्व प्रवेशकों का चयन अधिक प्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्राय: साक्षात्कार और उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है।
- **नियुक्ति की शर्तें:**
  - पार्श्व प्रवेशकों को सामान्यतया तीन से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।
  - यह संविदात्मक प्रकृति उन्हें पारंपरिक सिविल सेवकों से अलग करती है, जिनका सामान्यतया सरकार के भीतर दीर्घकालिक करिअर होता है।
- **वैश्विक तुलना:**
  - पार्श्व प्रवेश केवल भारत तक ही सीमित नहीं है; संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अपने सार्वजनिक क्षेत्रों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए बाहरी प्रतिभाओं को लाने हेतु समान प्रणालियाँ मौजूद हैं।

पार्श्व प्रवेश के पीछे तर्क

- **कौशल अंतराल और विशेषज्ञता आवश्यकताओं को संबोधित करना:** आधुनिक शासन व्यवस्था तेजी से जटिल होती जा रही है, जिसके लिए वित्त, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और बुनियादी ढाँचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
  - यद्यपि पारंपरिक सिविल सेवाएँ, अत्यधिक सक्षम हैं, किंतु इन जटिल मुद्दों के प्रबंधन के लिए उनमें आवश्यक विशिष्ट कौशल हमेशा नहीं होते।
  - **डोमेन विशेषज्ञता:** पार्श्व प्रवेश सरकार को पारंपरिक सिविल सेवाओं के बाहर से गहन डोमेन विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को लाने की अनुमति देता है।
    - ये व्यक्ति, जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्रों में दशकों का अनुभव हो सकता है, विशेष चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान और रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
- **नये दृष्टिकोण और नवाचार का समावेश:**
  - **नौकरशाही जड़ता से बचना:** पारंपरिक सिविल सेवाओं की आलोचनाओं में से एक यह है कि यह अपनी पदानुक्रमित और नियम-बद्ध प्रकृति के कारण परिवर्तन और नवाचार के प्रति प्रतिरोधी बन सकती है।
  - पार्श्व प्रवेश को नौकरशाही में नए परिप्रेक्ष्य और नवीन दृष्टिकोणों को शामिल करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जो साइलो को तोड़ने और अधिक गतिशील समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करने में मदद करता है।
  - **निजी क्षेत्र की दक्षता का प्रयोग:** निजी क्षेत्र के पेशेवर अक्सर दक्षता, परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं की समझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सरकारी कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार करने में फायदेमंद हो सकते हैं।
- **नीति निर्माण और कार्यान्वयन को बढ़ाना:**
  - **ज्ञान अंतर को पाटना:** विशेष ज्ञान वाले पार्श्व प्रवेशकों की उपस्थिति नीति निर्माण और कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है।
    - उदाहरण के लिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ बेहतर ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं, जबकि वित्तीय विशेषज्ञ अधिक प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं।
  - **बेहतर निर्णय लेना:** पार्श्व प्रवेशकर्त्ता साक्ष्य-आधारित इनपुट और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे सरकार के भीतर अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।
    - यह विशेष रूप से आर्थिक नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण विनियमन जैसे क्षेत्रों में मूल्यवान हो सकता है, जहाँ तकनीकी ज्ञान महत्त्वपूर्ण है।
- **क्षमता संबंधी बाधाओं को दूर करना:**
  - **वरिष्ठ पदों को भरना:** सिविल सेवाओं को कभी-कभी सेवानिवृत्ति, पदोन्नति या नए भर्तियों को प्रशिक्षित करने में लगने वाले समय के कारण वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों की कमी का सामना करना पड़ता है।
    - पार्श्व प्रवेश अनुभवी पेशेवरों को लाकर इन अंतरालों को भरने में मदद कर सकता है, जो व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बिना वरिष्ठ भूमिकाएँ निभाने के लिए तैयार हैं।
  - **मौजूदा कैडर को पूरक बनाना:** पार्श्व प्रवेशकों का उद्देश्य करिअर नौकरशाहों को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरक बनाना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता है।
    - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सरकार के पास अपने विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हों।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** चूँकि, भारत स्वयं को वैश्विक आर्थिक नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है, इसलिए यह मान्यता है कि इसकी शासन संरचना अन्य अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए।
  - लैटरल एंट्री को यह सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है कि भारत सरकार को सर्वोत्तम प्रतिभाओं तक पहुँच प्राप्त हो, चाहे वे देश के भीतर से हों या प्रवासी भारतीय समुदाय से।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार:**
  - **परिणामों और नतीजों पर ध्यान केंद्रित करना:** पार्श्व प्रवेश का एक लक्ष्य सिविल सेवा का ध्यान प्रक्रिया-उन्मुख से परिणाम-उन्मुख शासन में स्थानांतरित करना है।
    - निजी क्षेत्र के पेशेवर प्राय: ऐसे माहौल में कार्य करने के आदी होते हैं, जहाँ प्रदर्शन परिणामों से निकटता से जुड़ा होता है, और वे इस मानसिकता को सिविल सेवा में उपयोग करने में मदद कर सकते हैं।
  - **नागरिक-केंद्रित शासन:** पार्श्व प्रवेश को शासन को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जाता है।
    - ग्राहक सेवा या उपभोक्ता-केंद्रित उद्योगों में अनुभव रखने वाले पेशेवरों को लाकर, सरकार सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार और नागरिक संतुष्टि को बढ़ाने की उम्मीद कर सकती है।

भारत में सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की आलोचनाएँ:

- **योग्यतावादी व्यवस्था को चुनौती:**
  - UPSC **परीक्षा को दरकिनार करना:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश का पारंपरिक प्रवेश द्वार है, जो अपनी कठोर और प्रतिस्पर्धी प्रकृति के लिए जानी जाती है।
    - आलोचकों का तर्क है कि पार्श्व प्रवेश, व्यक्तियों को इस स्थापित मार्ग को दरकिनार करने की अनुमति देकर इस प्रणाली को कमजोर करता है।
    - उन्हें डर है कि इससे योग्यता संबंधी सिद्धांत कमजोर हो सकते हैं, जो लंबे समय से सिविल सेवाओं पर आधारित हैं।
  - **निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ:** ऐसी चिंताएँ हैं कि पार्श्व प्रवेश पक्षपात या भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दे सकता है। आलोचकों का तर्क है कि UPSC की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के बिना, पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया पक्षपात के लिए अतिसंवेदनशील हो सकती है, जहाँ व्यक्तियों का चयन योग्यता के बजाय संबंधों के आधार पर किया जाता है।
- **करिअर नौकरशाहों का प्रतिरोध:**
  - **करिअर प्रगति को खतरा:** करिअर सिविल सेवकों, विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि पार्श्व प्रवेशकों से उनके करिअर की प्रगति अवरुद्ध हो सकती है।
    - जो पद सामान्यतया करिअर नौकरशाहों को मिलते थे, उन्हें अब बाहरी उम्मीदवारों के लिए खोला जा रहा है, जिसके कारण उन लोगों में निराशा और असंतोष पैदा हो रहा है, जो कई वर्षों से इस पद पर आसीन रहे हैं।
  - **सांस्कृतिक टकराव:** करिअर नौकरशाहों, जो भारतीय सिविल सेवाओं की परंपराओं और मूल्यों में गहराई से अंतर्निहित हैं और पार्श्व प्रवेशकों, जो निजी क्षेत्र से अलग कार्यशैली और दृष्टिकोण ला सकते हैं, के बीच संभावित सांस्कृतिक टकराव की भी आशंका है। इससे टकराव पैदा हो सकता है और शासन की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
- **जवाबदेही और निष्पादन के मुद्दे:**
  - **शास्त्रीय तंत्र का अभाव:** पार्श्व प्रवेश द्वार, जिसमें नियमित रूप से संविदा पर नियुक्तियाँ की जाती हैं, नियमित सिविल सेवकों के समान शास्त्रीय तंत्र के अधीन नहीं हो सकते हैं।
    - आलोचकों का तर्क है कि निष्पादन मूल्यांकन और जवाबदेही के लिए स्पष्ट ढाँचे के बिना, यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि पार्श्व प्रवेशकों को उनके करिअर समकक्षों के समान मानकों पर रखा जाए।
  - **अल्पकालिक फोकस:** इस बात की चिंता है कि पार्श्व प्रवेशकर्त्ता, जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं या लक्ष्यों के लिए लाया जा सकता है, दीर्घकालिक सार्वजनिक हित के बजाय अल्पकालिक परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
    - करिअर सिविल सेवकों को शासन में निरंतरता के संरक्षक के रूप में देखा जाता है और आलोचकों को चिंता है कि पार्श्व प्रवेश से यह समझौता हो सकता है।
- **राजनीतिक एवं वैचारिक विरोध:**
  - **शासन का निजीकरण:** कुछ राजनीतिक दलों और टिप्पणीकारों ने सिविल सेवाओं के "निजीकरण" के प्रयास के रूप में पार्श्व प्रवेश की आलोचना की है।
    - उनका तर्क है कि निजी क्षेत्र से पेशेवरों को लाने से शासन का ध्यान बाजार-संचालित नीतियों की ओर स्थानांतरित हो सकता है, जो संभवत: लोक कल्याण की कीमत पर होगा।
  - **नौकरशाही तटस्थता का क्षरण:** एक अन्य चिंता यह है कि पार्श्व प्रवेशकों के कारण राजनीतिक या कॉर्पोरेट पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकते हैं, जो सिविल सेवाओं की तटस्थता को कमजोर कर सकते हैं।
    - भारत में सिविल सेवा से परंपरागत रूप से अराजनीतिक होने और निष्पक्ष रूप से सरकार की सेवा करने की अपेक्षा की जाती है। आलोचकों को डर है कि पार्श्व प्रवेश से ये रेखाएँ धुंधली हो सकती हैं।
- **प्रभावशीलता और एकीकरण संबंधी चिंताएँ:**
  - **एकीकरण संबंधी चुनौतियाँ:** मौजूदा नौकरशाही संरचना में पार्श्व प्रवेशकों का एकीकरण एक महत्त्वपूर्ण चुनौती रही है।
    - इस बात की भी चिंता है कि पार्श्व प्रवेशकर्त्ता नौकरशाही वातावरण के साथ अनुकूलन करने में सक्षम नहीं हो पाएँगे, जो निजी क्षेत्र की तुलना में भिन्न बाधाओं के तहत कार्य करता है।
    - इससे विभागों के भीतर अक्षमताएँ और टकराव हो सकता है।
  - **लोक प्रशासन में प्रभावशीलता:** जबकि पार्श्व प्रवेशकर्त्ता बहुमूल्य विशेषज्ञता ला सकते हैं, किंतु इस बात को लेकर संदेह है कि क्या वे भारत में सार्वजनिक प्रशासन की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम हैं।
    - भारत में शासन के लिए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बारीकियों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, जिसका निजी क्षेत्र से आने वाले लोगों में अभाव हो सकता है।
- **कानूनी और संवैधानिक बहस:**
  - **कानूनी चुनौतियाँ:** पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया को कानूनी चुनौतियाँ दी गई हैं, कुछ लोगों का तर्क है कि यह भारत के संविधान (अनुच्छेद 16) द्वारा गारंटीकृत सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
    - याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव है, जिससे संभावित कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
  - **संवैधानिक वैधता पर बहस:** कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या पार्श्विक प्रवेश सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप है।
    - पार्श्व प्रवेशकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की कमी को इस सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा जाता है।
- **आरक्षण नीति को दरकिनार करना:**
  - **सामाजिक समानता संबंधी चिंताएँ:** सबसे महत्त्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक यह है कि पार्श्व प्रवेश पद आरक्षण नीतियों के अधीन नहीं हैं, जो UPSC के माध्यम से नियमित सिविल सेवा भर्ती पर लागू होते हैं।
    - इसका अर्थ यह है कि पार्श्व प्रवेश प्रणाली अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के संवैधानिक जनादेश को संभावित रूप से दरकिनार कर सकती है।

- **समावेशिता को कमजोर करना:** आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण को शामिल न करके पार्श्व प्रवेश प्रणाली भारत के विविध सामाजिक ताने-बाने को प्रतिबिंबित करने वाली समावेशी नौकरशाही बनाने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है।

भारत में पार्श्व प्रवेश का संस्थागतकरण

भारत की सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की वर्तमान प्रणाली को पूरी तरह से संस्थागत न होने के कारण प्राय: आलोचना की जाती है। इसका तात्पर्य यह है:

- **तदर्थ कार्यान्वयन:**
  - **औपचारिक ढाँचे का अभाव:** पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में तदर्थ आधार पर कार्यान्वित की जाती है, बिना किसी औपचारिक, मानकीकृत ढाँचे के।
    - इसका अर्थ यह है कि पार्श्व प्रवेश के प्रत्येक मामले को एक अलग मामले के रूप में माना जाता है तथा भर्ती, चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले कोई सुसंगत नियम या प्रक्रिया नहीं होती है।
  - **मामला-दर-मामला आधार पर:** पार्श्व प्रवेशकों की भर्ती अक्सर सरकार द्वारा नियमित, संस्थागत प्रक्रिया के भाग के रूप में न होकर, आवश्यकता के आधार पर प्रारंभ की जाती है।
    - इससे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पार्श्व प्रवेश के संबंध में विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **समर्पित संस्थान का अभाव:**
  - **कोई समर्पित भर्ती निकाय नहीं:** संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के विपरीत, जो एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती को संस्थागत बनाता है, पार्श्व प्रवेश की देख-रेख के लिए कोई समकक्ष समर्पित निकाय या तंत्र नहीं है।
    - यह अनुपस्थिति चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों को जन्म दे सकती है।

आगे की राह:

- **पार्श्व प्रवेश को संस्थागत बनाना:**
  - **एक समर्पित एजेंसी स्थापित करें:** एक समर्पित एजेंसी या आयोग का गठन करें, जो पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया की देख-रेख, भर्ती में पारदर्शिता, निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हो।
  - **मानकीकृत प्रक्रियाएँ विकसित करें:** विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पार्श्व प्रवेशकों के चयन, प्रेरण और मूल्यांकन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और मानकीकृत प्रक्रियाएँ संस्थागत बनाएँ।
- **आरक्षण और समावेशिता को शामिल करना:**
  - **आरक्षण नीतियों का विस्तार करें:** मौजूदा आरक्षण नीतियों को पार्श्व प्रवेश पदों तक विस्तारित करने पर विचार करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उम्मीदवारों को इन अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो सके।
  - **विविध भर्ती पैनल:** सुनिश्चित करें कि पक्षपात को रोकने और पार्श्व प्रवेशकों के चयन में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए भर्ती पैनल विविध और समावेशी हैं।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:**
  - **पारदर्शी चयन प्रक्रिया:** सार्वजनिक रूप से सुलभ मानदंडों और चयन प्रक्रिया और परिणामों के स्पष्ट संचार के साथ पार्श्व प्रवेशकों के लिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएँ।
  - **नियुक्तियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण:** सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही बनाने के लिए योग्यता, अनुभव और चयन के कारणों सहित पार्श्व नियुक्तियों का विवरण प्रकाशित करें।
- **प्रदर्शन प्रबंधन और मूल्यांकन:**
  - **कठोर प्रदर्शन मूल्यांकन:** पार्श्व प्रवेशकर्त्ताओं के लिए स्पष्ट बेंचमार्क और नियमित मूल्यांकन के साथ मजबूत प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शासन में प्रभावी ढंग से योगदान दे रहे हैं।
  - **फीडबैक/प्रतिपुष्टि तंत्र:** पार्श्व प्रवेशकों के प्रदर्शन पर सहकर्मियों, हितधारकों और जनता से फीडबैक प्राप्त करने और उस पर कार्य करने के लिए तंत्र विकसित करें।
- **सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना:**
  - **सहयोग को बढ़ावा देना:** आपसी सम्मान बनाने और समग्र शासन को बढ़ाने के लिए संयुक्त परियोजनाओं और टीम-निर्माण पहलों के माध्यम से पार्श्व प्रवेशकों और करिअर नौकरशाहों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।
  - **मेंटरशिप कार्यक्रम:** सरकारी कामकाज की जटिलताओं से निपटने और सहज एकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुभवी सिविल सेवकों के साथ पार्श्व प्रवेशकर्त्ताओं की जोड़ी बनाएँ।
- **करिअर नौकरशाहों की चिंताओं को संबोधित करना:**
  - **संलग्न करें और संवाद करें:** पार्श्व प्रवेश से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए करिअर सिविल सेवकों के साथ जुड़ें, इस बात पर जोर दें कि यह पारंपरिक सिविल सेवा को प्रतिस्थापित करने के बजाय पूरक है।
  - **करिअर विकास के अवसर:** सुनिश्चित करें कि करिअर सिविल सेवकों को पार्श्व प्रवेशकों की शुरूआत के साथ-साथ उन्नति और व्यावसायिक विकास के अवसर मिलते रहें।

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है।

परिचय:

- **वक़्फ़ की परिभाषा:** अधिनियम में वक़्फ़ को मुस्लिम कानून के अंतर्गत पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति के दान के रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रत्येक राज्य को वक़्फ़ के प्रबंधन के लिए एक वक़्फ़ बोर्ड का गठन करना आवश्यक है।
- विधेयक में अधिनियम का नाम बदलकर 'संयुक्त वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995' कर दिया गया है।
- हालाँकि, इस विधेयक को विभिन्न दलों की ओर से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने इसे असंवैधानिक, विभाजनकारी और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। इसे गहन समीक्षा और विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है।

संयुक्त संसदीय समिति (JPC)

- **उद्देश्य और गठन:** JPC संसद द्वारा स्थापित एक तदर्थ समिति है, जो विशिष्ट विषयों या विधेयकों की गहन जाँच करने के लिए गठित की जाती है।
- **संघटन:** इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और इसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के सदस्य शामिल होते हैं। समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक लोकसभा सदस्य द्वारा की जाती है।
- **नियुक्ति एवं कार्यकाल:** JPC's की संरचना संसद तय करती है, सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती। अपना कार्य पूरा करने के बाद समिति को भंग कर दिया जाता है।
- **सिफारिशें:** JPC's की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं और सरकार के लिए उनका पालन करना अनिवार्य नहीं होता। हालाँकि, चयन समितियों और JPC के सुझावों को प्रायः स्वीकार किया जाता है, विशेषकर तब जब उनका नेतृत्व सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य करते हैं।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

प्रावधान	मौजूदा अधिनियम	प्रस्तावित परिवर्तन (विधेयक)
वक़्फ़ का गठन	वक़्फ़ का गठन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है: (i) घोषणा, (ii) उपयोगकर्त्ता द्वारा वक़्फ़, या (iii) वक़्फ़-अलल-औलाद।	केवल कम से कम पाँच वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा मुसलमान ही वक्फ की घोषणा कर सकता है; संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है; उपयोगकर्त्ता द्वारा वक़्फ़ को हटाना; यह सुनिश्चित करना कि वक़्फ़-अल-औलाद उत्तराधिकार के अधिकारों से इनकार न करे।
वक़्फ़ के रूप में सरकारी संपत्ति	स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।	वक़्फ़ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक़्फ़ नहीं रहेगी; स्वामित्व संबंधी विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
वक़्फ़ संपत्ति निर्धारित करने की शक्ति	वक़्फ़ बोर्ड को यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कोई संपत्ति वक़्फ़ है या नहीं	वक़्फ़ बोर्ड से यह शक्ति छीन ली गई है।
वक़्फ़ का सर्वेक्षण	वक़्फ़ सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए।	कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया गया; लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अंतर्गत किए जाएँगे।
केंद्रीय वक़्फ़ परिषद	इसमें पूर्णतः मुस्लिम सदस्य हैं, तथा कम से कम दो महिलाएँ भी हैं।	इसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे; केवल कुछ सदस्य ही मुस्लिम होने चाहिए; तथा दो मुस्लिम महिला सदस्यों की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।
वक़्फ़ बोर्ड	मुस्लिम सांसदों, विधायकों, विधान परिषदों और बार काउंसिल से निर्वाचित सदस्य; कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।	राज्य सरकार सदस्यों को नामित करेगी; दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता होगी; शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग, बोहरा और आगाखानी समुदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
न्यायाधिकरणों की संरचना	न्यायाधिकरण में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यायाधीश (श्रेणी-1, जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश), (ii) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के बराबर का राज्य अधिकारी और (iii) मुस्लिम कानून का जानकार व्यक्ति।	मुस्लिम कानून के जानकार व्यक्ति की आवश्यकता को हटा दिया गया है; नई संरचना में एक वर्तमान/पूर्व जिला न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को शामिल किया गया है।
न्यायाधिकरण के आदेश पर अपील	न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं; उच्च न्यायालय में अपील के विकल्प सीमित होते हैं।	90 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है; न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिमता को हटाता है।
केंद्र सरकार की शक्तियाँ	राज्य सरकार किसी भी समय वक़्फ़ खातों को ऑडिट कर सकती है।	केंद्र सरकार पंजीकरण, लेखा और कार्यवाही पर नियम बना सकती है; साथ ही खातों का लेखा परीक्षण CAG या किसी नामित अधिकारी से करा सकती है।
बोहरा और आगाखानी के लिए वक्फ बोर्ड	यदि शिया वक्फ की हिस्सेदारी संपत्ति या आय में 15% से अधिक है तो सुन्नी और शिया संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति दी गई है।	अगाखानी और बोहरा संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड की अनुमति देता है।

- **प्रमाण एकत्र करना:** JPC को विशेषज्ञों, सार्वजनिक निकायों, संघों, व्यक्तियों या इच्छुक पक्षों से, स्वयं की पहल पर या उनके अनुरोध पर, साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार है।
- **ऐतिहासिक मामले:** उल्लेखनीय JPC जाँच में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बोफोर्स घोटाला (1987)
  - हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला (1992)
  - केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला (2001)
  - राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC, 2016)
  - व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (2019)

वक़्फ़ बोर्ड

- **परिचय:**
  - यह, राज्य सरकार के अधीन एक निकाय है, जो वक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
  - शिया और सुन्नी समुदायों के लिए अलग-अलग बोर्ड मौजूद हैं।
  - राज्य में प्रमुख मस्जिदों और अन्य वक़्फ़ संपत्तियों की देख-रेख करता है।
- **संघटन:**
  - अध्यक्ष
  - राज्य सरकार की ओर से एक या दो नामित व्यक्ति
  - मुस्लिम विधायक और सांसद
  - राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य
  - मान्यता प्राप्त इस्लामी धर्मशास्त्र विद्वान
  - वक़्फ़ जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे अधिक है, के मुतवल्ली (प्रबंधक)।
- **शक्तियाँ और कार्य:**
  - वक़्फ़ संपत्तियों का प्रशासन करता है और खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है।
  - वक़्फ़ संपत्ति के हस्तांतरण (बिक्री, उपहार, बंधक, विनिमय, पट्टा) को स्वीकृति देता है, जिसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय वक़्फ़ परिषद (CWC)

- **परिचय:**
  - केंद्रीय वक़्फ़ परिषद 1964 में स्थापित।
  - भारत भर में राज्य स्तरीय वक़्फ़ बोर्डों की देख-रेख करता है और सलाह देता है।
- **कार्य:**
  - संपत्ति प्रबंधन पर केंद्र और राज्य सरकारों और वक़्फ़ बोर्डों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  - वक़्फ़ बोर्डों को वित्तीय रिकॉर्ड और रिपोर्ट सहित प्रदर्शन संबंधी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

वक्फ न्यायाधिकरण

- **परिचय:**
  - वक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्थापित।
  - वक़्फ़ संपत्तियों की स्थिति के संबंध में न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं।
- **संघटन:**
  - **अध्यक्ष:** राज्य न्यायिक अधिकारी, जो जिला सत्र या सिविल न्यायाधीश, श्रेणी-I के पद से नीचे का न हो
  - राज्य सिविल सेवाओं का अधिकारी
  - मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का विशेषज्ञ

महत्त्व

- **बढ़ी हुई पारदर्शिता और जवाबदेही:** यह विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों के निर्धारण के लिए वक़्फ़ बोर्ड की एकतरफा शक्ति को हटाकर तथा कलेक्टर जैसे राज्य प्राधिकारियों को ये जिम्मेदारियाँ सौंपकर निगरानी और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करता है।
- **समावेशिता और प्रतिनिधित्व:** केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करके और वक़्फ़ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों को शामिल करने की अनुमति देकर, विधेयक समावेशिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि विविध सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व हो।
- **सरलीकृत विधिक प्रक्रियाएँ:** विधेयक वक़्फ़ को नियंत्रित करने वाले विधिक ढाँचे में अस्पष्टता को दूर करता है, जैसे कि उपयोगकर्त्ता द्वारा वक़्फ़ की अवधारणा को समाप्त करना और वक़्फ़ प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यह विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और संभावित विवादों को कम करता है।
- **बेहतर लैंगिक समानता:** यह अनिवार्य बनाकर कि वक़्फ़-अल-औलाद को महिला उत्तराधिकारियों सहित उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए, विधेयक लैंगिक समानता संबंधी चिंताओं को संबोधित करता है और वक़्फ़ से संबंधित मामलों में महिलाओं के विधिक अधिकारों को मजबूत करता है।
- **केंद्रीकृत निरीक्षण:** केंद्र सरकार को दी गई बढ़ी हुई शक्तियाँ, जिनमें CAG के माध्यम से वक़्फ़ खातों को ऑडिट करने की क्षमता, केंद्रीय निरीक्षण और देश भर में वक़्फ़ प्रबंधन की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार शामिल है।
- **संपत्ति विवादों को न्यूनतम करना:** सरकार का मानना है कि इन संशोधनों से वक़्फ़ संपत्तियों पर विवादों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान की जाएँगी और संपत्ति के दावों के सत्यापन को अनिवार्य बनाया जाएगा, जिससे विधिक विवादों में कमी आएगी।
- **विवाद समाधान और विधिक उपाय:** विधेयक में न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने के प्रावधान हैं, जो पीड़ित पक्षों को अतिरिक्त विधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवाद समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं।

मुद्दे:

- **धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन:** आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तथा मुस्लिम समुदाय की अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वायत्तता से समझौता करता है।

- **सरकारी नियंत्रण में वृद्धि:** प्रस्तावित संशोधनों में सरकार को वक़्फ़ संपत्तियों पर अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें संपत्ति विवादों में जिला कलेक्टरों को शामिल करना भी शामिल है। इससे नौकरशाही में संभावित विलंब और न्यायिक-कार्यकारी अतिक्रमण की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **वक़्फ़ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना:** आलोचकों का तर्क है कि गैर-मुस्लिमों को शामिल करने से इन धार्मिक निकायों की अखंडता कमजोर होती है, क्योंकि गैर-मुस्लिम सदस्यों में इस्लामी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की व्यापक समझ का अभाव हो सकता है।
- **विवाद बढ़ने की संभावना:** वक़्फ़ न्यायाधिकरण के अधिकार को हटाने और यह भूमिका जिला कलेक्टरों को सौंपने से वक़्फ़ संपत्तियों पर और अधिक विवाद हो सकते हैं, समाधान प्रक्रिया जटिल हो सकती है और संपत्तियों को और अधिक विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामुदायिक परामर्श का अभाव:** इस विधेयक की आलोचना इस बात के लिए की गई है कि इसे मुस्लिम समुदाय और संबंधित हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के बिना तैयार किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने समुदाय से सुझाव न मिलने पर चिंता जताई है।
- **धार्मिक संस्थाओं और महिला अधिकारों पर प्रभाव:** यह विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों पर निर्भर धार्मिक संस्थाओं की वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तथा वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार की अनुमति दे सकता है।

आगे की राह:

- **उन्नत सामुदायिक परामर्श:** विधेयक के प्रारूपण और संशोधन प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ बातचीत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी चिंताओं और दृष्टिकोणों का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।
- **संपत्ति स्वामित्व का स्पष्टीकरण:** जिला कलेक्टरों और वक़्फ़ बोर्डों के बीच टकराव और विसंगतियों से बचने के लिए वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करें।
- **न्यायिक निगरानी बनाए रखें:** यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायिक न्यायाधिकरणों के पास वक़्फ़ से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में कानूनी विशेषज्ञता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विवादों पर अधिकार बना रहे।
- **वक़्फ़ बोर्डों में संतुलित प्रतिनिधित्व:** वक़्फ़ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व के प्रावधानों को संशोधित करने पर विचार करें, ताकि व्यापक प्रतिनिधित्व के साथ धार्मिक अखंडता को संतुलित किया जा सके और वक्फ संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
- **प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण:** शक्तियों के केंद्रीकरण का पुनर्मूल्यांकन करना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य वक़्फ़ बोर्डों को सशक्त बनाने के तरीकों का पता लगाना तथा अधिक संतुलित और स्थानीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

- वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण बदलाव प्रस्तुत करता है और इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है।
- यह प्रक्रिया कानून का अंतिम रूप लेने से पहले गहन मूल्यांकन और परिशोधन सुनिश्चित करेगी।

भारत में पर्यटन क्षेत्र

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (TTDI) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है।

परिचय:

- वर्ष 2021 में प्रकाशित पिछले सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था।
- **प्रमुख क्षेत्रों में सुधार:** भारत के स्कोर में तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार हुआ है:
  - **यात्रा एवं पर्यटन को प्राथमिकता देना:** यह दर्शाता है कि देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।
  - **सुरक्षा और संरक्षण:** पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर उपायों का संकेत देता है।
  - **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता:** यह यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता की स्थिति की ओर इंगित करता है।
- वर्ष 2022 में विश्व भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। भारत ने 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के साथ इसमें योगदान दिया, जो विश्व के पर्यटन बाजार का 1.47% है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में भारत की हिस्सेदारी 15.66% रही, जो क्षेत्रीय पर्यटन बाजार में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- **संगठन अवलोकन:**
  - विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  - यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग-विशिष्ट एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों की अग्रणी हस्तियों को शामिल करता है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विटजरलैंड में।
- **संस्थापक:**
  - WEF की स्थापना 1971 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता वाले जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब द्वारा की गई थी।
  - उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल की है। शुरुआत में, संगठन को यूरोपीय प्रबंधन मंच के नाम से जाना जाता था।
- **प्रमुख रिपोर्टें:**
  - **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट:** यह विश्व भर के देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन करती है।
  - **वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट:** विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित असमानताओं का विश्लेषण करती है।
  - **ऊर्जा संक्रमण सूचकांक:** धारणीय ऊर्जा में परिवर्तन हेतु देशों की प्रगति का मूल्यांकन करती है।
  - **वैश्विक जोखिम रिपोर्ट:** वैश्विक जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना।
  - **वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट:** वैश्विक यात्रा और पर्यटन उद्योग में प्रवृत्तियों और चुनौतियों की जाँच करती है।

भारत में पर्यटन के प्रकार:

- **साहसिक पर्यटन:**
  - भारत में साहसिक पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों की यात्रा के अवसर उपलब्ध हुए हैं।
  - ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय स्थलों में लद्दाख, सिक्किम और हिमालय शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर अपनी स्कीइंग सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं, जबकि उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों ने व्हाइट वाटर राफ्टिंग लोकप्रियता प्राप्त की है।
  - भारत भूमि, जल और वायु में विभिन्न साहसिक गतिविधियों की पेशकश करता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, स्कीइंग, ऊँट सफारी, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण और ट्रैकिंग।
- **वन्यजीव पर्यटन:**
  - भारत का समृद्ध वन क्षेत्र विभिन्न विदेशी और लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों का घर है, जिससे वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
  - प्रमुख स्थलों में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।
- **चिकित्सा पर्यटन:**
  - भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बन गया है, यह विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो किफायती तथा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा, विशेषकर शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और सामान्य चिकित्सा देखभाल की खोज में यहाँ आते हैं।
  - देश में कई चिकित्सा संस्थान विशेष रूप से विदेशी रोगियों को सेवा प्रदान करते हैं। चेन्नई, विशेष रूप से, इन चिकित्सा पर्यटकों में से लगभग 45% को आकर्षित करता है।
- **तीर्थ पर्यटन:**
  - तीर्थ पर्यटन भारत में सबसे तीव्र बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो देश के प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों से प्रेरित है।
  - प्रमुख तीर्थ स्थलों में वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, चार धाम और मथुरा-वृंदावन शामिल हैं।
- **पारिस्थितिकी पर्यटन:**
  - भारत में पारिस्थितिकी पर्यटन एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाने वाले स्थानों का दौरा किया जाता है तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने पर बल दिया जाता है।
  - यह जिम्मेदार यात्रा को बढ़ावा देता है, जो प्राकृतिक वातावरण और स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण का समर्थन करता है।
- **सांस्कृतिक पर्यटन:**
  - भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रहस्यवाद इसकी अनूठी परंपराओं का अनुभव करने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

- भारत के पर्यटन क्षेत्र के उत्थान में सांस्कृतिक पर्यटन एक प्रमुख कारक रहा है। प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों में पुष्कर मेला, ताज महोत्सव और सूरजकुंड मेला शामिल हैं।

- **व्यवसाय पर्यटन:** व्यावसायिक पर्यटन से तात्पर्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली यात्रा से है, जिसे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - थोक आधार पर वस्तुओं का व्यापार करना।
  - व्यावसायिक लेन-देन जैसे कि ग्राहक से मुलाकात या अनुबंध वार्ता का संचालन करना।
  - व्यवसाय से संबंधित सम्मेलनों, प्रदर्शनियों या कार्यक्रमों में भाग लेना।
- **विरासत पर्यटन:**
  - भारत में विरासत पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसे भारत को एक विरासत स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई सरकारी पहलों से समर्थन मिला है।
  - भारत का समृद्ध इतिहास और प्राचीन संस्कृति इसे इस प्रकार के पर्यटन के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त बनाती है।
- **खेल पर्यटन:**
  - खेल पर्यटन सभी आयु वर्ग और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।
  - लोग खेल गतिविधियों में भाग लेने या उन्हें देखने के लिए निकटवर्ती शहरों या विदेश की यात्रा करते हैं, जिससे पर्यटन क्षेत्र में योगदान मिलता है।
- **शैक्षिक पर्यटन:** शैक्षिक पर्यटन में उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने वाले छात्र और अपने कौशल को बढ़ाने के इच्छुक पेशेवर शामिल होते हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय पर्यटन क्षेत्र:

- भारतीय पर्यटन क्षेत्र देश में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है।
- वर्ष 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 30.5 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- अनुमान है कि वर्ष 2028 तक भारत का पर्यटन और आतिथ्य उद्योग 59 बिलियन डॉलर से अधिक का राजस्व उत्पन्न करेगा।
  - इसके अतिरिक्त, विदेशी पर्यटकों का आगमन (FTAs) 2028 तक 30.5 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे की कमियाँ:** भारत में विभिन्न पर्यटन स्थल अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से प्रभावित हैं, जिनमें खराब सड़क की स्थिति, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएँ शामिल हैं।
- **वातावरण संबंधी निम्नीकरण:** पर्यटन में वृद्धि से पर्यावरण संबंधी समस्याएँ जैसे प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, तथा वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्रों को क्षति पहुँचता है। सतत पर्यटन प्रथाओं का प्राय: अभाव रहता है।
- **मानकीकरण का अभाव:** पर्यटन क्षेत्र में होटलों और रेस्तरां से लेकर पर्यटन ऑपरेटरों तक विभिन्न सेवाओं में मानकीकृत गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव है। यह असंगतता समग्र पर्यटक अनुभव को प्रभावित करती है।
- **मौसम:** विभिन्न पर्यटन स्थलों को मौसमी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जहाँ पीक सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या अधिक होती है, जबकि ऑफ सीजन के दौरान पर्यटकों की संख्या कम होती है।
- **विपणन एवं संवर्धन चुनौतियाँ:** प्रभावी विपणन रणनीतियों का प्राय: अभाव रहता है, तथा कम प्रसिद्ध स्थलों के बेहतर प्रचार की आवश्यकता होती है।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता और प्रबंधन:** पर्यटन आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए सांस्कृतिक विरासत का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण है।
- पर्यटकों की, माँग को पूरा करते समय स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करने से संबंधित मुद्दे भी हैं।

सरकारी पहल:

- **अतुल्य भारत अभियान:** वर्ष 2002 में प्रारंभ किए गए इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।
  - यह विभिन्न मीडिया और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से भारत की विविध संस्कृति, विरासत और आकर्षणों को प्रकट करने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय पर्यटन नीति:** राष्ट्रीय पर्यटन नीति का उद्देश्य सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करना है।
- **स्वदेश दर्शन योजना:** यह योजना देश भर में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई थी।
  - इसका ध्यान पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, सुविधाओं और संकेतक सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- **प्रसाद योजना:** तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) का उद्देश्य पूरे भारत में तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करना तथा आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सुविधाएँ और पहुँच बढ़ाना है।
- **अतिथि देवो भव अभियान:** यह पहल आतिथ्य और अतिथियों के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने की सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा देती है।
  - इसमें पर्यटन क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
- **वीजा सुधार:** विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा प्रारंभ करने से भारत आने के लिए वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना है।
- **पर्यटन अवसंरचना विकास:** सरकार ने पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हवाई अड्डों, सड़कों और रेलवे के विकास सहित बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए निवेश किया है।
- **सतत पर्यटन के लिए समर्थन:** सरकार विभिन्न योजनाओं और दिशा-निर्देशों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल और धारणीय पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसमें जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना भी शामिल है।

बाजार का आकार

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन और आतिथ्य का प्रत्यक्ष योगदान (US$ बिलियन)

सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान (US$ बिलियन)

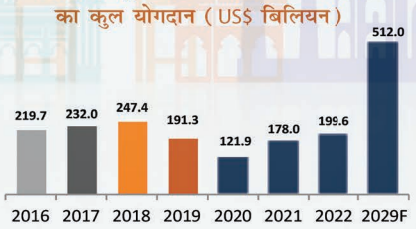

Note: *F - Forecast*

क्षेत्र की संरचना

उद्देश्य-वार विदेशी पर्यटक आगमन (जनवरी-अप्रैल) 2024 (%)

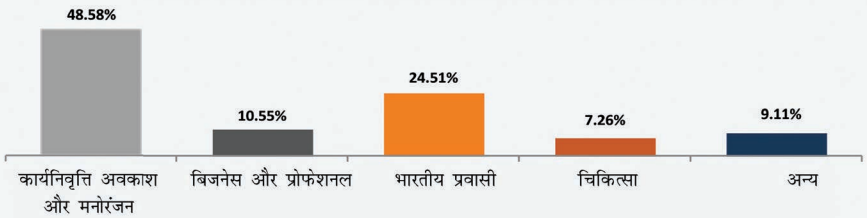

प्रमुख प्रवृत्ति

भारत आने वाले विदेशी पर्यटक (मिलियन)

भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (US$ बिलियन)

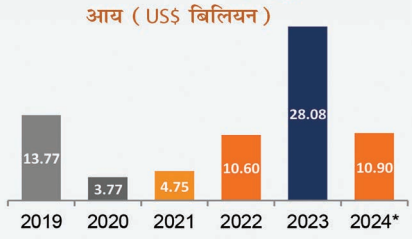

Note: *E- Estimated, *January to April 2024*

सरकारी पहल

अतुल्य भारत
अतिथि देवो भवः
अतुल्य भारत

SWADESH DARSHAN
स्वदेश दर्शन

saathi
System for Assessment, Awareness and Training for Hospitality Industry

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र पर बहस छेड़ दी, तथा इसकी तीव्र वृद्धि पर जश्न मनाने के बदले चिंता व्यक्त की।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र की स्थिति:

- **अनुमानित आर्थिक वृद्धि:** ई-कॉमर्स क्षेत्र का 2030 तक 325 बिलियन डॉलर का बाजार आकार प्राप्त करने का अनुमान है।
- **व्यवसायों के लिए लाभ:**
  - **व्यापक पहुँच:** ई-कॉमर्स व्यवसायों को भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुँचने और बाजार पहुँच का विस्तार करने में सक्षम बनाता है।
  - **लागत प्रभावी विपणन:** व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागत प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग चैनलों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे लक्षित उपभोक्ताओं तक अधिक कुशलता से पहुँचा जा सके।
  - **विस्तार के अवसर:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व्यवसायों को नई उत्पाद श्रेणियों की खोज करने और विभिन्न क्षेत्रीय बाजारों में प्रवेश करने के अवसर प्रदान करते हैं।
- **उपभोक्ताओं के लिए लाभ:**
  - **सुविधा:** ई-कॉमर्स अद्वितीय सुविधा प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता कुछ ही क्लिक के साथ अपने घर बैठे आराम से खरीदारी कर सकते हैं।
  - **मूल्य तुलना और क्रय- विक्रय** (Price Comparisons and Deals)**:** ऑनलाइन शॉपिंग से कीमतों की तुलना आसान हो जाती है, छूट और विशेष क्रय- विक्रय तक पहुँच मिलती है, जिससे उपभोक्ताओं को पैसे बचाने में मदद मिलती है।
  - **व्यक्तिगत अनुभव:** ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत अनुशंसाएँ और अनुकूलित क्रय अनुभव प्रदान करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी बढ़ती है।

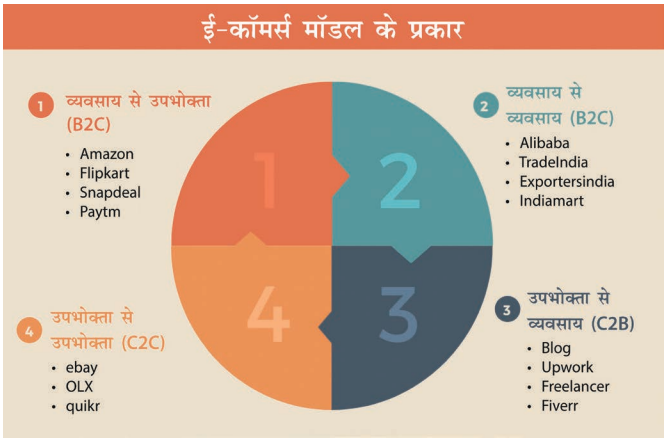

- **इंटरनेट की पहुँच में वृद्धि:**
  - **ग्राहक वृद्धि:**
    - सितंबर 2023 तक भारत में 918 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता होंगे।
    - ग्रामीण उपभोक्ता आधार तेजी से बढ़ रहा है तथा इसकी संख्या 375. 66 मिलियन है, जो ऑनलाइन सेवाओं की बढ़ती पहुँच को दर्शाता है।
  - **ई-कॉमर्स अपनाना:** भारत में लगभग 100% पिन कोड वाले क्षेत्रों ने ई-कॉमर्स को अपना लिया है, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग तक व्यापक पहुँच का पता चलता है।
- **उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव:**
  - **ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स:** डेटा आधारित शॉपिंग पैटर्न का अनावरण शीर्षक वाले अध्ययन के अनुसार टियर-2, टियर-3 और टियर-4 शहरों में ऑनलाइन ऑर्डर की सबसे बड़ी मात्रा होती है।
  - यह बदलाव छोटे शहरों और कस्बों में ऑनलाइन खरीदारी में वृद्धि दर्शाता है।

भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **प्लेटफॉर्म तटस्थता और निष्पक्षता:**
  - मुद्दों में प्लेटफॉर्म तटस्थता की कमी तथा ऑनलाइन मार्केटप्लेस और विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के बीच अनुचित अनुबंध शर्तें शामिल हैं।
  - विशिष्ट अनुबंध और मूल्य समता प्रतिबंध भी चिंता का विषय हैं साथ ही भारी छूट से जुड़ी परंपराएँ भी चिंता का विषय हैं, जिनसे प्रतिस्पर्धा विकृत हो सकती है।
  - प्लेटफॉर्मों और विक्रेताओं के बीच विशेष समझौते अन्य विक्रेताओं के लिए बाजार पहुँच को सीमित कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकते हैं।
- **लघु एवं मध्यम उद्यमों** (SMEs) **का समावेशन:**
  - SMEs **के लिए चुनौतियाँ:** छोटे और मध्यम उद्यमों को प्राय: अलग-अलग प्लेटफार्मों के लिए अलग-अलग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता, विभिन्न नियम और शर्तें तथा संबंधित लागतों के कारण ई-कॉमर्स में भाग लेने में संघर्ष करना पड़ता है।
  - **प्रवेश की बाधायें:** SMEs को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर कार्य करने की उच्च लागत और जटिलता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **डिजिटल अवसंरचना और इंटरनेट प्रवेश:**
  - **बुनियादी ढाँचे की मजबूती:** निर्बाध ऑनलाइन लेनदेन के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचा आवश्यक है। व्यवधानों से लेनदेन विफल हो सकता है और उपभोक्ता का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
  - **इंटरनेट का उपयोग:** इंटरनेट की बढ़ती पहुँच के बावजूद, आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी इंटरनेट तक पहुँच से वंचित है, जिससे ई-कॉमर्स की पहुँच और वृद्धि सीमित हो रही है।
- **ऑनलाइन भुगतान की चिंता:**
  - कई भारतीय ग्राहक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ऑनलाइन भुगतान करने से कतराते हैं।

- यद्यपि ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी उपभोक्ताओं का एक बड़ा समूह क्रेडिट कार्ड और बैंक विवरण का खुलासा करने में अनिच्छुक है।

चुनौतियों पर काबू पाने के लिए संबंधित पहल:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) **मानदंडों में ढील:**
  - **B2B ई-कॉमर्स:**
    - भारत ने बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ई-कॉमर्स में 100% FDI की अनुमति दे दी है।
    - यह नीति ऐसे प्लेटफार्मों में विदेशी निवेश का समर्थन करती है, जो सीधे उपभोक्ताओं के साथ लेनदेन के बदले व्यवसायों के बीच लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- **मार्केटप्लेस मॉडल:**
  - ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की भी अनुमति है।
  - इससे उन प्लेटफार्मों में विदेशी निवेश की अनुमति मिलती है, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
- **सरकारी क्रय:**
  - सरकारी ई-मार्केटप्लेस ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को काफी सुविधाजनक बना दिया है।
  - इसने सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) में 4 लाख करोड़ रुपये को पार करके एक मील का पत्थर हासिल किया है, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ी है और उसे सुव्यवस्थित किया गया है।
- **डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क** (ONDC):
  - ONDC पहल का उद्देश्य एक खुला और समावेशी डिजिटल वाणिज्य नेटवर्क बनाना है।
  - इसका लक्ष्य MSMEs के लिए समान अवसर प्रदान करना और ई-कॉमर्स परिदृश्य का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे व्यवसायों की एक व्यापक श्रेणी को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिल सके।
- **प्रमुख पहल:**
  - **डिजिटल इंडिया:** इस पहल का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
  - **स्टार्टअप इंडिया:** नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करके स्टार्टअप के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया।
  - **मेक इन इंडिया:** यह कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा।
  - **भारतनेट:** इसका उद्देश्य ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहुँच और कनेक्टिविटी को बढ़ाना तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना है।
- **डिजिटल भुगतान और प्रौद्योगिकी:**
  - भारत सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), RuPay, डिजिलॉकर और eKYC सहित विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
  - छोटे शहरों में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने तथा डिजिटल भुगतान क्षेत्र में और अधिक नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
  - बजट 2023-24 के अनुसार, 2022 में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें लेनदेन की संख्या में 76% और लेनदेन मूल्य में 91% की वृद्धि हुई।

बाजार का आकार

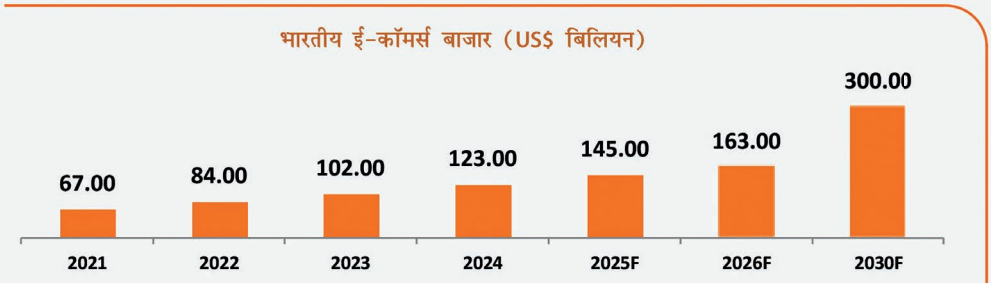

नोट: एफ-पूर्वानुमान

क्षेत्र की संरचना

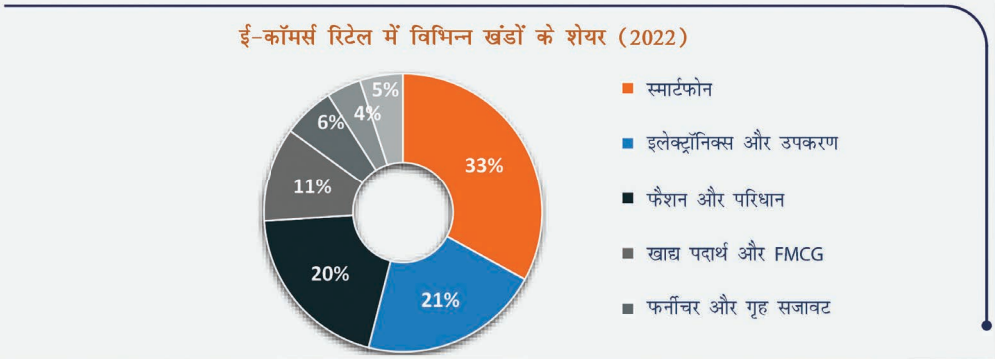

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र का योगदान

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने विगत दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24 बिलियन डॉलर (₹20,000 करोड़) का प्रत्यक्ष योगदान दिया है।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र:

- **निवेश और विकास:**
  - विगत दशक में भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में 13 अरब डॉलर का निवेश किया है।
  - यह निरंतर निवेश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे और क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहा है।
  - इस क्षेत्र का विकास निरंतर वित्तीय सहायता पर आधारित है, जिससे उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों, प्रक्षेपण वाहनों और भू-प्रणालियों के विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
- **वैश्विक रैंकिंग:**
  - भारत विश्व स्तर पर 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
  - यह रैंकिंग वित्तीय निवेश के पैमाने और वैश्विक बाजारों पर अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रभाव पर आधारित है।

नवीन गतिविधि:

- **केंद्रीय बजट आवंटन:**
  - 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने अंतरिक्ष संबंधी पहलों के लिए 13,042.75 करोड़ रुपये आवंटित किए।
  - इस पर्याप्त धनराशि का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देना है।
  - बजटीय सहायता अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर सरकार के रणनीतिक फोकस को दर्शाती है।
- **रोजगार पर प्रभाव:**
  - भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में लगभग 96,000 नौकरियों का सृजन करता है।
  - इसमें अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण, उपग्रह संचालन और अंतरिक्ष मिशन से संबंधित भूमिकाएँ शामिल हैं।
  - इस क्षेत्र का रोजगार सृजन अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो विभिन्न प्रकार के पेशेवरों और तकनीकी विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - **गुणक प्रभाव:**
    - अंतरिक्ष उद्योग द्वारा उत्पादित प्रत्येक डॉलर के लिए 2.54 डॉलर का गुणक प्रभाव होता है, जो महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभावों को दर्शाता है।
    - इस गुणक प्रभाव में तकनीकी उन्नति, बुनियादी ढाँचे का विकास और संबंधित क्षेत्रों में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि जैसे सहायक लाभ शामिल हैं।
  - **उत्पादकता:**
    - भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र असाधारण उत्पादकता प्रदर्शित करता है, जो व्यापक औद्योगिक कार्यबल की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक है।
    - यह उच्च उत्पादकता कुशल संचालन, उन्नत प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल का परिणाम है।
- **उद्योग विविधीकरण:**
  - इस क्षेत्र में पर्याप्त विविधीकरण हुआ है, कंपनियों की संख्या बढ़कर 700 हो गई है, जिनमें 200 स्टार्ट-अप्स भी शामिल हैं।
  - यह वृद्धि इस क्षेत्र के विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र और अंतरिक्ष उद्योग में नए खिलाड़ियों के उत्कर्ष को दर्शाती है।
  - स्टार्ट-अप्स नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा इस क्षेत्र की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान दे रहे हैं।
  - वर्ष 2023 में, अंतरिक्ष क्षेत्र का राजस्व 6.3 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 1.5% होगा।
  - यह राजस्व वृद्धि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी और इसकी विस्तारित बाजार उपस्थिति को प्रकट करती है।
- **क्षेत्रवार योगदान:**
  - **संचार उपग्रह:**
    - अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 54% का योगदान दिया, जिससे इसका प्रभुत्व स्पष्ट हुआ।
    - उपग्रह संचार दूरसंचार, प्रसारण और डेटा संचरण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - **मार्गदर्शन:** अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी 26% है, जो वैश्विक स्थिति निर्धारण और स्थान-आधारित सेवाओं के लिए उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणालियों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
  - **प्रक्षेपण:** भारत अंतरिक्ष क्षेत्र के योगदान का 11% हिस्सा बना, जो उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के महत्त्व को दर्शाता है।
  - **दूरसंचार:**
    - दूरसंचार उद्योग अंतरिक्ष क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जो इसके प्रभाव का 25% हिस्सा है।
    - अंतरिक्ष आधारित संचार प्रौद्योगिकियाँ दूरसंचार सेवाओं की एक विस्तृतशृंखला का समर्थन करती हैं।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी:** उपग्रह डेटा प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर विकास और आईटी बुनियादी ढाँचे में प्रगति से प्रेरित होकर, अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रभाव में 10% का योगदान दिया।
  - **प्रशासनिक सेवा:** अंतरिक्ष क्षेत्र के योगदान का 7% हिस्सा बना, जिसमें उपग्रह डेटा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक अनुप्रयोग शामिल हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI:

- संशोधित FDI नीति के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार हैं:

- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक:** उपग्रह-निर्माण एवं संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद तथा भू-खंड एवं उपयोगकर्त्ता खंड।
- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक:** प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ, अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष बंदरगाहों का निर्माण।
- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक:** उपग्रहों, भू-खंड और उपयोगकर्त्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों का विनिर्माण।

- **अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाएँ:**
  - **निर्यात संभावना और निवेश:** वर्तमान में, अंतरिक्ष-संबंधी सेवाओं में भारत का निर्यात बाजार हिस्सा 2,400 करोड़ रुपये (लगभग 0.3 बिलियन डॉलर) है। इसे बढ़ाकर 88,000 करोड़ रुपये (11 बिलियन डॉलर) करने का लक्ष्य है।
  - **अंतरिक्ष पर्यटन का उत्कर्ष:** वर्ष 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य 848.28 मिलियन डॉलर का बताया गया है। वर्ष 2032 तक इसके 27,861.99 मिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- **कम बजट आवंटन:**
  - भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अन्य अग्रणी अंतरिक्ष-प्रयास करने वाले देशों की तुलना में काफी कम बजट पर संचालित होता है।
  - देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.05% ही अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए आवंटित करता है, जो कि अपेक्षाकृत मामूली निवेश है।
  - इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.25% अंतरिक्ष उद्यम के लिए आवंटित करता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अत्यधिक वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता:**
  - भारत अभी भी प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रहों में प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण घटकों के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर है।
  - यह निर्भरता उन तकनीकी अंतरालों को प्रकट करती है, जिन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **सीमित बाजार उपस्थिति:**
  - अपनी उपलब्धियों के बावजूद, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे अंतरिक्ष निर्माण, मानव अंतरिक्ष परिवहन, अंतरिक्ष पर्यटन और उच्च ऊँचाई वाले प्लेटफार्मों में भारत की उपस्थिति सीमित है।
  - वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2.6% है, जो इसकी बाजार पहुँच और वाणिज्यिक क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **सुदृढ़ विवाद समाधान तंत्र का अभाव:**
  - भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूत विवाद समाधान ढाँचे का अभाव निजी निवेश को हतोत्साहित करता है।
  - इस क्षेत्र की चुनौतियों को एंट्रिक्स-देवास उपग्रह क्रय-विक्रय के रद्द होने से प्रकट किया गया, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक न्यायाधिकरण ने भारत सरकार को देवास मल्टीमीडिया को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया था।
  - इस तरह के कानूनी विवाद संघर्षों को सुलझाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश की सुरक्षा के लिए अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित करने में चुनौतियाँ:**
  - इसरो को अपनी तकनीकी क्षमताओं को उन्नत करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से उच्च पेलोड क्षमता वाले शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहनों को विकसित करने में।
  - उदाहरण के लिए, जहाँ भारत के चंद्रयान-3 मिशन को चंद्रमा तक पहुँचने में लगभग छह सप्ताह का समय लगा, वहीं रूसी लूना-25 मिशन को, अपनी विफलता के बावजूद, केवल एक सप्ताह में चंद्रमा तक पहुँचने के लिए डिजाइन किया गया था।
  - यह तुलना इस बात की आवश्यकता को दर्शाती है कि भारत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार:

- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** इसमें इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गईं।
  - इसका उद्देश्य अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
  - भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनी न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा के वितरण जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली है।
  - 1 मई, 2024 को, NSIL ने जीसैट-20/ जीसैट-एन2 उपग्रह के लिए स्पेसएक्स के साथ एक प्रमुख प्रक्षेपण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
- SIA **द्वारा रणनीतिक प्रस्ताव:** अंतरिक्ष उद्योग संघ-भारत (SIA-India) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने पूर्व-बजट ज्ञापन में भारत के अंतरिक्ष बजट में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
  - इसका उद्देश्य भारत के विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम को समर्थन देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना और देश को गतिशील वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है।

निजी अंतरिक्ष मिशनों में प्रगति:

- **अग्निकुल कॉसमॉस:** अपने SoRTeD-01 वाहन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
- **स्काईरूट एयरोस्पेस:** अपने विक्रम 1 रॉकेट के विकास को आगे बढ़ाना जारी रखा है, जिससे भारत के छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- **ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस:** दोनों कंपनियों ने PSLV-C58 मिशन में योगदान दिया, जिससे इसरो के मिशनों को समर्थन देने में निजी कंपनियों की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ।

भारत-यूक्रेन संबंध

वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के पश्चात् यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी।

यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ

समझौते और समझौता ज्ञापन: *यात्रा के दौरान चार समझौतों और समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए:*

- **सहयोग के क्षेत्र:** कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया गया।
- **मानवीय सहायता:** उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्रदान किया गया।
- **सांस्कृतिक और स्वास्थ्य समझौते:** सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत किया गया तथा अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त मेडिसिन एवं औषधियों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
- **भीष्म क्यूब्स:** चार भीष्म (सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) क्यूब्स की आपूर्ति की गई, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न चोटों और चिकित्सा स्थितियों की प्रारंभिक देखभाल के लिए मेडिसिन और उपकरण थे।

प्रधानमंत्री की यात्रा का महत्त्व:

- **भारत की यूरोपीय नीति में बदलाव:**
  - **ऐतिहासिक संदर्भ:** आजादी के बाद के दशकों तक भारत ने यूरोप पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, मुख्य रूप से महाद्वीप के चार बड़े देशों-रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बातचीत की। यह दृष्टिकोण भारतीय विदेश नीति में संकीर्ण ध्यान को दर्शाता है।
  - **वर्तमान भारतीय सरकार के अंतर्गत रणनीतिक बदलाव:** पिछले दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्त्व में भारत की यूरोपीय भागीदारी में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। यूक्रेन और पोलैंड की उनकी मौजूदा यात्रा पारंपरिक शक्तियों से परे यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने के भारत के व्यापक प्रयास का प्रतीक है।
- **भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की पुनर्व्याख्या:**
  - **गुटनिरपेक्षता का विकास:** ऐतिहासिक रूप से, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति में सभी देशों से समान दूरी बनाए रखना शामिल था। हालाँकि, प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयानों से इस नीति के पुनर्निर्देशन का पता चलता है, जो व्यापक श्रेणी के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की दिशा में है।
  - **संतुलित जुड़ाव:** नया दृष्टिकोण विविध देशों के साथ घनिष्ठ और रणनीतिक संबंध बनाए रखने पर बल देता है, जो भारत की बढ़ती वैश्विक आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है।
- **मध्य और पूर्वी यूरोप पर बल:**
  - **मध्य और पूर्वी यूरोप का सामरिक महत्त्व:** यह यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के सामरिक महत्त्व के प्रति भारत की मान्यता को रेखांकित करती है, ये वे क्षेत्र हैं जो परंपरागत रूप से रूस के साथ भारत के संबंधों के कारण प्रभावित रहे हैं।
  - **संबंधों में विविधता लाना:** यूक्रेन और पोलैंड के साथ संबंधों को मजबूत करके, भारत का लक्ष्य अपनी यूरोपीय साझेदारियों में विविधता लाना, रूस पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता को कम करना और व्यापक यूरोपीय क्षेत्र के साथ अधिक गतिशील रूप से जुड़ना है।
- **"विश्व बन्धु" (विश्व मित्र) का दृष्टिकोण**
  - **"विश्व बन्धु" (विश्व मित्र) का दृष्टिकोण:** यह यात्रा भारत के "विश्वबंधु" या विश्व मित्र बनने के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, एक ऐसी अवधारणा जिसमें भारत की वैश्विक भागीदारी को गहन और व्यापक बनाना शामिल है।
  - **अवसर की पहचान:** मध्य और पूर्वी यूरोप में संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाया गया कदम इन क्षेत्रों में उपस्थित अवसरों को मान्यता देने को दर्शाता है, विशेष रूप से बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता और विविधतापूर्ण विदेश नीति रणनीति की आवश्यकता के संदर्भ में।

द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक महत्त्व:

- **राजनयिक संबंध**
  - **राजनयिक संबंधों की स्थापना:** भारत दिसंबर 1991 में यूक्रेन की संप्रभुता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। जनवरी 1992 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए, मई 1992 में कीव में भारतीय दूतावास खोला गया और फरवरी 1993 में यूक्रेन ने दिल्ली में अपना पहला एशियाई राजनयिक मिशन स्थापित किया।
  - **उच्च स्तरीय कूटनीतिक संलग्नता:** नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते हैं।
    - विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी नेताओं के साथ बातचीत की और राजनयिक संबंधों को मजबूत किया।
    - भारत और यूक्रेन संयुक्त कार्य समूह और विदेश कार्यालय परामर्श जैसे संस्थागत तंत्रों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
- **सामरिक सहयोग**
  - **द्विपक्षीय समझौते:** भारत और यूक्रेन के बीच विभिन्न समझौता ज्ञापनों (MOUs) और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें राजनयिक संबंध, रक्षा सहयोग, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वीजा सुविधा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। ये समझौते रणनीतिक सहयोग की नींव के रूप में कार्य करते हैं।
  - **रक्षा संबंध:** अपनी स्वतंत्रता के बाद से यूक्रेन, भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी और उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता रहा है।

- उदाहरण के लिए, यूक्रेन में निर्मित आर-27 एयर-टू-एयर मिसाइलों का उपयोग भारतीय वायु सेना (IAF) के Su-30MKI लड़ाकू विमानों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रूस के साथ विवाद के बीच भारत ने यूक्रेन को रक्षा उपकरण निर्यात करना प्रारंभ कर दिया है।

- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध**
  - **द्विपक्षीय व्यापार गतिशीलता:** भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2021-22 में 3.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
    - यूक्रेन से भारत को किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में कृषि उत्पाद, धातुकर्म संबंधी वस्तु और पॉलिमर शामिल हैं, जबकि यूक्रेन को भारत के प्रमुख निर्यातों में फार्मास्युटिकल, मशीनरी और रसायन शामिल हैं।
    - फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध प्रारंभ होने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई - भारत-यूक्रेन व्यापार की मात्रा 2021-22 में 3.39 बिलियन डॉलर से घटकर 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 0.78 बिलियन डॉलर और 0.71 बिलियन डॉलर रह गई।
  - **निवेश और व्यापार सहयोग:** भारतीय कंपनियों ने यूक्रेन में, विशेष-तौर पर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में, अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भारतीय फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यूक्रेन में भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करने और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **व्यापार सांख्यिकी:** पिछले पाँच वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार वृद्धि हुई है, निर्यात और आयात में वृद्धि से आर्थिक संबंधों में प्रगाढ़ता झलकती है। व्यापार के आँकड़े भारत और यूक्रेन के बीच बढ़ती आर्थिक निर्भरता को प्रकट करते हैं।
- **मानवीय सहायता और संकट प्रतिक्रिया**
  - **मानवीय सहायता:** यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जवाब में भारत ने पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें कुल 99.3 टन सहायता की 12 खेपें शामिल हैं।
    - सहायता पैकेज में मेडिसिन, कंबल, चिकित्सा उपकरण और अन्य आवश्यक आपूर्तियाँ शामिल हैं।
  - **फार्मास्युटिकल और चिकित्सा सहायता:** भारतीय मेडिसिन कंपनियों ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता और वित्तीय सहायता के रूप में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। ये प्रयास मानवीय सहायता और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
- **प्रवासी और सांस्कृतिक कूटनीति**
  - **यूक्रेन में भारतीय समुदाय:** यूक्रेन में भारतीय प्रवासी, हालाँकि छोटे हैं, लेकिन व्यापार, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में जीवंत और सक्रिय हैं। "इंडिया क्लब" एसोसिएशन सांस्कृतिक और खेल आयोजनों का आयोजन करता है, समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और भारतीय संस्कृति के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है।
  - **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सॉफ्ट पावर:** भारत और यूक्रेन के बीच समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान है तथा नृत्य, योग और आयुर्वेद सहित भारतीय संस्कृति में लोगों की गहरी रुचि है।
    - 30 से अधिक यूक्रेनी सांस्कृतिक संघ सक्रिय रूप से भारतीय कला रूपों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है।
  - कीव स्थित भारतीय दूतावास ने 2017 में राष्ट्रव्यापी 'भारत महोत्सव' सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
  - **सिनेमाई और कलात्मक सहयोग:** भारतीय सिनेमा ने यूक्रेन में अपनी छाप छोड़ी है और दृश्य प्रभावों में यूक्रेनी विशेषज्ञता ने 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' जैसी भारतीय फिल्मों में भी योगदान दिया है, जो दोनों देशों के बीच रचनात्मक सहयोग को दर्शाता है।
  - **शैक्षिक और क्षमता निर्माण:** भारत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से यूक्रेन को प्रशिक्षण और शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। ये कार्यक्रम शिक्षा और क्षमता निर्माण में द्वि पक्षीय सहयोग को बढ़ाते हैं।
  - **भाषा एवं सांस्कृतिक अध्ययन:** केंद्रीय हिंदी संस्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम यूक्रेनी छात्रों को हिंदी भाषा में उन्नत अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करके शैक्षिक संबंधों को और मजबूत करता है तथा सांस्कृतिक और भाषायी आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

- **द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट:** भारत और यूक्रेन के बीच व्यापार की मात्रा में काफी कमी आई है, जो 2021-22 में 3.39 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 0.71 बिलियन डॉलर रह गई है, जिसका मुख्य कारण रूस-यूक्रेन संकट (युद्ध) है।
- **भारत के आयात पर प्रभाव:** इस व्यापार गिरावट ने यूक्रेन से भारत के कृषि, मशीन-निर्माण और सैन्य वस्तुओं के आयात को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, सूरजमुखी तेल की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने भारत में मुद्रास्फीति को बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **रूस के साथ भारत के संबंध:** रूस के साथ भारत की चल रही भागीदारी और मॉस्को की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से परहेज करने के उसके निर्णय ने भारत-यूक्रेन भू-राजनीतिक सहयोग को कुछ हद तक तनावपूर्ण बना दिया है।
- **यूक्रेन द्वारा भारत की नीतियों की आलोचना:** भारत के परमाणु परीक्षणों और कश्मीर नीति की यूक्रेन द्वारा की गई अतीत की आलोचना भी तनाव का स्रोत रही है, जिससे भारत-यूक्रेन संबंधों की प्रगाढ़ता प्रभावित हुई है।

संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उभरती संभावना:

- **उन्नत रक्षा सहयोग:** यूक्रेन की हथियारों की तत्काल जरूरत भारत के लिए पुराने सोवियत युग के हथियारों को बदलने के रास्ते खोलती है। भारत अपने सोवियत हार्डवेयर और गोला-बारूद को पश्चिमी प्रणालियों के लिए बदल सकता है, नाटो मानकों के अनुरूप और अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बना सकता है।

- **हिंद महासागर में भू-रणनीतिक सहयोग:** यूक्रेन की उन्नत, लागत प्रभावी जलजनित तकनीकें, जिन्होंने रूस के काला सागर बेड़े को पीछे छोड़ दिया है, हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक रणनीति को लाभ पहुँचा सकती हैं। यूक्रेन की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर भारत को इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिल सकती है।
- **उत्पादन ठिकानों का भारत में स्थानांतरण:** भारत और यूक्रेन के बीच मजबूत होते संबंधों से यूक्रेनी विनिर्माण कार्यों को भारत में स्थानांतरित करने में सुविधा हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए, गैस टरबाइन निर्माता जोर्या-मैशप्रोएक्ट संभवत: अपना उत्पादन आधार भारत में स्थानांतरित कर सकता है, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।
- **रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** यूक्रेन में पुनर्निर्माण प्रयासों से भारत के श्रम बाजार के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे, नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- **डिजिटल क्षेत्र में प्रगति:** भारत और यूक्रेन के बीच गहन सहयोग से डिजिटल शासन में महत्त्वपूर्ण सुधार हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यूक्रेन की युद्धकालीन चुनावी प्रक्रियाओं में सहायता कर सकती हैं, जबकि यूक्रेन का अभिनव DIIA ऐप, जो स्मार्टफोन पर सरकारी सेवाओं और दस्तावेजों को एकीकृत करता है, भारत में शासन प्रथाओं को बदल सकता है।
- **शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग:** अनुसंधान और शिक्षा में बढ़ते सहयोग से दोनों देशों को लाभ हो सकता है, साथ ही संयुक्त परियोजनाओं, आदान-प्रदान कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में साझा विशेषज्ञता के अवसर भी मिलेंगे।
- **आर्थिक निवेश और व्यापार:** यूक्रेन में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण से बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारतीय निवेश आकर्षित हो सकता है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार संबंधों में मजबूती आएगी।
- **सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंध:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ने से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

- **कूटनीतिक संतुलन का कड़ा कदम:** भारत को अपनी विदेश नीति में एक उत्कृष्ट संतुलन कायम करना होगा, रूस के साथ अपनी ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी को संभालना होगा, यूक्रेन के साथ बातचीत करनी होगी तथा चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।
  - भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन के साथ उसकी भागीदारी से रूस के साथ उसके पारंपरिक संबंध कमजोर न हों, क्योंकि चीन के साथ रूस का गठबंधन अनिवार्य रूप से भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित नहीं करता है।
- **संघर्ष समाधान में अग्रणी भूमिका:** भारत को यूक्रेनी संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता का नेतृत्व करके वैश्विक मंच पर एक सैद्धांतिक अभिनेता के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए।
  - यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने और भुखमरी के कारण मानवीय संकट को रोकने में मदद कर सकती है।
- **आर्थिक कूटनीति:** भारत को यूक्रेन और रूस दोनों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक रणनीति का उपयोग करना चाहिए, ताकि संघर्ष के कारण उसके आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- **मानवीय कूटनीति:** भारत संघर्ष से संबंधित वैश्विक मानवीय प्रयासों में अपनी भूमिका बढ़ा सकता है, प्रभावित आबादी को सहायता और समर्थन प्रदान कर सकता है, जिससे एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत होगी।
- **गुटनिरपेक्षता में संशोधन:** भारत को रूस के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत करके अपनी विदेश नीति के ढाँचे में गुटनिरपेक्षता को फिर से परिभाषित करना चाहिए।
  - गुटनिरपेक्षता के इस आधुनिक दृष्टिकोण में समान दूरी बनाए रखने के बदले कई प्रमुख शक्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाना शामिल है।
- **भू-राजनीतिक तनावों से निपटना:** रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत को एक जटिल भू-राजनीतिक माहौल में डाल दिया है, जिसके लिए उसे रूस के साथ अपने ऐतिहासिक गठबंधन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के साथ-साथ पश्चिमी देशों के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना होगा। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।

निष्कर्ष:

- हाल के वर्षों में भारत-यूक्रेन संबंधों में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जो भारत की विदेश नीति में रणनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाता है।
- ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता, जिसने वैश्विक शक्तियों से संतुलित दूरी बनाए रखी, यूक्रेन के साथ भारत का हालिया जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए अधिक गतिशील और सूक्ष्म दृष्टिकोण की ओर बदलाव को दर्शाता है।

भारत-जापान संबंध

हाल ही में, भारत और जापान ने नई दिल्ली में अपनी तीसरी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की।

भारत-जापान 2+2 बैठक की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्वतंत्र एवं खुला हिंद-प्रशांत:** दोनों देशों ने चीन के सैन्य विस्तार से उत्पन्न रणनीतिक चिंताओं पर ध्यान देते हुए स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **आसियान के लिए समर्थन:** इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक (AOIP) का समर्थन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था में आसियान की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया गया।
- **चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता** (QUAD)**:** जुलाई 2024 के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के परिणामों को प्रतिबिंबित करते हुए, क्वाड के अंदर सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग को अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का केंद्रीय अंग माना गया, संयुक्त अभ्यास और प्रौद्योगिकी में प्रगति पर प्रकाश डाला गया तथा 2008 के संयुक्त घोषणापत्र को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- **आतंकवाद और उग्रवाद:** आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और 26/11 मुंबई हमलों के लिए न्याय की माँग की। आतंकवादी समूहों और वित्तपोषण के विरुद्ध कार्रवाई का समर्थन किया।
- **टेक्नोलॉजी:** जापान की एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना (UNICORN) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, रडार और मिसाइल पहचान को बढ़ाने, तथा भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- **महिलाएँ, शांति और सुरक्षा** (WPS)**:** शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका पर बल दिया गया और WPS एजेंडे का समर्थन किया गया, जिसमें शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और संघर्ष के प्रभावों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

व्यापक महत्त्व:

- **ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आधार:** जापान और भारत के बीच संबंध छठी शताब्दी से चले आ रहे हैं, जब बौद्ध धर्म जापान में आया और यहाँ भारतीय सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रभाव आए। इस प्रारंभिक संपर्क ने भविष्य के कूटनीतिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की नींव रखी।
- **द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कूटनीतिक उपलब्धियाँ:** वर्ष 1949 में, भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर को एक हाथी दान करना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों के नवीनीकरण का प्रतीक था।
  - राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना वर्ष 1952 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई, जो जापान की युद्धोत्तर पहली संधियों में से एक थी।
- **सामरिक और कूटनीतिक साझेदारियाँ:** 2000 के दशक में जापान और भारत के बीच संबंध "वैश्विक साझेदारी" के रूप में विकसित हुए, जो बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है।
  - वर्ष 2014 में, इस साझेदारी को "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" के रूप में उन्नत किया गया, जो एक गहन रणनीतिक संरेखण को दर्शाता है।
  - वर्ष 2015 में घोषित "जापान और भारत विजन 2025" ने एक सहयोगात्मक रूपरेखा तैयार की, जिसमें उनके रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** वर्ष 2008 में जारी "सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा" ने चल रहे सुरक्षा संवादों की नींव रखी, जिसे वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौते (ACSA) द्वारा आगे बढ़ाया गया।
  - यह समझौता दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान को सुगम बनाता है, जो आपसी सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
  - भारत-जापान रक्षा और सुरक्षा साझेदारी उत्तरोत्तर विकसित हुई है, जिसमें धर्मा गार्जियन और मालाबार जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि जापान ने पहली बार मिलन अभ्यास में भाग लिया।
- **आर्थिक अंतरनिर्भरता**
  - जापान भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन गया है, जो 13वें सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार और 5वें सबसे बड़े निवेशक के रूप में स्थान रखता है।
  - "भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी" और "स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी" जैसी प्रमुख पहल उनके बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती हैं।
  - वर्ष 2019 में, उन्होंने अहमदाबाद और कोबे के बीच एक सिस्टर-सिटी संबंध स्थापित किया और वर्ष 2023 में, जापान ने पाँच वर्षों में भारत में निवेश के लिए 5 ट्रिलियन येन (42 बिलियन अमरीकी डॉलर) का वचन दिया।
  - भारत, जापानी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है, जिसमें दिल्ली मेट्रो और हाई-स्पीड रेलवे जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ सम्मिलित हैं। वित्त वर्ष 2022 में, जापान की सहायता में ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग में 567.5 बिलियन येन शामिल थे।
- **सांस्कृतिक और राजनयिक आदान-प्रदान:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान जापान-भारत संबंधों का एक प्रमुख पहलू रहा है। वर्ष 2017 को जापान-भारत मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान वर्ष के रूप में नामित किया गया था, जो बढ़ते सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है।
  - वर्ष 2022 में "जापान-दक्षिण-पश्चिम एशिया विनिमय वर्ष" ने भारत और अन्य दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान की प्रतिबद्धता पर अधिक बल दिया। ये पहल सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आपसी प्रशंसा और चल रहे प्रयासों को रेखांकित करती हैं।

चुनौतियाँ

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता:** इंडो-पैसिफिक में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और जापान दोनों के लिए रणनीतिक चुनौती है। इस क्षेत्र में यूक्रेन युद्ध, खाद्य सुरक्षा, साइबर खतरे और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दे हैं। भविष्य का शक्ति संतुलन संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत और जापान जैसी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों सहित प्रमुख वैश्विक अभिनेताओं की नीतियों द्वारा आकार लेगा।
- **व्यापार मतभेद:** चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों की तुलना में भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंध अविकसित हैं।
  - ई-कॉमर्स विनियमन (Osaka track) और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे आर्थिक मामलों पर अलग-अलग हित व्यापार संबंधों को जटिल बनाते हैं। भारत को भाषा संबंधी बाधाओं और गुणवत्ता और सेवा के उच्च मानकों के कारण जापानी बाजार तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- **चीन कारक:** दोनों देशों को चीन के साथ सीमा संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनकी नीतियों को प्रभावित करता है। भारत चीन की कार्रवाइयों की आलोचना करने में अधिक मुखर है, जबकि जापान अधिक सतर्क रुख अपनाता है। यह भिन्नता उनके रणनीतिक संरेखण और सहयोग को प्रभावित करती है।
- **रूसी कारक:** यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ एक प्रमुख चुनौती को प्रकट करती हैं। जापान, जो अमेरिका के साथ गठबंधन में है और पश्चिमी प्रतिबंधों के शासन का हिस्सा है, भारत के तटस्थ रुख के विपरीत है।
  - इसके अतिरिक्त, रूस और जापान के बीच विवादित दक्षिण कुरील द्वीप समूह के पास आयोजित वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारत की भागीदारी से संबंधों में और तनाव पैदा हो गया है।
- **क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन:** भारत का गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण जापान के अमेरिका समर्थक रुख से पृथक् है, जिससे क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। जबकि भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में शामिल होने से परहेज करता है, यह एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) और क्वाड का सदस्य है। यह स्थिति जापान के रणनीतिक संरेखण के साथ तनाव पैदा करती है।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** (AAGC) **परियोजना:** AAGC's की व्यवहार्यता और इसकी परियोजनाओं की प्रकृति के बारे में संदेह है। एशिया और अफ्रीका के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई इस पहल की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएँ भारत-जापान सहयोग को प्रभावित करती हैं।
- **रक्षा निर्यात:** रक्षा उपकरणों के निर्यात की भारत की महत्वाकांक्षा जापान के अपने रक्षा निर्यात हितों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा जापानी उभयचर US-2 विमानों के संभावित अधिग्रहण पर लंबी बातचीत के कारण रक्षा सहयोग में विलंब और चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।

आगे की राह

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आधिपत्य पर अंकुश लगाना:** भारत और जापान को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए अपनी सैन्य रणनीतियों को बदलने की आवश्यकता है। दोनों देशों को इस क्षेत्र में किसी भी एक शक्ति को हावी होने से रोकने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठाना चाहिए।
- **सहयोगात्मक डिजिटल सशक्तीकरण:** भारत और जापान के पास 5G तकनीक, ओपन RAN, दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, सबमरीन केबल सिस्टम और क्वांटम संचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहल के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के अवसर हैं। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना और संचार नेटवर्क को सुरक्षित करना है।
- **भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करना:** भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जो दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ उसके जुड़ाव का केंद्र है, को समकालीन क्षेत्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। जापान दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच रणनीतिक संपर्क बढ़ाने की भारत की रणनीति के साथ अपने बुनियादी ढाँचे के निवेश को जोड़कर इसका समर्थन करता है।
- **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ज्ञान का आदान-प्रदान:** भारत, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए जापान की उन्नत आपदा प्रबंधन प्रथाओं का लाभ उठा सकता है, विशेषकर आपदा-प्रवण क्षेत्रों में। विशेषज्ञता के इस आदान-प्रदान से लचीलापन और तैयारियाँ बेहतर हो सकती हैं।
- **बहुध्रुवीय एशिया की ओर:** एशिया के रणनीतिक परिदृश्य को नया आकार देकर भारत और जापान वैश्विक शक्तियों के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अधिक संतुलित और सुरक्षित हिंद-प्रशांत में योगदान दे सकते हैं। उनकी साझेदारी में क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता है।
- **समुद्री सुरक्षा बढ़ाना:** भारत और जापान को नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समुद्री सुरक्षा में अपने सहयोग को बढ़ाना चाहिए। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और समन्वित समुद्री गश्त क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।
- **आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना:** दोनों देशों को व्यापार समझौतों, निवेश पहलों और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। यह आर्थिक सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता और विकास का समर्थन करेगा।
- **क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना:** भारत और जापान को सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान करने के लिए क्वाड और आसियान जैसे क्षेत्रीय साझेदारों और गठबंधनों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाना चाहिए। इन संबंधों को मजबूत करने से एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और लचीली क्षेत्रीय संरचना में योगदान मिलेगा।

निष्कर्ष:

- भारत-जापान संबंध एक रणनीतिक साझेदारी है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और रक्षा सहयोग पर केंद्रित है।
- चीन की मुखरता और व्यापार मतभेद जैसी चुनौतियों के बावजूद, दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संबंधों को गहरा करने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

AUKUS नया समझौता

ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु रहस्यों और सामग्री के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

प्रमुख विशेषताएँ

- **अवधि और समाप्ति:** यह समझौता 31 दिसंबर, 2075 तक प्रभावी है तथा कोई भी पक्ष एक वर्ष का लिखित नोटिस देकर इससे बाहर निकल सकता है।
- **उल्लंघन या समाप्ति:** उल्लंघन या समाप्ति की स्थिति में, शेष पक्ष आदान-प्रदान की गई सूचना, सामग्री या उपकरण की वापसी या विनाश की माँग कर सकते हैं।
- **सामग्री का उपयोग:** स्थानांतरित सामग्री का उपयोग केवल नौसैनिक प्रणोदन के लिए किया जाना चाहिए तथा इसे पूर्ण वेल्डेड पावर यूनिट में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **सहयोग समाप्ति की शर्तें:** यदि ऑस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन करता है या परमाणु उपकरण विस्फोट करता है, तो अमेरिका और ब्रिटेन सहयोग रोक सकते हैं तथा सामग्री वापस करने की माँग कर सकते हैं।
- **दायित्व और सुरक्षा:** ऑस्ट्रेलिया परमाणु सुरक्षा जोखिमों के लिए जिम्मेदार है और उसे परमाणु सामग्री और उपकरणों से संबंधित देनदारियों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- **राजनीतिक प्रतिबद्धताएँ:** इस संधि में एक गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज शामिल है, जिसमें अतिरिक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया गया है, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करता है।

AUKUS

- **प्रकृति:** AUKUS एक त्रिपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी है
- **स्थापना:** 2021 में
- **शामिल देश:** ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका
- **अधिदेश:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में निरोध और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना।

AUKUS के प्रमुख स्तंभ

- **स्तंभ I:** रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए पारंपरिक रूप से सशस्त्र परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के अधिग्रहण और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्तंभ II:** यह सहयोग उन्नत सैन्य क्षमताओं में सहयोग पर केंद्रित है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकी, नवाचार, सूचना साझाकरण तथा साइबर, समुद्री, हाइपरसोनिक और काउंटर-हाइपरसोनिक तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षेत्र शामिल हैं।

AUKUS का महत्त्व

- **रणनीतिक पुनर्संरेखण:** AUKUS इंडो-पैसिफिक में एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पुनर्संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव और मुखर व्यवहार का प्रतिकार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन की अवधारणा को पुष्ट करता है, जहाँ एक उभरती हुई शक्ति से संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं।
- **निवारण में वृद्धि:** परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों सहित उन्नत सैन्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करके, AUKUS अपने सदस्य देशों की निवारक मुद्रा को बढ़ाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निवारक सिद्धांत के अनुरूप है, जो सुझाव देता है कि शक्तिशाली देश अपनी क्षमता और जवाबी कार्रवाई करने की इच्छा का प्रदर्शन करके आक्रामकता को रोक सकते हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:** यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करती है, जो सामूहिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सहयोगी देश बाहरी खतरों के समक्ष आपसी रक्षा और समर्थन के लिए सहमत होते हैं।
- **तकनीकी नवाचार:** AUKUS का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है, रणनीतिक लाभ बनाए रखने में तकनीकी श्रेष्ठता को एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में महत्त्व देना है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अन्य उन्नत क्षेत्रों में सहयोग शामिल है, जो आधुनिक युद्ध के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** AUKUS के गठन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय विवादों ने अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। गठबंधन नौवहन की स्वतंत्रता को बनाए रखने और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है।
- **एलायंस डायनेमिक्स:** AUKUS जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षीय गठबंधनों और साझेदारी के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। यह बहुध्रुवीय विश्व में अपनी सामूहिक सुरक्षा और प्रभाव को बढ़ाने के लिए रणनीतिक गठबंधन बनाने वाले राज्यों की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- **आर्थिक एवं भू-राजनीतिक निहितार्थ:** इस गठबंधन के महत्त्वपूर्ण आर्थिक और भू-राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं, जो व्यापार मार्गों, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे व्यापक वैश्विक रणनीतिक गतिशीलता को आकार मिल सकता है।

चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक तनाव:** AUKUS इंडो-पैसिफिक में भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है, विशेषकर चीन के साथ प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाकर। यह बढ़ा हुआ तनाव हथियारों की होड़ या सैन्य प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्र में और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- **परमाणु प्रसार के जोखिम:** AUKUS के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी तकनीक के हस्तांतरण से परमाणु प्रसार का जोखिम बढ़ जाता है। संवेदनशील तकनीक के आदान-प्रदान से वैश्विक अप्रसार प्रयास जटिल हो सकते हैं और संवेदनशील सामग्रियों के गलत हाथों में पड़ जाने का जोखिम बढ़ सकता है।

- **क्षेत्रीय कूटनीति में तनाव:** AUKUS के गठन से क्षेत्रीय कूटनीति पर दबाव पड़ सकता है, जिससे उन देशों के साथ टकराव उत्पन्न हो सकता है, जो इस गठबंधन को अपने रणनीतिक हितों के लिए सीधा जोखिम मानते हैं। यह तनाव इंडो-पैसिफिक में व्यापक कूटनीतिक प्रयासों और सहयोग में बाधा डाल सकता है।
- **परिचालन समन्वय:** ऑस्ट्रेलिया, यू.के. और यू.एस. के बीच प्रभावी परिचालन समन्वय प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। विभिन्न सैन्य सिद्धांतों, प्रौद्योगिकियों और परिचालन प्रक्रियाओं को एकीकृत करना संयुक्त अभ्यास और मिशनों को जटिल बना सकता है।
- **सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया:** AUKUS को सदस्य देशों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ती सैन्य उपस्थिति और परमाणु तकनीक के बारे में चिंताओं के कारण सार्वजनिक विरोध या राजनीतिक विरोध हो सकता है।
- **आर्थिक लागत:** परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों सहित उन्नत सैन्य क्षमताओं के विकास और रखरखाव में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लागत शामिल है। यह निवेश राष्ट्रीय बजट पर दबाव डाल सकता है और संभावित रूप से स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संसाधनों को हटा सकता है।
- **कानूनी और नैतिक चिंताएँ:** परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग से विधिक और नैतिक चिंताएँ उत्पन्न होती हैं, जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुपालन शामिल है। वैश्विक मानदंडों का पालन करते हुए परमाणु सामग्री का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से संचालन सुनिश्चित करना कार्यान्वयन और निगरानी को जटिल बना सकता है।

आगे की राह

- **कूटनीतिक संबंध को मजबूत करें:** भू-राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ कूटनीतिक संबंध को बढ़ाना। गलतफहमियों को दूर करने और संघर्ष के जोखिम को कम करने के लिए चीन और अन्य संबंधित देशों के साथ संचार के चैनल खोलना।
- **अप्रसार उपायों को बढ़ाना:** परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और संरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए कठोर अप्रसार उपायों को लागू करना। संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकने और कड़े नियंत्रण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।
- **क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:** सुरक्षा और स्थिरता के बारे में चर्चा में अन्य हिंद-प्रशांत देशों को शामिल करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। विश्वास बनाने और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संवाद और संयुक्त अभ्यास के लिए मंच स्थापित करना।
- **परिचालन एकीकरण में सुधार:** AUKUS सदस्य देशों के बीच परिचालन एकीकरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। सैन्य सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने और सहयोगी सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभ्यास आयोजित करें।
- **सार्वजनिक चिंताओं को संबोधित करें:** सार्वजनिक और राजनीतिक चिंताओं को दूर करने के लिए पारदर्शी संचार में शामिल हों। AUKUS के लाभों और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करें और व्यापक समर्थन बनाने के लिए चर्चाओं में हितधारकों को शामिल करें।

QUAD तथा AUKUS की तुलना

पहलू	क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता)	AUKUS
गठन और सदस्यता	**स्थापना:** 2007, 2017 में नए सिरे से फोकस **सदस्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया	**स्थापना:** 2021 में **सदस्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया
मुख्य उद्देश्य	**रणनीतिक फोकस:** समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, साइबर सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता **क्षेत्रीय स्थिरता:** स्वतंत्र और खुला हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाए रखना	**रणनीतिक फोकस:** रक्षा क्षमताएँ, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ **तकनीकी उन्नति:** एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर युद्ध में सहयोग
भू-राजनीतिक प्रभाव	**क्षेत्रीय प्रभाव:** कूटनीतिक और आर्थिक माध्यमों से चीन के प्रभाव को संतुलित करना **कूटनीतिक दृष्टिकोण:** क्षेत्रीय स्थिरता और विधि के शासन को बढ़ावा देता है	**क्षेत्रीय प्रभाव:** ऑस्ट्रेलिया की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि, सैन्य गतिशीलता पर प्रभाव **रक्षा मुद्रा:** तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता पर ध्यान केंद्रित करता है
सहयोग का दायरा	**व्यापक क्षेत्र:** इसमें मानवीय सहायता, आपदा राहत, बुनियादी ढाँचा, महामारी प्रतिक्रिया शामिल है **बहुपक्षीय सहयोग:** सैन्य से परे विविध क्षेत्र	**संकुचित क्षेत्र:** सैन्य प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित करता है **विशिष्ट पहल:** रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र
संगठनात्मक संरचना	**अनौपचारिक वार्ता:** नियमित शिखर सम्मेलन और बैठकें, कोई औपचारिक सचिवालय नहीं **सहयोगात्मक ढाँचा:** परामर्श के माध्यम से लिए गए निर्णय	**औपचारिक समझौता:** विशिष्ट समझौतों के साथ संरचित ढाँचा **औपचारिक तंत्र:** इसमें प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग पर स्पष्ट शर्तें शामिल हैं
क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रतिक्रिया	**लचीलापन:** विविध पहलों के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल ढलना **केंद्रित दृष्टिकोण:** रक्षा और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को लक्ष्य बनाना	**रणनीतिक सरेखण:** व्यापक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करता है और एक सहकारी नेटवर्क बनाता है **प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया:** विशिष्ट सुरक्षा चिंताओं के जवाब में नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया
सार्वजनिक और राजनीतिक धारणा	**सकारात्मक स्वागत:** इसे स्थिरता को बढ़ावा देने और वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में देखा जाता है **व्यापक समर्थन:** विभिन्न हितधारकों द्वारा समर्थित	**मिश्रित प्रतिक्रियाएँ:** बढ़ते तनाव और परमाणु प्रसार के बारे में चिंताएँ **विवादास्पद प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों के बीच प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं

ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन

ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण 17 अगस्त, 2024 को "एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ" विषय के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया।

परिचय:

- भारत द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य और आर्थिक असमानताओं जैसी आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकासशील देशों को एकजुट करना था।
- शिखर सम्मेलन में 21 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 123 देशों ने भाग लिया और इसे विभिन्न मंत्रिस्तरीय सत्रों के माध्यम से आयोजित किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच एकता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वे अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं की प्रभावी रूप से वकालत कर सकें। उन्होंने व्यापार, सतत विकास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और रियायती वित्त पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक "वैश्विक विकास समझौता" का भी प्रस्ताव रखा।
- यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने के भारत के प्रयासों को जारी रखता है, जो पिछले शिखर सम्मेलनों और G-20 की अध्यक्षता के परिणामों पर आधारित है।

पृष्ठभूमि

परिचय:

- VOGSS भारत द्वारा संचालित एक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाकर आम चुनौतियों का समाधान करना तथा वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करना है।
- शिखर सम्मेलन के पीछे का विचार भारत के दीर्घकालिक दर्शन वसुधैव कुटुम्बकम ("एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य") और "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" में सन्निहित समावेशी विकास के व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है।

उत्पत्ति और उद्देश्य:

- पहला VOGSS जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था, उसके बाद दूसरा नवंबर 2023 में आयोजित किया गया था, दोनों ही वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए जाएँगे।
  - यह पहल वैश्विक निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में विकासशील देशों के बढ़ते हाशिए पर होने की प्रतिक्रिया में सामने आई है, विशेष रूप से हाल के वैश्विक संकटों जैसे कि कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, और यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों से बढ़ी आर्थिक असमानताओं को देखते हुए।
- शिखर सम्मेलन का विचार इस बढ़ते अहसास के जवाब में उभरा कि विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया के देशों की चिंताओं को प्रायः अधिक शक्तिशाली देशों के वर्चस्व वाली प्रमुख वैश्विक चर्चाओं में पृथक कर दिया जाता है।
- दूसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 2023 में हुआ, जिसमें वर्चुअल प्रारूप जारी रहा। यह पुनरावृत्ति पहले शिखर सम्मेलन की चर्चाओं पर आधारित थी और वैश्विक शासन, व्यापार एवं सतत विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एकजुट ग्लोबल साउथ की आवश्यकता पर और अधिक बल देती थी।

ग्लोबल साउथ:

- "ग्लोबल साउथ" शब्द मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में स्थित देशों के समूह को संदर्भित करता है।
- इन देशों को प्रायः उनकी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, उपनिवेशवाद के इतिहास और गरीबी, आर्थिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के साझा समूह द्वारा पहचाना जाता है।
- ग्लोबल साउथ "ग्लोबल नॉर्थ" के विपरीत है, जिसमें सामान्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों के धनी, अधिक औद्योगिक राष्ट्र शामिल होते हैं।

ग्लोबल साउथ का महत्त्व

- **आर्थिक क्षमता और विकास:**
  - **उभरते बाजार:** ग्लोबल साउथ के कई देश, जैसे चीन, भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से हैं।
    - ये उभरते बाजार वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं और निवेश आकर्षित कर रहे हैं।
  - **संसाधन समृद्धि:** ग्लोबल साउथ में प्राकृतिक संसाधनों की एक विशाल शृंखला मौजूद है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और कृषि उत्पाद शामिल हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।
    - इससे यह क्षेत्र वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - **श्रम शक्ति:** विशाल एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, ग्लोबल साउथ पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करता है, जो वैश्विक विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों के लिए तेजी से महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।
- **राजनीतिक प्रभाव और वैश्विक शासन:**
  - **बढ़ता राजनीतिक प्रभाव:** ग्लोबल साउथ के देश संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और G-20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
    - वे अधिक न्यायसंगत वैश्विक शासन और सुधारों की सिफारिश कर रहे हैं, जो उनकी आवश्यकताओं और चिंताओं को संबोधित करते हैं।
  - **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** ग्लोबल साउथ अपने देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, वैश्विक मामलों में अपनी सामूहिक आवाज को मजबूत कर रहा है। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और अफ्रीकी संघ जैसे संगठन इस प्रवृत्ति का उदाहरण हैं।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव:**
  - **सांस्कृतिक विविधता:** ग्लोबल साउथ, वैश्विक संस्कृति में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, समृद्ध परंपराएँ, भाषाएँ एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को समृद्ध करते हैं।
  - **वैश्विक प्रवासी:** ग्लोबल साउथ से आए प्रवासी ग्लोबल नॉर्थ के मेजबान देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिशीलता में योगदान देते हैं, साथ ही अपने गृह देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देते हैं।

- **पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता:**
  - **जलवायु परिवर्तन नेतृत्व:** ग्लोबल साउथ देश प्राय: मजबूत जलवायु कार्रवाई और सतत विकास प्रथाओं की सिफारिश करने में सबसे आगे रहते हैं।
  - **जैव विविधता और संरक्षण:** ग्लोबल साउथ विश्व की अधिकांश जैव विविधता का घर है, जिसमें अमेजॅन वर्षावन जैसे महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, जो वैश्विक पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों का वैश्विक महत्त्व है।
- **मानव विकास और वैश्विक न्याय:**
  - **गरीबी उन्मूलन और विकास:** ग्लोबल साउथ की विकास चुनौतियों का समाधान करना वैश्विक गरीबी में कमी लाने तथा मानव विकास परिणामों में सुधार लाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
    - अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रयास प्राय: लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए इन क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं।
  - **वैश्विक समानता और न्याय:** ग्लोबल साउथ द्वारा अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए किया गया प्रयास, वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने में धनी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देता है।
    - यह ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने तथा अधिक संतुलित वैश्विक विकास मॉडल को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **सामरिक महत्त्व:**
  - **भू-राजनीतिक महत्त्व:** ग्लोबल साउथ में सामरिक महत्त्व के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्व एशिया और उप-सहारा अफ्रीका, जो वैश्विक सुरक्षा, व्यापार मार्गों और राजनीतिक गठबंधनों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **नवाचार और अनुकूलन:** ग्लोबल साउथ को तीव्र नवाचार के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से मोबाइल प्रौद्योगिकी, सामाजिक उद्यमिता और धारणीय प्रथाओं जैसे क्षेत्रों में, जहाँ संसाधन की कमी ने रचनात्मक समाधानों को प्रेरित किया है।

2024 ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के मुख्य तथ्य:

- **वैश्विक विकास समझौता:**
  - भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से "वैश्विक विकास समझौता" के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
  - यह समझौता व्यापार, प्रौद्योगिकी साझाकरण, सतत विकास और रियायती वित्त जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि इन देशों को आम चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके।
- **जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:** जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों पर इसके असंगत प्रभाव चर्चा का केंद्र रहे। नेताओं ने विकसित देशों से वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित निष्पक्ष और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
- **स्वास्थ्य और महामारी संबंधी तैयारी:** शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। चर्चा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में सुधार, वैक्सीन समानता और भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर तैयारी पर केंद्रित थी।
- **ऋण राहत और आर्थिक सहयोग:** कई नेताओं ने ऋण राहत पर अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो कोविड-19 महामारी और अन्य वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
- **वैश्विक शासन सुधार:** शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के हितों और आवाजों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उल्लेखनीय परिणाम:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग में मजबूती:** शिखर सम्मेलन का समापन व्यापार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाने की नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ।
- **चीन और पाकिस्तान को बाहर रखा गया:** उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे भू-राजनीतिक तनाव और क्षेत्र में भारत की रणनीतिक चिंताएँ प्रकट हुईं।

संबंधित चुनौतियाँ:

- **आर्थिक चुनौतियाँ:**
  - **गरीबी और असमानता:** ग्लोबल साउथ के कई देश गरीबी और आय असमानता के उच्च स्तर से जूझ रहे हैं। कुछ प्रगति के बावजूद, आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है और भोजन, स्वच्छ जल और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों तक उनकी पहुँच सीमित है।
  - **अविकसित बुनियादी ढाँचा:** सड़क, विद्युत्, जलापूर्ति और दूरसंचार सहित अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा आती है। इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - **आर्थिक निर्भरता:** ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाएँ प्राय: कच्चे माल और कृषि उत्पादों के निर्यात पर निर्भर होती हैं, जिससे वे वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और व्यापार असंतुलन के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
    - यह निर्भरता औद्योगीकरण और आर्थिक विविधीकरण में भी बाधा डालती है।
  - **ऋण का बोझ:** कई ग्लोबल साउथ देशों को अधिक बाहरी ऋण बोझ का सामना करना पड़ रहा है, जो विकास और सामाजिक कार्यक्रमों में निवेश करने की उनकी क्षमता को बाधित करता है। ऋण सेवा प्राय: राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा हिस्सा ले लेती है, जिससे विकास-उन्मुख व्यय के लिए बहुत कम जगह बचती है।
- **राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ:**
  - **राजनीतिक अस्थिरता:** ग्लोबल साउथ के कई देश राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं, जिसमें संघर्ष, तख्तापलट एवं कमजोर शासन संरचना शामिल है। यह अस्थिरता विकास प्रयासों को कमजोर कर सकती है और मानवीय संकटों को जन्म दे सकती है।

- **भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार कई ग्लोबल साउथ के देशों में एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो लोक प्रशासन, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है।
  - भ्रष्टाचार संस्थाओं में विश्वास को समाप्त करता है, आवश्यक सेवाओं से संसाधनों को हटाता है तथा विदेशी निवेश को हतोत्साहित करता है।
- **अप्रभावी संस्थान:** विधिक और न्यायिक प्रणालियों सहित कमजोर या अप्रभावी संस्थाएँ अच्छे शासन और कानूनों के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - इससे खराब सेवा वितरण, मानवाधिकार हनन और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।

- **पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** ग्लोबल साउथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित है, जिसमें उच्च मौसम की घटनाएँ, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कृषि पैटर्न में बदलाव शामिल हैं।
    - इन प्रभावों से खाद्य सुरक्षा, आजीविका और मानव बस्तियों को खतरा है।
  - **पर्यावरणीय निम्नीकरण:** ग्लोबल साउथ में तेजी से हो रहे औद्योगीकरण, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण पर्यावरण का काफी क्षति हुआ है। वायु और जल प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और रेगिस्तानीकरण जैसे मुद्दे सतत विकास के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।
  - **अनुकूलन के लिए सीमित संसाधन:** महत्त्वपूर्ण जलवायु चुनौतियों का सामना करते हुए, कई ग्लोबल साउथ देशों के पास इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और उनके प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का अभाव है।
- **वैश्विक व्यापार और बाजार से संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **व्यापार असंतुलन:** ग्लोबल साउथ को प्राय: व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ता है, जहाँ कई देश कम मूल्य वाले कच्चे माल का निर्यात करते हैं, जबकि उच्च मूल्य वाले निर्मित माल का आयात करते हैं।
    - यह व्यापार संरचना इन देशों की मूल्यशृंखला में आगे बढ़ने और आर्थिक विकास हासिल करने की क्षमता को सीमित करती है।
  - **बाजार तक पहुँच में बाधाएँ:** ग्लोबल साउथ देशों को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में प्राय: बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें टैरिफ, गैर-टैरिफ बाधाएँ और धनी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियाँ शामिल हैं।
    - इससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उठाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **सुरक्षा चुनौतियाँ:**
  - **संघर्ष और हिंसा:** ग्लोबल साउथ के कई क्षेत्र निरंतर संघर्ष, आतंकवाद और हिंसा से प्रभावित हैं, जो विकास में बाधा डालते हैं और समाज को अस्थिर बनाते हैं।
    - इन संघर्षों के कारण प्राय: गहरे होते हैं, जिनमें जातीय तनाव, संसाधन विवाद और राजनीतिक सत्ता संघर्ष शामिल हैं।
  - **अंतर्राष्ट्रीय जोखिम:** नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे मुद्दे ग्लोबल साउथ में महत्त्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जोखिम शासन को कमजोर करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करते हैं।

वैश्विक उत्तर 'रिंग्स' और वैश्विक दक्षिण 'समूह' 2023

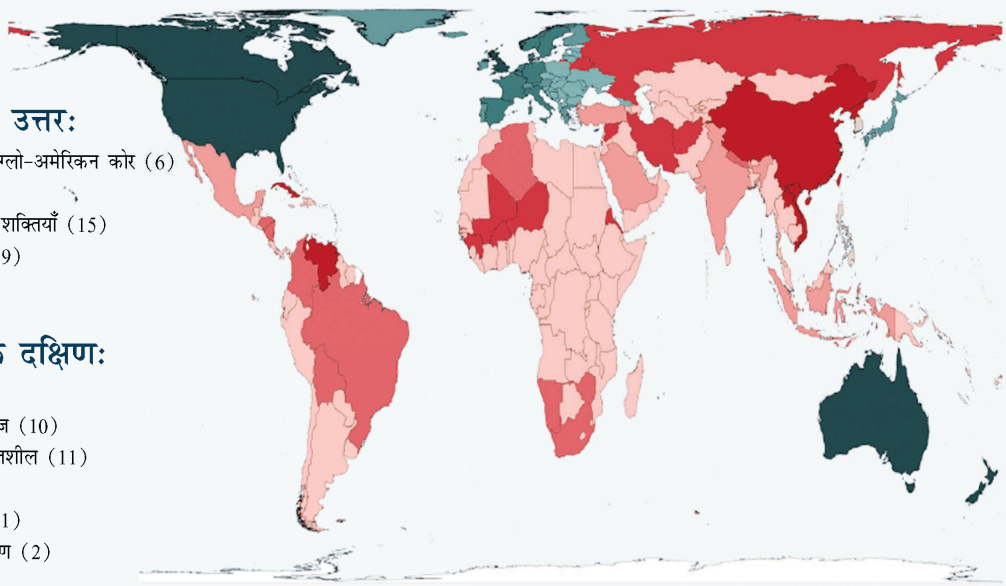

चार रिंगों में वैश्विक उत्तर:

1. अमेरिका के नेतृत्व वाला एंग्लो-अमेरिकन कोर (6)
2. यूरोपीय कोर (9)
3. जापान + द्वितीयक यूरोपीय शक्तियाँ (15)
4. यूरोपीय पूर्व पूर्वी ब्लॉक (19)

छह समूहों में वैश्विक दक्षिण:

1. समाजवादी स्वतंत्र (6)
2. दृढ़तापूर्वक संप्रभुता की खोज (10)
3. वर्तमान या ऐतिहासिक प्रगतिशील (11)
4. नया गुटनिरपेक्ष (5)
5. विविध वैश्विक दक्षिण (111)
6. अमेरिका का भारी सैन्यीकरण (2)

- **बाहरी प्रभाव और भू-राजनीतिक दबाव:**
  - **नव-उपनिवेशवाद और बाहरी हस्तक्षेप:** कुछ ग्लोबल साउथ देश नव-औपनिवेशिक दबावों का अनुभव करते हैं, जहाँ बाहरी शक्तियाँ आर्थिक साधनों, जैसे ऋण, निवेश और व्यापार समझौतों के माध्यम से प्रभाव डालती हैं, जिससे संप्रभुता से समझौता हो सकता है और शोषणकारी संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **भू-राजनीतिक तनाव:** ग्लोबल साउथ प्राय: स्वयं को भू-राजनीतिक तनावों के केंद्र में पाता है, जहाँ विभिन्न बाहरी शक्तियाँ प्रभाव डालने की होड़ में लगी रहती हैं।
    - इससे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप, अस्थिरता और दबाव उत्पन्न हो सकता है, जो स्थानीय आबादी के हितों के अनुरूप नहीं हो सकता।

आगे की राह:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करना:**
  - **क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना:** शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), आसियान और मर्कोसुर जैसे क्षेत्रीय एकीकरण पहलों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - इन क्षेत्रीय ब्लॉकों को मजबूत करने से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, बुनियादी ढाँचे की कनेक्टिविटी और राजनीतिक सहयोग में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
  - **ज्ञान और प्रौद्योगिकी साझाकरण:** ग्लोबल साउथ देशों के बीच प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
    - कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल नवाचार और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने से पूरे क्षेत्र में विकास को गति मिल सकती है।
- **आर्थिक विविधीकरण और लचीलापन:**
  - **औद्योगीकरण को बढ़ावा देना:** ग्लोबल साउथ में औद्योगीकरण और मूल्य-वर्धित उद्योगों के विकास का समर्थन करने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करें। इससे कच्चे माल के निर्यात पर निर्भरता कम हो सकती है और अधिक लचीली अर्थव्यवस्थाएँ बन सकती हैं।
  - **आर्थिक लचीलापन बनाएँ:** वैश्विक आर्थिक आघात के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीति विकसित करना, जैसे निर्यात बाजारों में विविधता लाना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और सतत विकास को बढ़ावा देना।
    - शिखर सम्मेलन में ऐसे वित्तीय तंत्रों की सिफारिश की जानी चाहिए, जो आर्थिक स्थिरता को समर्थन प्रदान करें, जैसे आकस्मिक निधि और क्षेत्रीय विकास बैंक।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता पर विचार:**
  - **हरित विकास को बढ़ावा दें:** शिखर सम्मेलन में सतत विकास के उन रास्तों पर चर्चा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ते हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सतत कृषि और जलवायु-तन्यता बुनियादी ढाँचे में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।
  - **जलवायु वित्तपोषण:** ग्लोबल साउथ में अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए विकसित देशों से जलवायु वित्त में वृद्धि की सिफारिश करें। इसमें 100 बिलियन डॉलर की वार्षिक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दबाव डालना और ग्रीन बॉन्ड जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्रों की खोज करना शामिल हो सकता है।
- **स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना:**
  - **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाना:** शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ में लचीली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के महत्त्व पर बल दिया जाना चाहिए, जो भविष्य की महामारियों और स्वास्थ्य संकटों का सामना करने में सक्षम हो। वैक्सीन उत्पादन, वितरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान पर सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - **सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना:** समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता सहित सामाजिक असमानताओं को कम करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।
    - नीतियों का उद्देश्य हाशिए पर खड़े समुदायों को ऊपर उठाना तथा यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि विकास से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले।
- **सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाना:**
  - **संघर्ष समाधान और शांति स्थापना:** ग्लोबल साउथ में संघर्ष की रोकथाम, समाधान और शांति स्थापना के लिए सामूहिक रणनीति विकसित करना।
    - इसमें क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा समर्थित ग्लोबल साउथ शांति स्थापना या संघर्ष मध्यस्थता पहल की स्थापना शामिल हो सकती है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय जोखिमों से निपटना:** शिखर सम्मेलन से आतंकवाद, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों पर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
    - इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए सहयोगात्मक ढाँचे और खुफिया-साझाकरण तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- **मजबूत गठबंधन और नेटवर्क का निर्माण:**
  - **ग्लोबल साउथ एकजुटता:** अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुटता और आपसी समर्थन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल साउथ देशों के बीच गठबंधन को मजबूत करना।
    - इसमें ग्लोबल साउथ में नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ता के बीच नेटवर्क का निर्माण करना शामिल है।
  - **ग्लोबल नॉर्थ के साथ सहभागिता:** दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, शिखर सम्मेलन को ग्लोबल नॉर्थ के साथ रचनात्मक सहभागिता पर भी ध्यान देना चाहिए।
    - इसमें जलवायु परिवर्तन, महामारी और वैश्विक सुरक्षा जैसी साझा वैश्विक चुनौतियों पर साझेदारी शामिल हो सकती है तथा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ऐसे सहयोग आपसी सम्मान और लाभ पर आधारित हों।

ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका

बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा देना:

- **संयुक्त राष्ट्र सुधार:** भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की माँग की है, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करके ग्लोबल साउथ से अधिक प्रतिनिधित्व शामिल करने की। भारत का तर्क है कि वैश्विक शासन संरचनाओं को 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जहाँ विकासशील देश वैश्विक मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
- **विकासशील देशों की आवाज:** भारत G-20, विश्व व्यापार संगठन और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी स्थिति का उपयोग ग्लोबल साउथ के हितों को स्पष्ट करने और उनकी रक्षा करने के लिए करता है। भारत ऐसी नीतियों का समर्थन करता है, जो निष्पक्ष व्यापार, संसाधनों तक समान पहुँच और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास सहायता:

- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत ने सक्रिय रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया है, ज्ञान, संसाधनों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए विकासशील देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया है। भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और भारत-लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कॉन्क्लेव जैसी पहल ग्लोबल साउथ के अंदर संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **विकास साझेदारी:** भारत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम और विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों को दी जाने वाली ऋण सहायता (LOC) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य ग्लोबल साउथ देशों को विकास सहायता प्रदान करता है। इस सहायता में क्षमता निर्माण, बुनियादी ढाँचे का विकास और तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है, जिससे इन देशों को अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का समर्थन:

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** (ISA): भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ करने में अग्रणी भूमिका निभाई। यह 120 से अधिक देशों का गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश ग्लोबल साउथ से हैं। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और टिकाऊ साधनों के माध्यम से ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- **जलवायु न्याय:** वैश्विक जलवायु वार्ताओं में, भारत जलवायु न्याय का प्रबल समर्थक रहा है तथा इस बात पर बल देता रहा है कि विकसित देशों पर उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन को कम करने की अधिक जिम्मेदारी है। भारत "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" (CBDR) के सिद्धांत का समर्थन करता है तथा जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए ग्लोबल साउथ के लिए अधिक वित्तीय और तकनीकी सहायता का समर्थन करता है।

शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए समर्थन:

- **छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम:** भारत ग्लोबल साउथ देशों के छात्रों को छात्रवृत्ति और शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, जिससे मानव पूँजी का निर्माण करने और दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ITEC और ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) छात्रवृत्ति जैसे कार्यक्रम इस क्षेत्र में भारत के प्रयासों के उदाहरण हैं।
- **ज्ञान साझा करना:** भारत डिजिटल शासन, ग्रामीण विकास और सूक्ष्म वित्त जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभवों को अन्य विकासशील देशों के साथ सक्रिय रूप से साझा करता है। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और द्विपक्षीय आदान-प्रदान आयोजित करना शामिल है, जो भागीदार देशों में क्षमता निर्माण में मदद करते हैं।

निष्पक्ष व्यापार और आर्थिक न्याय का समर्थन:

- **व्यापार वार्ता:** भारत निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का समर्थन करता है, जो ग्लोबल साउथ को लाभ पहुँचाती हैं, विशेषकर विश्व व्यापार संगठन में। भारत इस माँग में अग्रणी रहा है कि व्यापार नियमों में विकासशील देशों की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कृषि सब्सिडी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच।
- **ऋण राहत और आर्थिक न्याय:** भारत ग्लोबल साउथ में भारी ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) को ऋण राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई पहलों का समर्थन करता है। भारत वैश्विक वित्तीय संसाधनों तक अधिक न्यायसंगत पहुँच का भी समर्थन करता है तथा विकासशील देशों की बेहतर सेवा के लिए IMF और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार की माँग करता है।

शांति स्थापना और संघर्ष समाधान:

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक है, जिनमें से कई ग्लोबल साउथ के संघर्ष क्षेत्रों में तैनात हैं। शांति अभियानों में भारत की भागीदारी वैश्विक शांति और स्थिरता, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- **संघर्ष समाधान और मध्यस्थता:** भारत ने ग्लोबल साउथ के अंदर संघर्षों में मध्यस्थता करने में भूमिका निभाई है, प्राय: शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए अपने राजनयिक चैनलों का उपयोग करता है। संघर्ष समाधान के लिए भारत का दृष्टिकोण संवाद, संप्रभुता के प्रति सम्मान और गैर-हस्तक्षेप पर बल देता है, ऐसे सिद्धांत जो कई विकासशील देशों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं।

सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना:** भारत ग्लोबल साउथ देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। इसमें त्यौहारों, फिल्मों, कला और योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है, जो ग्लोबल साउथ में व्यापक रूप से प्रतिध्वनित होता है। भारतीय प्रवासी भी इन सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना:** ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सरकार-से-सरकार संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने तक फैला हुआ है। इसमें शैक्षिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वे पहल शामिल हैं जो ग्लोबल साउथ के नागरिकों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं।

भारत के पड़ोस में अस्थिरता

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने भारत के पड़ोस में बढ़ती अस्थिरता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण चिंता के रूप में प्रकट किया।

परिचय:

- उन्होंने कहा कि यह अस्थिरता विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि भारत के समक्ष कई सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध और चीन के साथ लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद शामिल है।
  - इन संघर्षों में वृद्धि, विशेषकर पीर पंजाल जैसे क्षेत्रों में हाल ही में उत्पन्न तनाव, सुरक्षा वातावरण को और अधिक खराब कर रहा है।
- CDS ने विशेष रूप से रक्षा विनिर्माण में सेल्फ-डिफेंस या आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के अभियान के महत्त्व को रेखांकित किया।
  - उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम करनी होगी।
  - इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक रक्षा कूटनीति में भी भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी।
- पड़ोसी देशों में अस्थिरता, जैसे कि बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है।
  - यह अस्थिरता कमजोरियाँ पैदा कर सकती है, जिसका लाभ विरोधी उठा सकते हैं, जिससे भारत का सुरक्षा परिदृश्य और अधिक जटिल हो जाएगा।

बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम:

- **राजनीतिक अस्थिरता:**
  - व्यापक विरोध और अशांति के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के नाटकीय इस्तीफे और पलायन के बाद बांग्लादेश में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है।
    - इस स्थिति के कारण देश में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया है तथा सैन्य निगरानी में अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ा है।
  - बांग्लादेश में अस्थिरता का भारत के साथ उसके संबंधों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
    - ऐतिहासिक रूप से, भारत ने हसीना की अवामी लीग का समर्थन किया है तथा उसे क्षेत्र में स्थिरता लाने वाली ताकत तथा सुरक्षा एवं आर्थिक संबंधों को बनाए रखने में प्रमुख साझेदार के रूप में देखा है।
    - वर्तमान उथल-पुथल के कारण, नई दिल्ली में बांग्लादेश की विदेश नीति में संभावित बदलावों को लेकर चिंता है, विशेषकर यदि विपक्षी दल या अन्य गुट सत्ता हासिल कर लेते हैं।
  - कुल मिलाकर, बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन घटनाक्रमों का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
- **रोहिंग्या संकट:**
  - बांग्लादेश में म्यांमार से आए लगभग दस लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी जा रही है तथा उनके प्रत्यावर्तन प्रयासों में बहुत कम प्रगति हुई है।
  - लंबे समय से चली आ रही शरणार्थी स्थिति बांग्लादेश में सामाजिक और आर्थिक तनाव पैदा कर रही है।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:**
  - बांग्लादेश को बढ़ती मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा और मुद्रा पर दबाव सहित आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - वैश्विक आर्थिक मंदी और बांग्लादेशी निर्यात की कम माँग ने इन मुद्दों को और बढ़ा दिया है।
- **चीन का प्रभाव:**
  - बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से।
  - चीन बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता रहा है और बंदरगाहों के विकास सहित महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में निवेश कर रहा है।
- **सीमा एवं सुरक्षा मुद्दे:**
  - भारत-बांग्लादेश सीमा संवेदनशील बनी हुई है, जहाँ तस्करी, मानव तस्करी और अवैध प्रवास जैसे मुद्दे चुनौतियाँ बने हुए हैं।
  - हाल के घटनाक्रमों में सीमा पर घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।

अन्य पड़ोसी देशों से संबंधित मुद्दे;

1. **पाकिस्तान:**
   - **आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता:** पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता, जिसमें सरकार में लगातार परिवर्तन, सैन्य प्रभाव और निरंतर आर्थिक चुनौतियाँ शामिल हैं, एक अस्थिर वातावरण का निर्माण करती है।
     - भारत को, विशेषकर जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों की निरंतर उपस्थिति, एक गंभीर सुरक्षा चिंता बनी हुई है।
     - नियंत्रण रेखा (LoC) पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है।
   - **आर्थिक संकट:** पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर तनाव में है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन और बढ़ता कर्ज शामिल है।
     - देश बेलआउट के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ भी बातचीत कर रहा है, जिससे घरेलू असंतोष भड़क उठा है।
2. **अफगानिस्तान:**
   - **तालिबान शासन:** अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान की सत्ता में वापसी से अफगानिस्तान में महत्त्वपूर्ण अस्थिरता पैदा हो गई है।
     - तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, मानवीय संकट और देश के अंदर विभिन्न गुटों को नियंत्रित करने में आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
   - **मानवीय संकट:** अफगानिस्तान गंभीर आर्थिक कठिनाई, व्यापक गरीबी और खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं प्रतिबंधों के अभाव ने संकट को और गहरा कर दिया है।
- **सुरक्षा चिंताएँ:** ISIS-K जैसे आतंकवादी समूहों की उपस्थिति और अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का आश्रय स्थल बनने की संभावना भारत और अन्य पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

3. **श्रीलंका:**
   - **आर्थिक संकट:** श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता और सरकार में बदलाव हुआ है। आर्थिक उथल-पुथल के कारण खाद्य और ईंधन की कमी हो गई है, जिससे सामाजिक अशांति बढ़ गई है।
   - **भू-राजनीतिक बदलाव:** इस संकट ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव के लिए रास्ता खोल दिया है, विशेषकर ऋण कूटनीति के जरिए भारत ने आर्थिक सहायता देकर जवाब दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है।
   - **भारत पर प्रभाव:** इस संकट के कारण बड़ी संख्या में श्रीलंकाई शरणार्थी भारत की ओर भाग रहे हैं, विशेष रूप से तमिलनाडु की ओर, जिसका श्रीलंका की तमिल आबादी से ऐतिहासिक संबंध रहा है।
4. **नेपाल:**
   - **राजनीतिक अस्थिरता:** नेपाल में सरकार में लगातार परिवर्तन हुए हैं, प्रधानमंत्रियों और गठबंधन सरकारों का क्रम बदलता रहा है, जिसके कारण नीतिगत गतिरोध और अस्थिरता उत्पन्न हुई है।
   - **आर्थिक मुद्दे:** देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें COVID-19 महामारी से धीमी गति से उबरना, बढ़ती बेरोजगारी और प्रेषण पर निर्भरता शामिल है।
   - **भू-राजनीतिक संतुलन:** नेपाल रणनीतिक रूप से भारत और चीन के बीच अपने संबंधों को संतुलित कर रहा है, जिसके कारण दोनों पड़ोसियों के साथ समय-समय पर तनाव उत्पन्न होता है, विशेष रूप से सीमा मुद्दों और व्यापार को लेकर।
5. **म्यांमार:**
   - **सैन्य तख्तापलट:** फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट ने म्यांमार को अराजकता में धकेल दिया है, जिसमें व्यापक विरोध प्रदर्शन, क्रूर सैन्य कार्रवाई तथा सैन्य जुंटा और विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहों के बीच चल रहा गृहयुद्ध शामिल है।
   - **मानवीय संकट:** संघर्ष के कारण गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें हैं। इस स्थिति ने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है, जिससे शरणार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई।
   - **क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:** म्यांमार में अस्थिरता का क्षेत्रीय सुरक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है।
6. **चीन:**
   - **सीमा पर तनाव:** अनसुलझे सीमा विवाद, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच समय-समय पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न करते रहे हैं। सबसे उल्लेखनीय हालिया घटना 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प थी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए थे।
   - **क्षेत्रीय प्रभाव:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के अंतर्गत निवेश और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है।
     - पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश चीन के साथ तीव्र गति से जुड़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती मिल रही है।
7. **भूटान:**
   - **स्थिर किन्तु संवेदनशील:** भूटान अपने पड़ोसियों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन अपने छोटे आकार तथा भारत और चीन के बीच रणनीतिक स्थान के कारण यह बाह्य दबावों के प्रति संवेदनशील है।
   - **आर्थिक चुनौतियाँ:** भूटान की अर्थव्यवस्था भारत को किए जाने वाले जलविद्युत निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है, तथा देश को बेरोजगारी और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
8. **मालदीव:**
   - **राजनीतिक अनिश्चितता:** मालदीव में सरकार में लगातार परिवर्तन के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है तथा भारत समर्थक और चीन समर्थक गुटों के बीच तनाव बना हुआ है।
   - **आर्थिक निर्भरता:** मालदीव की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर है, कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिकवरी धीमी रही है और देश उच्च स्तर के ऋण (विशेष रूप से चीन के लिए) से जूझ रहा है।
   - **सामरिक महत्त्व:** हिंद महासागर में मालदीव की सामरिक स्थिति इसे क्षेत्रीय भूराजनीति में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बनाती है, जहाँ भारत और चीन दोनों ही प्रभाव उत्पन्न करने की होड़ में हैं।

भारत के लिए अपने पड़ोस में चुनौतियाँ:

- **पाकिस्तान के साथ संबंधों में संतुलन:**
  - **आतंकवाद बनाम कूटनीति:** पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध संघर्ष और आतंकवाद के इतिहास से प्रभावित हैं, विशेषकर कश्मीर मुद्दे को लेकर। जबकि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए कूटनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता है, पाकिस्तान से होने वाले लगातार आतंकवादी हमले बातचीत के प्रयासों को जटिल बनाते हैं। सुरक्षा की आवश्यकता और शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा के बीच संतुलन बनाना एक निरंतर दुविधा है।
  - **परमाणु प्रतिद्वंद्विता:** भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु-सशस्त्र देश हैं, जिससे किसी भी सैन्य टकराव की संभावना बढ़ जाती है। भारत को इस प्रतिद्वंद्विता को सावधानीपूर्वक संभालना चाहिए ताकि टकराव बढ़ने से बचा जा सके और साथ ही एक विश्वसनीय प्रतिरोध भी बनाए रखा जा सके।
- **चीन के प्रभाव का प्रबंधन:**
  - **सामरिक प्रतिस्पर्धा:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों तथा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में इसके निवेश के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहिए।

- **सीमा विवाद:** चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में, लगातार तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। दुविधा यह है कि चीन के साथ व्यापक स्तर पर सैन्य संघर्ष से बचते हुए भारत अपने क्षेत्रीय दावों को कैसे पुख्ता करे।

- **छोटे पड़ोसियों के साथ जुड़ाव:**
  - **प्रभाव बनाए रखना:** भारत पारंपरिक रूप से दक्षिण एशिया में प्रमुख शक्ति रहा है, लेकिन नेपाल, भूटान और मालदीव जैसे छोटे देशों के साथ चीन के आर्थिक निवेश और राजनीतिक जुड़ाव से इस प्रभाव को चुनौती मिल रही है। भारत को इन देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रूप से जुड़ना चाहिए, बिना शक्ति का प्रदर्शन किए।
  - **आंतरिक अस्थिरता:** पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, जैसे नेपाल में सरकार में बार-बार बदलाव, श्रीलंका का आर्थिक संकट और बांग्लादेश में हाल ही में राजनीतिक उथल-पुथल, भारत पर भी प्रभाव डाल सकती है। भारत के समक्ष दुविधा यह है कि क्या इन स्थितियों में अधिक सक्रियता से हस्तक्षेप किया जाए या फिर कोई हस्तक्षेप न किया जाए।

- **अफगानिस्तान की स्थिति से निपटना:**
  - **सुरक्षा चिंताएँ:** अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने आतंकवाद के संभावित पुनरुत्थान के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिसका प्रभाव भारत, विशेषकर कश्मीर में पड़ सकता है। भारत इस दुविधा का सामना कर रहा है कि तालिबान शासन के अंतर्गत अफगानिस्तान के साथ मानवीय चिंताओं और सुरक्षा अनिवार्यताओं के बीच संतुलन कैसे बनाए।
  - **कूटनीतिक अलगाव बनाम सहभागिता:** भारत को यह निर्णय लेना है कि क्या वह अपने हितों की रक्षा के लिए तालिबान शासन के साथ कूटनीतिक रूप से सहभागिता करेगा या शासन के मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों के कारण दूरी बनाए रखेगा।

- **बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता:**
  - **सीमा सुरक्षा पर प्रभाव:** बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें शेख हसीना के इस्तीफे के बाद की हालिया उथल-पुथल भी शामिल है, भारत के लिए चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, विशेष रूप से सीमा सुरक्षा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थियों के संभावित आगमन के संबंध में।
  - **आर्थिक संबंध बनाम आंतरिक राजनीति:** भारत के बांग्लादेश के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक संकट इन संबंधों को खराब कर सकता है। भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किए बिना इन चुनौतियों से निपटना चाहिए।

- **म्यांमार का सैन्य शासन:**
  - **जातीय विद्रोह का प्रभाव:** म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न गृह संघर्ष ने भारत-म्यांमार सीमा पर जातीय विद्रोह को बढ़ा दिया है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति प्रभावित हुई है।
  - **संतुलन:** भारत को म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के विरुद्ध म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ सुरक्षा सहयोग की अपनी आवश्यकता को संतुलित करना होगा।

- **हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा:**
  - **चीनी नौसेना की उपस्थिति:** हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती मौजूदगी, जिसमें जिबूती में अड्डे और श्रीलंका और मालदीव में बंदरगाहों तक संभावित पहुँच शामिल है, भारत के लिए रणनीतिक दुविधा पैदा करती है। चीन के साथ सीधे टकराव से बचते हुए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  - **क्षेत्रीय सहयोग:** भारत को अपने पड़ोसियों और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख अभिकर्त्ताओं के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाना होगा, साथ ही क्षेत्र में किसी एक शक्ति के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ने की संवेदनशीलता का प्रबंधन करना होगा।

- **साइबर सुरक्षा खतरे:**
  - **राज्य प्रायोजित साइबर हमले:** भारत साइबर हमलों के प्रति तेजी से संवेदनशील होता जा रहा है, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित तत्त्वों से। ये हमले महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, सरकारी डेटाबेस और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा होता है।
  - **डिजिटल जासूसी:** भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण और शासन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते उपयोग ने देश को साइबर जासूसी, डेटा उल्लंघनों और साइबर अपराध के अन्य रूपों के जोखिमों के प्रति भी प्रकट किया है।

- **आर्थिक चुनौतियाँ और असमानताएँ:**
  - **विकास संबंधी विषमताएँ:** भारत की आर्थिक उन्नति उसके कई पड़ोसी देशों की आर्थिक चुनौतियों से बिल्कुल पृथक है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी ढाँचे की कमी अस्थिरता, पलायन और कभी-कभी भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार में योगदान करती है।
  - **आर्थिक प्रतिबंध और सहायता पर निर्भरता:** क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता, जो प्राय: प्रतिबंधों (जैसा कि ईरान में देखा गया है) या विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता के कारण और बढ़ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति को उत्पन्न कर सकती है, जिसका प्रभाव पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है।

- **जातीय एवं धार्मिक तनाव:** श्रीलंका (सिंहली और तमिलों के बीच), बांग्लादेश (धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में) और पाकिस्तान (सांप्रदायिक हिंसा) जैसे देशों में जातीय और धार्मिक तनाव से सीमा पार प्रभाव हो सकता है, जिसमें शरणार्थियों का प्रवाह और आतंकवादी गतिविधियाँ शामिल हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं।

- **कमजोर क्षेत्रीय सहयोग तंत्र:** सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक मतभेदों, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच, के कारण सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में अत्यधिक अप्रभावी रहे हैं। प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग की यह कमी अस्थिरता को कम करने के प्रयासों में बाधा डालती है।

- **शरणार्थियों का आगमन और प्रवासन:** पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण प्राय: भारत में शरणार्थियों की संख्या में व्यापक वृद्धि होती है, जैसा कि म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों और अफगानिस्तान से शरणार्थियों के मामले में देखा गया है। इससे भारत के लिए सामाजिक-आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

स्वर्ण अर्धचन्द्र (गोल्डन क्रिसेंट)

- गोल्डन क्रिसेंट दक्षिण एशिया का एक क्षेत्र है, जो अवैध अफीम के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसमें तीन देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान।
- यह क्षेत्र अफीम की खेती और हेरोइन के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है।
- गोल्डन क्रीसेंट से होने वाला मादक पदार्थों का व्यापार क्षेत्र में संगठित अपराध, उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिससे अस्थिरता बढ़ती है और पड़ोसी भारत सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- नशीली दवाओं के व्यापार से होने वाले मुनाफे से विभिन्न उग्रवादी समूहों को भी धन मिलता है, जिससे हिंसा और संघर्ष बढ़ता है।

पड़ोस में अस्थिरता का भारत पर प्रभाव:

- **सुरक्षा खतरे:** पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता से सीमा पार आतंकवाद, शरणार्थियों का आगमन और भारत में विद्रोही गतिविधियों का प्रसार हो सकता है।
- **आर्थिक व्यवधान:** अस्थिरता व्यापार मार्गों और आर्थिक साझेदारियों को बाधित करती है, विशेष रूप से श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ, जिससे भारत के आर्थिक हित और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएँ प्रभावित होती हैं।
- **सामरिक चुनौतियाँ:** क्षेत्र में चीन जैसी बाहरी शक्तियों का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से अस्थिर देशों में, भारत के सामरिक हितों के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे संभावित सैन्य और कूटनीतिक टकराव पैदा होता है।
- **कूटनीतिक तनाव:** निरंतर उथल-पुथल के कारण भारत को संकट प्रबंधन में अधिक कूटनीतिक संसाधनों का निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे इन देशों के साथ उसके संबंध जटिल हो जाते हैं और व्यापक वैश्विक जुड़ाव से ध्यान हट जाता है।
- **मानवीय चिंताएँ:** म्यांमार से रोहिंग्या संकट जैसे संघर्ष क्षेत्रों से शरणार्थियों का आगमन भारत पर अतिरिक्त मानवीय और संसाधन संबंधी बोझ डालता है।

आगे की राह

राजनयिक सहभागिता बढ़ाना:

- **द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता:** भारत को सीमा विवादों से लेकर आर्थिक सहयोग तक आपसी चिंताओं को दूर करने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ लगातार और सक्रिय द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होना चाहिए। सार्क या बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) जैसे क्षेत्रीय मंचों को पुनर्जीवित और मजबूत करना भी साझा चुनौतियों पर सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना:

- **क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क:** बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते और दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ाने से आर्थिक अंतरनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और संघर्ष के लिए प्रोत्साहन कम होगा।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** ऊर्जा ग्रिड, परिवहन संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सीमा पार बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश करने से पड़ोसी देशों में आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे गरीबी और असमानता कम हो सकती है, जो प्राय: अस्थिरता के स्रोत होते हैं।

सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना:

- **आतंकवाद विरोधी सहयोग:** भारत को अपने पड़ोसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, समन्वित सीमा प्रबंधन और आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने से सीमा पार उग्रवाद के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **सीमा प्रबंधन:** सीमा पर बुनियादी ढाँचे, निगरानी और गश्त में सुधार करने के साथ-साथ सीमा पार प्रवासियों और शरणार्थियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने से सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है और पड़ोसी देशों के साथ तनाव कम किया जा सकता है।

रणनीतिक संतुलन में संलग्न होना:

- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, भारत को निवेश, बुनियादी ढाँचे के विकास और व्यापार साझेदारी के मामले में अपने पड़ोसियों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करने चाहिए। QUAD (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसी पहलों के माध्यम से समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना भी भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है।
- **रक्षा कूटनीति:** भारत पड़ोसी देशों को सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उपकरण प्रदान करके रक्षा कूटनीति को बढ़ा सकता है, जिससे सैन्य संबंधों में मजबूती आएगी और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का लाभ उठाना:

- **लोगों के बीच संबंध:** भारत और उसके पड़ोसियों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, अकादमिक छात्रवृत्ति और पर्यटन को बढ़ावा देने से सद्भावना का निर्माण हो सकता है और अविश्वास कम हो सकता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) जैसी पहलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मीडिया और शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंध मजबूत हो सकते हैं।
- **मानवीय सहायता:** भारत को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संकटों (जैसा कि COVID-19 महामारी के दौरान देखा गया) और अन्य आपात स्थितियों के समय पड़ोसियों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखना चाहिए, जिससे एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी भूमिका मजबूत हो सके।

गैर-राज्यीय अभिकर्त्ताओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ना:

- **ट्रैक-II कूटनीति:** थिंक टैंकों, नागरिक समाज संगठनों और सीमा पार गैर-सरकारी संगठनों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने से संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने और जमीनी स्तर पर विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है।
- **प्रवासी भारतीयों के साथ सहभागिता:** पड़ोसी देशों में भारतीय प्रवासियों का लाभ उठाकर घनिष्ठ संबंध विकसित करना तथा सद्भावना के अनौपचारिक राजदूत के रूप में कार्य करना भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत कर सकता है।

भारत की नेबर फर्स्ट नीति

परिचय:

- भारत की "नेबर फर्स्ट" नीति इसकी विदेश नीति का मुख्य आधार है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है।
- यह नीति भारत की अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को प्राथमिकता देने और बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल देती है तथा यह स्वीकार करती है कि क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि भारत के अपने विकास और सुरक्षा से निकटतापूर्वक जुड़ी हुई है।

नेबर फर्स्ट नीति के प्रमुख तत्त्व:

- **आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी:**
  - भारत ने व्यापार समझौतों, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और कनेक्टिविटी पहलों के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया है।
    - उदाहरण के लिए, बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार में सुधार करना है।
  - भारत ने ऊर्जा सहयोग में भी निवेश किया है, जैसे; भूटान में जलविद्युत परियोजनाएँ और भारत-नेपाल ट्रांसमिशन लाइनें, जो पारस्परिक आर्थिक विकास में मदद करती हैं।
- **सुरक्षा एवं आतंकवाद निरोध:**
  - भारत की नेबर फर्स्ट नीति में सुरक्षा मुद्दों पर, विशेषकर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में घनिष्ठ सहयोग शामिल है।
  - भारत ने सीमापार आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य किया है।
  - समुद्री सुरक्षा के मामले में मालदीव, श्रीलंका और मॉरीशस के साथ भारत का सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **विकासात्मक सहायता:**
  - भारत ने अपने पड़ोसियों को बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण विकास सहायता प्रदान की है।
    - उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और काबुल में संसद भवन के निर्माण में भारत का योगदान उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
  - भारत अनुदान और तकनीकी सहायता के माध्यम से भूटान जैसे छोटे पड़ोसियों को भी समर्थन देता है, जिससे उनका सतत विकास सुनिश्चित होता है।
- **राजनयिक जुड़ाव:**
  - नियमित उच्च स्तरीय यात्राएँ, द्विपक्षीय वार्ताएँ तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे क्षेत्रीय मंचों में भागीदारी, नेबर फर्स्ट नीति के प्रमुख घटक हैं।
  - भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान "वैक्सीन मैत्री" में भी भाग लिया है तथा अपनी मानवीय कूटनीति के अंतर्गत कई पड़ोसी देशों को टीके की आपूर्ति की है।

नेबर फर्स्ट नीति की चुनौतियाँ:

- **चीन का बढ़ता प्रभाव:**
  - भारत की नेबर फर्स्ट नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव है।
    - चीन के निवेश, विशेषकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत, ने पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे इस क्षेत्र में भारत के पारंपरिक प्रभाव को चुनौती मिल रही है।
  - श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) जैसी चीनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है।
- **पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता:**
  - नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता प्राय: भारत के कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बना देती है।
  - सरकार में परिवर्तन या आंतरिक संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों में उतार-चढ़ाव आ सकता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।
    - उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक उथल-पुथल और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियाँ पैदा कर दी हैं।
- **द्विपक्षीय विवाद:**
  - सहयोग पर नीति के फोकस के बावजूद, भारत को कुछ पड़ोसियों के साथ विवादों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद तथा बांग्लादेश और नेपाल के साथ जल-बँटवारे के विवाद। ये विवाद कभी-कभी सहयोग के व्यापक प्रयासों पर हावी हो जाते हैं।
  - नेपाल के साथ अनसुलझा सीमा विवाद और लिपुलेख दर्रे पर हालिया तनाव सभी पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में चुनौतियों को प्रकट करते हैं।
- **आर्थिक एवं सुरक्षा विषमता:**
  - भारत और उसके छोटे पड़ोसियों के बीच आर्थिक और सैन्य विषमता कभी-कभी भारतीय प्रभुत्त्व या हस्तक्षेप की धारणा को जन्म दे सकती है, जिससे संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है।
    - यह नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में समय-समय पर होने वाली भारत विरोधी भावनाओं से स्पष्ट है।
  - भारत की चुनौती अपने पड़ोसियों को आश्वस्त करना है कि उसकी नीतियाँ प्रभुत्त्व के बदले पारस्परिक लाभ पर केंद्रित हैं।

बिम्सटेक के साथ FTA वार्ता

हाल ही में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और विदेश मंत्रालय द्वारा बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) का व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।

परिचय:

- बिम्सटेक वर्ष 2004 से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत कर रहा है, जिसमें अब तक 22 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें 2018 में हुई अंतिम वार्ता भी शामिल है।
- वर्ष 2004 में, बिम्सटेक ने बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र पर रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप दिया। रूपरेखा समझौते ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के विकास सहित प्रभावी व्यापार और निवेश सुविधा उपायों की स्थापना को प्रोत्साहित किया।

बिम्सटेक

- बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- **स्थायी सचिवालय:** ढाका, बांग्लादेश
- **सदस्य:** बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भारत।
- बिम्सटेक देशों में विश्व की कुल आबादी का 22% हिस्सा रहता है और इनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर है।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अर्थ

- मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने के लिए किया गया समझौता है।
- मुक्त व्यापार नीति के अंतर्गत, वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार क्रय और विक्रय किया जा सकता है, जिसमें उनके आदान-प्रदान को बाधित करने के लिए बहुत कम या कोई सरकारी शुल्क, कोटा, सब्सिडी या प्रतिबंध नहीं होता है।
- उदाहरण के लिए, भारत ने विभिन्न देशों/क्षेत्रों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान क्षेत्र के देशों और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ 13 क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA)/मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

लाभ

- **व्यापार और निवेश में वृद्धि:** FTA से टैरिफ और व्यापार बाधाएँ कम होंगी, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सदस्य देशों के बीच निवेश आकर्षित होगा।
- **आर्थिक एकीकरण:** FTA बिम्सटेक क्षेत्र के अंदर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देगा तथा कृषि, विनिर्माण और सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा।
- **बाजारों का विविधीकरण:** सदस्य देशों को नए बाजारों तक पहुँच प्राप्त होगी, पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों पर निर्भरता कम होगी तथा आर्थिक लचीलापन बढ़ेगा।
- **बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा:** प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करके, FTA सदस्य देशों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करेगा।
- **रोजगार सृजन:** व्यापार और निवेश के विस्तार से रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आजीविका में सुधार होगा।
- **आपूर्ति शृंखला लचीलापन:** FTA क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत कर सकता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं तक अधिक स्थिर और विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी।
- **भू-राजनीतिक स्थिरता:** FTA के माध्यम से घनिष्ठ आर्थिक संबंध क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देंगे तथा बिम्सटेक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में योगदान देंगे।

बिम्सटेक के साथ भारत का व्यापार

- 2023-24 में बिम्सटेक देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 44.32 बिलियन डॉलर रहा।
- थाईलैंड, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जिसका निर्यात 5.04 बिलियन डॉलर और आयात 9.91 बिलियन डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप 4.87 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
- इसके बाद बांग्लादेश का स्थान रहा, जिसका निर्यात 11.06 बिलियन डॉलर और आयात 1.84 बिलियन डॉलर था, जिससे भारत के पक्ष में 9.22 बिलियन डॉलर का व्यापार संतुलन बना।

बिम्सटेक का महत्त्व

- **उन्नत आर्थिक सहयोग:** बिम्सटेक व्यापार समझौतों, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढाँचे के विकास जैसी पहलों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- **कनेक्टिविटी और परिवहन नेटवर्क:** बिम्सटेक बेहतर परिवहन नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिए, बिम्सटेक ट्रांसपोर्ट अवसंरचना एंड लॉजिस्टिक्स स्टडी (BTILS) का उद्देश्य सड़क, रेल, समुद्री और हवाई संपर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सहयोग:** बिम्सटेक देश पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर मिलकर कार्य किया है।
- **सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आदान-प्रदान:** बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, थाईलैंड में आयोजित बिम्सटेक सांस्कृतिक महोत्सव में सदस्य देशों की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया।

- **सुरक्षा और आतंकवाद निरोध:** बिम्सटेक आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग पर बिम्सटेक सम्मेलन इस क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों का एक उदाहरण है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार:** बिम्सटेक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों जैसी पहल क्षेत्रीय विकास में योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में मौसम और जलवायु के लिए बिम्सटेक केंद्र मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल:** बिम्सटेक देश स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों पर सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, सदस्य देशों ने वैक्सीन वितरण और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे के विकास में संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के प्रयासों का समन्वय किया।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

- **एक्ट ईस्ट नीति के साथ संरेखण:** बिम्सटेक हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा प्रभाव को बढ़ाकर भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है।
- **सार्क का विकल्प:** बिम्सटेक भारत के लिए एक पसंदीदा क्षेत्रीय सहयोग मंच के रूप में उभरा है, विशेष रूप से 2016 के सार्क शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों के बाद।
- **चीन के प्रभाव का प्रतिकार:** भारत बिम्सटेक को दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की विस्तारित बेल्ट एंड रोड पहल के प्रतिकार के रूप में देखता है तथा क्षेत्रीय नेतृत्व पर बल देता है।
- **अमूर्त संस्कृति को बढ़ावा देना:** नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के बंगाल की खाड़ी अध्ययन केंद्र जैसी पहल, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की कला, संस्कृति और अमूर्त विरासत पर अनुसंधान को सुविधाजनक बनाती है।
- **क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच:** बिम्सटेक दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में गहन सहयोग को बढ़ावा देता है।

व्यापक चुनौतियाँ:

- **दक्षता और प्रगति में विलंब:** बिम्सटेक को असंगत नीति-निर्माण, अनियमित परिचालन बैठकों तथा अपने सचिवालय के लिए अपर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **सीमित अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क:** बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल को शामिल करने वाली BBIN कनेक्टिविटी परियोजना अभी भी अनसुलझी है।
  - वर्ष 2004 में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, BIMSTEC ने सात आवश्यक घटक समझौतों में से केवल दो को ही लागू किया है, जो इसके आर्थिक सहयोग लक्ष्यों से कम है।
  - वर्ष 2020 में, BIMSTEC देशों के साथ भारत का व्यापार उसके कुल विदेशी व्यापार का केवल 4% था। भारत-म्यांमार सीमा को "एशिया की सबसे कम खुली सीमा" के रूप में जाना जाता है और BIMSTEC सदस्य आपस में व्यापार करने की तुलना में गैर-सदस्यों के साथ अधिक व्यापार करते हैं।
- **समुद्री व्यापार और मत्स्य पालन की चुनौतियाँ:** बंगाल की खाड़ी, जो अपने समृद्ध मछली पकड़ने के मैदानों और व्यापक प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, में प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन (विश्व की कुल मत्स्य का 7%) मछली पकड़ी जाती है।
  - हालाँकि, FAO द्वारा इसे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में भी पहचाना गया है।
- **अन्य सदस्य देश के मुद्दे:** बिम्सटेक को विभिन्न सदस्य-देश-विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या शरणार्थी संकट, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद तथा सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता शामिल है।

सार्क के विकल्प के रूप में बिम्सटेक के लाभ:

- **क्षेत्रीय सहयोग:**
  - बिम्सटेक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तृत हैं। यह व्यापक भौगोलिक क्षेत्र आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और रणनीतिक साझेदारी के अवसरों को बढ़ाता है।
  - बिम्सटेक के सदस्य देश सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो क्षेत्रीय पहलों के संभावित प्रभाव को बढ़ाता है।
- **कम राजनीतिक टकराव:**
  - सार्क के विपरीत, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण प्रायः व्यवधान देखने को मिले हैं, बिम्सटेक ऐसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों के बिना कार्य करता है। इससे अधिक केंद्रित चर्चा और संभावित रूप से सुचारू निर्णय लेने की प्रक्रिया संभव हो पाती है।
  - सार्क के अंदर राजनीतिक तनाव ने प्रायः सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसी प्रमुख पहलों पर प्रगति को रोक दिया है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में संगठन की प्रभावशीलता सीमित हो गई है।
- **केंद्रित उद्देश्य:**
  - बिम्सटेक का क्षेत्रीय दृष्टिकोण व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सदस्य देशों को विशिष्ट प्रमुख भूमिकाएँ प्रदान करता है। इस संरचित दृष्टिकोण का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ठोस परिणाम प्राप्त करना है।
  - परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य समूहों जैसी पहल लक्षित सहयोग प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाती हैं।

- **भू-राजनीतिक लाभ:**
  - बिम्सटेक भारत को सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ अपने विवादास्पद संबंधों से उत्पन्न बाधाओं के बिना क्षेत्रीय नेतृत्व का दावा करने की अनुमति देता है। यह क्षेत्रीय पहलों और साझेदारी में सक्रिय भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
  - बिम्सटेक के अंदर भारत की पहल, जैसे कि बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल, दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपर्क और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में इसके रणनीतिक हितों को रेखांकित करती है।

सार्क के विकल्प के रूप में बिम्सटेक:

- **सीमित सदस्यता:**
  - बिम्सटेक में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, जिससे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व करने की इसकी क्षमता सीमित हो गई है। यह बहिष्कार व्यापक दक्षिण एशियाई सहयोग और एकीकरण की दिशा में प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  - बिम्सटेक में पाकिस्तान की अनुपस्थिति संगठन की जनसांख्यिकीय विविधता और व्यापार बाधाओं और सुरक्षा चिंताओं सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने में संभावित प्रभाव को प्रभावित करती है।
- **विविध प्राथमिकताएँ:**
  - दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों की विविध आर्थिक प्राथमिकताओं और विकास स्तरों के बीच संतुलन बनाना एजेंडा तय करने और क्षेत्रीय पहलों पर आम सहमति बनाने में चुनौतियों का सामना करता है।
  - बिम्सटेक देशों के बीच आर्थिक विकास दर, बुनियादी ढाँचे के विकास और नीतिगत प्राथमिकताओं में भिन्नता के कारण सहयोग के लिए लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिससे संभावित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
- **परिचालन चुनौतियाँ:**
  - सार्क की तरह बिम्सटेक को भी नौकरशाही संबंधी बाधाओं, समझौतों के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति और अपने सचिवालय के लिए सीमित वित्तीय संसाधनों का सामना करना पड़ रहा है। ये परिचालन संबंधी चुनौतियाँ संगठन की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकती हैं।
  - बिम्सटेक मुक्त व्यापार क्षेत्र रूपरेखा और विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग तंत्र जैसी पहलों के बावजूद, सदस्य देशों के बीच वास्तविक व्यापार संभावित स्तरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम बना हुआ है, जो क्रियान्वयन में अंतराल को दर्शाता है।
- **सार्क पर प्रभाव:**
  - एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बिम्सटेक का उदय सार्क के लिए समर्पित फोकस और संसाधनों को कम कर सकता है, जो संभवतः व्यापक दक्षिण एशियाई एकीकरण और सहयोग की दिशा में प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
  - बिम्सटेक और सार्क के बीच सदस्य देशों की भागीदारी और हितों में ओवरलैप क्षेत्रीय कूटनीति और आर्थिक पहल में सार्क की भविष्य की भूमिका और प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न उठाता है।

आगे की राह:

- **परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान:** परिवहन अवसंरचना (सड़क, रेलवे, बंदरगाह आदि) के लिए एक व्यापक 10-वर्षीय रणनीति विकसित करने और उसे लागू करने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा और माल तथा लोगों की सुगम आवाजाही में सहायता मिलेगी।
- **आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता पर बिम्सटेक सम्मेलन:** इस अभिसमय को लागू करने से सूचना साझा करने और साक्ष्य एकत्र करने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- **अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित** (IUU) **मछली पकड़ने से निपटना:** FAO और GEF द्वारा बंगाल की खाड़ी वृहद समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (BOBLME) पहल जैसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन IUU मछली पकड़ने को रोकने, समुद्री संसाधनों को संरक्षित करने और सतत मत्स्य पालन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा** (TTF): श्रीलंका में TTF की स्थापना से प्रमुख क्षेत्रों में ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने में सुविधा होगी, जिससे सदस्य देशों के बीच तकनीकी अंतर कम होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **राजनयिक संस्थाओं के बीच सहयोग:** राजनयिक अकादमियों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग से मजबूत राजनयिक संबंधों और क्षेत्रीय चुनौतियों एवं अवसरों से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय एकजुटता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **संस्थागत ढाँचा विकास:** सार्क के अंतर्गत दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) के समान समर्पित संगठनात्मक संरचनाओं का निर्माण करने से बिम्सटेक के अंदर शांति, समृद्धि और प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना:** बिम्सटेक सांसद मंच, छात्र विनिमय कार्यक्रम और बिजनेस वीजा योजना जैसी पहल से सदस्य देशों के बीच आपसी समझ बढ़ सकती है और क्षेत्रीय संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

- बिम्सटेक, अपने नए चार्टर और संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- केंद्रित क्षेत्रीय नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ, यह आर्थिक विकास को बढ़ाने, साझा चुनौतियों का समाधान करने और करीबी राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नए रामसर स्थल

हाल ही में, तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काझुवेली पक्षी अभ्यारण्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को रामसर सम्मेलन के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जिससे कुल संख्या 85 हो गई है।

परिचय:

आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं, जहाँ जल पर्यावरण तथा वहाँ रहने वाले पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है।

- **प्राकृतिक बनाम कृत्रिम आर्द्रभूमि:**
  - प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनती हैं, जैसे नदियों में बाढ़ आना या वर्षा जल का संचय होना।
  - कृत्रिम आर्द्रभूमि का निर्माण मानवीय गतिविधियों द्वारा होता है, जैसे; प्राकृतिक आर्द्रभूमि की नकल करने के लिए बनाए गए तालाब या जल उपचार सुविधाएँ ।
- **स्थायी बनाम अस्थायी आर्द्रभूमि:**
  - स्थायी आर्द्रभूमियाँ हमेशा जल से ढकी रहती हैं, जैसे; बड़ी झीलें या दलदल।
  - अस्थायी आर्द्रभूमियाँ मौसमी रूप से उत्पन्न होती हैं, जैसे; बाढ़ के मैदान, जो वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाते हैं तथा अन्य समय में सूख जाते हैं।
- **स्थिर बनाम प्रवाहित होता जल:**
  - स्थैतिक जल आर्द्रभूमि में स्थिर या मंद गति से प्रवाहित होने वाला जल होता है, जैसे; तालाब और दलदल।
  - प्रवाहित जल वाले आर्द्रभूमि में लगातार बहते जल वाले क्षेत्र शामिल हैं, जैसे; नदी के बाढ़ के मैदान।
- **स्वच्छ, खारा** (Brackish) **या लवणीय जल:**
  - स्वच्छ जल की आर्द्रभूमियों में नदियों और झीलों की तरह कम लवणता होती है।
  - खारे जलक्षेत्रों में स्वच्छ जल और लवणीय जल का मिश्रण होता है, जो प्राय: नदियों के मुहाने पर पाया जाता है।
  - लवणीय आर्द्रभूमि समुद्री जल, जैसे लवण-दलदल, से प्रभावित होती है।

आर्द्रभूमि का महत्त्व:

- **जलवायु विनियमन:** आर्द्रभूमि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को पौधों की सामग्री और पीट में ट्रैप करती है। यह ग्रीनहाउस गैस के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है।
- **उत्पादकता:** वे विश्व के सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से हैं, जो पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों का समर्थन करते हैं। उनकी उत्पादकता वर्षावनों और प्रवाल भित्तियों के बराबर है।
- **जैव विविधता:** आर्द्रभूमियाँ विविध प्रकार के जीवन का समर्थन करती हैं, जिसमें प्रवासी पक्षी, मछलियाँ, उभयचर और पौधे शामिल हैं। वे प्रजनन, भोजन और आश्रय के लिए आवश्यक आवास प्रदान करते हैं।
- **जल विनियमन:** आर्द्रभूमि अपवाह से अवसाद और प्रदूषकों को ट्रैप करके जल के निस्यंदन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे जल प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं, जो अतिरिक्त वर्षा जल को संगृहीत करके बाढ़ को रोकने में मदद करता है।
- **आर्थिक और सांस्कृतिक महत्त्व:** आर्द्रभूमि मत्स्यन, कृषि और पर्यटन के माध्यम से आजीविका का समर्थन करती है। वे कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्त्व भी रखते हैं, पारंपरिक संसाधन प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

भारत में आर्द्रभूमियाँ:

भारत में आर्द्रभूमि लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.63% है।

- **इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:**
  - **अंतर्देशीय-प्राकृतिक आर्द्रभूमि (43.4%):** इसमें देश के भूमि क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक झीलें, नदियाँ और बाढ़ के मैदान शामिल हैं।
  - **तटीय-प्राकृतिक आर्द्रभूमि (24.3%):** इसमें समुद्रतट के किनारे स्थित नदियाँ, लवण दलदल और मैंग्रोव वन शामिल हैं।
- **भारत में संरक्षण हेतु प्रयास:**
  - **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (1986):** देश भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **जलीय आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (2015):** आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण, समन्वित प्रयासों और हितधारक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देता है।
  - **आर्द्रभूमियों की पहचान:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संरक्षण योजनाओं के लिए 2,200 से अधिक आर्द्रभूमियों की पहचान की है तथा जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए उनके महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य:

- **अवस्थिति और आकार:** तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के उत्तर-पूर्वी उथुकुली तालुका में स्थित है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** इस अभ्यारण्य की उत्पत्ति राजा नंजरायण के प्रयासों से जुड़ी है, जिन्होंने सदियों पहले इस आर्द्रभूमि के जीर्णोद्धार और रखरखाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **जल विज्ञान संबंधी विशेषताएँ:**
  - **जल स्रोत:** यह झील नल्लार जल निकासी प्रणाली से प्राप्त वर्षा के जल पर निर्भर है।
  - **कार्य:** स्थानीय जैव विविधता को सहारा देने के अलावा, झील का जल भूजल पुनर्भरण में मदद करता है और एक महत्त्वपूर्ण जल स्रोत प्रदान करके कृषि गतिविधियों में सहायता करता है।
- **जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्त्व:**
  - **पक्षी प्रजातियाँ:** अभ्यारण्य में लगभग 191 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:
  - **बार-हेडेड राजहंस:** यह पक्षी अपने प्रवासी पैटर्न और उच्च ऊँचाई पर उड़ान के लिए जाना जाता है।

- **उत्तरी शॉवलर (सांखर या तिदारी बत्तख):** इसकी विशिष्ट स्पैटुला आकार की चोंच से पहचाना जा सकता है।
- **स्पॉट-बिल्ड पेलिकन:** अपने बड़े आकार और मछली पकड़ने की आदतों के लिए जाना जाता है।

- **बगुलाघर** (Heronry): अभ्यारण्य में घोंसला बनाने वाले हैरोन का एक समूह।
  - **उभयचर:** उभयचरों की सात प्रजातियाँ आर्द्रभूमि की जैव विविधता में योगदान देती हैं।
  - **सरीसृप:** इसमें 21 प्रजातियाँ शामिल हैं, जो अभ्यारण्य की पारिस्थितिक जटिलता को समृद्ध करती हैं।
  - **छोटे स्तनधारी:** 11 प्रजातियों का पोषण करते हैं तथा खाद्य जाल में योगदान देते हैं।
  - **पौधे:** इसमें 77 पौधों की प्रजातियाँ शामिल हैं, जो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने और विभिन्न वन्यजीवों के लिए आवास और भोजन प्रदान करने में मदद करती हैं।
- **पारिस्थितिक भूमिका:**
  - **आवास कार्य:** यह स्थानीय और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है तथा उनके घोंसले बनाने और भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
  - **प्रवासी महत्त्व:** यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव के रूप में कार्य करता है तथा उनकी यात्रा के दौरान आवश्यक संसाधन प्रदान करता है।
- **प्रबंधन और संरक्षण:**
  - **प्रयोजन:** तमिलनाडु के 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त, जो पक्षी संरक्षण में इसके महत्त्व को दर्शाता है।
  - **प्रबंधन:** वन विभाग के सहयोग से स्थानीय समुदाय द्वारा सक्रिय रूप से संरक्षित, इसके संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना।

काझुवेली पक्षी अभ्यारण्य:

- **स्थान और आकार:**
  - **भौगोलिक स्थिति:** पांडिचेरी के उत्तर में विल्लुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित है।
  - **क्षेत्रफल:** 5151.6 हेक्टेयर।
- **पारिस्थितिक विशेषताएँ:**
  - **जल के प्रकार:** अभ्यारण्य में विविध जल विशेषताएँ शामिल हैं:
    - **मुहाना प्रणालियाँ:** वे क्षेत्र जहाँ स्वच्छ जल लवणीय जल से मिलता है, जिससे अद्वितीय लवणीय वातावरण का निर्माण होता है।
    - **खाड़ी-पोषित लवणीय जल:** ज्वारीय क्रियाओं से प्रभावित जल निकाय।
    - **स्वच्छ जल के बेसिन:** अलवणीय जल के क्षेत्र, जो विभिन्न जलीय प्रजातियों को आश्रय देते हैं।
  - **संपर्क:** उप्पुकल्ली खाड़ी और एडयानथिट्टू मुहाने के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिससे पारिस्थितिक आदान-प्रदान में सुविधा होती है।
- **आवास विशेषताएँ:**
  - **मैंग्रोव क्षेत्र:** इसमें एविसेनिया प्रजाति वाले क्षीण मैंग्रोव क्षेत्र शामिल हैं, जो तटीय संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **रीड नितल:** इसमें रीड (टाइफा एंगुस्टाटा) के विस्तृत क्षेत्र शामिल हैं, जो कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं और आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक कार्यों में योगदान करते हैं।
- **जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्त्व:** लवणीय और स्वच्छ जल की स्थितियों के लिए अनुकूलित प्रजातियों की एक शृंखला का समर्थन करता है, स्थानीय और प्रवासी पारिस्थितिकी प्रणालियों में भूमिका निभाता है।

तवा जलाशय:

- **स्थान और आकार:**
  - **भौगोलिक स्थिति:** मध्य प्रदेश के इटारसी शहर के पास तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है।
  - **क्षेत्र और परिवेश:** सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है।
- **जल विज्ञान और कार्यात्मक पहलू:**
  - **प्रारंभिक उद्देश्य:** मूल रूप से इसका निर्माण स्थानीय कृषि को सहायता देने के लिए सिंचाई प्रयोजनार्थ किया गया था।
  - **वर्तमान कार्य:** अब यह विद्युत उत्पादन और जलकृषि में भी सहयोग करता है तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों में योगदान देता है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - **सहायक नदियाँ:** प्रमुख सहायक नदियों में मालानी, सोनभद्र और नागद्वारी नदियाँ शामिल हैं, जो जलाशय में गिरती हैं।
  - **नदी उद्गम:** तवा नदी छिंदवाड़ा जिले के महादेव पहाड़ियों से निकलती है, बैतूल जिले से होकर बहती है और नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी में संगम कर जाती है। इसे नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है।
- **जैव विविधता:** जलाशय चित्तीदार हिरण और चित्रित सारस जैसी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है, जो सतपुड़ा क्षेत्र की जैव विविधता में योगदान देता है।

रामसर सम्मेलन:

- **1971 में ईरान के रामसर में स्थापित:** रामसर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है।
  - यह आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र के सतत उपयोग और रखरखाव पर केंद्रित है।
- **उद्देश्य:** प्राथमिक लक्ष्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना, उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उनका पारिस्थितिक चरित्र बना रहे।
- **रामसर स्थलों के लिए मानदंड:** आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया जाता है, यदि वे महत्त्वपूर्ण पौधों और जानवरों की प्रजातियों का आश्रय हैं, महत्त्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं या महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक कार्य करते हैं।
- **हस्ताक्षरकर्त्ता देश:** इस सम्मेलन में 172 सदस्य देश हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी सीमाओं के अंदर रामसर स्थलों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
- **सहायक संगठन:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN), वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) और अन्य पर्यावरण एजेंसियाँ संधि के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।

भारत के रामसर स्थल

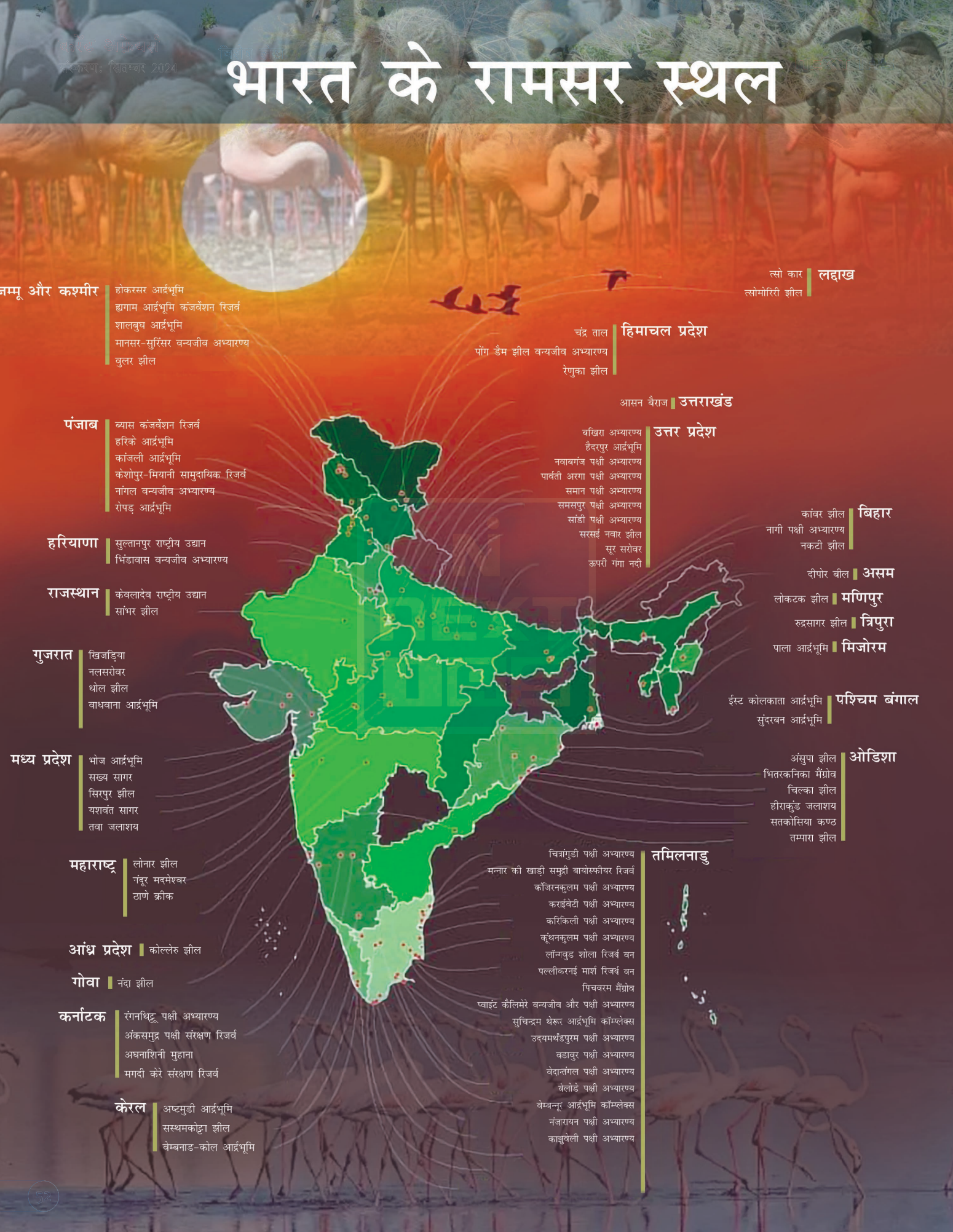

जम्मू और कश्मीर
- होकरसर आर्द्रभूमि
- ह्यगाम आर्द्रभूमि कंजर्वेशन रिजर्व
- शालबुघ आर्द्रभूमि
- मानसर-सुरिंसर वन्यजीव अभ्यारण्य
- वुलर झील

लद्दाख
- त्सो कार
- त्सोमोरिरी झील

हिमाचल प्रदेश
- चंद्र ताल
- पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य
- रेणुका झील

उत्तराखंड
- आसन बैराज

पंजाब
- ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व
- हरिके आर्द्रभूमि
- कांजली आर्द्रभूमि
- केशोपुर-मियानी सामुदायिक रिजर्व
- नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य
- रोपड़ आर्द्रभूमि

उत्तर प्रदेश
- बखिरा अभ्यारण्य
- हैदरपुर आर्द्रभूमि
- नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य
- पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य
- समान पक्षी अभ्यारण्य
- समसपुर पक्षी अभ्यारण्य
- सांडी पक्षी अभ्यारण्य
- सरसई नवार झील
- सूर सरोवर
- ऊपरी गंगा नदी

हरियाणा
- सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
- भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य

बिहार
- कांवर झील
- नागी पक्षी अभ्यारण्य
- नकटी झील

राजस्थान
- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
- सांभर झील

असम
- दीपोर बील

मणिपुर
- लोकटक झील

त्रिपुरा
- रुद्रसागर झील

मिजोरम
- पाला आर्द्रभूमि

गुजरात
- खिजड़िया
- नलसरोवर
- थोल झील
- वाधवाना आर्द्रभूमि

पश्चिम बंगाल
- ईस्ट कोलकाता आर्द्रभूमि
- सुंदरबन आर्द्रभूमि

मध्य प्रदेश
- भोज आर्द्रभूमि
- सख्य सागर
- सिरपुर झील
- यशवंत सागर
- तवा जलाशय

ओडिशा
- अंसुपा झील
- भितरकनिका मैंग्रोव
- चिल्का झील
- हीराकुंड जलाशय
- सतकोसिया कण्ठ
- तम्पारा झील

महाराष्ट्र
- लोनार झील
- नंदूर मदमेश्वर
- ठाणे क्रीक

तमिलनाडु
- चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य
- मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व
- कोंजिरनकुलम पक्षी अभ्यारण्य
- कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य
- करिकिली पक्षी अभ्यारण्य
- कूंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य
- लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन
- पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन
- पिचवरम मैंग्रोव
- प्वाइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य
- सुचिन्द्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स
- उदयमर्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य
- वडावुर पक्षी अभ्यारण्य
- वेदान्तंगल पक्षी अभ्यारण्य
- वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य
- वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स
- नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य
- काझुवेली पक्षी अभ्यारण्य

आंध्र प्रदेश
- कोल्लेरु झील

गोवा
- नंदा झील

कर्नाटक
- रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य
- अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व
- अघनाशिनी मुहाना
- मगदी केरे संरक्षण रिजर्व

केरल
- अष्टमुडी आर्द्रभूमि
- सस्थमकोट्टा झील
- वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि

वैश्विक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि

एक नए अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन निरंतर जारी रहा, तो 2020 से 2100 के बीच वैश्विक बाढ़ की घटनाओं में 49% की वृद्धि हो सकती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- **भौगोलिक विविधताएँ:**
  - बाढ़ का जोखिम पूरे विश्व में एक जैसा नहीं होगा। बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों या प्रभावी बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों के कारण कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम में कमी देखी जा सकती है।
  - इसके विपरीत, अन्य क्षेत्रों को वैश्विक औसत से कहीं अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
  - इस परिवर्तनशीलता के कारण शमन रणनीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए स्थानीयकृत जोखिम आकलन आवश्यक हो जाता है।
- **सर्वाधिक वृद्धि वाले क्षेत्र:**
  - **उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया:**
  - उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और एशिया के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के खतरे में सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान है।
  - ये क्षेत्र बढ़ते समुद्री स्तर और तीव्र वर्षा की घटनाओं के कारण विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
  - **शुष्क उत्तरी अफ्रीका:**
    - यद्यपि उत्तरी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र शुष्क हैं, फिर भी वहाँ बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका है।
    - इसका कारण समुद्र के बढ़ते स्तर और वर्षा के पैटर्न में संभावित परिवर्तन का दोहरा प्रभाव हो सकता है।
  - **उत्तरी अटलांटिक और हिंद महासागर के तट:** उत्तरी अटलांटिक और हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के बढ़ते स्तर और तूफानी गतिविधियों में वृद्धि के कारण गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।
  - **दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशांत द्वीप समूह:** ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, जिनमें समुद्र के स्तर में वृद्धि तथा अधिक लगातार और गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान शामिल हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
- **अनुमानित जोखिम स्तर:**
  - 2050 तक, कम उत्सर्जन परिदृश्य में बाढ़ का खतरा 7% और उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में 15% बढ़ने का अनुमान है।
  - ये अनुमान भविष्य में बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के महत्त्व को रेखांकित करते हैं।
- **दीर्घकालिक अनुमान:**
  - अनुमान है कि कम उत्सर्जन परिदृश्य में भी तटीय बाढ़ का खतरा लगभग दोगुना हो जाएगा, जो 2100 तक 99% तक बढ़ जाएगा।
  - यह नाटकीय वृद्धि मुख्य रूप से समुद्र के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि के कारण है, जो समुद्री जल के तापीय विस्तार का कारण बनती है तथा समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि होती है।
- **निहितार्थ:** तटीय बाढ़ के खतरे में इस महत्त्वपूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप तटीय बाढ़ के घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि और गंभीरता में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे बुनियादी ढाँचे, पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर प्रभाव पड़ेगा।
- **असुरक्षित क्षेत्र:**
  - उप-सहारा अफ्रीका, एशिया के कुछ भागों और दक्षिण अमेरिका में नदी से उत्पन्न बाढ़ के खतरे में वृद्धि का अनुमान है।
  - वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन, संभावित वन अपरोपण और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण यह जोखिम और भी बढ़ जाएगा।
  - **प्रभाव:** नदी से उत्पन्न बाढ़ में वृद्धि से कृषि भूमि, बुनियादी ढाँचे और समुदायों को भारी क्षति हो सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **वर्षा-प्रेरित बाढ़:**
  - **उत्सर्जन का प्रभाव:**
    - वर्ष 2100 तक कम उत्सर्जन परिदृश्य में वर्षा जनित बाढ़ में 6% की वृद्धि होने की तथा उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में 44% की वृद्धि होने की संभावना है।
    - यह वृद्धि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वर्षा की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति को दर्शाती है।
  - **परिणाम:**
    - अधिक तीव्र वर्षा से जल का प्रवाह तीव्र हो सकता है, जल निकासी प्रणालियाँ अव्यवस्थित हो सकती हैं तथा अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ सकती है।
    - इसका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं हैं।
- **भावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन:**
  - अनुमान व्यापक और क्षेत्र-विशिष्ट बाढ़ जोखिम प्रबंधन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
  - चूँकि, जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित करना जारी रखता है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण आवश्यक होंगे।
  - प्रभावी बाढ़ प्रबंधन के लिए उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों, बेहतर बुनियादी ढाँचे और बढ़ते जोखिमों को कम करने तथा संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा के लिए अनुकूली रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता होगी।

वैश्विक बाढ़ के कारण:

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - **समुद्र स्तर में वृद्धि:**
    - पिघलते हिमनद और बढ़ते समुद्री तापमान समुद्र के स्तर में वृद्धि हेतु योगदान देते हैं।
    - समुद्र के स्तर में यह वृद्धि तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है, जिससे बार-बार और अधिक भयंकर बाढ़ आ सकती है।

- **अधिक तापमान और अधिक वर्षा:**
  - उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक तीव्र और निरंतर वर्षा हो सकती है।
  - इससे जल निकासी प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती हैं और विशेष रूप से निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है।

- **वन अपरोपन:**
  - **पेड़ों की भूमिका:**
    - वृक्ष और वनस्पतियाँ वर्षा जल को अवशोषित करने और मृदा को स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - जब वन समाप्त हो जाता है, तो जल का अवशोषण कम होता है तथा भारी वर्षा के दौरान अपवाह अधिक होता है।
  - **प्रभाव:**
    - अपवाह में वृद्धि के कारण नदियों और झरनों में जल की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।
    - वनस्पति की कमी से मृदा स्थिरता भी कम हो जाती है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ जाता है।

- **भारी वर्षा:**
  - **अतिरिक्त जल:**
    - भारी वर्षा से प्राकृतिक और मानव निर्मित जल-स्रोत, जैसे; नदियाँ, नाले और जल निकासी प्रणालियाँ जलमग्न हो सकती हैं।
    - जब ये प्रणालियाँ अतिरिक्त जल का प्रबंधन नहीं कर पातीं, तो बाढ़ आ जाती है।
  - **परिणाम:** भारी वर्षा से बाढ़ आने से संपत्ति को नुकसान हो सकता है, परिवहन बाधित हो सकता है तथा महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षति हो सकती है।

- **बाँध की विफलता:**
  - **बाँधों के जोखिम:**
    - बाँधों को जल प्रवाह को प्रबंधित करने और बाढ़ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
    - हालाँकि, भारी वर्षा के दौरान या संरचनात्मक समस्याओं के कारण बाँध टूट सकते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में जल निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो सकता है और भयंकर बाढ़ आ सकती है।
  - **प्रभाव:** बाँध के टूटने से विनाशकारी बाढ़ आ सकती है, घर और बुनियादी ढाँचे नष्ट हो सकते हैं तथा संभावित रूप से जानमाल की हानि हो सकती है।

- **हिम का पिघलना:**
  - **पिघलता हिम:**
    - पर्वतीय क्षेत्रों में पिघला हिम बाढ़ का कारण बन सकती है, विशेष रूप से वसंत ऋतु में जब तापमान बढ़ जाता है और हिम तीव्र गति से पिघलने लगता है।
    - पिघले हुए हिम से प्रवाहित होने वाला जल नदी के प्रवाह को बढ़ा सकता है तथा निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन सकता है।
  - **समय:** तीव्र गति से हिम के पिघलने से अचानक और तीव्र बाढ़ आ सकती है, विशेषकर यदि यह भारी वर्षा के साथ हो।

- **मौसमी बदलाव:**
  - **अप्रत्याशित पैटर्न:** ऋत्विक मौसम पैटर्न में परिवर्तन, जैसे कि मानसून में विलंब या अप्रत्याशित वर्षा की घटनाएँ, सामान्य जल प्रवाह और जल निकासी प्रणालियों को बाधित कर सकती हैं।
  - **प्रभाव:** वर्षा में अप्रत्याशित परिवर्तन से बाढ़ आ सकती है, क्योंकि जो प्रणालियाँ अचानक परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर दबाव पड़ सकता है।

वैश्विक बाढ़ के प्रभाव:

- **विस्थापन:**
  - **सामुदायिक विस्थापन:**
    - भयंकर बाढ़ के कारण समुदायों को अपने घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - परिवारों को अपना घर खोना पड़ सकता है, जिससे उन्हें अस्थायी आश्रय की खोज करनी पड़ सकती है या स्थायी रूप से स्थानांतरित होना पड़ सकता है।
    - घरों और संपत्तियों के नष्ट होने से व्यक्ति और परिवार बेघर हो जाते हैं, जिससे गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो जाता है। पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति में लंबा समय लग सकता है और यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- **स्वास्थ्य:**
  - **स्वास्थ्य जोखिम:**
    - बाढ़ के कारण पेयजल स्रोतों के दूषित होने के कारण हैजा, पेचिश और हेपेटाइटिस जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
    - स्थिर जल में मच्छर भी पनप सकते हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी वेक्टर जनित बीमारियाँ फैल सकती हैं।
  - **आकस्मिक अभिघात और मृत्यु:**
    - बाढ़ के कारण डूबने, मलबे और संरचनाओं के ढहने से आकस्मिक अभिघात और मृत्यु हो सकती है।
    - अराजकता और विनाश के कारण समय पर चिकित्सा प्रतिक्रिया और आपातकालीन देखभाल में बाधा आ सकती है।
  - **विस्थापित आबादी के लिए चुनौतियाँ:**
    - विस्थापित व्यक्तियों को प्राय: चिकित्सा देखभाल और स्वच्छ जल तक पहुँच के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ और भी गंभीर हो जाती हैं।
    - अस्थायी आश्रयों में उचित स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य संकट का खतरा बढ़ जाता है।

- **आर्थिक क्षति:**
  - **संपत्ति एवं बुनियादी ढाँचे को क्षति:**
    - बाढ़ से घरों, व्यवसायों और सड़कों एवं पुलों जैसी बुनियादी संरचना को व्यापक क्षति हो सकती है।
    - मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत काफी अधिक हो सकती है और इससे व्यक्तियों और सरकारों दोनों पर बोझ पड़ सकता है।
  - **कृषि प्रभाव:**
    - बाढ़ से फसलें, पशुधन और कृषि भूमि नष्ट हो सकती है, जिससे खाद्यान्न की कमी हो सकती है और किसानों की आय में कमी आ सकती है।

- कृषि गतिविधियों में व्यवधान से स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

◆ **आर्थिक व्यवधान:**
- समग्र आर्थिक व्यवधान में व्यापार की हानि, उत्पादकता में कमी तथा आर्थिक गतिविधियों में रुकावट शामिल है।
- पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के प्रयासों से वित्तीय संसाधनों और आर्थिक स्थिरता पर दबाव पड़ सकता है।

• **पर्यावरणीय क्षति:**

◆ **पर्यावरणीय क्षति:** बाढ़ से मृदा अपरदन, प्राकृतिक आवासों का विनाश तथा पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास हो सकता है। वनस्पति और वन्य जीवन की हानि से जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

◆ **प्रदूषण:** बाढ़ का जल औद्योगिक स्थलों, सीवेज प्रणालियों और कृषि अपवाह से प्रदूषकों को जलमार्गों में ले जा सकता है। यह प्रदूषण जल की गुणवत्ता को खराब करता है और जलीय जीवन को क्षति पहुँचाता है।

शमन और अनुकूलन रणनीतियाँ:

• **बुनियादी ढाँचे में सुधार:**

◆ **बाढ़ सुरक्षा:**
- तटबंध, बाँध और समुद्री दीवारों जैसे बाढ़ सुरक्षा उपायों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण, संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ के जल को प्रवेश से रोकने में मदद करता है।
- उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रखरखाव और उन्नयन आवश्यक है।

◆ **तूफानजनित जल का प्रबंधन:**
- वर्षा जल के प्रबंधन के लिए प्रणालियों का विकास, जैसे; प्रतिधारण बेसिन, अवरोध तालाब तथा बेहतर जल निकासी नेटवर्क, सतही अपवाह को कम कर सकते हैं तथा बाढ़ को कम कर सकते हैं।
- ये प्रणालियाँ वर्षा जल को एकत्र करती हैं और धीरे-धीरे छोड़ती हैं, जिससे सीवर प्रणाली पर अत्यधिक दबाव नहीं पड़ता।

◆ **भवन विनियम:**
- बाढ़-रोधी डिजाइन और सामग्रियों की आवश्यकता वाले भवन संहिता को लागू करने से क्षति को कम किया जा सकता है।
- इसमें बाढ़ के मैदान से भवनों को ऊपर उठाना, बाढ़ प्रतिरोधी सामग्रियों का उपयोग करना तथा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के लिए संरचनाओं का डिजाइन तैयार करना शामिल है।

• **शहरी नियोजन और भूमि उपयोग:**

◆ **क्षेत्रीय कानून:**
- प्रभावी क्षेत्रीय विनियमन बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण को सीमित कर सकते हैं तथा भूमि उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बाढ़ का जोखिम कम हो सकता है।
- इसमें जलमार्गों के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाना और अभेद्य सतहों को न्यूनतम करने के लिए विकास को विनियमित करना शामिल है।

◆ **हरित स्थल:**
- पार्क, उद्यान और हरित छतों जैसे हरित स्थलों को बढ़ाने से प्राकृतिक जल अवशोषण में वृद्धि हो सकती है और अपवाह में कमी आ सकती है।
- ये क्षेत्र वर्षा जल प्रबंधन और शहरी लचीलेपन में सुधार करने में मदद करते हैं।

◆ **नदी बेसिन प्रबंधन:**
- एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने से भूमि का टिकाऊ उपयोग और जल संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- इसमें प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों को बनाए रखना, कटाव को रोकने के लिए भूमि का प्रबंधन करना और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना शामिल है।

• **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:**

◆ **बाढ़ पूर्वानुमान:**
- उन्नत मौसम विज्ञान और जल विज्ञान प्रणालियों में निवेश से बाढ़ पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार हो सकता है।
- तकनीकों में संभावित बाढ़ की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम के पैटर्न, नदी के स्तर और वर्षा के आँकड़ों की निगरानी शामिल है।

◆ **चेतावनी प्रणालियाँ:**
- विश्वसनीय बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित करने से समुदायों को समय पर चेतावनी प्रदान करने से शीघ्र निकासी में मदद मिलती है और मरने वालों की संख्या कम करने में मदद मिलती है।
- इन प्रणालियों में सायरन, मोबाइल चेतावनी और सामुदायिक अधि सूचना नेटवर्क शामिल हो सकते हैं।

• **सामुदायिक तैयारी:** व्यापक बाढ़ आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ विकसित करना, जो निकासी मार्गों, आपातकालीन आश्रयों और संचार रणनीतियों को रेखांकित करती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि समुदाय बाढ़ की घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं।

• **पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली:**

◆ **आर्द्रभूमि संरक्षण:** आर्द्रभूमियों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने से बाढ़ के जल को अवशोषित करने और संगृहीत करने की उनकी प्राकृतिक क्षमता बढ़ सकती है।

◆ **पुनर्वनरोपण:**
- जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वनों को बहाल करने से मृदा क्षरण को कम करने, जल प्रतिधारण में सुधार करने और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- स्वस्थ वन मृदा को स्थिर कर और जल प्रवाह को नियंत्रित करके प्राकृतिक बाढ़ प्रबंधन में योगदान देते हैं।

• **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:**

◆ **प्रतिरोधी डिजाइन:**
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बुनियादी ढाँचे को अनुकूलित करने में ऐसी प्रणालियों और इमारतों का डिजाइन शामिल है, जो अधिक चरम मौसम स्थितियों का सामना कर सकें।
- इसमें योजना और निर्माण में बढ़ती वर्षा और समुद्र स्तर में वृद्धि के भविष्य के परिदृश्यों पर विचार करना शामिल है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024

हाल ही में, गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **उद्देश्य:** आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है, जिससे पूरे भारत में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए रूपरेखा को बढ़ाया जा सके।
- **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए "शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" की स्थापना का प्रस्ताव है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना है।
- NDMA **और** SDMAs **का सशक्तीकरण:** विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) को क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है। यह परिवर्तन आपदा नियोजन में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों की पिछली भूमिका की जगह लेता है।
- **आपदा डेटाबेस का निर्माण:** राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। इस डेटाबेस में आपदा आकलन, निधि आवंटन विवरण, व्यय, तैयारी और शमन योजनाएँ, तथा जोखिमों के प्रकार और गंभीरता के आधार पर एक जोखिम रजिस्टर शामिल होगा। NDMA समय-समय पर आपदा जोखिमों का आकलन करेगा, जिसमें चरम जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिम भी शामिल हैं।
- **आवधिक जोखिम मूल्यांकन:** NDMA देश भर में आपदा जोखिमों के पूरे स्पेक्ट्रम का नियमित मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उच्च जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले नए जोखिम भी शामिल हैं।
- **अधिनियम-पूर्व संगठनों के लिए वैधानिक मान्यता:** यह विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति जैसी मौजूदा संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है तथा आपदा प्रबंधन ढाँचे के अंदर उनकी भूमिका को औपचारिक बनाता है।
- **राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल:** विधेयक में आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा "राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल" के गठन का प्रावधान किया गया है।
- **गैर-अनुपालन के लिए दंड:** एक नई धारा 60A प्रस्तुत की गई है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए व्यक्तियों को आवश्यक कार्रवाई करने या उनसे परहेज करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, जो ₹10,000 से अधिक नहीं हो सकता।

विधेयक से संबंधित मुद्दे

- **संवैधानिक अस्पष्टता:** यह विधेयक समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से संबंधित है तथा इससे चिंता उत्पन्न होती है, क्योंकि सातवीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
- **अतिव्यापी क्षेत्राधिकार:** अतिरिक्त प्राधिकरण बनाने से उत्तरदायित्वों में अतिव्यापन हो सकता है, जिससे परिचालन संबंधी अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा राज्य और केंद्रीय निकायों के बीच टकराव हो सकता है।
- **सत्ता का केंद्रीकरण:** यह विधेयक केंद्र सरकार को महत्त्वपूर्ण नियम निर्माण शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे राज्य की स्वायत्तता को क्षति पहुँचने की संभावना है तथा पारंपरिक रूप से राज्यों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों पर अतिक्रमण होगा।
- **नौकरशाही की जटिलता:** नए प्राधिकारियों के आने से नौकरशाही स्तर बढ़ सकता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और समय पर आपदा प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - **उदाहरण:** वायनाड त्रासदी ने केरल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच पूर्व चेतावनियों के संबंध में टकराव को प्रकट किया तथा अधिकारियों की बहुलता से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को दर्शाया।
- **संघवाद संबंधी चिंताएँ:** यह विधेयक आपदा प्रबंधन पर राज्य के नियंत्रण को कम करके केंद्र-राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है तथा संघवाद के सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है।

अतिरिक्त जानकारी

- **आपदा:** आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से या दुर्घटना या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन या मानव पीड़ा की पर्याप्त हानि होती है या संपत्ति की क्षति या विनाश होता है या पर्यावरण को क्षति या अवनति होती है और यह ऐसी प्रकृति या परिमाण की होती है कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे होती है।
- **आपदा प्रबंधन:** आपदा प्रबंधन का अर्थ है नियोजन, संगठन, समन्वय और उपायों के कार्यान्वयन की एक सतत और एकीकृत प्रक्रिया जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक या समीचीन है;
  - किसी भी आपदा के जोखिम या खतरे की रोकथाम;
  - किसी भी आपदा या उसकी गंभीरता या परिणामों के जोखिम का शमन करना या कम करना;
  - क्षमता निर्माण;
  - किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी;
  - किसी भी संभावित आपदा की स्थिति या आपदा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया;
  - किसी भी आपदा के प्रभावों की गंभीरता या परिमाण का आकलन करना।

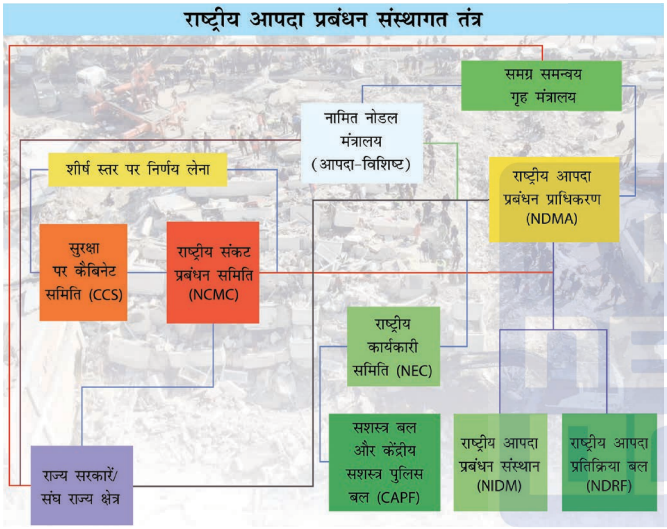

आगे की राह:

- **संवैधानिक स्पष्टता:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्पष्ट संवैधानिक अधिदेश के लिए "आपदाओं और आपात स्थितियों के प्रबंधन" को समवर्ती सूची में जोड़ने की सिफारिश की थी। इससे संभावित विधिक चुनौतियों से भी बचा जा सकेगा।
- **अधिकारियों को सुव्यवस्थित करना:** विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके आपदा प्रबंधन ढाँचे को सरल बनाएँ, ताकि ओवरलैप और संघर्ष को रोका जा सके तथा कुशल और समन्वित आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- **संतुलित वित्तीय वितरण:** केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना, जिससे राज्यों को स्थानीय आपदाओं के प्रबंधन में स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति मिले, जबकि केंद्र सहायता और समन्वय प्रदान करे।
- **स्थानीय क्षमता में वृद्धि:** स्थानीय स्तर पर आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचा प्रदान करके शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों की क्षमताओं को मजबूत करना।
- **जन जागरूकता और तैयारी:** समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जन जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना तथा आपदा प्रबंधन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करना।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का एकीकरण:** आपदा प्रबंधन योजनाओं में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों को शामिल करना, उच्च जलवायु घटनाओं के कारण उभरते जोखिमों के विरुद्ध लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **आवधिक समीक्षा और अद्यतन:** आपदा प्रबंधन नीतियों की नियमित समीक्षा और अद्यतनीकरण के लिए एक तंत्र स्थापित करना, जिसमें पिछली आपदाओं से सीखे गए सबक को शामिल किया जाए तथा नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलना शामिल हो।
- **सहयोग और सर्वोत्तम अभ्यास:** आपदा प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं, संसाधनों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

- यह एक राष्ट्रीय कानून है, जो केंद्र सरकार को पूरे देश या उसके किसी हिस्से को आपदा से प्रभावित घोषित करने और आपदा के "जोखिम, असर और प्रभावों" को कम करने के लिए न्यूनीकरण की योजना बनाने का अधिकार देता है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर चार महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ रखी गई हैं;**
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** (NDMA): इसका कार्य आपदा प्रबंधन नीतियाँ बनाना तथा समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना है।
  - **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति** (NEC): इसमें भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें NDMA की सहायता हेतु नियुक्त किया गया है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** (NIDM): यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों हेतु एक संस्थान है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल** (NDRF): यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है, जिन्हें आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया हेतु बुलाया जाता है।

निष्कर्ष:

- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत के आपदा प्रबंधन ढाँचे को आधुनिक बनाने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है।
- अधिकारियों को सशक्त बनाकर, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और नई संरचनाओं को प्रस्तुत करके, विधेयक का उद्देश्य पूरे देश में आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलेपन में सुधार करना है।

INS अरिघात

INS अरिघात को हाल ही में भारतीय नौसेना में सक्रिय सेवा में शामिल किया गया। INS अरिघात भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है।

परिचय:

- यह भारत की उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का एक बेड़ा विकसित करना है।
- INS अरिघात भारत की सामरिक नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि है, विशेष रूप से देश के परमाणु त्रिकोण के समुद्र-आधारित हिस्से को मजबूत करने में।
- INS अरिघात एक विश्वसनीय और टिकाऊ द्वितीय-हमला क्षमता सुनिश्चित करके भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। यह अपने सहयोगी जहाज INS अरिहंत का पूरक है और क्षेत्र में अपनी सामरिक सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने के लिए ऐसी पनडुब्बियों का बेड़ा विकसित करने के भारत के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

INS अरीघाट का अवलोकन

- **प्रकार:** परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN)
- **वर्ग:** अरिहंत-क्लास
- **निर्माता:** उन्नत प्रौद्योगिकी पोत (ATV) परियोजना के अंतर्गत जहाज निर्माण केंद्र, विशाखापत्तनम।
- **विस्थापन:** लगभग 6,000 टन
- **लंबाई:** लगभग 112 मीटर
- **परमाणु रिएक्टर:** भारत में विकसित दाबयुक्त जल रिएक्टर (PWR) द्वारा संचालित।
- **स्टील्थ विशेषताएँ:** दुश्मन द्वारा पता लगाने से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया।
- **परिचालन भूमिका:** भारत के परमाणु त्रिकोण का हिस्सा, परमाणु हमले की स्थिति में द्वितीय-आक्रमण क्षमता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **परमाणु प्रणोदन:** अपने पूर्ववर्ती INS अरिहंत की तरह, INS अरिघात भी एक परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है, जो इसे लंबे समय तक जल के अंदर रहने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे इसे गुप्त रहने और स्थायित्व के मामले में महत्त्वपूर्ण रणनीतिक लाभ मिलता है।
- **बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता:** INS अरिघात परमाणु-युक्त बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। यह लगभग 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 सागरिका मिसाइलों और संभावित रूप से K-4 मिसाइलों का मिश्रण तैनात कर सकता है, जिनकी रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर है। ये मिसाइलें भारत को संभावित विरोधियों की रणनीतिक संपत्तियों की एक विस्तृतशृंखला को लक्षित करने में सक्षम बनाती हैं।
- **उन्नत डिजाइन:** INS अरिहंत की तुलना में INS अरिघात के डिजाइन और क्षमताओं में सुधार किया गया है, जिसमें बेहतर सेंसर, शांत प्रणोदन प्रणाली और बढ़ी हुई परिचालन सीमा शामिल है।

SSBN

- SSBN (शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक, न्यूक्लियर) एक प्रकार की पनडुब्बी है, जिसे विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने और प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- SSBN किसी देश के परमाणु त्रिकोण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो परमाणु हमले की स्थिति में दूसरा हमला करने की क्षमता प्रदान करता है। उन्हें एक विश्वसनीय और टिकाऊ परमाणु निवारक बनाए रखने में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। SSBN का रणनीतिक महत्त्व लंबे समय तक जल के नीचे गुप्त रहने की उनकी क्षमता में निहित है, जिससे उन्हें पता लगाना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है।

वर्तमान बेड़े की संक्षिप्त जानकारी:

- **कुल परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियाँ** (SSBN **और** SSN)**:**
  - **परिचालन:** 2 (INS अरिहंत, INS अरिघात)
  - **परिवर्तन/योजना में:** INS चक्र III, स्वदेशी SSN
- **कुल डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियाँ** (SSK)**:**
  - **सिंधुघोष वर्ग:** 7 इकाइयाँ
  - **शिशुमार वर्ग:** 4 इकाइयाँ
  - **कलवरी वर्ग:** 6 इकाइयाँ

महत्त्व:

- **सामरिक मजबूती:** INS अरिघात की परिचालन तैनाती भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करने के प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें भूमि-आधारित मिसाइलें, हवा से छोड़े जाने वाले परमाणु हथियार और परमाणु पनडुब्बियों जैसे समुद्र-आधारित प्लेटफॉर्म शामिल हैं। पनडुब्बी एक उत्तरजीवी द्वितीय-हमला करने की क्षमता को संलग्न करती है, जो विश्वसनीय निरोध के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **समुद्र में निरंतर प्रतिरोध:** INS अरिघात के शामिल होने से भारतीय नौसेना को समुद्र में निरंतर प्रतिरोध की स्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका तात्पर्य है कि कम से कम एक SSBN हमेशा गश्त पर रहेगा, जो किसी भी परमाणु खतरे का जवाब देने के लिए तैयार होगा, जिससे संभावित विरोधियों को पहले हमला करने के विकल्प पर विचार करने से रोका जा सके।
- **सामरिक स्वायत्तता:** INS अरिघात रक्षा प्रौद्योगिकियों में सामरिक स्वायत्तता की भारत की खोज में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित, यह पनडुब्बी उन्नत नौसैनिक युद्ध और परमाणु निरोध में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रमाण है।
- **भू-राजनीतिक प्रभाव:** INS अरिघात की तैनाती से हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे की सुरक्षा गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने की भारत की क्षमता बढ़ेगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** पड़ोसी देशों के साथ तनाव सहित क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, INS अरिघात को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

भारत में e-मोबिलिटी

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा "भारत के लिए e-मोबिलिटी R-D रोडमैप" रिपोर्ट लॉन्च की गई।

परिचय:

- इलेक्ट्रोमोबिलिटी में इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ ई-बाइक या पेडेलेक, इलेक्ट्रिक मोटरबाइक, ई-बस और ई-ट्रक का उपयोग किया जाता है। इन सभी की सामान्य विशेषता यह है कि वे पूरी तरह या आंशिक रूप से विद्युत से संचालित होते हैं, उनमें बोर्ड पर ऊर्जा संगृहीत करने का साधन होता है और वे अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पावर ग्रिड से प्राप्त करते हैं।
- अनुसंधान एवं विकास रोडमैप वैश्विक ऑटोमोटिव क्षेत्र के विस्तृत क्षितिज का अवलोकन करने तथा भविष्य की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद तैयार किया गया है।
- **यह अनुसंधान परियोजनाओं को चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है:** ऊर्जा भंडारण सेल, EV एग्रीगेट्स, सामग्री और पुनर्चक्रण, चार्जिंग और ईंधन भरना और अगले पाँच वर्षों में आत्मनिर्भर बनकर वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का पद

परिचय

- **स्थापना:** नवंबर 1999 में।
- **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामलों में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यावहारिक और वस्तुनिष्ठ सलाह प्रदान करना।
- अगस्त, 2018 में कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत रखा गया।
- प्रोफेसर अजय कुमार सूद वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC):

- **स्थापना:** अगस्त 2018
- **उद्देश्य एवं लक्ष्य:**
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मामलों की स्थिति का आकलन करना
  - चुनौतियों को समझना
  - हस्तक्षेप करना
  - भविष्य का रोडमैप विकसित करना
  - प्रधानमंत्री को सलाह देना
- **महत्त्वपूर्ण कार्य:**
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों, एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन की देखरेख करना
  - बहु-हितधारक नीति पहलों को तैयार करना, अभिसरण करना, सहयोग करना, समन्वय करना और कार्यान्वित करना
  - सहयोगात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वयन
  - भविष्य की तैयारी को सक्षम बनाना
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों का निर्माण एवं समन्वय करना
  - तकनीकी-उद्यमिता के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना
  - नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना
  - नवाचार क्लस्टर विकसित करना
  - प्रभावी सार्वजनिक-निजी संबंधों को बढ़ावा देना
- **स्वीकृत मिशन:**
  - गहरे समुद्र में अन्वेषण मिशन
  - AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मिशन
  - राष्ट्रीय क्वांटम मिशन
  - अपशिष्ट से वेल्थ मिशन
  - राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन
  - इलेक्ट्रिक वाहन मिशन
  - अग्नि मिशन
  - प्राकृतिक भाषा अनुवाद मिशन
  - राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन
  - मानव स्वास्थ्य के लिए जैव-विज्ञान मिशन
  - **मिशन:** सतत आजीविका प्रणाली के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T).

भारत का लक्ष्य:

- भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना है, ताकि 2070 तक शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धता प्राप्त की जा सके।
- इस दृष्टिकोण के एक महत्त्वपूर्ण भाग के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाना, स्वदेशी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का विनिर्माण तथा चार्जिंग अवसंरचनाओं को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना आवश्यक होगा।
- **लक्ष्य:**
  - 1 मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को समर्थन प्रदान करना।
  - 500,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को समर्थन।
  - 55,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को समर्थन।
  - 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को समर्थन।
  - देश भर में चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना।
    - **2025 तक:** प्रमुख शहरों में 3 किमी. x 3 किमी. के ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
    - **राजमार्ग:** राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर प्रत्येक 25 किमी. पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना।

e-मोबिलिटी में अनुसंधान एवं विकास तथा निवेश की आवश्यकता:

- **बैटरी प्रौद्योगिकी:**
  - **उन्नत बैटरी सामग्री:** ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा और जीवनकाल में सुधार के लिए ठोस अवस्था वाली बैटरी जैसी नई सामग्रियों पर अनुसंधान।
  - **बैटरी प्रबंधन प्रणाली** (BMS): बेहतर दक्षता, सुरक्षा और तापीय प्रबंधन के लिए परिष्कृत BMS का विकास।

- **चार्जिंग अवसंरचना:**
  - **फास्ट चार्जिंग समाधान:** चार्जिंग समय को कम करने और उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए तीव्र और अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग प्रौद्योगिकियों का विकास।
  - **वायरलेस चार्जिंग:** स्थिर और गतिशील चार्जिंग दोनों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान।
- **मानकीकरण:** इलेक्ट्रिक वाहनों के विभिन्न मॉडलों और निर्माणों के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए चार्जिंग के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल और इंटरफेस बनाना।
- **इलेक्ट्रिक पावरट्रेन:**
  - **दक्षता में सुधार:** विद्युत मोटरों और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स की दक्षता और प्रदर्शन में वृद्धि करना।
  - **हल्की सामग्री:** वाहन की दक्षता और दूरी में सुधार के लिए उन्नत हल्की सामग्री का उपयोग।
  - **एकीकृत प्रणालियाँ:** एकीकृत पावरट्रेन प्रणालियों का विकास जो मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन को एक एकल, जटिल इकाई में संयोजित करती हैं।
  - सामग्री विकास, अनुसंधान और नए भंडारण रसायन विज्ञान के साथ-साथ EV पावरट्रेन घटकों का उत्पादनीकरण।
    - इनमें भी विफलता का जोखिम अधिक होता है, लेकिन सफल होने पर लाभ भी बहुत अधिक होता है।
- **विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला:**
  - **स्थानीय विनिर्माण:** बैटरी, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित EV घटकों के लिए स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं में निवेश, ताकि लागत और आयात पर निर्भरता कम हो सके।
  - **आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन:** कच्चे माल और घटकों के लिए कुशल और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकास।
  - ग्राफीन जैसे कुछ अत्यधिक आशाजनक पदार्थों के निर्माण के पीछे का मौलिक विज्ञान।
    - इनमें महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है तथा विफलता का जोखिम भी अधिक होता है, लेकिन सफलता के लाभ असीमित हैं।
  - e-मोबिलिटी में सामग्री के बिल में स्तर 3 और स्तर 4 की वस्तुओं की उत्पादन इंजीनियरिंग-जैसे कि वाइड बैंड गैप डिवाइस, फ्यूल सेल मेम्ब्रेन, सेल विभाजक, आदि।
    - यहाँ, हालाँकि विफलता का जोखिम न्यूनतम है, लेकिन आवश्यक निवेश और तकनीकी प्रबंधन बहुत अधिक है।
    - उपरोक्त दोनों के विपरीत, इस गतिविधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान, चीन, अमेरिका और कुछ हद तक यूरोप में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

e-मोबिलिटी में महत्त्वपूर्ण स्रोत:

चार स्रोत हैं:

- ऊर्जा भंडारण सेल- सेल और उनके निर्माण के पीछे रसायन विज्ञान और भौतिकी में नए क्षेत्रों को संबोधित करना।
- EV एग्रीगेट्स- सेल्स के अलावा e-मोबिलिटी के लिए विशिष्ट सभी वस्तुओं की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में गतिविधियों को कैप्चर करना।
- सामग्री एवं पुनर्चक्रण - सामग्री विज्ञान और विभिन्न उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना, जो सामग्री अनुसंधान को और आगे बढ़ा सकते हैं।
- चार्जिंग और ईंधन भरना- उन अवसरों को गिनाना, जो चार्जिंग/ईंधन भरने में बेहतर गति और सुरक्षा में मदद करेंगे।

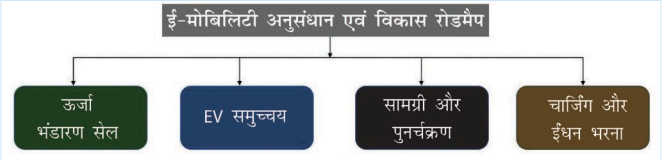

ई-मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास रोडमैप की चार महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति:**
  - **उद्देश्य:** क्षेत्र में सुचारू विकास को सुविधाजनक बनाना और 2030 तक निजी कारों में 30%, वाणिज्यिक कारों में 70%, बसों में 40% और दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों में 80% तक EV बिक्री का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करना।
- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना** (NEMMP) **2020:**
  - **उद्देश्य:** राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना, किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराना तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।
  - **लक्ष्य:** 2020 तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती।
- **फेम योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण):**
  - **FAME I (2015-2019):** माँग सृजन, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, पायलट परियोजनाओं और चार्जिंग अवसंरचना पर केंद्रित। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और पायलट परियोजनाओं का समर्थन करना था।
  - **FAME II (2019-2024):**
    - **बजट:** 10,000 करोड़ रुपये
    - **प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहनों और बसों के लिए सब्सिडी।
    - **बुनियादी ढाँचा:** देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने सहित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए समर्थन।
    - **फोकस:** सार्वजनिक परिवहन और साझा गतिशीलता के विद्युतीकरण पर बल।
- GST **में कमी:** भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए EV अधिक किफायती हो गए हैं।
- **चार्जिंग अवसंरचना:** सरकार सीमा/रेंज की चिंता को दूर करने और EV अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करने पर कार्य कर रही है।
- **बैटरी स्वैपिंग नीति:** बैटरी चार्जिंग अवसंरचना और रेंज सीमाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को लागू करने की संभावना खोज रही है, जहाँ इलेक्ट्रिक वाहन मालिक जल्दी से समाप्त हो चुकी बैटरियों को पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरियों से बदल सकेंगे।

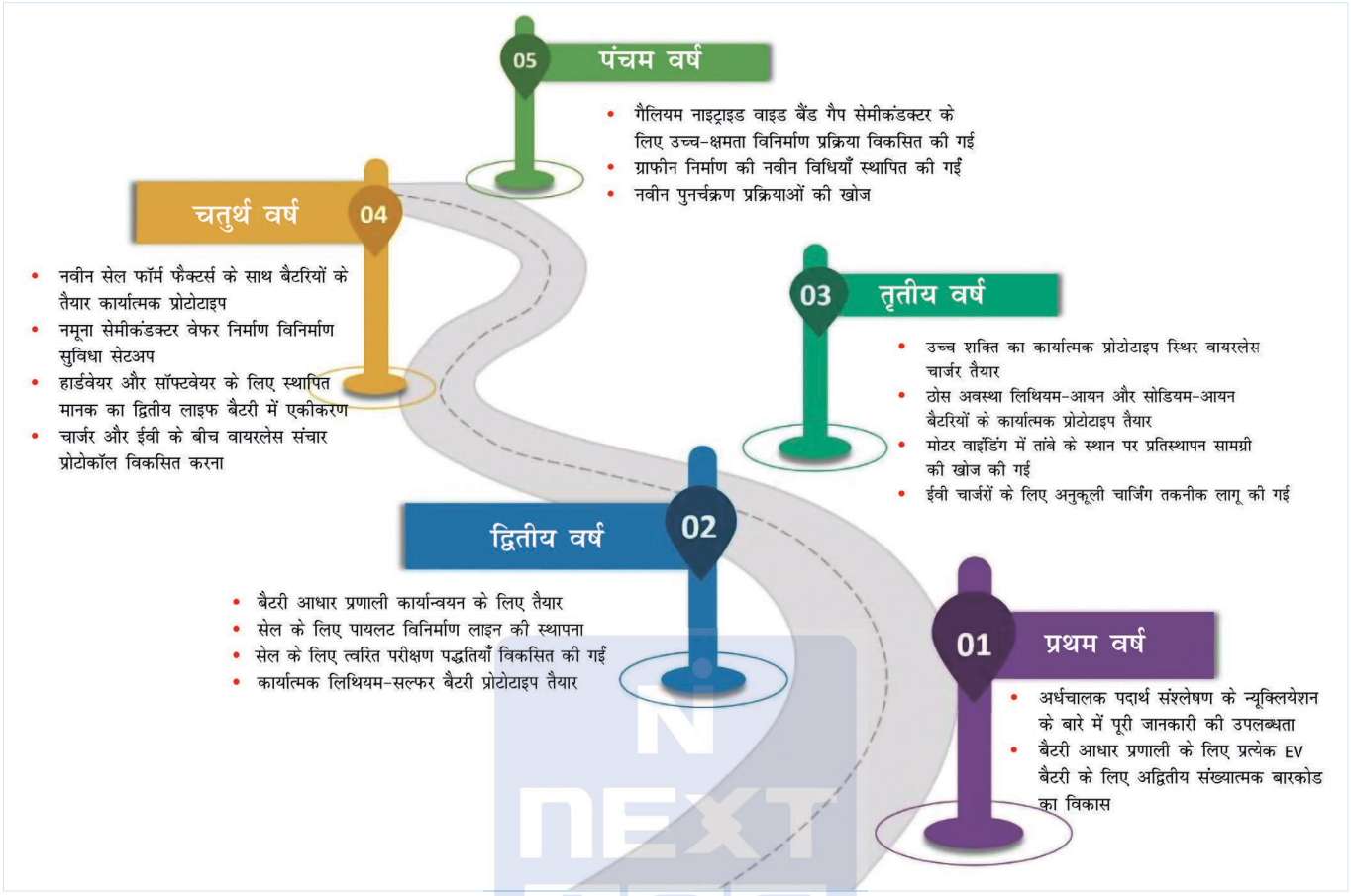

- **उन्नत रसायन सेल** (ACC) **बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए** PLI **योजना:** इसे भारत में ACC के निर्माण के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था।
- **नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:**
  - **सौर ऊर्जा चालित चार्जिंग स्टेशन:** EV चार्जिंग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा चालित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना।
  - **वाहन-से-ग्रिड** (V2G)**:** V2G प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देना, ताकि विद्युत वाहनों को ग्रिड में वापस विद्युत् की आपूर्ति करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे ग्रिड की स्थिरता और दक्षता में वृद्धि हो सके।

आत्मार्पित करने की चुनौतियाँ:

- **उच्च प्रारंभिक लागत:**
  - **प्रारंभिक लागत:** महँगी बैटरी तकनीक के कारण आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों की तुलना में EV की प्रारंभिक लागत सामान्यत:अधिक होती है।
  - **सीमित सामर्थ्य:** उच्च खरीद मूल्य के कारण इलेक्ट्रिक वाहन कई उपभोक्ताओं के लिए कम किफायती हो जाते हैं, विशेष रूप से भारत जैसे मूल्य-संवेदनशील बाजारों में।
- **चार्जिंग अवसंरचना:**
  - **अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशन:** व्यापक और सुलभ चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की कमी EV को अपनाने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है।
  - **रेंज की चिंता:** इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमित रेंज और चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता के बारे में चिंताएँ उपभोक्ताओं में झिझक पैदा करती हैं।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी:**
  - **सीमित रेंज और प्रदर्शन:** वर्तमान बैटरी प्रौद्योगिकियाँ प्राय: ICE वाहनों की तुलना में सीमित रेंज और प्रदर्शन प्रदान करती हैं।
  - **लंबा चार्जिंग समय:** ICE वाहन को ईंधन भरने की तुलना में लंबा चार्जिंग समय उपयोगकर्त्ताओं के लिए असुविधाजनक हो सकता है।
  - **आयात पर निर्भरता:** आयातित बैटरी सेल और कच्चे माल पर भारी निर्भरता से लागत और आपूर्ति शृंखला की कमजोरियाँ बढ़ जाती हैं।
- **उपभोक्ता जागरूकता और स्वीकृति:**
  - **जागरूकता का अभाव:** कई उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों और क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं।
  - **धारणा संबंधी मुद्दे:** संभावित खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की विश्वसनीयता, प्रदर्शन और रखरखाव के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **आपूर्ति शृंखला और विनिर्माण:**
  - **सीमित घरेलू विनिर्माण:** बैटरी, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित EV घटकों के लिए एक मजबूत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की कमी, लागत में कमी और मापनीयता में बाधा डालती है।
  - **आपूर्ति शृंखला बाधाएँ:** वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान महत्त्वपूर्ण EV घटकों की उपलब्धता और लागत को प्रभावित कर सकता है।

- **सामाजिक-आर्थिक कारक:** भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आय स्तर, उपभोक्ता प्राथमिकताएँ और बुनियादी ढाँचे की असमानताएँ जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रभावित करते हैं।

ई-वाहनों के प्रकार

- **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन** (BEV):
  - **विवरण:** BEV पूर्णत: विद्युत चालित वाहन हैं, जो ऊर्जा के लिए पूरी तरह बैटरी पर निर्भर रहते हैं। इनमें आंतरिक दहन इंजन (ICE) नहीं होता है।
  - **चार्जिंग:** इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (EVSE) या चार्जिंग स्टेशनों में प्लग किया गया।
- **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन** (PHEV):
  - **विवरण:** PHEV में इलेक्ट्रिक मोटर और ICE दोनों होते हैं। इन्हें बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग इन किया जा सकता है और ये कम दूरी के लिए अकेले इलेक्ट्रिक पावर पर चल सकते हैं, जबकि ICE अतिरिक्त दूरी प्रदान करता है।
  - **चार्जिंग:** EVSE में प्लग किया जा सकता है, लेकिन बैटरी खत्म होने पर ICE का भी उपयोग किया जा सकता है।
- **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन** (HEV):
  - **विवरण:** HEVs में ICE को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ संयोजित किया जाता है। बैटरी को प्लग इन करने के बदले पुनर्योजी ब्रेकिंग और ICE द्वारा चार्ज किया जाता है। इन्हें बाहरी रूप से चार्ज नहीं किया जा सकता है।
  - **चार्जिंग:** पुनर्योजी ब्रेकिंग और ICE के माध्यम से बैटरी आंतरिक रूप से चार्ज होती है।
- **ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन** (FCEVs):
  - **विवरण:** FCEVs हाइड्रोजन को विद्युत् में परिवर्तित करने के लिए ईंधन सेल का उपयोग करते हैं, जो विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है। वे केवल जल वाष्प और गर्मी उत्सर्जित करते हैं।
  - **चार्जिंग:** विशेष हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों पर हाइड्रोजन से ईंधन भरा जाता है।
- **इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन:**
  - **विवरण:** इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल शामिल हैं, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं।
  - **चार्जिंग:** EVSE या मानक विद्युत आउटलेट में प्लग किया गया।
- **इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स:**
  - **विवरण:** इनमें इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा शामिल हैं, जो सामान्यत: छोटी दूरी के सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
  - **चार्जिंग:** EVSE या मानक विद्युत आउटलेट में प्लग किया गया।
- **इलेक्ट्रिक बसें:**
  - **विवरण:** पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाली बसें, सार्वजनिक परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं।
  - **चार्जिंग:** उच्च क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशनों में प्लग किया जाता है, जिनमें प्राय: तीव्र चार्जिंग क्षमता होती है।
- **इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन:**
  - **विवरण:** माल परिवहन और रसद के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रक, वैन और अन्य वाणिज्यिक वाहन।
  - **चार्जिंग:** उच्च क्षमता वाले EVSE या चार्जिंग स्टेशनों में प्लग किया गया।
- **इलेक्ट्रिक साइकिलें (ई-बाइक):**
  - **विवरण:** पैडल चलाने में सहायता के लिए इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित साइकिलें।
  - **चार्जिंग:** मानक विद्युत आउटलेट में प्लग किया गया।

आगे की राह:

- **चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करना:**
  - **नेटवर्क का विस्तार:** शहरी केंद्रों, राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करना।
  - **तीव्र चार्जिंग समाधान:** प्रतीक्षा समय को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधा में सुधार करने के लिए तीव्र चार्जिंग स्टेशनों में निवेश करना।
  - **मानकीकरण:** विभिन्न EV मॉडलों और निर्माताओं के बीच अंतर-संचालन और अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत चार्जिंग प्रोटोकॉल विकसित करना।
- **बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार:**
  - **उन्नत अनुसंधान:** ऊर्जा घनत्व, सुरक्षा और जीवनचक्र में सुधार के लिए अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकियों, जैसे ठोस-अवस्था बैटरी, में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना।
  - **स्थानीय विनिर्माण:** आयात पर निर्भरता कम करने और लागत कम करने के लिए बैटरियों और अन्य प्रमुख घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
  - **पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग:** पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कुशल बैटरी पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
- **नीति एवं विनियामक समर्थन:**
  - **प्रोत्साहन और सब्सिडी:** सब्सिडी, कर छूट और कम GST दरों सहित इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जारी रखना और बढ़ाना।
  - **विनियमन और मानक:** EV और चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के लिए सुरक्षा, प्रदर्शन और पर्यावरण मानकों को लागू करना।
  - **शहरी नियोजन:** नए विकासों में समर्पित पार्किंग और चार्जिंग सुविधाओं सहित शहरी नियोजन में EV बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करना।
- **सार्वजनिक परिवहन विद्युतीकरण का समर्थन:**
  - **इलेक्ट्रिक बसें और बेड़े** (Fleets): सार्वजनिक परिवहन और रसद के लिए इलेक्ट्रिक बसों और वाणिज्यिक बेड़ों को अपनाने को बढ़ावा देना।
  - **बेड़े संचालकों के लिए प्रोत्साहन:** बेड़े संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना।
  - **सार्वजनिक परिवहन के लिए बुनियादी ढाँचा:** कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
- **नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना:**
  - **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** अनुदान, इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों के माध्यम से EV क्षेत्र में नवीन समाधानों पर कार्य करने वाले स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को समर्थन प्रदान करना।
  - **सहयोग और साझेदारी:** नवाचार को बढ़ावा देने और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

BioE3 नीति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति नामक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

परिचय:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति नामक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
- BioE3 **नीति:**
  - राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने के लिए, BioE3 नीति विशेष तौर पर निम्नलिखित रणनीतिक/विषयगत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
    - उच्च मूल्य वाले जैव-आधारित रसायन, बायोपॉलिमर और एंजाइम;
    - स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ;
    - परिशुद्धता जैवचिकित्सा;
    - जलवायु अनुकूल कृषि;
    - कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग;
    - समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान।
  - नीति में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा उद्यमिता को नवाचार-संचालित समर्थन शामिल है।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था:

- भारत विश्व भर में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में अनुमानित 130 बिलियन डॉलर को पार कर गई है तथा 2030 तक इसके 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बायोफार्मास्युटिकल्स, जैव कृषि, बायो IT और जैव सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है।
  - **बायोफार्मास्युटिकल्स:** भारत विश्व में कम लागत वाली दवाओं और टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है। भारत बायोसिमिलर के मामले में भी अग्रणी है, घरेलू बाजार में सबसे अधिक संख्या में बायोसिमिलर को स्वीकृति दी गई है।
  - **जैव कृषि:** लगभग 55% भारतीय भू-भाग कृषि और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत है, भारत BT-कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि भूमि का 5वाँ सबसे बड़ा क्षेत्र है।
    - बायोएग्री, जिसमें बीटी कॉटन, कीटनाशक, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और पशु जैव प्रौद्योगिकी शामिल है, में 2025 तक अपने जैव अर्थव्यवस्था योगदान को लगभग दोगुना कर 10.5 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने की क्षमता है।
  - **जैव-औद्योगिक:** औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैव-प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग पूरे देश में विनिर्माण और अपशिष्ट निपटान में परिवर्तन ला रहा है।
  - **जैव आईटी एवं सेवाएँ:** भारत अनुबंध निर्माण, अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों में मजबूत क्षमता प्रदान करता है तथा अमेरिका के बाहर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक USFDA अनुमोदित संयंत्रों का स्थल है।

BioE3 नीति का महत्त्व

- **तकनीकी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाना:** BioE3 नीति का उद्देश्य विशेषीकृत जैव विनिर्माण और जैव-AI केंद्रों तथा जैव-फाउंड्रीज की स्थापना करके उन्नत जैव-प्रौद्योगिकीय समाधानों के विकास और व्यावसायीकरण में तेजी लाना है।
  - ये सुविधाएँ नवाचार को बढ़ावा देंगी और जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं की दक्षता में वृद्धि करेंगी, जिससे नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का सृजन हो सकेगा।
- **पुनर्योजी जैवअर्थव्यवस्था मॉडलों को बढ़ावा देना:** पुनर्योजी जैवअर्थव्यवस्था मॉडलों को प्राथमिकता देकर, नीति हरित विकास पहलों का समर्थन करती है और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करती है।
  - चक्राकार जैव-अर्थव्यवस्था पर यह ध्यान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
- **कुशल कार्यबल का विस्तार और रोजगार सृजन:** यह नीति विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करके भारत के कुशल कार्यबल का विस्तार करने के लिए तैयार की गई है।
  - इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के विकास के माध्यम से महत्त्वपूर्ण रोजगार सृजन करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और क्षेत्र में कौशल अंतराल को दूर करना है।
- **सरकारी पहलों का समर्थन:** BioE3 नीति मौजूदा सरकारी पहलों जैसे 'नेट जीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था और 'पर्यावरण के लिए जीवनशैली' कार्यक्रमों के साथ संरेखित और मजबूत करती है।
  - इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाकर, यह नीति सतत विकास प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयासों में योगदान देगी।
- **टिकाऊ और नवीन समाधानों को आगे बढ़ाना:** यह नीति वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने वाले जैव-प्रौद्योगिकीय समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करके अधिक टिकाऊ और नवीन भविष्य को बढ़ावा देगी।
  - इसमें जलवायु प्रतिरोध, कार्बन कैप्चर और सटीक चिकित्सा विज्ञान में प्रगति शामिल है, जो भारत को महत्त्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में अग्रणी के रूप में स्थापित करती है।
- **विकसित भारत के लिए जैव-दूरदर्शिता (बायो-विजन) तैयार करना:** यह नीति आर्थिक और पर्यावरणीय प्रगति के प्रमुख चालक के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर विकसित भारत के दूरदर्शिता में योगदान देगी।
  - यह भारत को अधिक उन्नत, लचीली और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी जैव-अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में सहायता करेगा।
- **BioE3 नीति की आवश्यकता:**
- **बहुविषयक चुनौतियों का समाधान:** जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, ऊर्जा और औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित कई विषयों में समाधान प्रदान करता है। BioE3 नीति बहुविषयक दृष्टिकोण का लाभ उठाकर

जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की इस क्षेत्र की क्षमता को पहचानती है।

- **भारत के कुशल कार्यबल का लाभ उठाना:** भारत की युवा आबादी और किफायती, उच्च गुणवत्ता वाले कुशल पेशेवरों की बढ़ती संख्या, उसे जैव प्रौद्योगिकी समाधानों की बढ़ती वैश्विक माँग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में रखती है।
  - नीति का उद्देश्य इस क्षमता का दोहन करना तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धी कार्यबल का निर्माण करना है।
- **वैश्विक विकास प्रवृत्तियों का लाभ उठाना:** वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग 7.4 % की दर से बढ़ रहा है, इसलिए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं की माँग काफी बढ़ गई है।
  - भारत की स्थापित IT अवसंरचना और बायो-IT में संभावित वृद्धि इस क्षेत्र के विस्तार और नवाचार को और आगे बढ़ा सकती है।
- **जैव ईंधन का सामरिक महत्त्व:** वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में जैव ईंधन का महत्त्व लगातार बढ़ता जा रहा है।
  - नीति का ध्यान जैव ईंधन के विकास पर है, जो रणनीतिक ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण का समर्थन करता है तथा ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।
- **दवाओं और उपकरणों की माँग को पूरा करना:** जनसंख्या में वृद्धि और बदलती जीवनशैली के कारण चिकित्सा दवाओं और उपकरणों की माँग में वृद्धि होने की उम्मीद है। नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देकर इस बढ़ती माँग का समर्थन करना है, जिससे उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सके और रोगियों के परिणामों में सुधार लाया जा सके।

जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक चुनौतियाँ:

- **शैक्षिक पाठ्यक्रम का गलत संरेखण:** वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रायः जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की माँगों के साथ संरेखित होने में विफल रहता है।
  - छात्रों को आवश्यक व्यावहारिक कौशल और उद्योग-प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **अपर्याप्त अनुसंधान सुविधाएँ:** अनुसंधान और विकास (R&D) क्षमताओं को बढ़ाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता है।
  - जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने और अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए उन्नत प्रयोगशालाएँ और बुनियादी ढाँचा आवश्यक है।
- **उद्यम पूँजी वित्तपोषण का अभाव:** जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को उद्यम पूँजी वित्तपोषण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सूचना विषमता है।
  - निवेशकों के पास जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में व्यापक ज्ञान का अभाव हो सकता है, जिसके कारण वे आशाजनक जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों में निवेश करने से परहेज करते हैं।
- **कम क्लिनिकल परीक्षण गतिविधि:** भारत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत में क्लिनिकल परीक्षण करता है।
  - नैदानिक अनुसंधान में यह सीमित भागीदारी देश की नई चिकित्सा उपचार और प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से विकसित करने और मान्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है।
- **अनुसंधान में सीमित निवेश:** तकनीकी उन्नति के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, इजराइल अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.2 % अनुसंधान में निवेश करता है, जो दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जो 4.3 % निवेश करता है।
  - इसके विपरीत, अनुसंधान में भारत का निवेश उसके सकल घरेलू उत्पाद के 1 % से भी कम है, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।
- **निजी क्षेत्र के वित्तपोषण की कमी:** भारत में, सरकार कुल अनुसंधान और विकास व्यय का 60 % से अधिक वहन करती है। यह इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बिल्कुल पृथक् है, जहाँ औसतन 70 % से अधिक अनुसंधान और विकास व्यय निजी क्षेत्र द्वारा वहन किया जाता है।
  - यह असमानता अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता को प्रकट करती है।

जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **बायोटेक पार्क और बायो-इनक्यूबेटर:**
  - वर्तमान में संपूर्ण भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समर्थित 9 जैव प्रौद्योगिकी पार्क और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRC) द्वारा समर्थित 60 जैव-इनक्यूबेटर हैं।
  - ये सुविधाएँ बायोटेक स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों के लिए महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और सहायता प्रदान करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन वर्तमान में 150 से अधिक संगठनों और 30 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से जुड़ी 101 परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है।
  - यह मिशन बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और नए जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास में तेजी लाने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25:** राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25 जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है।
  - यह ज्ञान साझाकरण और उद्योग विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कौशल विकास, संसाधन आवंटन और नवाचार को मजबूत करने पर बल देता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद** (BIRAC) **कार्यक्रम:** BIRAC जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को समर्थन देने के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी इग्निशन अनुदान (BIG) योजना शामिल है, जो प्रारंभिक चरण के जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को वित्त पोषण प्रदान करती है और लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (SBIRI), जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों की अभिनव परियोजनाओं का समर्थन करती है।
- **बायोटेक किसान कार्यक्रम:** बायोटेक किसान (कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क) कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। यह फसल उपज, कीट प्रतिरोध और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों का समर्थन करता है।

आगे की राह

- **उद्योग-शिक्षा संबंधों को मजबूत करना:** शैक्षणिक प्रशिक्षण और उद्योग की माँग के बीच की दूरी को कम करने के लिए, उद्योग-प्रासंगिक कौशल और ज्ञान के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रम को बढ़ाना आवश्यक है।
  - शैक्षिक संस्थानों और बायोटेक कंपनियों के बीच सहयोग यह सुनिश्चित कर सकता है कि छात्र वर्तमान उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करें।
- **अनुसंधान अवसंरचना का विस्तार:** देश भर में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं में निवेश करना जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों का विकास नवाचार को बढ़ावा देगा और वैज्ञानिकों को उन्नत परियोजनाओं पर कार्य करने में सक्षम बनाएगा, जिससे अंततः नए जैव प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास में तेजी आएगी।
- **उद्यम पूँजी की उपलब्धता बढ़ाना:** बायोटेक क्षेत्र में सूचना विषमता को संबोधित करने से अधिक उद्यम पूँजी निधि आकर्षित हो सकती है। पारदर्शिता में सुधार करने और विस्तृत उद्योग अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने से निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है, जिससे आशाजनक बायोटेक उद्यमों में निवेश बढ़ सकता है।
- **क्लिनिकल परीक्षण गतिविधि को बढ़ावा देना:** भारत में किए जाने वाले क्लिनिकल परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करने से वैश्विक चिकित्सा अनुसंधान में देश की भूमिका बढ़ सकती है।
  - नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा नैदानिक परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संगठनों को भारत में अनुसंधान करने के लिए आकर्षित कर सकता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना:** अनुसंधान के वित्तपोषण और संचालन में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने से नवाचार और दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी विकसित करना तथा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश के लिए कर लाभ या सब्सिडी प्रदान करना, निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **बायोटेक स्टार्टअप्स और नवाचारों को समर्थन देना:** वित्तपोषण, मार्गदर्शन और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देना नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रारंभिक चरण की कंपनियों को अधिक व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए BIG और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।

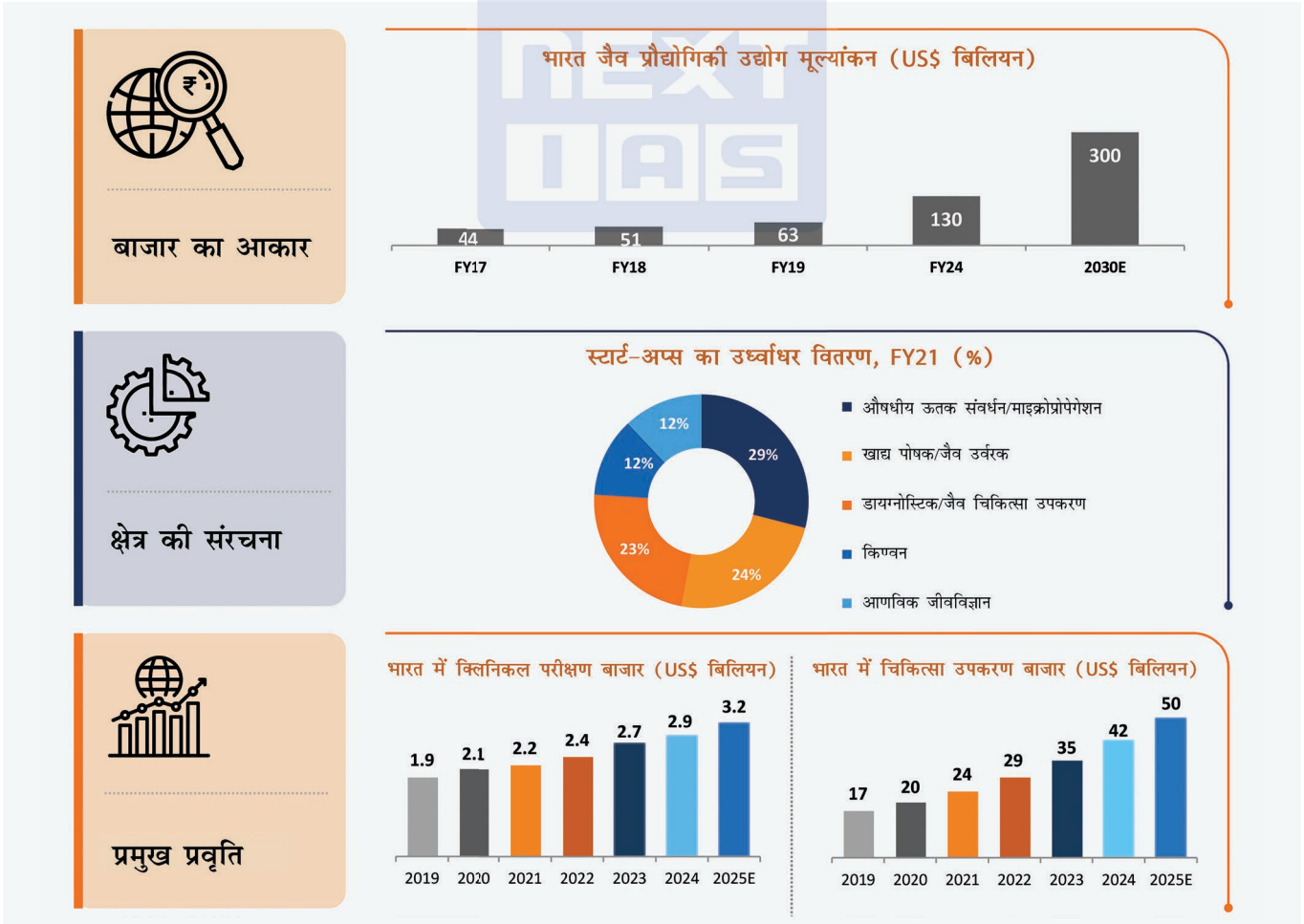

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

हाल ही में, भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की, जो सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई नीति है।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ:

- 1 अप्रैल, 2025 को क्रियान्वित होने वाली UPS योजना मौजूदा पेंशन योजनाओं का स्थान लेगी और कई प्रमुख लाभ प्रदान करेगी।
- **सुनिश्चित पेंशन:** कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी।
  - 25 वर्ष से कम सेवा वाले लोगों के लिए, पेंशन सेवा की अवधि के अनुपात में होगी तथा पात्रता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि आवश्यक होगी।
- **पारिवारिक पेंशन:** किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार को कर्मचारी की अंतिम पेंशन का 60% प्राप्त होगा।
- **न्यूनतम पेंशन:** यह योजना कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है।
- **मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण:** पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित समायोजन किया जाएगा।
- **एकमुश्त भुगतान:** कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा, जिसकी गणना प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (DAसहित) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी।
- **पूर्व सेवानिवृत्त:** जो लोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके पास UPS में स्विच करने और ब्याज सहित बकाया राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा।
  - इस नई योजना के अंतर्गत सरकार ने पेंशन फंड में अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है।
  - इस कदम से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है और संभवत: इसे राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जा सकता है, जिससे इसका लाभ 90 लाख से अधिक कर्मचारियों तक पहुँच जाएगा।

प्रभाव एवं निहितार्थ:

- **उन्नत वित्तीय सुरक्षा:** UPS यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित आय प्राप्त हो।
  - इससे लाखों कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति योजना और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- **व्यापक कवरेज:** 25 वर्ष से कम सेवा वाले लोगों के लिए आनुपातिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी देकर, यह योजना अधिक समावेशी है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि जिन लोगों ने कम अवधि तक सेवा की है, उन्हें भी पर्याप्त सहायता के बिना नहीं रहना पड़े।
- **संभावित राजकोषीय प्रभाव:** UPS के अंतर्गत सरकार के योगदान में 14% से 18.5% की वृद्धि एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  - यद्यपि इससे योजना के लाभ बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता पर भी प्रश्न उठते हैं, विशेषकर यदि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं।
- **विकल्प और लचीलापन:** कर्मचारियों के लिए NPS जारी रखने या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प लचीलापन लाता है।
  - हालाँकि, एक बार निर्णय लेने के बाद इसकी अंतिमता (Finality) से कर्मचारियों पर अपने विकल्पों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने का दबाव पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने में जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

आगे की राह

- **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना:**
  - **राजकोषीय उत्तरदायित्व:** सरकार को उच्च अंशदान दरों (18.5%) से उत्पन्न होने वाले बढ़े हुए वित्तीय दायित्वों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
    - इसमें अन्य व्ययों का पुनर्मूल्यांकन करना या राजकोषीय स्वास्थ्य से समझौता किए बिना योजना को समर्थन देने के लिए नए राजस्व स्रोत की खोज करना शामिल हो सकता है।
  - **आवधिक समीक्षा:** पेंशन फंड के प्रदर्शन और आर्थिक स्थितियों की नियमित समीक्षा करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि योजना टिकाऊ बनी रहे।
    - संतुलन बनाए रखने के लिए इन समीक्षाओं के आधार पर अंशदान दरों या लाभों में समायोजन किया जा सकता है।
- **मुद्रास्फीति संरक्षण को मजबूत करना:**
  - **वास्तविक समय समायोजन:** योजना का मुद्रास्फीति सूचकांक तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि वह मुद्रास्फीति संबंधी दबावों पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सके।
    - यदि आवश्यक हो, तो सरकार वैकल्पिक या पूरक सूचकांकों पर विचार कर सकती है जो सेवानिवृत्त लोगों के जीवन-यापन की लागत को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर सकें।
  - **अतिरिक्त सहायता उपाय:** उच्च मुद्रास्फीति के समय में, सरकार पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त सहायता उपायों पर विचार कर सकती है, जैसे एकमुश्त बोनस या अनुपूरक भुगतान, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे।

- **कर्मचारी प्रतिपुष्टि (फीडबैक) तंत्र:**
  - एक फीडबैक तंत्र स्थापित करने से, जहाँ कर्मचारी अपनी चिंताओं और सुझावों को व्यक्त कर सकें, सरकार को योजना में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
  - यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि योजना कार्यबल की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।
- **राज्य सरकार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना:**
  - केंद्र सरकार UPS को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन या सहायता दे सकती है।
  - इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना या राज्य स्तर पर सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।

OPS, NPS और UPS के बीच तुलना

	OPS	NPS	UPS
प्रकार	**परिभाषित लाभ योजना**	**परिभाषित अंशदान योजना**	**हाइब्रिड मॉडल**
योगदान	• कोई कर्मचारी अंशदान नहीं; पूर्णत: सरकार द्वारा वित्तपोषित।	• **कर्मचारी:** मूल वेतन का 10%+DA • **सरकार:** मूल वेतन का 14%+DA	• **कर्मचारी:** मूल वेतन का 10% + DA (NPS की तरह) • **सरकार:** मूल वेतन का 18.5% + DA (NPS से अधिक)
पेंशन गणना	• पेंशन की गणना अंतिम प्राप्त मूल वेतन के 50% के रूप में की जाती है।	• पेंशन संचित धनराशि पर निर्भर करती है, जिसे बाजार में निवेश किया जाता है। • सेवानिवृत्ति के समय, निधि के एक हिस्से का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जो मासिक पेंशन प्रदान करती है।	• कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% है। • 10-25 वर्ष की सेवा वाले लोगों के लिए आनुपातिक पेंशन।
मुद्रास्फीति समायोजन	• उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से जुड़े महँगाई भत्ते (DA) के माध्यम से मुद्रास्फीति से पूर्णत: अनुक्रमित।	• मुद्रास्फीति से कोई सीधा संबंध नहीं; पेंशन बाजार के प्रदर्शन और वार्षिकी दरों पर निर्भर है।	• औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित समायोजन के साथ मुद्रास्फीति के अनुरूप।
लाभ	• जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी, महँगाई भत्ते में समायोजन के साथ मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करना। • आश्रितों के लिए पारिवारिक पेंशन प्रदान करता है।	• विभिन्न नौकरियों में पोर्टेबल। • कर्मचारियों का निवेश विकल्प (इक्विटी, ऋण, आदि) पर नियंत्रण होता है।	• यह OPS और NPS दोनों के तत्त्वों को सम्मिलित करता है तथा मुद्रास्फीति संरक्षण के साथ गारंटीकृत पेंशन प्रदान करता है, साथ ही कुछ अंशदान-आधारित तत्त्वों को भी बनाये रखता है। • इसमें न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है। • NPS के अंतर्गत सेवानिवृत्त लोगों को UPS में स्विच करने का विकल्प प्रदान करता है।
आलोचना	• इससे सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है। • बढ़ती जीवन प्रत्याशा और सेवानिवृत्त लोगों की बढ़ती संख्या के कारण यह दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं रह सकता।	• बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए रिटर्न और पेंशन राशि अनिश्चित है। • यह पेंशन राशि या मुद्रास्फीति सुरक्षा की गारंटी प्रदान नहीं करता है, जिससे सेवानिवृत्त लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है।	• सरकारी अंशदान में वृद्धि के कारण संभावित रूप से उच्च राजकोषीय बोझ। • NPS से संक्रमण में जटिलता तथा NPS और UPS के बीच चयन की अंतिमता के कारण कर्मचारियों के लिए निर्णय लेने में चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

मुख्य अंतरों का सारांश

- **जोखिम:** OPS सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिससे कर्मचारियों को कोई जोखिम नहीं होता, NPS निवेश जोखिम को कर्मचारियों पर स्थानांतरित करता है, जबकि UPS मिश्रित पेशकश करता है, जो बाजार से जुड़े योगदान के साथ-साथ सरकार समर्थित गारंटी के साथ कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
- **मुद्रास्फीति संरक्षण:** OPS पूर्ण मुद्रास्फीति संरक्षण प्रदान करता है, NPS कोई संरक्षण नहीं प्रदान करता है और UPS सूचीकरण के माध्यम से आंशिक संरक्षण प्रदान करता है।
- **स्थायित्व:** OPS को वित्तीय रूप से अस्थायी माना जाता है, NPS अपनी बाजार से जुड़ी प्रकृति के कारण अधिक टिकाऊ है तथा UPS बेहतर लाभ के साथ स्थायित्व को संतुलित करने का प्रयास करता है।

पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन

हाल ही में, भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल छह पदक हासिल किये- एक रजत और पाँच कांस्य।

परिचय:

- पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया।
- पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल थे।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उपलब्धियाँ और निराशाएँ:

- **उपलब्धियाँ:**
  - **नीरज चोपड़ा का रजत:** पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक हासिल कर नीरज ने ओलंपिक में अपनी सफलता जारी रखी।
  - **मनु भाकर का दोहरा कांस्य:** युवा निशानेबाज ने कई स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य पदक जीते।
  - **अमन सेहरावत का कुश्ती में कांस्य:** 57 किग्रा. फ्रीस्टाइल वर्ग में उनके कांस्य पदक ने कुश्ती में भारत की बढ़ती ताकत को प्रकट किया।
  - **पुरुष हॉकी कांस्य:** टीम ने मजबूत प्रदर्शन के साथ भारत की विरासत को बरकरार रखा।
- **निराशाएँ:**
  - **एथलेटिक्स निराशा:** 4x400 मीटर रिले टीमें जल्दी ही बाहर हो गईं।
  - **गोल्फ संघर्ष:** अदिति अशोक और दीक्षा डागर शीर्ष स्थान बरकरार नहीं रख सकीं।
  - **कुश्ती:** विनेश फोगट को पेरिस 2024 ओलंपिक में महिलाओं की 50 किग्रा. स्पर्धा के ऐतिहासिक फाइनल से पहले अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सभी खिलाड़ियों के लिए NCA की सुविधाएँ प्रदान करना

- हाल ही में, BCCI सचिव जय शाह ने घोषणा की कि बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) जल्द ही केवल क्रिकेटरों ही नहीं, बल्कि अन्य खेलों के एथलीटों के लिए भी अपनी सुविधाएँ प्रदान करेगी।
- यह पहल ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को समर्थन देने के BCCI के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नए NCA के जल्द ही चालू होने की उम्मीद है, जिसमें तीन अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल मैदान, 100 पिच और 45 इनडोर टर्फ सहित विश्व स्तरीय सुविधाएँ होंगी।
- इस कदम को भारतीय एथलीटों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- यह निर्णय पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के मद्देनजर लिया गया है, जहाँ देश ने केवल एक रजत और पाँच कांस्य पदक हासिल किए, जिससे एथलीटों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और समर्थन की आवश्यकता पर चिंता बढ़ गई।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के खराब प्रदर्शन के पीछे कारण:

- **चोट और फॉर्म संबंधी समस्याएँ:** प्रमुख एथलीटों को चोटों और फॉर्म के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे पदक की संभावनाएँ प्रभावित हुईं।
  - उदाहरण के लिए, लक्ष्य सेन, जो पुरुष एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अपनी दाहिनी कोहनी में चोट के बावजूद खेल रहे थे।
- **उच्च अपेक्षाएँ:** एथलेटिक्स और निशानेबाजी सहित कुछ शीर्ष दावेदार, पिछली प्रतियोगिताओं में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे।
  - उदाहरण के लिए पीवी सिंधु (बैडमिंटन), अमित पंघाल (मुक्केबाजी) और अतनु दास (तीरंदाजी)।
- **कड़ी प्रतिस्पर्धा:** वैश्विक प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ गया है, विशेषकर बैडमिंटन जैसे खेलों में, जहाँ भारत के शीर्ष खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा। उदाहरण के लिए लक्ष्य सेन (बैडमिंटन)।
- **टीम स्पर्धाओं में सीमित सफलता:** भारत की टीमों को, विशेषकर रिले दौड़ और फील्ड स्पर्धाओं में, प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

ओलंपिक पदक हासिल करने में भारत की कठिनाई के कारण:

- **सीमित खेल अवसंरचना:** कई खेलों में अभी भी विश्व स्तरीय सुविधाओं का अभाव है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** सामान्यत: वित्तीय सहायता प्राय: कम पड़ जाती है, विशेषकर गैर-क्रिकेट खेलों के लिए। हालाँकि, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सरकार द्वारा 470 करोड़ से अधिक का वित्तपोषण प्रदान किया गया।
- **प्रतिभा की पहचान और विकास:** प्रतिभा की प्रारंभिक पहचान और पोषण असंगत है।
- **दबाव और अपेक्षाएँ:** उच्च अपेक्षाएँ एथलीटों में प्रदर्शन संबंधी चिंता पैदा कर सकती हैं।
- **कोचिंग और सहायता में कमियाँ:** शीर्ष स्तरीय कोचिंग और खेल विज्ञान सहायता तक पहुँच सीमित बनी हुई है।

खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल:

- **खेलो इंडिया कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना और युवा प्रतिभाओं को पोषित करना है।
- **टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम** (TOPS): ओलंपिक पदक जीतने की क्षमता वाले उत्कृष्ट एथलीटों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय खेल विकास कोष** (NSDF): NSDF शीर्ष खिलाड़ियों की विशेष प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके TOPS का पूरक है। यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक सहायता मिले।

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ और अनुभव:** सरकार ने विभिन्न खेलों में एथलीटों के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की सुविधा प्रदान की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और विदेशों में प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेना शामिल है, जो प्रतिस्पर्धी अनुभव प्राप्त करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **भारतीय खेल प्राधिकरण** (SAI): यह खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंधन करता है, विभिन्न खेलों में एथलीटों को सहायता प्रदान करता है।
- **फिट इंडिया मूवमेंट:** यह देश भर में शारीरिक फिटनेस और खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- **मिशन ओलंपिक सेल** (MOC): यह TOPS के अंतर्गत चयनित एथलीटों के प्रशिक्षण और तैयारी की निगरानी करता है।

राज्य सरकारों द्वारा की गई पहल:

- **ओडिशा:** हॉकी और एथलेटिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओडिशा खेल विकास और संवर्धन कंपनी की स्थापना की और हॉकी विश्व कप जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की।
- **हरियाणा:** "Play4India" अभियान प्रारंभ किया गया और एथलीटों के लिए नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियों सहित महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन की पेशकश की गई।
- **कर्नाटक:** ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए "क्रीड़ा ज्योति" योजना लागू की गई।

निजी संगठनों द्वारा पहल:

- JSW **स्पोर्ट्स:** इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता है, ओलंपिक स्तर के एथलीटों को प्रोत्साहित करता है।
- **टाटा समूह:** टाटा ट्रस्ट्स और टाटा स्टील के माध्यम से, यह अकादमियाँ और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों को समर्थन देता है।
- **रिलायंस फाउंडेशन:** रिलायंस फाउंडेशन युवा खेल कार्यक्रम के माध्यम से धरातल स्तर पर खेल विकास, विशेष रूप से फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करता है।

खेलों से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ:**
  - **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** कई क्षेत्रों में स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल अकादमियों जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी है। इससे एथलीटों का उच्च स्तर पर प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  - **सुविधाओं का रखरखाव:** मौजूदा खेल सुविधाओं का रखरखाव प्रायः खराब तरीके से किया जाता है, जिससे उनकी उपयोगिता और दीर्घायु कम हो जाती है।
- **वित्तपोषण और प्रायोजन:**
  - **सीमित वित्तीय सहायता:** क्रिकेट के अलावा कई अन्य खेल प्रायोजन और वित्तपोषण पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे विकास कार्यक्रम, कोचिंग और भागीदारी दर प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले, कई भारतीय एथलीटों को अपने प्रशिक्षण और यात्रा व्यय को कवर करने के लिए क्राउडफंडिंग पर निर्भर रहना पड़ा।
  - **संसाधनों का असमान वितरण:** क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों पर ध्यान केंद्रित करने से संसाधनों का असमान वितरण होता है, जिससे अन्य खेलों को पर्याप्त धन नहीं मिल पाता।

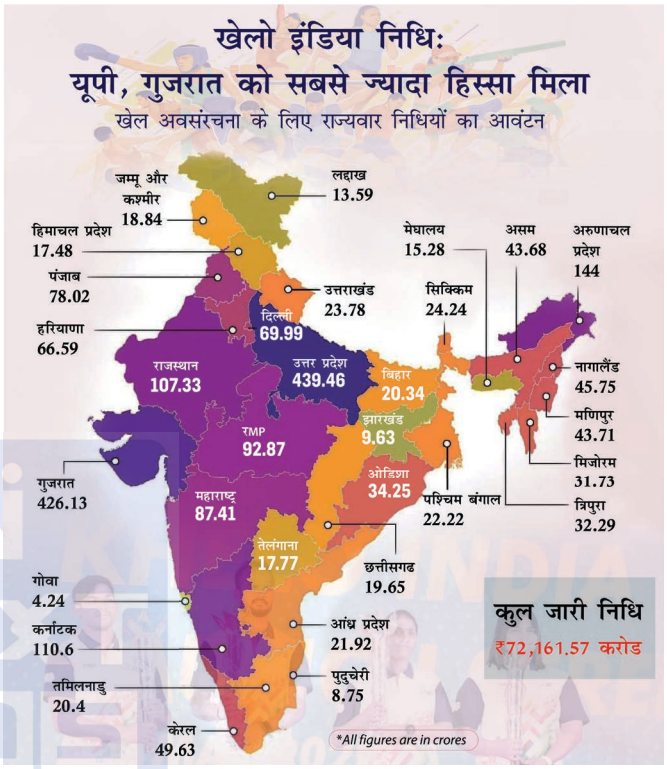

- **प्रतिभा पहचान और विकास:**
  - **धरातल स्तर पर कार्यक्रमों का अभाव:** युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत कम कार्यक्रम हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
  - **कोचिंग और प्रशिक्षण:** योग्य प्रशिक्षकों की कमी और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव है, जो एथलीटों के विकास में बाधा डालता है।
- **सांस्कृतिक एवं सामाजिक बाधाएँ:**
  - **खेल संस्कृति का अभाव:** भारत के कई हिस्सों में खेलों की तुलना में शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे भागीदारी में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - **लैंगिक असमानता:** महिला एथलीटों को प्रायः भेदभाव और समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे खेलों में उनके अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण:**
  - **खेल चिकित्सा तक खराब पहुँच:** एथलीटों को प्रायः खेल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी होती है, जो उनके प्रदर्शन और करियर की दीर्घायु को प्रभावित कर सकती है।
  - **पोषण संबंधी चुनौतियाँ:** खेल पोषण पर अपर्याप्त ध्यान देने से एथलीटों के शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है।

- **सरकारी नीतियाँ और सहायता:**
  - **असंगत नीति कार्यान्वयन:** यद्यपि विभिन्न खेल नीतियाँ हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन प्राय: राज्यों में असंगत होता है।
  - **श्रेष्ठ एथलीटों के लिए सीमित सहायता:** श्रेष्ठ एथलीटों के लिए सहायता प्रणाली, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक पहुँच शामिल है, प्राय: अपर्याप्त होती है।

आगे की राह

- **धरातल स्तर पर विकास को मजबूत करना:**
  - **प्रतिभा पहचान कार्यक्रम:** स्कूल और जिला स्तर पर प्रतिभा पहचान के व्यापक कार्यक्रम स्थापित करना, ताकि युवा खिलाड़ियों की खोज की जा सके। इन कार्यक्रमों को सिर्फ पारंपरिक खेलों पर ही नहीं, बल्कि कई तरह के खेलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - **खेल अकादमियाँ:** देश भर में अलग-अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अधिक विशिष्ट खेल अकादमियाँ स्थापित करना। इन अकादमियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, सुविधाएँ और खेल विज्ञान सहायता तक पहुँच प्रदान करनी चाहिए।
  - **स्कूल खेल कार्यक्रम:** स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को शामिल करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक खेल में भाग ले। इससे छोटी उम्र से ही प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने में मदद मिल सकती है।
- **बुनियादी ढाँचे में सुधार:**
  - **सुविधाओं का उन्नयन:** प्रशिक्षण केंद्रों, स्टेडियमों और खेल विज्ञान सुविधाओं सहित विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढाँचे में निवेश करना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ प्रतिभाओं की अधिकता है।
  - **सुविधाओं तक पहुँच:** यह सुनिश्चित करना कि एथलीटों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले एथलीटों को उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त हो।
- **कोचिंग मानकों को बढ़ाना:**
  - **कोच शिक्षा:** सभी स्तरों पर कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्नत कोच शिक्षा कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करना। पूर्व एथलीटों को कोचिंग भूमिकाएँ निभाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** विदेशी प्रशिक्षकों को लाकर तथा भारतीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए विदेश भेजकर अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग तकनीकों से परिचित कराना।
- **उच्च संभावना वाले खेलों पर ध्यान केंद्रित करना:**
  - **लक्षित निवेश:** ऐसे खेलों की पहचान करना, जिनमें भारत ने ऐतिहासिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है या जिनमें अभी तक कोई संभावना नहीं है (जैसे, तीरंदाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, निशानेबाजी, मुक्केबाजी)। इन खेलों पर संसाधनों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना।
  - **अनुकूलित प्रशिक्षण:** खेल-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना, जो भारतीय एथलीटों की ताकत और कमजोरियों के अनुरूप हों, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं।
- **खेल विज्ञान और चिकित्सा:**
  - **खेल विज्ञान को एकीकृत करना:** बेहतर प्रशिक्षण पद्धतियों, चोट की रोकथाम और रिकवरी तकनीकों के माध्यम से एथलीटों के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए खेल विज्ञान का लाभ उठाना।
  - **पोषण संबंधी सहायता:** एथलीटों को व्यक्तिगत पोषण संबंधी योजनाएँ प्रदान करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति में हैं।
  - **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दबाव से निपटने में मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता और मानसिक अनुकूलन प्रदान करना।
- **वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन:**
  - **बढ़ी हुई फंडिंग:** सरकारी और निजी प्रायोजन दोनों के माध्यम से ओलंपिक खेलों के लिए अधिक फंड आवंटित करना। सुनिश्चित करना कि एथलीट विकास के लिए फंड का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए।
  - **एथलीट कल्याण:** एथलीटों को वजीफा (Stipends), छात्रवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे अपने प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें।
  - **प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन:** एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु अधिक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन लागू करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा:**
  - **नियमित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ:** अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी बढ़ाना, जिससे खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता में अधिक अवसर प्राप्त हो सकें तथा उन्हें अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिले।
  - **विदेश में प्रशिक्षण:** विदेश में प्रशिक्षण शिविरों की सुविधा प्रदान करना, जहाँ एथलीट विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षण ले सकें और उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- **खेल प्रशासन को सुदृढ़ बनाना:**
  - **पारदर्शी प्रशासन:** पारदर्शी और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करने के लिए खेल निकायों में सुधार करना। भ्रष्टाचार को समाप्त करना और सुनिश्चित करना कि एथलीटों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दी जाए।
  - **दीर्घकालिक योजना:** प्रत्येक खेल के लिए स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही के साथ दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना और उसे क्रियान्वित करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** खेल अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव तथा खिलाड़ियों के विकास में सहायता के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- **जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना:**
  - **मीडिया अभियान:** ओलंपिक खेलों के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने के लिए अभियान चलाना, एथलीटों की कहानियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालना।
  - **प्रशंसक सहभागिता:** ओलंपिक खेलों के प्रति उत्साह और समर्थन उत्पन्न करने के लिए प्रशंसक सहभागिता पहल का निर्माण करना, जैसा कि भारत में क्रिकेट के प्रति है।

1 राजव्यवस्था एवं शासन

जमानत नियम है और जेल अपवाद: सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद", यहाँ तक कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के लिए भी।

मुख्य अवलोकन:

- एक बार जमानत के लिए केस बनने के बाद, यदि कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो न्यायालयों को जमानत दे देनी चाहिए। गंभीर आरोपों पर जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।
  - उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

जमानत:

- जमानत भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मूलभूत पहलू है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को लंबित वाद के दौरान अनावश्यक रूप से उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें जमानत माँगने का अधिकार भी शामिल है।

जमानत के प्रकार:

- **नियमित जमानत:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 480 और धारा 483 के अंतर्गत दी गई नियमित जमानत उस आरोपी को उपलब्ध है, जो पहले से ही हिरासत में है।
  - नियमित जमानत देने का निर्णय लेते समय, न्यायालय सामान्यत: कई कारकों पर विचार करता है, जिनमें शामिल हैं: (क) अभियुक्त के फरार होने या न्याय से बचने की संभावना, (ख) अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का जोखिम, और (ग) अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की संभावना। अपराध की गंभीरता भी न्यायालय के निर्णय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **अंतरिम जमानत:** अंतरिम जमानत एक अस्थायी राहत है, जो अभियुक्त को तब दी जाती है, जब न्यायालय नियमित या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार करती है। इस प्रकार की जमानत सामान्यत: अल्प अवधि के लिए दी जाती है और जमानत आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक बढ़ाई जा सकती है।
- **अग्रिम जमानत:** BNSS की धारा 482 के तहत, अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध का आरोप लगने की आशंका में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान करती है।
  - इस प्रकार की जमानत गिरफ़्तारी से पहले सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से माँगी जा सकती है। यह उन मामलों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहाँ अभियुक्त को गिरफ्तारी का डर है और वह पूर्व-परीक्षण हिरासत की संभावना से बचना चाहता है।

निर्दोषता की धारणा:

- भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र में आधारभूत सिद्धांत यह है कि किसी अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए, जिसके कारण जाँच और सुनवाई के दौरान जमानत देना एक सामान्य प्रथा बन गई है।
- **कुछ अपराधों के लिए अपवाद:** विशेष कानूनों जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराधों पर सख्त जमानत शर्तें लागू होती हैं।
- BNSS की धारा 173(3) और BNSS की धारा 174(2) यह धारा क्रमश: जमानतीय और गैर जमानतीय अपराधों से संबंधित है।

न्यायिक घोषणाएँ:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। राजस्थान राज्य बनाम बालचंद के ऐतिहासिक मामले में न्यायालय ने माना कि मूल सिद्धांत यह है कि किसी अभियुक्त को तब तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी न हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि लंबे समय तक सुनवाई से पहले हिरासत में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने तेजी से सुनवाई की जरूरत पर बल दिया और जमानत प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी।

चुनौतियाँ:

- **जेलों में अत्यधिक भीड़:** विचाराधीन कैदियों की एक बड़ी संख्या के कारण जेलों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे रहने की स्थिति खराब हो जाती है और संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
- **न्यायिक विवेक और असंगतताएँ:** जमानत देने में न्यायाधीशों की विवेकाधीन शक्ति निर्णयों में असंगतताएँ पैदा कर सकती है। जमानत प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद, असंगतताएँ और मनमाने फैसले अभी भी होते हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करते हैं।
- **विधिक प्रतिनिधित्व का अभाव:** कई आरोपी व्यक्तियों के पास विधिक प्रतिनिधित्व तक पहुँच नहीं होती है, जो उनकी जमानत हासिल करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह अंतर प्राय: कमजोर आबादी को एक जटिल विधिक प्रणाली की दया पर छोड़ देता है, जिससे हिरासत में उनका समय और लंबा हो जाता है।

- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ:** ये असमानताएँ जमानत प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वंचित समुदायों के लोग प्रायः जमानत की शर्तों को पूरा करने या प्रभावी कानूनी सलाह हासिल करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उन्हें अधिक वित्तीय साधनों वाले लोगों की तुलना में लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** विलंब से जमानत मिलने के कारण लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण हिरासत में रहने से अभियुक्त के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भीड़-भाड़ और जेल की कठिन परिस्थितियाँ तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति के सम्मान और मानवीय व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन होता है।
- **न्यायिक संसाधनों पर दबाव:** जमानत आवेदनों की उच्च संख्या और उनके निर्णय में विसंगतियाँ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती हैं, जिससे न्यायिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है और अन्य मामलों में न्याय में विलंब होती है।

आगे की राह:

- **मानकीकृत जमानत दिशा-निर्देश:** सभी न्यायालयों में मानकीकृत जमानत दिशा-निर्देशों को स्थापित करने और उन्हें सख्ती से लागू करने से न्यायिक निर्णयों में विसंगतियों को कम करने में मदद मिल सकती है। अपराध की प्रकृति और आरोपी की पृष्ठभूमि के लिए विशिष्ट विचारों सहित जमानत देने के लिए स्पष्ट मानदंड, जमानत कानूनों के अधिक समान अनुप्रयोग को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **विधिक सहायता सेवाओं में सुधार:** वंचित और हाशिए पर स्थित व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। बेहतर फंडिंग, प्रशिक्षण और आउटरीच सहित कानूनी सहायता के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने से यह सुनिश्चित हो सकता है, कि अधिक से अधिक आरोपी व्यक्तियों को जमानत हासिल करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रतिनिधित्व मिले।
- **गैर-हिरासत विकल्पों को बढ़ावा देना:** पूर्व-परीक्षण हिरासत के लिए गैर-हिरासत विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे कि व्यक्तिगत पहचान बॉन्ड, सामुदायिक सेवा या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकता है।
- **न्यायिक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने के महत्त्व पर न्यायाधीशों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिक संतुलित और निष्पक्ष जमानत निर्णयों को बढ़ावा दे सकते हैं। आरोपी व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के प्रति संवेदनशीलता यह सुनिश्चित कर सकती है कि जमानत को अनुचित रूप से अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों पर केंद्रीय कानून

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) अधिनियम, 2021 के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की।

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (NCAHP) अधिनियम, 2021 को लागू न करने पर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई।
- यह अवलोकन किया गया कि तीन वर्ष बाद भी केंद्र और राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 राज्यों ने अधिनियम के तहत राज्य परिषदों का गठन किया है। यह भी अवलोकन किया गया है कि उपरोक्त राज्य परिषदें भी कार्यात्मक नहीं हैं।
- न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 12 अक्टूबर तक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

NCAHP अधिनियम के बारे में:

- अधिनियम का उद्देश्य 'सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों का विनियमन और रख-रखाव' करना है, जिसमें चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान, फिजियोथेरेपी, आघात देखभाल आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर:** यह 'संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर' को एक सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् के रूप में परिभाषित करता है, जो किसी भी बीमारी, रोग, चोट या हानि के निदान और उपचार का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षित होता है।
  - ऐसे पेशेवर को इस विधेयक के अंतर्गत डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।
  - डिग्री/डिप्लोमा की अवधि कम से कम 2,000 घंटे (दो से चार वर्ष की अवधि में) होनी चाहिए।
- **स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर:** 'स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर' में वैज्ञानिक, चिकित्सक या कोई अन्य पेशेवर शामिल हैं, जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय या प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, सलाह, अनुसंधान, पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं।
  - ऐसे पेशेवर को इस विधेयक के अंतर्गत डिग्री प्राप्त करनी होगी।
  - डिग्री की अवधि कम से कम 3,600 घंटे (तीन से छह वर्ष की अवधि में) होनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग:** आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा-
  - शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने के लिए नीतियाँ और मानक तैयार करना;
  - सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाना और उसका रख-रखाव करना, शिक्षा के बुनियादी मानक, पाठ्यक्रम, स्टाफ की योग्यताएँ, परीक्षा, प्रशिक्षण और विभिन्न श्रेणियों के लिए देय अधिकतम शुल्क प्रदान करना;
  - अन्य बातों के अलावा एक समान प्रवेश और निकास परीक्षा का प्रावधान करना।
- **व्यावसायिक परिषदें:** आयोग संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों की प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के लिए एक व्यावसायिक परिषद का गठन करेगा।

- **राज्य परिषदें:** राज्य सरकारें राज्य सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल परिषदों का गठन करेंगी। इनका कार्य होगा-
  - संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा पालन किए जाने वाले पेशेवर आचरण और आचार संहिता को लागू करना,
  - संबंधित राज्य रजिस्टर बनाए रखना,
  - संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करना,
  - प्रवेश और निकास जाँच एक समान सुनिश्चित करना।

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 10 महिलाओं सहित 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया है।

परिचय:

- **अधिवक्ताओं का वर्गीकरण:** अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 अधिवक्ताओं को दो अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत करती है: वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता।
- **वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि:** वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि उत्कृष्टता की मान्यता है, जो उन अधिवक्ताओं को प्रदान की जाती है, जिन्होंने विधिक व्यवसाय में महत्त्वपूर्ण योगदान के माध्यम से स्वयं को प्रतिष्ठित किया है।
  - यह उपाधि दर्शाती है कि अधिवक्ता ने प्रतिष्ठा और उपलब्धि का एक ऐसा स्तर प्राप्त कर लिया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे न्याय प्रशासन के सर्वोत्तम हित में असाधारण सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- **वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध:** धारा 16 वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाती है। उन्हें वकालतनामा दाखिल करने, जूनियर अधिवक्ता या एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के बिना न्यायालय में पेश होने, ड्राफ्टिंग कार्य में शामिल होने या सीधे मुवक्किलों से संक्षिप्त जानकारी स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **वरिष्ठ अधिवक्ता पद हेतु अनुशंसा प्रक्रिया:** भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ मिलकर, वरिष्ठ अधिवक्ता के पद के लिए किसी वकील के नाम की लिखित रूप से सिफारिश कर सकते हैं।
- **आयु मानदंड और छूट:** नए दिशा-निर्देशों में वरिष्ठ अधिवक्ता के पद के लिए आवेदन करने हेतु अधिवक्ता की न्यूनतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
  - हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए समिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने अधिवक्ता के नाम की सिफारिश की हो, द्वारा इस आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।
- **उपाधि के लिए ग्रेडिंग प्रणाली:** वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों का 100 अंकों के पैमाने पर मूल्यांकन और ग्रेडिंग की जाती है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

हाल ही में, कांग्रेस के एक सांसद ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया।

परिचय:

- यदि किसी सदस्य को लगता है कि किसी सांसद द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन या दुरुपयोग किया गया है, तो सदन के अध्यक्ष या स्पीकर के समक्ष प्रस्ताव या शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।
- **दो शर्तें हैं** - प्रश्न, हाल ही में घटित किसी विशिष्ट मामले तक सीमित होगा और मामले में परिषद के हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।
- **प्रक्रिया:** अध्यक्ष/सभापति प्रारंभिक जाँच के बाद ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
  - स्वीकृत होने पर प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेजा जाता है, जिसमें समय-समय पर उनके द्वारा नामित सदस्य शामिल होते हैं।
  - विशेषाधिकार प्रस्ताव की जाँच करने वाली समिति ऐसी सिफारिशें कर सकती है जो वह उचित समझे।
  - रिपोर्ट अधिकतम एक महीने की समय सीमा के भीतर या अध्यक्ष/सभापति द्वारा सुझाई गई किसी भी पूर्व तिथि पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सदस्यों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही की जा सकती है।

संसदीय विशेषाधिकार:

- संसदीय विशेषाधिकार संसद सदस्यों (MPs) और उनकी समितियों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार, उन्मुक्ति और छूट हैं।
- ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लिखित हैं तथा अनुच्छेद 194 राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को भी समान अधिकार प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- **सिविल दायित्व से उन्मुक्ति:** सांसदों को उनके संसदीय कर्त्तव्यों के दौरान दिए गए बयानों या की गई कार्रवाइयों के लिए सिविल दायित्व (परंतु आपराधिक दायित्व से नहीं) से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **विशेषाधिकारों का संहिताकरण:** सभी संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने वाला कोई एकल कानून नहीं है। इसके बजाय, ये विशेषाधिकार निम्न से प्राप्त होते हैं:
  - संवैधानिक प्रावधान
  - संसद द्वारा अधिनियमित कानून
  - दोनों सदनों के नियम
  - संसदीय परंपराएँ
  - न्यायिक व्याख्याएँ
- **व्यक्तिगत सदस्यों के विशेषाधिकार:**
  - **संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 105(1)]:** सांसदों को कानूनी कार्यवाही के बिना संसद के भीतर स्वतंत्र भाषण का अधिकार है।
  - **न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति [अनुच्छेद 105(2)]:** सांसदों को संसद या उसकी समितियों में दिए गए किसी भी बयान या डाले गए मत के लिए न्यायालयों में कानूनी कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है।
  - **प्रकाशनों का संरक्षण [अनुच्छेद 105(2)]:** संसद के किसी भी सदन द्वारा अनुमोदित प्रकाशन, जिनमें रिपोर्ट, दस्तावेज और कार्यवाही शामिल हैं, कानूनी कार्यवाही से सुरक्षित होते हैं।

- **न्यायिक जाँच से छूट [अनुच्छेद 122(1)]:** न्यायालय कथित प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण संसदीय कार्यवाही की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते।
- **सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 135A):** संसद सत्र के दौरान तथा सत्र से पहले और बाद में 40 दिनों तक सांसदों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

- **सदन के सामूहिक विशेषाधिकार:**
  - **सदस्य की स्थिति की अधिसूचना:** किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के बारे में सदन को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
  - **गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया से उन्मुक्ति:** सांसदों को सदन परिसर के भीतर गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रियाओं से संरक्षण प्राप्त है, जब तक कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा अनुमति न दी जाए।
  - **गुप्त बैठकों की गोपनीयता:** गुप्त बैठकों की कार्यवाही प्रकाशन से सुरक्षित रहती है।
  - **समिति के साक्ष्यों का संरक्षण:** संसदीय समितियों के साक्ष्य और रिपोर्ट को तब तक प्रकट या प्रकाशित नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन्हें आधिकारिक रूप से सदन में प्रस्तुत न किया जाए।
  - **साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध:** सदस्य और अधिकारीगण सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं या न्यायालयों में साक्ष्य नहीं दे सकते हैं।

विशेषाधिकार समिति

लोकसभा:

- **संरचना और नियुक्ति:** अध्यक्ष 15 सदस्यों वाली एक विशेषाधिकार समिति की नियुक्ति करता है, जो संबंधित दलों की शक्तियों को दर्शाती है।
- **रिपोर्ट और चर्चा:** समिति सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अध्यक्ष रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।
- **अंतिम आदेश:** चर्चा के बाद, अध्यक्ष अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि रिपोर्ट को आगे के विचार के लिए पेश किया जाए। विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

राज्य सभा:

- **संरचना और नियुक्ति:** राज्य सभा में विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता उपसभापति करते हैं और इसमें 10 सदस्य होते हैं।
- **रिपोर्ट और चर्चा:** समिति सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अध्यक्ष रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।
- **अंतिम आदेश:** चर्चा के बाद, अध्यक्ष अंतिम आदेश जारी कर सकते हैं या निर्देश दे सकते हैं कि रिपोर्ट को आगे के विचार के लिए पेश किया जाए। विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

न्यायिक बुनियादी ढाँचे पर विधि मंत्रालय की रिपोर्ट

देश भर के जिला न्यायालयों में बुनियादी ढाँचे की स्थिति पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में महत्त्वपूर्ण कमियों का प्रकटीकरण किया गया है, जो न्याय के कुशल वितरण में बाधा डाल रही हैं।

परिचय:

- यह अध्ययन 10 राज्यों के 20 जिला न्यायालयों में किया गया - जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, मध्य और पूर्व क्षेत्रों से दो-दो जिले शामिल थे - जिसमें जिला न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और सहायक प्रशासनिक कर्मचारियों के सामने आने वाली बुनियादी संरचना संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- यह रिपोर्ट विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना का हिस्सा है।
  - **न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन के लिए योजना:** यह न्याय वितरण, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधारों में अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, क्षमता निर्माण और नवाचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रमुख बिंदु:

- **न्यायालय कक्षों में अत्यधिक भीड़:** न्यायालय कक्षों में अत्यधिक भीड़ होती है, केस फाइलों और अभिलेखीय दस्तावेजों का बोझ होता है, जिससे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। अधिवक्ताओं, वादीगण और पक्षकारों को प्राय: सीमित सीटों के कारण खड़े रहना पड़ता है।
- **आईटी अवसंरचना की कमी:** सर्वेक्षण के आँकड़ों से पता चलता है कि केवल 45% न्यायिक अधिकारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाओं तक पहुँच है और 20% को अभी भी स्थापना का इंतजार है।
- **जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीमित सुविधाएँ:** लगभग 32.7% न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि उनके जिला न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का अभाव है, जिससे संचार और न्यायालयी कार्यवाही प्रभावित हो रही है।
- **अग्नि सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** लगभग 39% न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि उनके न्यायालयों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अभाव है, जिससे महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है।
- **अपर्याप्त फर्नीचर:** न्यायालय कक्षों में विश्राम और कार्यक्षमता, अपर्याप्त फर्नीचर के कारण प्रभावित होती है। लगभग 36.3% न्यायिक अधिकारी पर्याप्त बैठने की जगह और आवश्यक साज-सज्जा की कमी को स्वीकार करते हैं।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** स्टाफ सदस्यों को प्राय: कॉमन रूम और संलग्न शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। केवल 14.6% पुरुष सहायक कर्मचारियों और 10.7% महिला सहायक कर्मचारियों के पास कॉमन रूम तक पहुँच है, जबकि 73.7% सभी सहायक कर्मचारियों के पास संलग्न शौचालय नहीं हैं।

विधिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड:** एक वेब-आधारित मंच जो देश भर में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मामले की स्थिति, लंबित मामलों और निस्तारण पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:** न्याय विभाग और सर्वोच्च न्यायालय की एक पहल जिसका उद्देश्य ई-फाइलिंग, डिजिटल केस प्रबंधन और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाना है।
- **फास्टर 2.0:** सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रारंभ किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के त्वरित और सुरक्षित प्रसारण कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य हितधारकों के बीच उनके ऑनलाइन प्रसारण की सुविधा प्रदान करना है।

आगे की राह:

- **बुनियादी ढाँचे और संसाधनों को बढ़ावा देना:** न्यायालय के बुनियादी ढाँचे और आईटी सुविधाओं को बेहतर बनाने में निवेश करें। संचालन को आधुनिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और मल्टीफंक्शनल प्रिंटर की स्थापना को प्राथमिकता देना।
- **अग्नि सुरक्षा उपायों को मजबूत करना:** व्यापक अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना और मौजूदा खतरों से निपटने तथा सभी कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय कक्षों को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करना।
- **फर्नीचर और सुविधाओं में सुधार:** पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और आवश्यक साज-सज्जा सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय कक्ष के फर्नीचर को बेहतर बनाएँ। कार्य करने की स्थिति में सुधार के लिए कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम और संलग्न शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना।
- **अनुसंधान और क्षमता निर्माण का विस्तार करें:** न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना का लाभ उठाना ताकि चल रहे अनुसंधान, मूल्यांकन और क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन किया जा सके। न्याय वितरण और कानूनी सुधारों को बढ़ाने के लिए नवीन दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रशिक्षण और विकास में वृद्धि:** न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करें, ताकि वे अपने कौशल में सुधार कर सकें और कानूनी प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के अनुकूल बन सकें।
- **भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान:** न्यायालय में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए समाधान खोजें, जैसे न्यायालयों की संख्या बढ़ाना, केस प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और आभासी सुनवाई के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 विपक्षी सांसदों ने कथित तौर पर एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय:

- विपक्ष ने सभापति पर सदस्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार यह राज्यसभा के नियम 238(2) का उल्लंघन है, जो सदस्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाने पर रोक लगाता है।
- राज्य सभा के "नियम 238(2)" में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोलते समय कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएगा।
  - एक अन्य विपक्षी सदस्य ने कहा कि यह एक ऐसा नियम है, जिसका पालन सभापति को भी करना चाहिए।
- **संवैधानिक आधार:** इस प्रस्ताव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(b) के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67(b) उपराष्ट्रपति को राज्य सभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोक सभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति द्वारा हटाने की अनुमति देता है।
  - अनुच्छेद 67(b) के अनुसार प्रस्ताव पेश करने से पूर्व कम से कम चौदह दिन का नोटिस देना आवश्यक है।

अविश्वास प्रस्ताव:

- **परिचय:** अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है, जो यह संकेत देता है कि निर्वाचित सरकार को अब भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त नहीं है।
- **उद्देश्य:** अविश्वास प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य सत्तारूढ़ सरकार की ताकत और स्थिरता का आकलन करना है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका आशय है कि सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है और उसे इस्तीफा देना चाहिए।
- **प्रक्रिया:**
  - **परिचय:** लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है।
  - **समर्थन की आवश्यकता:** प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

जन पोषण केंद्र

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 4 राज्यों में 60 राशन दुकानों को "जन पोषण केंद्र" के रूप में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उचित मूल्य दुकान (FPS) सहाय एप्लिकेशन और मेरा राशन ऐप 2.0 भी लॉन्च किया।

परिचय:

- जन पोषण केंद्र पूरे भारत में FPS डीलरों की आय का स्तर बढ़ाने के लिए उनकी माँग का समाधान प्रदान करता है।
- ये केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की विविध रेंज उपलब्ध कराएँगे और साथ ही FPS डीलरों को आय का अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेंगे।
- जन पोषण केंद्र में पोषण श्रेणी के अंतर्गत 50% उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था होगी, जबकि शेष में अन्य घरेलू सामान रखने की व्यवस्था होगी।

FPS-सहाय और मेरा राशन ऐप 2.0:

- FPS-सहाय एक ऑन-डिमांड इनवॉइस आधारित वित्तपोषण (IBF) एप्लिकेशन है, जिसे FPS डीलरों को पूरी तरह से कागज रहित, उपस्थिति-रहित, कोलेटरल-मुक्त, नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- मेरा राशन ऐप 2.0 मोबाइल ऐप पूरे देश में लाभार्थियों के लिए अधिक मूल्यवर्धित सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है।

दीन दयाल स्पर्श योजना

डाक विभाग ने दीन दयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत फिलैटली (डाक टिकट संग्रह) छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य हॉबी के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

परिचय:

- इस योजना में उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है, जिनका शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा है तथा जिन्होंने फिलैटली को शौक के रूप में अपनाया है।
- अखिल भारतीय स्तर पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी और प्रत्येक डाक सर्कल कक्षा 6, 7, 8 और 9 के 10 विद्यार्थियों को अधिकतम 40 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा।

डाक टिकट संग्रह (PHILATELY)

- डाक टिकटों, डाक इतिहास और संबंधित सामग्रियों का संग्रह और अध्ययन।
- उत्साही लोग डाक टिकट के डिजाइन, उत्पत्ति और ऐतिहासिक महत्त्व का विश्लेषण करते हैं।
- यह एक शौक और अध्ययन का क्षेत्र दोनों है, जो किसी देश की संस्कृति, इतिहास और कला के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

पात्रता:

- छात्रवृत्ति के लिए चयन फिलैटली लिखित क्विज में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
- उम्मीदवार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का छात्र होना चाहिए। संबंधित स्कूल में फिलैटली क्लब होना चाहिए और उम्मीदवार उस क्लब का सदस्य होना चाहिए।
- यदि स्कूल में फिलैटली क्लब नहीं है, तो उस स्कूल के किसी छात्र के नाम पर भी विचार किया जा सकता है, जिसका अपना फिलैटली डिपॉजिट खाता हो।
  - डाकघरों में फिलैटली जमा खाता खोला जा सकता है।
- अभ्यर्थी को वार्षिक परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समकक्ष ग्रेड/ग्रेड अंक प्राप्त करने होंगे।
  - SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट होगी।

प्रधानमंत्री जी-वन (JI-VAN) योजना

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी-वन योजना के विस्तार को मंजूरी दी।

परिचय:

- **अवलोकन:**
  - प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातवरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक योजना है।
  - यह योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoP-NG) के तहत एक तकनीकी निकाय, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (CHT) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- **उद्देश्य:**
  - **बायोएथेनॉल परियोजनाएँ स्थापित करना:** गैर-खाद्य बायोमास फीडस्टॉक और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके 12 वाणिज्यिक पैमाने और 10 प्रदर्शन पैमाने पर दूसरी पीढ़ी (2G) बायोएथेनॉल परियोजनाएँ स्थापित करना।
  - **किसान आय:** कृषि अवशेषों के उपयोग के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी आय के अवसर प्रदान करना।
  - **पर्यावरणीय प्रभाव:** कृषि अपशिष्ट को जलाने में कमी लाकर और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
  - **स्थानीय रोजगार:** बायो इथेनॉल उत्पादन सुविधाओं के विकास के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
  - **नेट शून्य उत्सर्जन:** 2070 तक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य में योगदान दें।
  - **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम** (EBP): 2G इथेनॉल उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएँ स्थापित करके इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करना।

- **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण** (VGF): यह योजना दो चरणों में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) सहायता प्रदान करती है:
  - **चरण-I (2018-19 से 2022-23):** छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पाँच प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  - **चरण-II (2020-21 से 2023-24):** शेष छह वाणिज्यिक परियोजनाओं और पाँच प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

हाल में हुए परिवर्तन:

- **कार्यान्वयन विस्तार:** संशोधित योजना की कार्यान्वयन अवधि को पाँच वर्ष के लिए बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है।
- **कार्यक्षेत्र का विस्तार:** संशोधित जी-वन योजना ने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन को इसमें शामिल किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ शामिल हैं, जैसे कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस (सिनगैस) और यहाँ तक कि शैवाल भी शामिल हैं।
- **विद्यमान संयंत्रों के लिए पात्रता:** संशोधित योजना के अंतर्गत, 'बोल्ट-ऑन' संयंत्र (जो विद्यमान सुविधाओं का विस्तार करते हैं) और 'ब्राउनफील्ड परियोजनाएँ' (विद्यमान सुविधाओं का पुनरुद्धार) दोनों ही अब भाग लेने के लिए पात्र हैं।
  - यह मौजूदा प्रतिभागियों को अपने अनुभव का लाभ उठाने और अपने परिचालन की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

फ्लडवॉच इंडिया 2.0

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा विकसित 'फ्लडवॉच इंडिया' मोबाइल एप्लिकेशन का 2.0 संस्करण लॉन्च किया।

परिचय:

- 'फ्लडवॉच इंडिया' का उद्देश्य देश में बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक के बाढ़ पूर्वानुमान को मोबाइल फोन का उपयोग करके जनता तक पहुँचाना है।
- यह ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है।
- ऐप का संस्करण 2.0 अतिरिक्त 392 बाढ़ निगरानी स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करता है, जिससे स्टेशनों की कुल संख्या 592 हो जाती है।
  - पहले संस्करण में 200 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशनों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई थी।

केंद्रीय जल आयोग (CWC)

- **परिचय:** यह संगठन भारत में जल संसाधनों में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख तकनीकी इकाई है।
  - यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत।
- **कार्य:** यह आयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:
  - **आरंभ और समन्वय:** देश भर में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के उद्देश्य से योजनाओं को आरंभ करने, समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना।
  - **फोकस क्षेत्र:** आयोग का कार्य विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करता है, जिनमें शामिल हैं: बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत विकास
  - **योजनाओं का क्रियान्वयन:** आयोग आवश्यकतानुसार जाँच, निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी करता है।
- **संगठनात्मक संरचना:**
  - **नेतृत्व:** आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जो भारत सरकार के पदेन सचिव का दर्जा रखता है।
  - **परिचालन शाखाएँ:** आयोग का कार्य तीन विशेष शाखाओं में विभाजित है:
    - डिजाइन और अनुसंधान (D and R) विंग
    - नदी प्रबंधन (RM) विंग
    - जल योजना एवं परियोजना (WP and P) विंग
- प्रत्येक विंग की देख-रेख एक पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाती है, जिसे भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव का दर्जा प्राप्त है।

मॉडल सौर गाँव

हाल ही में, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम-सूर्य घर: मुफ्त विद्युत् योजना के अंतर्गत 'मॉडल सौर गाँव' के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

परिचय:

- योजना के एक घटक, आदर्श सौर गाँव का विकास देश के प्रत्येक जिले में किया जाना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगा, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है।

- इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित आदर्श सौर गाँव के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे।
- आदर्श सौर गाँव एक राजस्व गाँव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 (या विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक हो।

- इन मॉडल गाँवों में, घरों की छतों पर सौर पैनल लगाए जाएँगे। ये पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत् में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका इस्तेमाल रोशनी, उपकरणों और अन्य ऊर्जा जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

लाभ:

- **ऊर्जा स्वतंत्रता:** स्वयं की विद्युत् उत्पन्न करके, परिवार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटा देते हैं। इससे न केवल पैसे की बचत होती है, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान मिलता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** सौर ऊर्जा स्वच्छ और हरित है। इसे अपनाकर, गाँव अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** कम विद्युत् बिल का आशय है परिवारों के लिए ज्यादा खर्च करने योग्य आय। इसके अलावा, अधिशेष ऊर्जा बिक्री से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है।
- अनुमान है कि इस योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी।
- **सामुदायिक विकास:** सौर ऊर्जा परियोजनाएँ प्राय: सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देती हैं। नियोजन, स्थापना और रख-रखाव प्रक्रियाओं में स्थानीय आबादी को शामिल करके, गाँव मजबूत, सामाजिक संबंध और सामूहिक जिम्मेदारी विकसित कर सकते हैं।
- **दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुँच:** सौर ऊर्जा प्रणालियाँ ग्रामीण या ऑफ-ग्रिड स्थानों तक विश्वसनीय विद्युत् पहुँचा सकती हैं, जिससे प्रकाश, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सक्षम करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:

- **परिचय:** इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त विद्युत् उपलब्ध कराना है, जो सतत विकास और लोगों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
- **सोलर रूफटॉप क्षमता:** इस योजना का उद्देश्य आवासीय घरों को स्वयं विद्युत् उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाकर सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना है।
- **सब्सिडी विवरण:** सब्सिडी कवरेज: सरकार सौर पैनलों की लागत का 40% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। शेष लागत उपभोक्ता को वहन करनी होगी।
- **केंद्रीय वित्तपोषण:** केंद्र 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली स्थापित करने की लागत का 60% वित्तपोषित करेगा। 2-3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए, केंद्र लागत का 40% वहन करेगा।

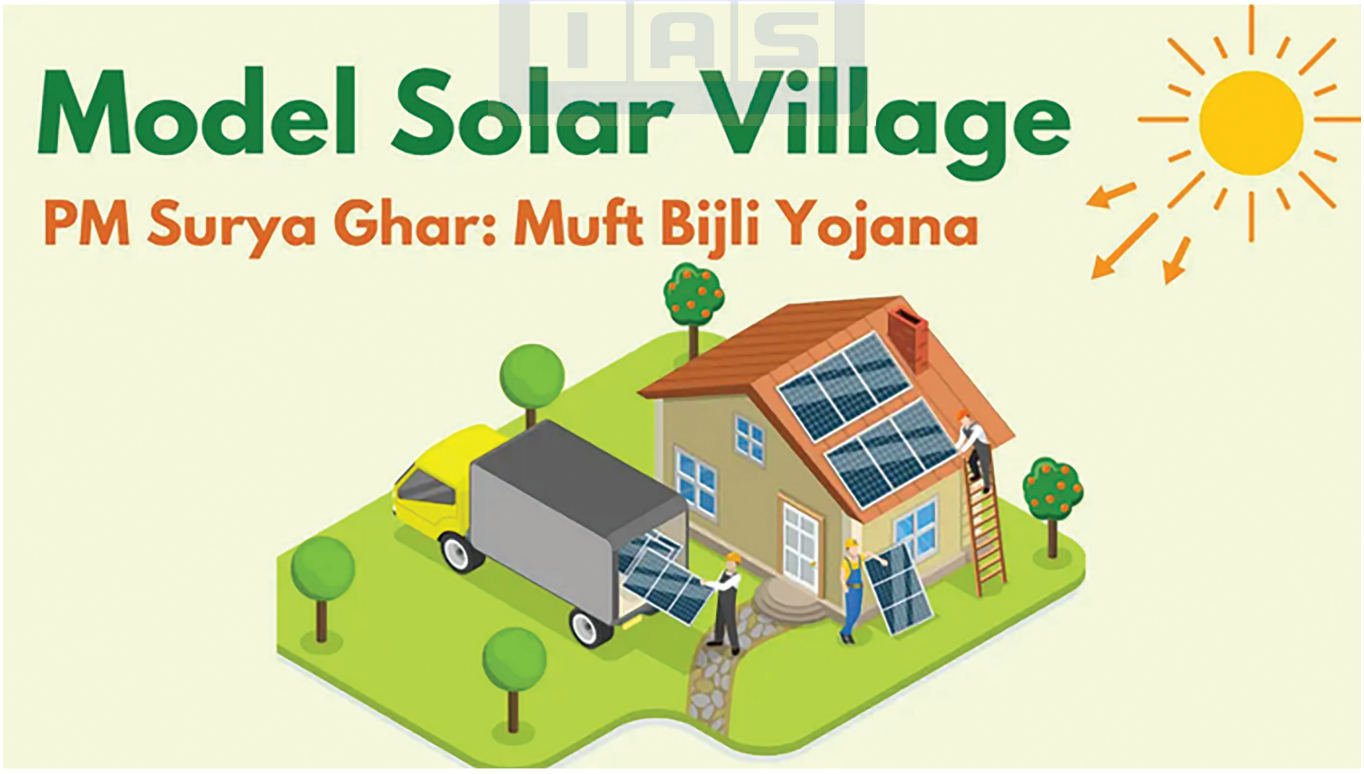

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-श्रीलंका मछुआरों का मुद्दा

तमिलनाडु के पंबन, मांझीपुरम जिले के 32 मछुआरों को ईरान की नौसेना ने अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पृष्ठभूमि:

- पाक खाड़ी में कच्चातिवु द्वीप के आस-पास मत्स्यन के अधिकार क्षेत्र को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद कई वर्षों से भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का कारण रहा है।
- 1974 के भारत-श्रीलंका समुद्री समझौते के अनुसार, भारत सरकार ने कच्चातिवु द्वीप को तमिलनाडु सरकार की सहमति के बिना इसे श्रीलंका को सौंप दिया था।
- इस अनुबंध में भारतीय मछुआरों को "आराम करने, मछली पकड़ने के जाल को सुखाने और वार्षिक सेंट एंथोनी उत्सव के लिए कच्चातिवु द्वीप तक पहुँचने" की अनुमति दी गई है, लेकिन पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया गया है।

मुद्दा:

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उद्गम 1974 और 1976 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के तहत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते से हुआ था।
  - हालाँकि, भारतीय मछुआरे अनजाने में IMBL को पार किया जा रहा है और कभी-कभी श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है या उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों का सामना करना पड़ता है।

कारण:

- **ऐतिहासिक अधिकार और पैतृक दावे:** तमिलनाडु के मछुआरे तर्क देते हैं, कि इन जल क्षेत्रों में उनके मछली पकड़ने का प्रचलन आधुनिक सीमा समझौते से पहले का है। सदियों से उनके पूर्वज इन जल क्षेत्रों पर निर्भर रहे हैं और ये इन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र के बजाय साझा संसाधनों के रूप में देखते हैं।
- **आर्थिक आवश्यकता:** अत्यधिक मछली पकड़ने, प्रदूषण और बदलती समुद्री परिस्थितियों के कारण भारतीय जल क्षेत्र में मछलियों की घटती संख्या ने इन मछुआरों को IMBL से परे संसाधनों की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया है। अपने परिवार को पालने के लिए आर्थिक दबाव प्रायः समुद्री सीमा पार करने से जुड़े जोखिमों से अधिक होता है।
- **आजीविका पर निर्भरता:** तमिलनाडु के कई तटीय समुदायों के लिए मछली पकड़ना आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। सीमित वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के साथ, प्रचुर मात्रा में मछली पकड़ने के क्षेत्र तक पहुँच की आवश्यकता उनके अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- **संरक्षण संबंधी चिंताएँ:** IMBL के दोनों किनारों पर अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री संसाधनों में कमी आई है, जिससे इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई है । यह कमी मछुआरों को विवादित जल में जाकर अधिक जोखिम उठाने के लिए मजबूर करती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** मछली पकड़ना न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रथा भी है, जो तमिलनाडु के तटीय समुदायों की पहचान में गहराई से समाया हुआ है। पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों तक पहुँच सीमित होने से उनकी जीवन शैली और सांस्कृतिक विरासत को खतरा है।
- **पर्यावरणीय गिरावट:** प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट, विशेष रूप से भारतीय तटीय जल में, मछली के भंडार में कमी आई है, जिससे मछुआरे बेहतर संसाधनों की तलाश में IMBL को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

श्रीलंका द्वारा हिरासत के संबंध में चिंताएँ:

- **मानवीय मुद्दा:** भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिये जाने से प्रायः व्यक्तियों और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बंदी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जो लंबे समय तक कानूनी प्रक्रियाओं और वित्तीय तनाव का सामना करते हैं।
- **कूटनीतिक तनाव:** बार-बार हिरासत में जाने से भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न होता है, जिससे बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के प्रयास जटिल हो जाते हैं और संभावित रूप से व्यापक द्विपक्षीय सहयोग प्रभावित होता है।
- **कानूनी और प्रक्रियात्मक चिंताएँ:** मछुआरों को हिरासत में लिये जाने की कानूनी प्रक्रियाएँ और स्थितियाँ निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के बारे में चिंताएँ पैदा कर सकती हैं, जिनका संभावित रूप से श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है।

- **आर्थिक प्रभाव:** मछुआरों को हिरासत में लिये जाने से उनकी आजीविका प्रभावित होती है, जिसका प्रभाव न केवल व्यक्तियों पर, बल्कि उनके समुदायों पर भी पड़ता है, जो आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में मछली पकड़ने पर अत्यधिक निर्भर है।
- **तनाव बढ़ने का जोखिम:** लंबे समय तक और लगातार हिरासत में लिये जाने से तनाव बढ़ सकता है, जिससे संभावित टकराव या प्रतिशोध हो सकता है, जो क्षेत्रीय संबंधों और सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग पर प्रभाव:** जारी हिरासतों से भारत और श्रीलंका के बीच साझा समुद्री संसाधनों के प्रबंधन और सीमा पार मुद्दों के समाधान के लिए सहयोगात्मक प्रयासों और समझौतों की संभावना में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह:

- **कूटनीतिक संवाद को मजबूत करें:** दोनों देशों के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिए निरंतर और रचनात्मक संवाद में संलग्न होना चाहिए। समझौतों पर बातचीत करने और आपसी समझ सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों और कूटनीतिक चैनलों का उपयोग किया जा सकता है।
- **संयुक्त मत्स्य प्रबंधन समझौते विकसित करें:** ऐसे समझौते स्थापित करें जो विवादित जल में मछली पकड़ने की गतिविधियों और संसाधन प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों को रेखांकित करते हों। सहयोगात्मक प्रबंधन दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले समुदायों की जरूरतों और अधिकारों को संतुलित करने में मदद कर सकता है।
- **मानवीय उपायों को लागू करना:** हिरासत में लिए गए मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना और प्रक्रिया संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना। मामलों के शीघ्र समाधान और बंदियों की रिहाई के लिए तंत्र बनाने पर विचार करना।
- **समुद्री सीमा प्रवर्तन को बढ़ावा देना:** अतिक्रमण और गलतफहमियों को रोकने के लिए समुद्री सीमा पर निगरानी और प्रवर्तन तंत्र में सुधार करना। सीमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और सुरक्षित करने के लिए संयुक्त गश्त और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।
- **क्षेत्रीय सहयोग पहल को बढ़ावा देना:** ऐसे मंचों और समझौतों के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जो समुद्री सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास के व्यापक मुद्दों को संबोधित करते हैं, दोनों देशों की जरूरतों और चिंताओं को एकीकृत करते हैं।
- **सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करें:** दोनों देशों में स्थानीय मछुआरा समुदायों को शामिल करें, ताकि उनकी जरूरतों और दृष्टिकोणों को समझा जा सके। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण संवाद और सहयोग को सुविधाजनक बना सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं।

आपूर्ति शृंखला परिषद

भारत को प्च्थ् की आपूर्ति शृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया।

परिचय:

- इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) आपूर्ति शृंखला समझौते के तहत, भारत ने 13 अन्य IPEF साझेदारों के साथ मिलकर तीन प्रमुख आपूर्ति शृंखला निकाय स्थापित किए हैं:
- **आपूर्ति शृंखला परिषद:** यह निकाय आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित, कार्रवाई-उन्मुख प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों और वस्तुओं के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क:** यह मंच तत्काल या संभावित आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के लिए समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है।
- **श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड:** यह बोर्ड क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में श्रम अधिकारों और कार्यबल विकास को सहयोगात्मक रूप से बढ़ाने के लिए श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों को एकजुट करता है।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF)

- IPEF का गठन 2022 में टोक्यो में किया गया।
- **सदस्य:** ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका।
- **उद्देश्य:** IPEF का उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है।
- IPEF **संरचना:** यह ढाँचा चार प्रमुख स्तंभों के आस-पास संगठित है: व्यापार (स्तंभ-I), आपूर्ति शृंखला लचीलापन (स्तंभ-II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ-III) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ-IV)।
- भारत IPEF के स्तंभ II से IV में शामिल हो गया है, जबकि इसने स्तंभ-I में पर्यवेक्षक का दर्जा बनाए रखा है।

यूक्रेन ने ICC में शामिल होने के लिए मतदान किया

यूक्रेन की संसद ने कथित युद्ध अपराधों के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में शामिल होने के लिए मतदान किया है।

परिचय:

- ICC **की भूमिका और उद्देश्य:**
  - अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) वैश्विक समुदाय के लिए चिंता के सबसे गंभीर अपराधों को करने के आरोपी व्यक्तियों की जाँच और मुकदमा चलाता है, जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरूद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध शामिल है।
  - अंतिम अदालत के रूप में, ICC राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के बजाय उनका पूरक के रूप में कार्य करता है।

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** ICC के गठन की प्रेरणा 1990 के दशक में पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में अत्याचार अपराधों से निपटने के लिए स्थापित तदर्थ अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से मिली। इन न्यायाधिकरणों ने वैश्विक स्तर पर ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक स्थायी न्यायालय की नींव रखी।
- ICC **की स्थापना:**
  - 1998 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए रोम संविधि ने ICC के लिए कानूनी ढाँचा स्थापित किया, जिसे आधिकारिक तौर पर 2002 में बनाया गया।
  - यह कानून न्यायालय को अपने सदस्य राज्यों के क्षेत्रों में या उनके नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से तब जब राष्ट्रीय प्राधिकारी कार्रवाई करने के लिए "अनिच्छुक या असमर्थ" हों।
- **रोम संविधि:** रोम संविधि ICC के आधारभूत कानूनी दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। यह न्यायालय को सदस्य देशों के भीतर या उनके नागरिकों द्वारा कथित अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है, केवल तभी जब घरेलू अधिकारी ऐसे मामलों को संबोधित करने में असमर्थ या अनिच्छुक हों।
- ICC **सदस्यता:**
  - वर्तमान में, 124 देश रोम संविधि के राज्य पक्ष हैं और इस प्रकार ICC के सदस्य हैं। हालाँकि, चीन, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और तुर्की सहित कई महत्त्वपूर्ण देशों ने कभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
  - मिस्र, ईरान, इजराइल, रूस, सूडान, सीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। 2023 में रोम संविधि के अनुसमर्थन के बाद, आर्मेनिया फरवरी 2024 में ICC में शामिल होने वाला नवीनतम देश बन गया।

रेल फोर्स वन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव जाने के लिए पोलैंड से 'रेल फोर्स वन' में सवार हुए।

परिचय:

- फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद से कीव आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्ति ट्रेन का उपयोग कर रहे हैं।
- **रेल फोर्स वन:**
  - **ट्रेन की विशेषताएँ:** यूक्रेनी रेलवे (Ukrzaliznytsia) द्वारा संचालित यह ट्रेन नीले और पीले रंग से चित्रित गई है और इसमें लकड़ी के पैनल, क्रीम और नीले पर्दे, चमड़े के सोफे, किंग-साइज बेड और दीवार पर लगे फ्लैटस्क्रीन टीवी जैसी लक्जरी सुविधाएँ हैं।
  - **यात्रा विवरण:** ट्रेन पोलैंड के प्रेजेमिस्ल ग्लोनी स्टेशन से कीव तक लगभग 700 किमी. की यात्रा करती है, जिसमें लगभग 10 घंटे लगते हैं।
  - **ऐतिहासिक उपयोग:** 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के विलय से पहले यह ट्रेन अमीर पर्यटकों के लिए क्रीमिया जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी।
  - **कूटनीति का प्रतीक:** यह ट्रेन "लौह कूटनीति" का प्रतीक बन गई है, यह शब्द यूक्रेन के सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर कामिशिन द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
  - **यूक्रेन के लिए महत्त्व:** ट्रेन नेटवर्क यूक्रेन के लिए महत्त्वपूर्ण है, युद्ध प्रयासों में रक्षा करता है एवं सहायता और निकासी दोनों को परिवहन करता है। इसने संघर्ष के दौरान मनोबल बढ़ाने और जनसंपर्क परिसंपत्ति के रूप में भी कार्य किया है।

प्रधानमंत्री की पोलैंड की राजकीय यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की राजकीय यात्रा की, यह 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है।

परिचय:

- यह यात्रा पोलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है, जो दीर्घकालिक संबंधों में एक मील का पत्थर है।
- दोनों देशों के बीच वार्ता में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा होगी, जिसमें अंतरिक्ष उद्योग में भारत की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत-पोलैंड संबंधों का अवलोकन:

- **राजनयिक संबंधों की स्थापना:** भारत और पोलैंड ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध जैसे साझा वैचारिक मूल्यों पर आधारित थे।
- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जामनगर के महाराजा ने युद्ध से भाग रहे सैकड़ों पोलिश महिलाओं और बच्चों को शरण प्रदान की थी, इस भावना की याद में वारसॉ में एक सड़क और जूनियर हाई स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
  - 1944 में, पोलिश और भारतीय सेनाओं ने मोंटे कैसिनो पर पुन: कब्जा करने के लिए सहयोग किया, यह एक महत्त्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने मित्र राष्ट्रों को रोम की ओर आगे बढ़ने में मदद की।
- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:** पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार बना हुआ है। 2013 से 2023 तक द्विपक्षीय व्यापार में 192% की वृद्धि हुई है, जो 1.95 बिलियन डॉलर से बढ़कर 5.72 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि भारत ने अनुकूल व्यापार संतुलन बनाए रखा है।
- **सामरिक और भू-राजनीतिक महत्त्व:**
  - भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जबकि पोलैंड यूरोपीय संघ में छठी सबसे बड़ी और विश्व स्तर पर 21वें स्थान पर है।
  - चीन और अमेरिका के बीच प्रणालीगत प्रतिद्वंद्विता के बीच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव, नाटो के पूर्वी क्षेत्र के नेता के रूप में पोलैंड की रणनीतिक भूमिका और यूक्रेन में पश्चिमी अभियानों के केंद्र के रूप में पोलैंड की भूमिका के समानांतर है।
  - दोनों राष्ट्र इन भू-राजनीतिक बदलावों के मद्देनजर अपने राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के प्रयास तेज कर रहे हैं।

3 अर्थव्यवस्था

जम्मू-कश्मीर लिथियम ब्लॉक के लिए कोई बोली नहीं लगी

खान मंत्रालय ने निवेशकों की कमजोर प्रतिक्रिया के बाद दूसरी बार जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी।

परिचय:

- सरकार को 2023 में जम्मू और कश्मीर में अपना पहला लिथियम भंडार मिला है, जिसका अनुमानित भंडार 5.9 मिलियन मीट्रिक टन है।
- भारत में, राजस्थान के सांभर और पचपदरा क्षेत्र और गुजरात के कच्छ के रण के जल से भी प्राप्त होने की संभावना है।
- कठोर चट्टान पेग्माटाइट जमाओं से लिथियम निकालने और प्रसंस्करण में आने वाली कठिनाइयों तथा निविदा दस्तावेजों में प्रयुक्त अविकसित खनिज रिपोर्टिंग मानकों ने निवेशकों को हतोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत के वर्तमान संसाधन वर्गीकरण नियम, जो मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण फ्रेमवर्क (UNFC) पर आधारित हैं, खनिज ब्लॉक के खनन की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण फ्रेमवर्क (UNFC)

- **सार्वभौमिक प्रणाली:** संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) खनिजों, ऊर्जा और अन्य सहित विभिन्न संसाधनों को वर्गीकृत करने और रिपोर्ट करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो विश्व भर में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।
- **मानकीकृत दृष्टिकोण:** UNFC संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए एक मानकीकृत विधि प्रदान करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों में संसाधनों के प्रबंधन और रिपोर्टिंग में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- **स्थिरता एकीकरण:** यह ढाँचा पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक कारकों को संसाधन प्रबंधन में एकीकृत करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में इन महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाए।
- **वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण:** UNFC प्रमुख वैश्विक स्थिरता पहलों के साथ संरेखित है, जिसमें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और पेरिस समझौता शामिल है, तथा यह इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है।
- **व्यापक कवरेज:** यह ढाँचा संसाधनों की एक विस्तृत शृंखला को समाविष्ट करती है, जैसे खनिज, पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा, मानवजनित संसाधन, इंजेक्शन परियोजनाएँ, परमाणु ईंधन और भूजल, जिससे यह विभिन्न उद्योगों में लागू हो जाता है।
- **निर्णय लेने में सहायता:** UNFC की व्यापक प्रकृति सरकारों, उद्योगों और हितधारकों को संसाधन उपयोग के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है तथा वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार और कुशल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
- **हितधारकों के लिए महत्त्वपूर्ण ढाँचा:** यह ढाँचा उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो स्थायी संसाधन प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह आवश्यक उपकरण और दिशा-निर्देश प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा किया जा सके।

निवेशकों को आकर्षित करने के सुझाव:

- CRIRSCO **मानकों का वैश्विक अंगीकरण:**
  - विश्व भर में अधिकांश खनन कंपनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज और नियामक निकाय, खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकों के लिए समिति (CRIRSCO) टेम्पलेट का पालन करते हैं।
  - यह टेम्पलेट आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिज भंडारों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है, जिनकी कम से कम पूर्व-व्यवहार्यता स्तर तक के अध्ययनों के माध्यम से उच्च भूवैज्ञानिक विश्वास के साथ पुष्टि की गई हो।
- **भारत के लिए अनुशंसा:**
  - खनन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि भारत CRIRSCO-संरेखित, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन योग्य खनिज रिपोर्टिंग मानकों को अपनाए।
  - इससे खनिज भंडारों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी, जिससे यह क्षेत्र निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा।
- **भारतीय खनिज उद्योग संहिता** (IMIC):
  - भारत में खनिज संसाधनों और भंडारों की रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय समिति (NACRI) 2019 से भारतीय खनिज उद्योग संहिता (IMIC) को विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
  - इस कोड को CRIRSCO द्वारा एक अनुपालन रिपोर्टिंग मानक के रूप में मान्यता दी गई है, जो भारत को खनिज संसाधन रिपोर्टिंग में वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप बनाता है।

लिथियम

- लिथियम एक रासायनिक तत्त्व है, जिसका प्रतीक Li और परमाणु संख्या 3 है। यह एक मुलायम, चाँदी की तरह सफेद क्षार धातु है।
- **गुण:** सभी क्षार धातुओं की तरह, लिथियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होती है और इसे निर्वात, निष्क्रिय वातावरण, या शुद्ध मिट्टी के तेल या खनिज तेल जैसे निष्क्रिय तरल में संगृहीत किया जाना चाहिए।

वैश्विक भंडार:

- अब तक विश्व स्तर पर खोजे गए अधिकांश भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चीन में हैं।
- अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, जिन्हें 'लिथियम त्रिभुज' के नाम से भी जाना जाता है, में विश्व के 54% लिथियम भंडार मौजूद हैं।
  - अर्जेंटीना में लिथियम अटाकामा मरुस्थल के नमक भंडारों तथा आस-पास के शुष्क क्षेत्रों में विद्यमान है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी और ऊर्जा परिवर्तन में लिथियम का महत्त्व:

- **बैटरी प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण भूमिका:**
  - लिथियम रिचार्जेबल बैटरियों का एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भंडारण प्रणालियों तक, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है।
  - इसका हल्कापन और उच्च ऊर्जा घनत्व जैसे अद्वितीय गुण इसे इन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं, जिससे अत्यधिक भार बढ़ाए बिना कुशल ऊर्जा भंडारण संभव हो पाता है।
- **स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की कुंजी:**
  - चूँकि, देश पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों सहित स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण आवश्यक है।
  - चूँकि, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन कार्बन प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्विच करना प्राथमिकता है।
  - अमेरिका जैसे देशों का लक्ष्य 2030 तक 50% नए इलेक्ट्रिक वाहन निर्मित करने का है, जबकि यूरोपीय संघ ने 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को स्वीकृति दे दी है।
  - भारत ने 2030 तक व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य रखा है, जिसमें निजी कारों में 30% और दोपहिया व तिपहिया वाहनों में 80% भाग शामिल होगा।
- EV **बैटरियों में प्रभुत्त्व:**
  - लिथियम की अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संगृहीत करने की क्षमता इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - यह बैटरी में इलेक्ट्रोडों के बीच इलेक्ट्रॉनों के सुचारू प्रवाह को सुगम बनाता है, जो कि कुशल ऊर्जा उपयोग के लिए आवश्यक है।
  - यद्यपि सोडियम-आयन बैटरी जैसी वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं, फिर भी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए EV उद्योग के विस्तार के साथ लिथियम-आयन बैटरी का प्रभुत्त्व बने रहने की अपेक्षा है।
- **व्यापक अनुप्रयोग और बढ़ती माँग:**
  - बैटरी में उपयोग के अलावा लिथियम का उपयोग सिरेमिक की, औद्योगिक स्नेहक और फार्मास्युटिकल्स में भी किया जाता है।
  - हालाँकि, बैटरियों की बढ़ती माँग लिथियम की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि ला रही है। अनुमान है कि 2030 तक, वैश्विक लिथियम की माँग में बैटरियों का हिस्सा 95% होगा, जो 2015 में सिर्फ 30% से अत्यधिक है।
  - माँग में यह उछाल लिथियम की रिकॉर्ड उच्च कीमतों में परिलक्षित होता है, जो 2022 में 75,000 डॉलर प्रति टन तक पहुँच गई।

भारत की लिथियम निर्भरता और रणनीतिक पहल:

- **आयात पर व्यापक निर्भरता:**
  - भारत अपनी लिथियम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर आयात पर निर्भर करता है, जिससे यह प्रसंस्कृत लिथियम का विश्व का सबसे बड़ा आयातक बन गया है।
  - इनमें से ज्यादातर आयात हांगकांग और चीन से होते हैं। 2020-2021 वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत ने 722.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य का लिथियम आयात किया।
  - इसके अतिरिक्त, भारत लिथियम-आयन बैटरियों का एक प्रमुख आयातक है, जो इन्हें मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से प्राप्त करता है, केवल 2022 में 617 मिलियन यूनिट आयात की गईं, जिनका मूल्य 1.8 बिलियन डॉलर है।
- **आयात निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक परिवर्तन:**
  - आयात पर निर्भरता कम करने के रणनीतिक महत्त्व को समझते हुए, भारत ने लिथियम और अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की अधिक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास प्रारंभ किए हैं।
  - खान मंत्रालय ने भारत को आपूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण और विकास के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना की।
- **अंतर्राष्ट्रीय लिथियम अन्वेषण और समझौते:**
  - जनवरी 2024 में, KABIL ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पाँच ब्लॉकों में लिथियम अन्वेषण के लिए 24 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - यह समझौता KABIL को इन ब्लॉकों का मूल्यांकन, पूर्वेक्षण और अन्वेषण करने का विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसमें लिथियम भंडार पाए जाने पर वाणिज्यिक दोहन की संभावना भी शामिल है।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं के लिए सहयोग:**
  - भारत कोबाल्ट और लिथियम सहित महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए नई आपूर्ति शृंखला स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कार्य कर रहा है।
  - यह साझेदारी भारत के विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य का अभिन्न अंग है, जो ऑस्ट्रेलिया में संसाधित महत्त्वपूर्ण खनिजों का लाभ उठाएगा।
- **वैश्विक रणनीतिक साझेदारियाँ:**
  - जून 2023 में, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हो गया, जिससे महत्त्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का और विस्तार होगा।
  - इसके अतिरिक्त, भारत, चिली और बोलीविया में लिथियम परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के अवसरों की खोज कर रहा है, जिससे आवश्यक खनिजों की आपूर्ति को विविधीकृत और सुरक्षित करने की उसकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

SEBI प्रमुख पर हिंडेनबर्ग का नवीनतम प्रकटीकरण

हिंडनबर्ग रिसर्च ने SEBI अध्यक्षा माधवी पुरी बुच पर अडानी समूह के विरुद्ध चल रही जाँच में हितों के टकराव और कथित पक्षपात का आरोप लगाया है।

परिचय:

- **गुप्त ऑफशोर निधियों में हिस्सेदारी के आरोप:**
  - आरोपों के केंद्र में यह दावा है कि SEBI की अध्यक्षा माधबी बुच और उनके पति के पास बरमूडा और मॉरीशस में स्थित ऑफशोर निधियों में अघोषित हिस्सेदारी है, जिन्हें कर चोरी के स्वर्ग (Tax Havens) के रूप में जाना जाता है।
  - ये आरोप सुश्री बुच के SEBI में कार्यकाल से पहले और उसके दौरान की उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं।

- **हितों के टकराव और मिलीभगत की चिंताएँ:**
  - हिंडेनबर्ग रिपोर्ट दो प्राथमिक मुद्दों पर चिंता व्यक्त करती है: संभावित हितों का टकराव और संभावित मिलीभगत।
  - इसमें आरोप लगाया गया है कि सुश्री बुच और उनके पति दोनों ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के स्वामित्व वाली ऑफशोर फर्मों में निवेश किया था, जिससे SEBI प्रमुख के रूप में उनकी निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता था।
- **निवेश की समय-सीमा और SEBI की नियुक्ति:**
  - रिपोर्ट के अनुसार, ये अपतटीय निवेश 2017 में सुश्री बुच की SEBI में नियुक्ति से पूर्व और पश्चात् 2022 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले मौजूद थे।
  - यह भी आरोप लगाया गया है कि SEBI में उनकी नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले ही उनके पति ने विनियामक जाँच से बचने के लिए उनके निवेश पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था।
- **आरोपों का खंडन:** इन आरोपों के जवाब में, माधबी बुच और उनके पति ने एक संयुक्त बयान जारी कर उनके विरुद्ध लगाए गए सभी दावों का दृढ़ता से खंडन किया।

पृष्ठभूमि

- **अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट (जनवरी 2023):**
  - आरोप है कि अडानी समूह कई दशकों से "शेयरों में खुलेआम हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी" में लिप्त है।
  - अडानी समूह ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, और उसके अधिकांश शेयरों का मूल्य पुन: बढ़ गया है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (मार्च 2023):**
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी समूह द्वारा कथित उल्लंघनों से निपटने में संभावित नियामक विफलताओं की जाँच के लिए छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
  - न्यायालय ने SEBI को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों, अघोषित संबंधित-पक्ष लेन-देन और स्टॉक मूल्यों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी से संबंधित संभावित उल्लंघनों की विशेष रूप से जाँच करने का भी निर्देश दिया।
  - समिति ने रिपोर्ट दी कि SEBI ने अडानी की कंपनियों में विदेशी संस्थाओं से धन के प्रवाह के संबंध में उल्लंघन के पर्याप्त प्रमाण नहीं खोजे हैं।
- **SEBI की जाँच को न्यायिक समर्थन:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने SEBI की जाँच की सत्यनिष्ठा की पुष्टि की तथा मामले को विशेष जाँच दल (SIT) या केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
  - न्यायालय ने माना कि SEBI ने 22 में से 20 मामलों में अपनी जाँच पूरी कर ली है तथा नियामक को शेष जाँच तीन महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है।

हिंडेनबर्ग रिसर्च:

- **अवलोकन:** हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी-आधारित निवेश अनुसंधान फर्म है, जिसकी स्थापना 2017 में नाथन एंडरसन द्वारा की गई थी।
- **विशेषज्ञता:** हिंडेनबर्ग रिसर्च फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण, लेखांकन अनियमितताओं, अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेन-देन की जाँच और मूल्यांकन पर केंद्रित है।

SEBI का 'बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर संहिता':

- **हितों के टकराव की परिभाषा:** इसका तात्पर्य किसी भी व्यक्तिगत हित या जुड़ाव से है जो किसी बोर्ड सदस्य के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, जैसा कि एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा माना जाता है।
- **होल्डिंग्स प्रकटीकरण:** सदस्यों को पदभार ग्रहण करने के 15 दिनों के अंदर अपनी और अपने परिवार की होल्डिंग्स का प्रकटीकरण करना होगा और इस प्रकटीकरण को वार्षिक रूप से अद्यतन करना होगा।
- **महत्त्वपूर्ण लेन-देन:** 5,000 शेयरों से अधिक या 1 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन का प्रकटीकरण 15 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।
- सदस्य अन्य लाभदायक पद पर नहीं रह सकते हैं या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिनसे वित्तीय लाभ या व्यावसायिक शुल्क प्राप्त होता हो।
- सदस्य विनियमित संस्थाओं से 1,000 रुपये से अधिक का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते; ऐसे उपहारों को SEBI के सामान्य सेवा विभाग को सौंपना होगा।
- सदस्यों को अपने पिछले या वर्तमान पद, रोजगार, प्रत्ययी पद, विनियमित संस्थाओं के साथ महत्त्वपूर्ण संबंध और मानद पदों का प्रकटीकरण करना होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- **गठन:** SEBI की स्थापना प्रारंभ में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से 12 अप्रैल, 1988 को एक गैर-सांविधिक इकाई के रूप में की गई थी।
  - यह 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 15) के अधिनियमन के साथ एक वैधानिक निकाय बन गया, जो 30 जनवरी, 1992 को प्रभावी हुआ।
- **मुख्यालय:** SEBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई में हैं।

SEBI **के उद्देश्य:**

- **पूँजी बाजार का विनियमन:** SEBI की प्राथमिक भूमिका भारतीय पूँजी बाजार को विनियमित करना, उनकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना तथा निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
- **निवेशक संरक्षण:** बोर्ड को निवेश से संबंधित नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों को लागू करके एक सुरक्षित निवेश वातावरण बनाने का कार्य सौंपा गया है, जिससे बाजार में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिले।

अमेरिका, भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता बन गया

अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात को विस्थापित कर 2023 में भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता बनकर उभरा है, जिसकी हिस्सेदारी 3.09 मिलियन टन (MT) है।

परिचय:

- प्राकृतिक गैस एक गंधहीन, गैसीय मिश्रण है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जिसमें मीथेन (CH_4) प्रमुख घटक होता है।
- **हरित ऊर्जा विकल्प के रूप में** LNG:
  - हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में तीव्र गति से मान्यता मिल रही है।

- जैसे-जैसे देश स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की खोज कर रहे हैं, इसकी भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।

- **अमेरिका सबसे बड़ा** LNG **निर्यातक:**
  - 2023 में, कतर और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका LNG का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा।
  - यह वृद्धि द्रवीकरण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित थी, जो कई वर्ष पहले किए गए निवेश का परिणाम था।
- **अमेरिकी** LNG **आपूर्ति का प्रभाव:**
  - अमेरिका से LNG की बढ़ी हुई आपूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में LNG की कीमतों में गिरावट में योगदान दिया है।
  - इसके अतिरिक्त, अमेरिकी LNG कार्गो से भारत की भौगोलिक निकटता, विशेष रूप से केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, इसे उत्तरी एशिया की तुलना में अधिक सुलभ बनाती है, जिससे बाजार की गतिशीलता पर और अधिक प्रभाव पड़ता है।

विकासशील व्यापार गतिशीलता:

- **भारत के** LNG **आयात की प्रवृत्ति:** वैश्विक स्तर पर चौथे सबसे बड़े LNG आयातक भारत ने बढ़ती कीमतों के कारण 2022 में अपने LNG आयात को कम कर दिया, जिसमें अमेरिका से शिपमेंट घटकर 2.16 मिलियन टन (MT) हो गया।
- **भारत के** LNG **आयात में** UAE **की हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव:**
  - हाल के वर्षों में भारत के LNG आयात में UAE की हिस्सेदारी में उतार-चढ़ाव देखा गया।
  - यह 2019 में 2.6 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020 में 3.32 मीट्रिक टन हो गया, फिर 2022 में घटकर 2.59 मीट्रिक टन हो गया, और 2023 में पुन: बढ़कर 2.85 मीट्रिक टन हो गया।
- **कतर भारत का सबसे बड़ा** LNG **आपूर्तिकर्त्ता:** कतर लगातार पाँच वर्षों (2019-2023) तक भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्त्ता बना रहा, जिसका वार्षिक शिपमेंट 10 मीट्रिक टन से अधिक रहा, सिवाय 2019 के जब कुल शिपमेंट 9.7 मीट्रिक टन था।
- **अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी में गिरावट:** इस अवधि के दौरान, भारत के LNG आयात में अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय गिरावट आई, जो सोर्सिंग पैटर्न में परिवर्तन का संकेत है।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) बनाम तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG):

- **पदार्थों की प्रकृति:** CNG और LNG दोनों प्राकृतिक गैस हैं। CNG को वाहन के टैंक में गैस के रूप में संगृहीत किया जाता है, जबकि LNG प्राकृतिक गैस है जिसे संपीड़ित करके बहुत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है, जिससे इसे आसान परिवहन और भंडारण के लिए तरल में परिवर्तित कर दिया जाता है।
- **घनत्व और सीमा:** तरलीकृत प्राकृतिक गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा सघन है, जो लगभग 600 गुना अधिक ऊर्जा सघन है।
- **संचालन:** LNG, CNG से ज्यादा खतरनाक है। LNG टैंकों को गर्म होने और भाप बनने पर धुएँ को बाहर निकालने की जरूरत होती है, जिससे अत्यधिक दाब पैदा हो सकता है।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा:** LNG की अत्यधिक शीतल प्रकृति फ्रीज बर्न का कारण हो सकती है। LNG, इसके वाष्प या असंक्रमित घटकों के संपर्क में आने पर कोल्ड बर्न का खतरा होता है, जबकि CNG के मामले में ऐसा नहीं होता है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)

परिचय:

- **परिभाषा:** LNG का तात्पर्य तरलीकृत प्राकृतिक गैस से है, जो प्राकृतिक गैस है, जिसे तरल रूप में परिवर्तित करने के लिए लगभग -260°F (-162°C) तक ठंडा किया जाता है।
- **परिवहन और भंडारण के लिए मात्रा में कमी:** द्रवीकरण प्रक्रिया प्राकृतिक गैस की मात्रा को लगभग 600 गुना कम कर देती है, जिससे LNG का परिवहन और भंडारण आसान और अधिक किफायती हो जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी पर जहाँ पाइपलाइनें संभव नहीं हैं।
- LNG **की संरचना:** LNG मुख्य रूप से मीथेन (CH4) से बनी होती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में अन्य हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं।
- **पुनर्गैसीकरण के बाद उपयोग:** एक बार जब LNG अपने गंतव्य तक पहुँच जाती है, तो इसका पुनर्गैसीकरण किया जाता है और पारंपरिक प्राकृतिक गैस की तरह ही इसका उपयोग किया जाता है तथा इसका उपयोग तापन, विद्युत् उत्पादन और वाहनों के लिए ईंधन जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

LNG **के लाभ:**

- **ऊर्जा परिवर्तन में भूमिका:** LNG और प्राकृतिक गैस, कोयला या भारी ईंधन जैसे अधिक प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से स्वच्छ विकल्पों की ओर परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण हैं।
- **विद्युत उत्पादन:** विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने पर, प्राकृतिक गैस कोयले की तुलना में 45% से 55% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करती है।
- **औद्योगिक अनुप्रयोग:** LNG और प्राकृतिक गैस उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करते हैं, जिनमें उच्च-कैलोरी ईंधन की आवश्यकता होती है और जिनका विद्युतीकरण करना चुनौतीपूर्ण होता है।
- **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लाभ:** LNG विकासशील क्षेत्रों में हीटिंग और खाना पकाने के लिए पारंपरिक बायोमास का स्थान लेगी, जिससे अन्य ईंधनों से स्थानीय उत्सर्जन से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों में कमी आएगी।

मध्यम आय ट्रैप

विश्व बैंक के अनुसार, चीन, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित 100 से अधिक देश गंभीर बाधाओं का सामना कर रहे हैं, जो अगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देश बनने के उनके प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

परिचय:

- **मध्यम आय ट्रैप की परिभाषा:**
  - मध्य-आय ट्रैप एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है, जहाँ देश, आर्थिक विकास और आय के एक निश्चित स्तर पर पहुँचने के बाद, उच्च आय की स्थिति तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं।
  - वे मध्यम आय स्तर पर ही फँस जाते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण आय स्तर पर विकास का रूक जाना:**
  - यह ट्रैप तब उत्पन्न होता है, जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि एक विशिष्ट आय स्तर पर पहुँचने के बाद रुक जाती है, जिससे उच्च आय की स्थिति में संक्रमण की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

- देशों को प्रायः इस चुनौती का सामना तब करना पड़ता है जब उनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति GDP अमेरिका की प्रति व्यक्ति GDP के लगभग 10% तक पहुँच जाती है, जो आज लगभग 8,000 डॉलर है।

- **मध्यम आय ट्रैप की विशेषताएँ:**
  - मध्यम आय के ट्रैप में फँसे देशों को तीव्र विकास और नवाचार बनाये रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
  - यह स्थिरता उन्हें उच्च आय स्तर तक आगे बढ़ने से रोकती है तथा आर्थिक स्थिरता की ओर ले जाती है।
- **भारत का वर्गीकरण (2023):**
  - 2023 तक, भारत को मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक GDP 1,136 डॉलर से 13,845 डॉलर तक है।
  - अधिकांश देशों के लिए महत्त्वपूर्ण सीमा प्रति व्यक्ति वार्षिक अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%, अर्थात लगभग 8,000 डॉलर है।
- **1990 से अब तक सफल परिवर्तन:**
  - 1990 के पश्चात् केवल 34 मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ ही सफलतापूर्वक उच्च आय वाली स्थिति में परिवर्तित हो पाई हैं।
  - यह उपलब्धि प्रायः यूरोपीय संघ के एकीकरण या नए तेल भंडार की खोज जैसे कारकों से जुड़ी होती है।

वैश्विक आर्थिक समृद्धि:

- **मध्यम आय वाले देशों की प्रवृत्ति:**
  - वैश्विक आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा मुख्यतः मध्यम आय वाले देशों में होती है।
  - ये देश, जिनमें विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40% से अधिक का सृजन करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **अनुकूलन और नवाचार की आवश्यकता:**
  - इन देशों के लिए केवल पुरानी रणनीतियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।
  - मध्यम आय के ट्रैप से उबरने के लिए राष्ट्रों को अनुकूलन करना होगा, नवाचार करना होगा तथा उन चुनौतियों का समाधान करना होगा, जो उनकी प्रगति में बाधा डालती हैं।
- **भारत का 2047 विजन:**
  - भारत का लक्ष्य 2047 तक, जो कि उसकी स्वतंत्रता की शताब्दी होगी, एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है।
  - हालाँकि, विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि ऐतिहासिक प्रवृत्तियों और पैटर्न को देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा।
- **दक्षिण कोरिया की प्रगति से तुलना:**
  - विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत की प्रगति की तुलना दक्षिण कोरिया से की गई है, जिसने मात्र 25 वर्षों में मध्य-आय से उच्च-आय अर्थव्यवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तन कर लिया।
  - यह तुलना समान सफलता प्राप्त करने के लिए नवीन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- **भारत के लिए भविष्य के अनुमान:**
  - विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहे तो भारत को प्रति व्यक्ति आय, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक-चौथाई के बराबर पहुँचने में 75 वर्ष लग सकते हैं।
  - इससे ठोस सुधारों और रणनीतिक प्रगति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

मध्यम आय वाले देशों के समक्ष आने वाली बाधाएँ:

- **वृद्ध होती जनसंख्या:**
  - कई मध्यम आय वाले देश तीव्र गति से बढ़ती वृद्ध आबादी से जूझ रहे हैं।
  - यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन आर्थिक विकास को बनाए रखने और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **बढ़ता संरक्षणवाद:** उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संरक्षणवादी नीतियाँ बढ़ रही हैं। व्यापार में ये बाधाएँ मध्यम आय वाले देशों की वैश्विक बाजारों और तकनीकी प्रगति तक पहुँच में बाधा डाल सकती हैं।
- **ऊर्जा परिवर्तन:** जैसे-जैसे विश्व जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण अनिवार्य हो गया है। मध्यम आय वाले देशों को आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करना चाहिए।
- 2023 के अंत तक, 108 देशों को मध्यम आय वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। इन देशों में लगभग छह अरब लोग रहते हैं - जो वैश्विक आबादी का 75% है।
- चौंकाने वाली बात यह है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले प्रत्येक तीन में से दो लोग इन्हीं मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
- इसके अलावा, वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक उत्पन्न करते हैं और कार्बन उत्सर्जन में 60% से अधिक का योगदान करते हैं।

आगे की राह: 3i रणनीति

मध्यम आय के ट्रैप से बचने के लिए विश्व बैंक ने एक व्यावहारिक '3i रणनीति' का प्रस्ताव रखा है:

- **निवेश** (1i): कम आय वाले देशों को मुख्य रूप से उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। बुनियादी ढाँचे का निर्माण, शिक्षा में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना महत्त्वपूर्ण कदम हैं।
- **संचार** (2i): जैसे-जैसे देश निम्न-मध्यम आय की स्थिति प्राप्त करते हैं, उन्हें अपनी रणनीतियों में विविधता लाने की आवश्यकता होती है। इस चरण में विदेशों से प्रौद्योगिकी को अपनाना और उन्हें अर्थव्यवस्था में विस्तृत करना शामिल है। अतः नवाचार आवश्यक हो जाता है।
- **नवाचार** (3i): उच्च-मध्यम आय स्तर पर, देशों को नवाचार अपनाना होगा।
  - इसका अर्थ है अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, तथा रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।

राज्य सीधे FCI से चावल खरीद सकते हैं

केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि राज्य ई-नीलामी में भाग लिए बिना खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (FCI) से सीधे चावल खरीद सकते हैं।

परिचय:

- PMGKAY **के अंतर्गत खरीद:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आवंटित पाँच किलोग्राम मुफ्त अनाज से अतिरिक्त चावल खरीदने के इच्छुक राज्य परिवहन लागत को छोड़कर 2,800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ऐसा कर सकते हैं।
- **खुला बाजार बिक्री योजना** (OMSS)**:**
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) समय-समय पर खुले बाजार बिक्री योजना के माध्यम से केंद्रीय पूल से गेहूँ और चावल जैसे अधिशेष खाद्यान्न की बिक्री करता है।
  - ये बिक्री खुले बाजार में व्यापारियों, थोक उपभोक्ताओं और खुदरा शृंखलाओं को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर की जाती है।
- **खाद्यान्न बिक्री के लिए ई-नीलामी:**
  - FCI इन बिक्री का प्रबंधन ई-नीलामी के माध्यम से करता है, जहाँ खुले बाजार के बोलीदाता प्रत्येक नीलामी चक्र के प्रारंभ में निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न की निर्दिष्ट मात्रा खरीद सकते हैं।
  - इन कीमतों की नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाता है।
- OMSS **के माध्यम से राज्य खरीद:**
  - राज्यों को सामान्यत: नीलामी में भाग लिए बिना OMSS के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदने की अनुमति होती है।
  - इससे उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरण के लिए केंद्रीय पूल से आवंटन से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- **स्थापना:**
  - भारतीय खाद्य निगम (FCI) एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी।
  - इसका गठन उस समय अनाज, विशेषकर गेहूँ की भारी कमी को देखते हुए किया गया था।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - **किसानों के लिए लाभकारी मूल्य:** FCI का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है, जिससे उनके प्रयासों के लिए उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
  - **स्थिर खाद्य सुरक्षा प्रणाली:** संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को संकट प्रबंधन दृष्टिकोण से एक स्थिर प्रणाली में परिवर्तित करना है, जिससे हर समय सभी के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित हो सके, ताकि कोई भी भूखा न रहे।
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा:** FCI राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
  - **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वितरण:** FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के हिस्से के रूप में पूरे देश में खाद्यान्न के वितरण की देख-रेख करता है, जिसका उद्देश्य जनता को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराना है।
  - **मूल्य समर्थन परिचालन:** FCI किसानों के हितों की रक्षा, बाजार मूल्यों को स्थिर करने और कृषि स्थिरता का समर्थन करने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन परिचालन संचालित करता है।

विमान रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण के लिए नीति में परिवर्तन

सरकार ने विमान के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों के आयात के लिए 5% की एक समान दर से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने की घोषणा की।

परिचय:

- DGCA **की भूमिका:** नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) भारत में विमान रखरखाव, मरम्मत और निरीक्षण (MRO) गतिविधियों की देख-रेख के लिए जिम्मेदार नियामक प्राधिकरण है।
- MRO **सेवाओं के लिए सरकारी पहल:** भारत सरकार ने देश में विमान MRO सेवाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- **विस्तारित निर्यात एवं पुन: आयात अवधि:**
  - मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है।
  - इसके अतिरिक्त, वारंटी के अंतर्गत मरम्मत के लिए माल के पुन: आयात की समय सीमा तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है।
- **नए** MRO **दिशा-निर्देश (2021):** 2021 MRO दिशा-निर्देशों ने रॉयल्टी को समाप्त कर दिया और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) हवाई अड्डों पर संचालित MRO के लिए भूमि आवंटन में अधिक पारदर्शिता और निश्चितता लाई।
- MRO **सेवाओं पर** GST **में कमी:** MRO सेवाओं पर माल और सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, साथ ही 1 अप्रैल, 2020 से पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा।
- **उप-अनुबंधित लेन-देन के लिए शून्य-रेटेड** GST**:** विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) या MRO द्वारा घरेलू MRO को उप-अनुबंधित लेन-देन को 'निर्यात' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वे 1 अप्रैल, 2020 से शून्य-रेटेड GST के अधीन हैं।
- **सीमा शुल्क छूट:** MRO सेवाओं में प्रयुक्त औजारों और टूल किटों पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
- **100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI)**:** सरकार स्वचालित मार्ग के माध्यम से MRO सेवाओं में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है, जिससे इस क्षेत्र में अधिक विदेशी भागीदारी की सुविधा मिलती है।

बागवानी क्लस्टर

हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि आय को बढ़ावा देने के लिए अगले पाँच वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की।

परिचय:

- बागवानी क्लस्टर एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहाँ विशिष्ट फसलों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन किया जाता है।

- संसाधनों और विशेषज्ञता को केंद्रित करके, ये क्लस्टर लागत में कमी कर सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं। इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाना है।
- **मुख्य बिंदु:**
  - **निवेश:** 18,000 करोड़ रुपये के निवेश का उपयोग इन क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए किया जाएगा, जो सेब, आम, केला, अंगूर, अनानास, अनार और हल्दी जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रत्येक क्लस्टर को उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लक्षित समर्थन प्राप्त होगा।
  - **निर्यातोन्मुख दृष्टिकोण:** इन क्लस्टरों को निर्यातोन्मुख मानसिकता के साथ डिजाइन किया गया है। उत्पादन प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर, भारत का लक्ष्य वैश्विक बागवानी व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाना है।

प्रभाव और दृष्टि:

- **किसानों की आय:** बागवानी क्लस्टरों से लगभग 10 लाख किसानों और संबंधित हितधारकों को लाभ मिलने की अपेक्षा है।
  - फसल की गुणवत्ता में सुधार, रसद को सुव्यवस्थित करने और क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाने के माध्यम से, कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है।
- **निर्यात:** सरकार इस पहल के माध्यम से लक्षित फसलों के निर्यात में 20% की वृद्धि का लक्ष्य रखती है।
  - भौगोलिक विशेषज्ञता और बाजार-आधारित विकास का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य वैश्विक बागवानी व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता बनना है।
- **डिजिटल कृषि मिशन:** डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसानों को भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण और नुकसान के आकलन से जुड़ी डिजिटल पहचान प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य रिकॉर्ड में हेराफेरी को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
- **जलवायु-प्रतिरोधी फसलें:** सरकार जलवायु-प्रतिरोधी फसलों की 1,500 नई किस्में विकसित करने की योजना बना रही है, जो उच्च तापमान को झेल सकें। फूलों, फलों और औषधीय पौधों में विविधता लाने पर भी विचार किया जा रहा है।

भूतापीय ऊर्जा की खोज

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने विभिन्न मान्यता प्राप्त भूतापीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा की खोज की है, जिसमें विभिन्न भूतापीय क्षेत्रों में तापमान, निर्वहन और जल की गुणवत्ता/रसायन विज्ञान पर डेटा का संग्रह शामिल है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **भूतापीय अनुसंधान और रिपोर्ट:**
  - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने देश भर में 381 तापीय रूप से असामान्य क्षेत्रों का अध्ययन किया है और 'भारत का भूतापीय एटलस, 2022' प्रकाशित किया है।
  - यह रिपोर्ट भूतापीय क्षमता के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है।
- **भूतापीय विद्युत क्षमता:** भारत में भूतापीय विद्युत क्षमता लगभग 10,600 मेगावॉट होने का अनुमान है।
- **वर्तमान परियोजनाएँ:** सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने तेलंगाना के भद्राद्रि कोठागुडेम जिले के मनुगुरु में 20 किलोवॉट का पायलट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया है।
- **सरकारी पहल:** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) भूतापीय ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए "नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD)" चला रहा है।
- **वित्तीय सहायता:** MNRE सरकारी और गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों के लिए 100% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा भू-तापीय ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में शामिल उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों के लिए 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - **भारत-आइसलैंड समझौता ज्ञापन (2007):** भारत और आइसलैंड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत भूतापीय ऊर्जा को सहयोग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था।
  - **भारत-सऊदी अरब समझौता ज्ञापन (2019):** भूतापीय ऊर्जा को सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता देते हुए सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - **भारत-USA RETAP (2023):** भारत और USA के बीच 2023 में प्रारंभ किए जाने वाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई मंच (RETAP) ने भूतापीय ऊर्जा को सहयोग के लिए एक फोकस क्षेत्र के रूप में पहचाना है।

भू-तापीय ऊर्जा:

- भूतापीय ऊर्जा एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है, जो पृथ्वी के अंदर संगृहीत ऊष्मा से उत्पन्न होती है।
- यह ऊष्मा रेडियोधर्मी पदार्थों के प्राकृतिक क्षय तथा ग्रह के निर्माण के बाद बची हुई ऊष्मा से उत्पन्न होती है।
- **भूतापीय विद्युत संयंत्र:** ये विद्युत् जनरेटर से जुड़े टर्बाइनों को चलाने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल के भंडार से वाष्प का उपयोग करते हैं। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं:
  - **शुष्क वाष्प संयंत्र:** टर्बाइनों को चलाने के लिए भूतापीय भण्डार से सीधे वाष्प का उपयोग किया जाता है।
  - **फ्लैश वाष्प संयंत्र:** वाष्प बनाने के लिए उच्च दाब वाले गर्म जल को निम्न दाब वाले टैंकों में खींचते हैं।
  - **बाइनरी चक्र संयंत्र:** भूतापीय उष्ण जल से ऊष्मा को कम क्वथनांक वाले दूसरे तरल में स्थानांतरित करते हैं, जो वाष्पीकृत हो जाता है और टरबाइन को चलाता है।
- **भूतापीय ऊष्मा पंप:** ये प्रणालियाँ भवनों को गर्म और ठंडा करने के लिए पृथ्वी के स्थिर तापमान का उपयोग करती हैं। शीत ऋतु में, वे भूमि से ऊष्मा को भवनों में लाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में, वे भवनों से ऊष्मा को वापस भूमि में स्थानांतरित करते हैं।

- **प्रत्यक्ष उपयोग अनुप्रयोग:** भूतापीय ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्षत: भवनों को गर्म करने, ग्रीनहाउस में पौधे उगाने, फसलों को सुखाने और यहाँ तक कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जा सकता है।
- **भूतापीय जिला उष्मन (हीटिंग):** कुछ क्षेत्रों में, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण समुदायों या जिलों को ऊष्मा प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- **कमियाँ:** इसके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे भूमि अवतलन और प्रेरित भूकंपीयता (मानव गतिविधि से उत्पन्न भूकंप) की संभावना।
  - भूतापीय संसाधन प्राय: स्थान-विशिष्ट होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे महत्त्वपूर्ण भूतापीय गतिविधि वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, जैसे कि आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से (जैसे कैलिफोर्निया और नेवादा) और प्रशांत अग्नि वलय।

महत्त्व:

- **नवीकरणीय और टिकाऊ:** भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पृथ्वी से ऊष्मा का निरंतर पूर्ति होते रहता है।
  - जीवाश्म ईंधनों के विपरीत, जो सीमित हैं, भूतापीय ऊर्जा, शक्ति और ऊष्मा का एक सतत और विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकती है।
- **कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** भूतापीय ऊर्जा प्रणालियाँ जीवाश्म ईंधन की तुलना में निम्न स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं।
  - इससे यह एक स्वच्छ विकल्प बन जाता है, जो जलवायु परिवर्तन तथा वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है।
- **विविध अनुप्रयोग:** विद्युत् उत्पादन के अलावा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष तापन अनुप्रयोगों, शीतलन और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। यह बहुमुखी प्रतिभा एक बहुउद्देशीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इसके मूल्य को बढ़ाती है।
- **कम परिचालन लागत:** एक बार भूतापीय विद्युत् संयंत्र या ताप पंप प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद, परिचालन और रखरखाव लागत अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। इससे दीर्घकालिक ऊर्जा लागत कम हो सकती है।
- **कम जल उपयोग:** भूतापीय विद्युत संयंत्र सामान्यत: पारंपरिक विद्युत संयंत्रों की तुलना में कम जल का उपयोग करते हैं, जो कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभप्रद है।

येन संचालित व्यापार (येन कैरी ट्रेड)

कम ब्याज दरों ने वैश्विक निवेशकों को सस्ते दामों पर येन उधार लेने तथा बेहतर रिटर्न के लिए अन्य देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया।

परिचय:

- निवेशक कम ब्याज दर वाले देश से पैसा उधार लेते हैं और उसे उच्च ब्याज दर वाले देशों में निवेश करते हैं।
  - **उदाहरण:** कम ब्याज दरों पर (जापान से) येन उधार लेना तथा ब्राजील, मैक्सिको या भारत जैसे देशों में निवेश करना, जहाँ ब्याज दरें अधिक हैं।
- **बैंक ऑफ जापान की नीति:** 2011 और 2016 के बीच, जापान की ब्याज दरें शून्य थीं और 2016 के बाद से, जापान में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए वे और भी कम (-0.10%) हो गई हैं।
  - मार्च के मध्य से जुलाई तक, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें -0.10% से बढ़ाकर 0.25% कर दीं।
  - जापानी ब्याज दरों में वृद्धि के कारण येन मजबूत हुआ।
- **प्रभाव:** जिन निवेशकों ने येन उधार लिया था और अन्य मुद्राओं में निवेश किया था, उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ बेचना प्रारंभ कर दिया।
  - येन अन्य मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्राजीलियन रियल, भारतीय रुपया और मैक्सिकन पेसो के मुकाबले मजबूत हुआ।

RBI ने कर भुगतान के लिए UPI लेन-देन की सीमा बढ़ाई

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ाकर डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रमुख बिंदु:

- **बढ़ी हुई सीमा:** कर भुगतान के लिए UPI लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं के लिए UPI का उपयोग करके अपने बकाये का निपटान करना आसान बनाना है।
- **प्रत्यायोजित भुगतान सुविधा:** बढ़ी हुई सीमा के अलावा, RBI ने UPI उपयोगकर्त्ताओं के लिए "प्रत्यायोजित भुगतान" नामक एक नई सुविधा का प्रस्ताव दिया है। यह एक प्राथमिक उपयोगकर्त्ता (मान लीजिए, एक खाताधारक) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्त्ता) को एक निर्दिष्ट सीमा तक प्राथमिक उपयोगकर्त्ता के बैंक खाते से UPI लेन-देन करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है।

- **मूलत:** इसका अर्थ यह है कि माता-पिता अपने बच्चों को दैनिक खर्चों के लिए अपने खातों तक सीमित पहुँच प्रदान कर सकते हैं, भले ही बच्चों के पास अपना बैंक खाता या स्मार्टफोन न हो।
- **पूर्ववर्ती परिवर्तन:** यह ध्यान देने योग्य है कि विगत वर्ष दिसंबर में, RBI ने विशेष रूप से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित भुगतानों के लिए UPI लेन-देन की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)

- यह एक ऐसी प्रणाली है, जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (किसी भी सहभागी बैंक की) में अनेक बैंक खातों को शामिल करती है, तथा अनेक बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध निधि अनुमार्गण (रूटिंग) और व्यापारिक भुगतानों को एक ही स्थान पर समाहित कर देती है।
- इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया था।
- UPI **में भागीदार:** भुगतानकर्त्ता भुगतान सेवा प्रदाता (PSP), आदाता PSP, धनप्रेषक बैंक, लाभार्थी बैंक, NPCI, बैंक खाताधारक और व्यापारी।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

हाल ही में, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के विकल्प को मौजूदा एक से बढ़ाकर चार करने की माँग की गई।

परिचय:

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की शुरूआत 2023-24 के बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के बाद की गई है, जिसमें शासन को मजबूत करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण सहित बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों को सुविधाजनक बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 और 1980 सहित कई कानूनों में संशोधन करना चाहता है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य शासन को बढ़ाना, निवेशक संरक्षण को मजबूत करना और समग्र बैंकिंग प्रथाओं में सुधार करना है।

प्रस्तावित संशोधन:

- **प्रति बैंक खाता नामिती** (Nominees)**:** वर्तमान में, प्रत्येक बैंक खाते में केवल एक नामिती हो सकता है। हालाँकि, प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इस सीमा को बढ़ाकर प्रति खाता चार नामिती करना है।
  - यह खाताधारकों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान करता है।
- **'पर्याप्त ब्याज'** (Substantial Interest) **को फिर से परिभाषित करना:** इस विधेयक में बैंक निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' की अवधारणा को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।
  - यह लगभग छह दशकों से लागू सीमा में लंबे समय से लंबित समायोजन को दर्शाता है।
- **सांविधिक लेखा परीक्षकों के वेतन में लचीलापन (बैंकों के लिए स्वायत्तता):** विधेयक का उद्देश्य बैंकों को सांविधिक लेखा परीक्षकों के वेतन के निर्धारण में अधिक लचीलापन प्रदान करना है।
  - यह बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने में मजबूत लेखापरीक्षा प्रथाओं के महत्त्व को मान्यता देता है।
- **सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 किसी बैंक के निदेशक (अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) को लगातार आठ वर्षों से अधिक समय तक पद पर बने रहने पर रोक लगाता है। वर्ष 2024 का विधेयक सहकारी बैंकों के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान करता है।
- **व्यापक सुधार:** ये परिवर्तन बैंक प्रशासन और निवेशक संरक्षण में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। ये संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधि ग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 पर भी प्रभाव डालेंगे।

युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति 2024

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने "युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्ति 2024 (युवाओं के लिए GET)" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है।

परिचय:

- यह रिपोर्ट युवाओं के लिए ILO की GET के 20वें वर्षगांठ प्रकाशन का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह रिपोर्ट इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से अब तक की उपलब्धियों पर नजर डालती है, साथ ही यह भी बतलाती है कि संकटों और अनिश्चितताओं से भरे इस युग में युवाओं के रोजगार के लिए क्या-क्या संभावनाएँ हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के भाग के रूप में हुई थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया था और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई।
- इसके 187 सदस्य देश हैं।
- यह श्रम मानक निर्धारित करता है, नीतियाँ विकसित करता है और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करता है।
- यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, **स्विटजरलैंड** में है।
- **प्रमुख रिपोर्टें:** विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO), वैश्विक वेतन रिपोर्ट, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य, विश्व कार्य रिपोर्ट।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, बेरोजगारी को नौकरी के बिना होने, कार्य करने के लिए उपलब्ध होने तथा सक्रिय रूप से रोजगार की खोज करने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - जो व्यक्ति बेरोजगार है, लेकिन सक्रिय रूप से कार्य की खोज नहीं कर रहा है, उसे बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक विकास ने 15-24 आयु वर्ग के युवाओं के लिए वैश्विक श्रम बाजार के दृष्टिकोण में सुधार किया है।
- 2023 में युवा बेरोजगारी दर 13% रहेगी, जो 15 वर्षों का न्यूनतम स्तर है तथा 2019 में महामारी-पूर्व दर 13.8% से कम है। इस वर्ष और अगले वर्ष इसके और गिरकर 12.8% होने की अपेक्षा है।
- **उच्च बेरोजगारी दर:** अरब देशों, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा बेरोजगारी दर 2019 की तुलना में 2023 में अधिक थी।
- NEET **युवा:** रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण (NEET) से वंचित युवाओं की संख्या 'चिंताजनक' है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 20.4% है और दो तिहाई युवा NEET महिलाएँ हैं।
- **कार्यरत युवाओं की चिंताएँ:** सभ्य नौकरियाँ पाने में प्रगति का अभाव, वैश्विक स्तर पर आधे से अधिक युवा श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में हैं।
  - उच्च आय वाले देशों में सुरक्षित वेतन वाली नौकरी में कार्य करने वाले युवा वयस्कों की भागीदारी काफी अधिक है (2023 में 76%), लेकिन उन देशों में अस्थायी कार्य की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।
  - विशेष रूप से मध्यम आय वाले देशों में, शिक्षित युवाओं की आपूर्ति के अनुरूप उच्च कौशल वाली नौकरियों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं रही है।
  - निम्न आय वाले देशों में, 25 से 29 वर्ष की आयु के पाँच में से केवल एक युवा वयस्क ही सुरक्षित वेतन वाली नौकरी पाने में सफल हो पाता है।

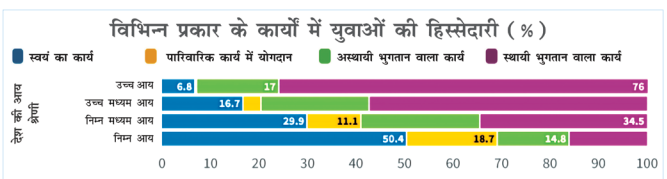

- निम्न आय वाले देशों में, 25 से 29 वर्ष की आयु के पाँच में से केवल एक युवा वयस्क ही सुरक्षित वेतन वाली नौकरी पाने में सफल हो पाता है।
  - सेवाओं के अंतर्गत, तीन समेकित उप-क्षेत्र इस क्षेत्र के हिस्से में दो तिहाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार रहे हैं: थोक और खुदरा व्यापार; आवास और खाद्य सेवाएँ; तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएँ।
- **कृषि क्षेत्र:** 2021 तक युवा रोजगार में कृषि का हिस्सा घटकर 30.5% रह गया।
- **उद्योग क्षेत्र:** उद्योग क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र ने 2001 और 2021 के बीच युवा नौकरियों में घटती हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है, जबकि निर्माण क्षेत्र ने विशेष रूप से युवा पुरुषों के लिए अधिक प्रमुख भूमिका निभाई है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, 2023 में युवा बेरोजगारी दर 13.9% थी और यह संकट के वर्षों से पूरी तरह रिकवरी को दर्शाती है तथा संकट-पूर्व वर्षों की दर से नीचे आ गई है।
  - 2025 तक इस क्षेत्र में युवा बेरोजगारी दर घटकर 13.7% हो जाने की अपेक्षा है।
  - दक्षिण एशिया में रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण दरों से इतर युवाओं में लिंग अंतर विश्व के किसी भी अन्य उप-क्षेत्र की तुलना में अधिक था।
  - क्षेत्र की युवा NEET दर बहुत मामूली रूप से बढ़कर 20.5% (2023 में 20.4% से) होने की अपेक्षा है।
  - सहस्राब्दि के प्रारंभ से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी नौकरियों में कार्यरत युवा वयस्कों की हिस्सेदारी पाँच में से एक से बढ़कर चार में से एक हो गई है।
  - 2021 तक, दक्षिण एशिया का केवल एक उपक्षेत्र ही ऐसा था, जहाँ कृषि क्षेत्र ही युवाओं को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र था (35%)।

भारत में बेरोजगारी का आकलन

- **सामान्य प्रमुख और सहायक स्थिति** (UPSS):
  - किसी व्यक्ति की प्रमुख स्थिति को विगत् वर्ष के दौरान उनके द्वारा सबसे अधिक समय व्यतीत की गई गतिविधि के आधार पर वर्गीकृत करता है।
  - किसी भी आर्थिक गतिविधि में कम से कम 30 दिनों तक सहायक भूमिका में लगे व्यक्तियों को UPSS के अंतर्गत नियोजित माना जाता है।
  - **उदाहरण:**
    - कोई व्यक्ति जो विगत् वर्ष पाँच माह से बेरोजगार था, लेकिन सात माह से कार्य कर रहा है, उसे रोजगार प्राप्त व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा।
    - इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति नौ महीने से बेरोजगार था, लेकिन तीन महीने से कार्य कर रहा है, तो उसे भी UPSS के अंतर्गत कार्यरत माना जाएगा।
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति** (CWS):
  - एक सप्ताह की अवधि के आधार पर रोजगार को मापता है।
  - किसी व्यक्ति को तभी कार्यरत माना जाएगा यदि उसने सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों में कम से कम एक दिन कम से कम एक घंटा कार्य किया हो।

आवास वित्त कंपनियाँ (HFCs)

RBI ने आवास वित्त कंपनियों (HFCs) के लिए कड़े विनियमन की दिशा में चरणबद्ध परिवर्तन के भाग के रूप में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए, ताकि उन्हें NBFCs के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

परिचय:

- HFCs ऐसी कॉर्पोरेट संस्थाएँ हैं, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्य करती हैं। उनका प्राथमिक ध्यान विभिन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यमों से आवास ऋण या वित्त उपलब्ध कराना है।
- प्रारंभ में इन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा विनियमित किया जाता था, लेकिन 2019 में HFC को संभालने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को हस्तांतरित कर दी गई। हालाँकि, कुछ नियामक शक्तियाँ NHB के पास बनी हुई हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम (NBFC)

- यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जो ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/स्टॉक/बॉन्ड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के कारोबार में लगी हुई है।

- इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी सामान (प्रतिभूतियों के अलावा) की खरीद या बिक्री या कोई भी सेवा प्रदान करना और अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण करना है।
- एक गैर-बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत एकमुश्त या किश्तों में अंशदान या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना है, वह भी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी) है।
- NBFCs के कार्यों का प्रबंधन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा किया जाता है।

भारत में कृषि सुधार के लिए अंतरिक्ष-संचालित समाधान

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भारत के कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

कृषि में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग:

- **मौसम पूर्वानुमान:** उपग्रह सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डेटा प्रदान करते हैं, जिससे किसानों को प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण होने वाले क्षति से बचने के लिए बुवाई, सिंचाई और कटाई जैसी अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलती है।
- **जल संसाधन प्रबंधन:** उपग्रह डेटा का उपयोग जल निकायों की निगरानी और जल संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सिंचाई अनुकूलित हो और जल संरक्षण हो।
- **मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म:** कई सरकारी और निजी पहल मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किसानों को वास्तविक समय पर परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करती हैं।
  - **उदाहरण:** किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे किसानों को महत्त्वपूर्ण मापदंडों जैसे; मौसम, बाजार मूल्य, पौध संरक्षण, कृषि-सलाह, चरम मौसम चेतावनी आदि के बारे में जानकारी को प्रसार करने में सुविधा होगी।
- **फसल उपज का पूर्वानुमान:** उपग्रह डेटा का उपयोग फसल उपज का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, जिससे बाजार नियोजन और मूल्य निर्धारण रणनीतियों में मदद मिलती है।
  - 2015 में प्रारंभ की गई किसान परियोजना में इष्टतम फसल कटाई प्रयोग योजना और उपज अनुमान में सुधार के लिए उच्च-रिजॉल्यूशन रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गई थी।

कृषि-निर्णय समर्थन प्रणाली

- कृषि-DSS भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया अपनी तरह का पहला भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म है। यह हाल ही में बजट में घोषित कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का हिस्सा है।
- यह प्लेटफॉर्म उपग्रह चित्रों, मौसम संबंधी जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सहित व्यापक डेटा तक निर्बाध पहुँच प्रदान करता है, जिसे किसी भी समय कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

लाभ:

- **सटीक फसल उत्पादन अनुमान:**
  - उपग्रह डेटा और उन्नत विश्लेषण अपेक्षित फसल पैदावार का सटीक, क्षेत्र-विशिष्ट अनुमान प्रदान करते हैं।
  - इससे खाद्यान्न माँग के अंतर का आकलन करने, फसल की कीमतों का पूर्वानुमान लगाने तथा फसल क्षेत्रों के लिए रसद को कुशलतापूर्वक संरेखित करने में मदद मिलती है।
- **उपज अनुकूलन:**
  - उपग्रह इमेजरी खेतों में फसल दोषों का पता लगाने के लिए उन्नत विश्लेषण को सक्षम बनाती है।
  - यह जानकारी किसानों को लक्षित कार्रवाई करने, संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करके प्रति एकड़ उत्पादन को अनुकूलित करने और विशिष्ट फसल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाती है।
- **टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना:** उपग्रह से प्राप्त जानकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जल संरक्षण करने, तथा पुनर्योजी कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने में मदद करके टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने में सहायता करती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता में वृद्धि होती है।
- **क्षति पूर्वानुमान और न्यूनीकरण:**
  - उपग्रह सूखा, आग और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले और बाद में पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करने की अद्वितीय क्षमता प्रदान करते हैं।
  - इससे क्षति का सटीक पूर्वानुमान, सत्यापन और न्यूनीकरण संभव हो पाता है, तथा आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता मिलती है।
- **स्वायत्त निगरानी:**
  - उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी सीमित मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज वाले दूरदराज के क्षेत्रों में निरंतर निगरानी और स्वायत्त संचालन की सुविधा प्रदान करती है।
  - इससे उन क्षेत्रों में विश्वसनीय डेटा संग्रहण और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होती है, जहाँ पारंपरिक संचार बुनियादी ढाँचे का अभाव है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले प्रमुख कार्यक्रम:

- **फसल परियोजना (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान):** यह परियोजना कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने और कृषि-मौसम संबंधी स्थितियों का आकलन करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।
- **चमन परियोजना (भू-सूचना विज्ञान का उपयोग करते हुए बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम):** भू-सूचना विज्ञान उपकरणों का उपयोग करके बागवानी फसलों के मूल्यांकन और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- NADAMS **(राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली):** सूखा प्रबंधन एवं प्रतिक्रिया में सहायता के लिए सूखे की स्थिति का निरीक्षण एवं आकलन करता है।

- **चावल-परती क्षेत्र मानचित्रण और गहनता:** चावल-परती क्षेत्रों का मानचित्रण करने और फसल गहनता के लिए रणनीति विकसित करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।
- **भुवन:** यह प्लेटफॉर्म फसल बीमा और भूमि उपयोग योजना सहित कृषि को सहायता देने के लिए उपग्रह चित्र और सेवाएँ प्रदान करता है।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** (PMFBY): यह फसल बीमा योजना फसल क्षति का आकलन करने और दावों को तीव्र गति से और अधिक सटीक ढंग से समाधान करने के लिए उपग्रह डेटा का लाभ उठाती है।

भारत में कृषि क्षेत्र

- भारत कृषि क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक अभिकर्त्ता है, जो अपनी लगभग 55% आबादी को प्राथमिक आजीविका प्रदान करता है।
- भारत में मवेशियों (भैंस) की संख्या सर्वाधिक है; गेहूँ, चावल और कपास की खेती के लिए समर्पित सबसे बड़ा क्षेत्र है तथा दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।
- इसके अतिरिक्त, भारत फलों, सब्जियों, चाय, मछली, कपास, गन्ना, गेहूँ और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- देश का कृषि क्षेत्र, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, देश के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देता है।

आंध्र प्रदेश समुदाय-प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCMNF)

हाल ही में, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती** (APCMNF) **ने मानवता के लिए पुर्तगाल स्थित गुलबेंकियन पुरस्कार (2024) जीता है।

परिचय:

- **कार्यक्रम फोकस:**
  - **उद्देश्य:** APCMNF कार्यक्रम छोटे किसानों को रासायनिक रूप से गहन कृषि से 'प्राकृतिक खेती' में परिवर्तन करने में सहायता करता है।
  - **कार्य पद्धतियाँ:** यह पहल जैविक अवशेषों के उपयोग, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए जुताई को न्यूनतम करने, देशी बीजों को पुनः प्रयोग में लाने तथा वृक्षों सहित फसलों में विविधता लाने को बढ़ावा देती है।
  - **प्रारंभ:** आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में प्रारंभ किया गया।
  - **उद्देश्य:** टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि में आर्थिक संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न किसानों की परेशानी का समाधान करना।
- **लक्ष्य और पहुँच:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले दशक में आंध्र प्रदेश के सभी आठ मिलियन किसान परिवारों तक पहुँचना है। इस पहल का उद्देश्य अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के प्रयासों को प्रेरित करना है।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:**
  - **राष्ट्रीय समर्थन:** आंध्र प्रदेश भारत के 12 अन्य राज्यों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में सहायता कर रहा है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय पहुँच:** 2024-25 की अवधि में, आंध्र प्रदेश ने विदेशों में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पाँच अलग-अलग देशों में भेजने की योजना बनाई है।
- **पुनर्योजी कृषि:** APCMNF एक कृषि तकनीक मात्र नहीं है; यह एक पुनर्योजी दृष्टिकोण है।
  - इसमें किसानों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई है, जिनमें उच्च लागत वाली रासायनिक खेती, मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि और जल की कमी शामिल हैं।

प्राकृतिक खेती

- **अवधारणा:** प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है, जो पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों को आधुनिक पारिस्थितिकी समझ के साथ जोड़ती है। यह संसाधन पुनर्चक्रण और खेतों में संसाधन अनुकूलन पर केंद्रित है।
- **दृष्टिकोण:**
  - यह कृषि पारिस्थितिकी का एक रूप है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करता है तथा कार्यात्मक जैव विविधता को बढ़ावा देता है।
  - यह प्रणाली खेतों में बायोमास पुनर्चक्रण पर बल देती है, जिसमें बायोमास पलवार (मल्चिंग), गाय के गोबर-मूत्र के मिश्रण का उपयोग, मृदा वायु संचार को बनाए रखना तथा कृत्रिम रासायनिक इनपुट को पूरी तरह से बाहर करना शामिल है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य क्रय किए गए इनपुट पर निर्भरता को कम करना तथा रोजगार और ग्रामीण विकास के लिए संभावित लाभ के साथ लागत प्रभावी कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है।

प्राकृतिक खेती के सार्वभौमिक सिद्धांत:

- **मृदा कवरेज:** मृदा को वर्ष के 365 दिन फसलों से ढका रहना चाहिए तथा जीवित जड़ों को बनाए रखना चाहिए।
- **विविध रोपण:** 15-20 विविध फसलों का रोपण और वृक्षारोपण करना।
- **जैविक अवशेष:** उर्वरता बढ़ाने के लिए मृदा में जैविक अवशेषों की मात्रा बढ़ाना।
- **जैव उत्तेजक:** पौधों के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक के रूप में जैव उत्तेजक का उपयोग करना।
- **न्यूनतम मृदा व्यवधान:** मृदा की प्राकृतिक संरचना और स्वास्थ्य को संरक्षित करने के लिए उसमें व्यवधान को न्यूनतम रखना।
- **पशुओं का एकीकरण:** संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कृषि पद्धतियों में पशुओं को एकीकृत करना।
- **देशी बीज:** स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देशी बीज किस्मों का उपयोग करना।
- **कीट प्रबंधन:** कीट प्रबंधन के लिए कृत्रिम कीटनाशकों के स्थान पर वनस्पति से प्राप्त पदार्थ का प्रयोग करना।
- **कोई कृत्रिम इनपुट नहीं:** प्राकृतिक खेती में कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों के उपयोग से कठोरता से परहेज किया जाता है।

मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार

- **स्थापना:** कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा।
- **उद्देश्य:** यह पुरस्कार उन पहलों को दिया जाता है, जो पर्यावरण, सतत विकास और मानव कल्याण से संबंधित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **मानदंड:** उन नवीन और प्रभावशाली परियोजनाओं को मान्यता दी जाती है, जो मानव जीवन और ग्रह को बेहतर बनाने में सार्थक अंतर लाती हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

- **आजीविका:** APCMNF इनपुट लागत को कम करके और उपज बढ़ाकर किसानों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
- **जलवायु प्रतिरोधी:** यह जलवायु-प्रतिरोधी है, जो परिवर्तित होते मौसम प्रारूप के युग में महत्त्वपूर्ण है।
- **खाद्य सुरक्षा:** नागरिकों को बेहतर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा का लाभ मिलता है।
- **पर्यावरण:** APCMNF पर्यावरण पुन:स्थापना में योगदान देता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की कार्य-निष्पादन समीक्षा

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ने पाँच राज्यों के नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय:

- **स्थापना और उद्देश्य:**
  - **ऐतिहासिक संदर्भ:**
    - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए RRB की स्थापना की गई थी।
    - यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ाने तथा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी, जिन्हें पारंपरिक बैंकों से पर्याप्त सेवा नहीं मिल पाती थी।
  - **विधायी ढाँचा:**
    - RRB की स्थापना 26 सितम्बर, 1975 के अध्यादेश के अंतर्गत अधिकृत की गई, जिसके बाद 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया।
    - इन विधायी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ग्रामीण समुदायों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
    - प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1975 को हुआ।
    - सिंडिकेट बैंक ने इस अग्रणी RRB को प्रायोजित किया, जिससे ग्रामीण बैंकिंग बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने के उद्देश्य से एक नेटवर्क की शुरुआत हुई।
- **वित्तीय प्रदर्शन:**
  - **पूँजी पर्याप्तता:**
    - समेकित पूँजी से जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) किसी बैंक की वित्तीय सेहत का एक प्रमुख संकेतक है।
    - RRB के लिए, यह अनुपात वित्त वर्ष 2021 में 7.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.7% हो गया है, जो मजबूत वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन को दर्शाता है।
  - **लाभप्रदता:**
    - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
    - वित्त वर्ष 2021 में 41 करोड़ रुपये के घाटे की रिपोर्ट करने से, RRB ने वित्त वर्ष 2024 में 2,018 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हासिल किया है।
    - यह परिवर्तन परिचालन दक्षता और लाभप्रदता में सुधार को रेखांकित करता है।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता:**
  - सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (GNPA) अनुपात, जो खराब ऋणों के अनुपात को दर्शाता है, अपेक्षाकृत कम 3.9% है।
  - यह कम GNPA अनुपात RRB के अंदर प्रभावी ऋण प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण प्रथाओं को दर्शाता है।
- **कार्य और सेवाएँ:**
  - **बैंकिंग सुविधाएँ:**
    - RRB ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - इसमें जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले विभिन्न वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
  - **सरकारी कार्य:**
    - सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    - वे मनरेगा मजदूरी, पेंशन और अन्य सरकारी लाभों से संबंधित संवितरण का प्रबंधन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय सहायता इच्छित प्राप्तकर्त्ताओं तक कुशलतापूर्वक पहुँचे।
  - **पैरा-बैंकिंग सेवाएँ:**
    - पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनेक प्रकार की पैरा-बैंकिंग सेवाएँ भी प्रदान करते हैं।

- इनमें मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर सुविधाएँ, सुविधाजनक लेन-देन के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सुगमता के लिए मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग तथा निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) शामिल हैं।

- **स्वामित्व संरचना:**
  - **केंद्र सरकार (50%):** केंद्र सरकार RRB में 50% हिस्सेदारी रखती है, जो पर्याप्त वित्तीय सहायता और निगरानी प्रदान करती है।
  - **प्रायोजक बैंक (35%):** प्रायोजक बैंक, जो सामान्यत: प्रमुख वाणिज्यिक बैंक होते हैं, 35% हिस्सेदारी रखते हैं। ये बैंक RRB को समर्थन और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - **राज्य सरकार (15%):** राज्य सरकारों की 15% हिस्सेदारी है, जो RRB के स्थानीय प्रबंधन और परिचालन पहलुओं में योगदान देती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का महत्त्व:

- **बैंकिंग सेवाओं का विस्तार:**
  - ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ वाणिज्यिक बैंकों की पहुँच सीमित है।
  - वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग सुविधा से वंचित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने में सहायता करते हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
- **SME और SHG के लिए वित्तीय सहायता:**
  - RRB छोटे और मध्यम उद्यमों (SME), स्वयं सहायता समूहों (SHG) और व्यक्तिगत उद्यमियों को वित्तीय सेवाएँ और ऋण प्रदान करके ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं।
  - यह सहायता स्थानीय व्यवसायों के विकास में मदद करती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।
- **गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म वित्त और लघु ऋण:**
  - लक्षित ऋण कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के साथ सहयोग के माध्यम से, RRB गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।
  - वे समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को सूक्ष्म वित्त और छोटे ऋण प्रदान करते हैं, जिससे उनके आर्थिक उत्थान में सहायता मिलती है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है।
- **सरकारी कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाना:**
  - RRB विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
  - उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि ये कार्यक्रम ग्रामीण आबादी तक प्रभावी रूप से पहुँचें और इच्छित लाभ प्रदान करें।
- **ग्रामीण ऋण बाजार का स्थिरीकरण:**
  - ऋण का एक सुसंगत और विनियमित स्रोत उपलब्ध कराकर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण ऋण बाजार को स्थिर करने में मदद करते हैं।
  - इससे अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम हो जाती है, जो प्राय: उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों के लिए अधिक किफायती और सुलभ ऋण सुनिश्चित होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) से संबंधित मुद्दे:

- **अपर्याप्त वित्त:**
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राय: वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं।
  - गरीबी और प्रति व्यक्ति कम आय के कारण ग्रामीण आबादी की सीमित बचत क्षमता इस समस्या को और बढ़ा देती है।
  - ग्रामीण ग्राहकों से प्राप्त होने वाली जमाराशि का निम्न स्तर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपने परिचालन हेतु पर्याप्त धनराशि जुटाने में बाधा उत्पन्न करता है।
- **उच्च बकाया और खराब ऋण वसूली:**
  - **ऋण वसूली में चुनौतियाँ:** RRB को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है बकाया राशि का उच्च स्तर और अपर्याप्त ऋण वसूली। योगदान देने वाले कारकों में शामिल हैं:
  - **ऋण तक अपर्याप्त पहुँच:** सीमित पहुँच और अपर्याप्त प्रबंधित ऋण वितरण।
  - **अपर्याप्त प्रशिक्षण:** अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण ऋण प्रबंधन अप्रभावी हो जाता है।
  - **ऋण का अनुत्पादक उपयोग:** ऋण का उपयोग कभी-कभी अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  - **अपर्याप्त विपणन:** अपर्याप्त विपणन सुविधाएँ प्रभावी ऋण उपयोग और वसूली में बाधा डालती हैं।
  - **अकुशल वसूली चैनल:** ऋण वसूली के लिए अपर्याप्त प्रणालियाँ।
- **शाखाओं का असमान वितरण:**
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्राय: बैंकिंग सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन प्रदर्शित करते हैं।
  - यह असंतुलन विशिष्ट राज्यों और जिलों में शाखाओं के संकेंद्रण से उत्पन्न होता है, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में अन्य संभावित ग्राहक समूहों की उपेक्षा होती है।
- **व्यापक ऋण बोझ:**
  - **कम पुनर्भुगतान क्षमता:** उधारकर्त्ताओं के पास प्राय: ऋण चुकाने की सीमित क्षमता होती है।
  - **अप्रशिक्षित कर्मचारी:** कर्मचारियों के पास ऋणों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव है।
  - **अपर्याप्त जमा स्तर:** कम जमा स्तर वित्तीय स्थिरता पर दबाव डालता है।
  - **अपर्याप्त क्रेडिट मूल्यांकन:** कभी-कभी उचित क्रेडिट योग्यता जाँच के बिना ही ऋण स्वीकृत कर दिए जाते हैं।

4 पर्यावरण

पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए मसौदा अधिसूचना

केंद्र सरकार ने मसौदा अधिसूचना का छठा संस्करण जारी करते हुए पश्चिमी घाट के 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किया है।

परिचय:

- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों की परिभाषा**
  - राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (2006) में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें असाधारण मूल्य के अद्वितीय पर्यावरणीय संसाधन हैं, जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - ये क्षेत्र अपने भूदृश्य, वन्य जीवन, जैव विविधता तथा ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्त्व के आधार पर विशिष्ट हैं।
- **पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों का उद्देश्य**
  - **पर्यावरण संरक्षण:** इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों की जैविक अखंडता को बनाए रखना है।
  - **विशेष संरक्षण:** इन क्षेत्रों को उनके समृद्ध पर्यावरणीय संसाधनों के लिए जाना जाता है तथा इनके लिए संवर्धित संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।
- ESA छह राज्यों अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में प्रस्तावित हैं।
  - 2022 में अधिसूचित पिछले मसौदे के समाप्त हो जाने के बाद अधिसूचना पुन: जारी की गई है; केंद्र और ये छह राज्य पारिस्थितिक हॉटस्पॉट में सीमांकित किए जाने वाले ESA की सीमा पर आम सहमति पर नहीं पहुँच पाए हैं।

मसौदे की मुख्य विशेषताएँ

- **खनन और उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध**
  - मसौदा अधिसूचना में सभी प्रकार के खनन, उत्खनन और रेत खनन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है।
  - इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि मौजूदा खनन परिचालन को पाँच वर्ष की अवधि के अंतर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जो अंतिम अधिसूचना जारी होने की तिथि से या वर्तमान खनन पट्टे की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- **नई और विस्तार परियोजनाओं पर प्रतिबंध**
  - अधिसूचना में नये निर्माण और विस्तार परियोजनाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
  - विशेष रूप से, 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली कोई भी इमारत या निर्माण परियोजना, साथ ही 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली नई और विस्तारित टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ या 1,50,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाएँ प्रतिबंधित रहेंगी।
- **आवासीय नवीनीकरण के लिए छूट**
  - हालाँकि, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंदर मौजूदा आवासीय मकानों की मरम्मत, विस्तार या नवीकरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि ऐसी गतिविधियाँ मौजूदा कानूनों और नियमों का अनुपालन करें।

पश्चिमी घाट

- पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर 1,600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है।
- इसमें छह राज्य शामिल हैं - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। पर्वत श्रृंखला का लगभग 60% हिस्सा कर्नाटक में है।
- **महत्त्व:** ये घाट ऊँचे पहाड़ी जंगलों का आवास स्थल हैं, जो इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु को संतुलित करते हैं। ये 325 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की प्रजातियों का आवास स्थल हैं।
- पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था।

माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट

- **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र:** रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के 64% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की गई, जिन्हें ESZ-1, ESZ-2 और ESZ-3 कहा जाता है।
  - इसने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित करने की भी सिफारिश की।
- खनन, ताप विद्युत संयंत्रों और बाँधों के निर्माण जैसी लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियों को रोक दिया जाना था, साथ ही ESZ-1 में अपनी अवधि पूरी कर चुकी समान परियोजनाओं को भी बंद कर दिया जाना था।
- **पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, क्षेत्र की पारिस्थितिकी का प्रबंधन करने और इसके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर निकाय की स्थापना की सिफारिश समिति द्वारा की गई थी।
- **एकल वाणिज्यिक फसलों की खेती पर प्रतिबंध:** चाय, कॉफी, इलायची, रबर, केला और अनानास जैसी फसलों की खेती पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिनके कारण "वनों का विखंडन, मृदा का कटाव, नदी पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास और पर्यावरण का विषाक्त संदूषण" होता है।

- **सामुदायिक भागीदारी:** पैनल ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आग्रह किया था कि वह नागरिकों को शामिल करने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के सामुदायिक वन संसाधन के प्रावधानों का सक्रिय एवं सहानुभूतिपूर्ण कार्यान्वयन भी शामिल हो।

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

- 2012 में सरकार ने के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में पश्चिमी घाट पर एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया।
- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में केवल 37% क्षेत्र को ही पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया।
- इसने पश्चिमी घाट को सांस्कृतिक (मानव बस्तियों) और प्राकृतिक (गैर-मानव बस्तियों) क्षेत्रों में विभाजित किया। यह सुझाव दिया गया कि सांस्कृतिक भूमि को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
- इसमें लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियाँ भी शामिल थीं। लाल सूची में खनन, पत्थर उत्खनन, ताप संयंत्र और कुछ निर्माण तथा टाउनशिप परियोजनाओं पर प्रतिबंध था।
- नारंगी श्रेणी में वे गतिविधियाँ शामिल थीं, जिन्हें विनियमित किया जाएगा और उचित अनुमति के साथ प्रारंभ किया जाएगा, जबकि हरी श्रेणी में सभी कृषि और बागवानी गतिविधियों और वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति थी।

भू-स्तर पर ओजोन प्रदूषण

दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि प्रमुख भारतीय शहरों में जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **शोध अवधि और डेटा स्रोत:**
  - अध्ययन में 1 अप्रैल से 18 जुलाई तक, वर्ष 2020 से 2024 तक, जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण की प्रवृत्तियों पर नजर रखी गई।
  - विश्लेषण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 मिनट के अंतराल पर एकत्र किए गए सूक्ष्म, वास्तविक समय के डेटा का उपयोग किया गया। यह विस्तृत डेटा कई शहरों में प्रदूषण के प्रारूप और प्रवृत्तियों की व्यापक समझ देता है।
- **प्रदूषण नियंत्रण में वैश्विक समझौता:** रिपोर्ट में रेखांकित वैश्विक अनुभवों के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण में प्रायः समझौता होता है: जैसे-जैसे कणिकीय प्रदूषण को न्यून करने के प्रयास तेज होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और जमीनी स्तर पर ओजोन से संबंधित समस्याएँ बढ़ सकती हैं।
- **शहर-वार ओजोन मानकों का उल्लंघन:**
  - शोधकर्त्ताओं ने 10 प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों के डेटा का विश्लेषण किया: बेंगलुरु (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), मुंबई और पुणे (महाराष्ट्र), दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), ग्रेटर अहमदाबाद (गुजरात), ग्रेटर हैदराबाद (तेलंगाना), ग्रेटर जयपुर (राजस्थान), और ग्रेटर लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
  - इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ओजोन मानक से अधिक मात्रा दर्ज की गई, जो पूरे देश में व्यापक प्रदूषण को दर्शाता है। दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित रही, जहाँ सबसे अधिक दिनों तक ओजोन का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक रहा।
  - उल्लेखनीय रूप से, अहमदाबाद और पुणे जैसे छोटे शहरों में ओजोन प्रदूषण में विशेष रूप से तीव्र वृद्धि देखी जा रही है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या बड़े महानगरीय क्षेत्रों से आगे तक विस्तृत हो रही है।
- **रात्रिकालीन ओजोन स्तर:**
  - अप्रत्याशित रूप से, अध्ययन में पाया गया कि सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत, ओजोन का स्तर रात के समय भी ऊँचा था।
  - मुंबई में रात के समय इस स्थिति की सबसे अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं, जो एक सतत समस्या का संकेत है।
  - ओजोन के संपर्क में आने की अवधि चिंताजनक थी, अधिकांश शहरों में प्रतिदिन औसतन 12-15 घंटे उच्च ओजोन स्तर का अनुभव होता था।
  - इस लंबे समय तक संपर्क से ओजोन प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं।
- **ओजोन के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले परिणाम:**
  - भू-स्तर ओजोन, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है, विशेष रूप से अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, साथ ही अविकसित फेफड़ों वाले बच्चों और वृद्धों के लिए भी।
  - ओजोन के लंबे समय तक या बार-बार संपर्क में रहने से वायुमार्ग में सूजन और क्षति हो सकती है, फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं तथा अस्थमा के दौरे अधिक बार और गंभीर हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने की संख्या बढ़ सकती है।

भू-स्तरीय ओजोन (O3) प्रदूषण:

- **ओजोन दो प्रकार की होती है:**
  - उच्च ऊँचाई पर स्थित ओजोन या "अच्छा ओजोन" जो वायुमंडल में ऊपरी स्तर पर विद्यमान है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करता है।
  - भू-स्तरीय ओजोन या "खराब" ओजोन जो पृथ्वी के निकट उस वायु में निर्मित होती है, जिसमें हम सांस लेते हैं।
- यह ओजोन सामान्यतः सीधे उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NOx) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनती है।
- 'ओजोन' शब्द को 'स्मॉग' के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जोकि एक अन्य प्रकार का प्रदूषण है, जिसमें भू-स्तर पर ओजोन और अन्य गैसीय और कणिकीय प्रदूषण शामिल हैं।

ओजोन का प्रभाव:

- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:** भू-स्तर पर मौजूद ओजोन को श्वसन के माध्यम से अंदर लेने से सीने में दर्द, खांसी, गले में जलन और कंजेशन

हो सकता है। इससे ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति और अस्थमा की स्थिति और खराब हो सकती है। ओजोन फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी कम कर सकता है और फेफड़ों की परत में सूजन पैदा कर सकता है।

- **पर्यावरण पर प्रभाव:** ओजोन पौधों के श्वसन हेतु उनकी पत्तियों पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को खोलने की क्षमता को बाधित करके वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचाती है।
  - यह पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को संसाधित कर ऑक्सीजन के रूप में छोड़ने की मात्रा को कम करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है।
- **फसलों पर प्रभाव:** ओजोन के स्तर में वृद्धि ने वैश्विक स्तर पर कृषि को प्रभावित किया, ओजोन के कारण फसलों की क्षति औसतन 4.4% रही, जबकि प्रमुख खाद्यान्नों की हानि 12.4% रही।
  - भारत और चीन के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गेहूँ और सोयाबीन की हानि 15% से 30% तक थी।

वायु प्रदूषण:

- **जब हानिकारक पदार्थ (प्रदूषक)** - कण, गैसें या पदार्थ - हवा में छोड़े जाते हैं और इसकी गुणवत्ता को कम करते हैं, तो हवा प्रदूषित होती है।
- **सामान्य वायु प्रदूषकों में शामिल हैं:** पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), ओजोन (O3), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs), सीसा (Pb) आदि।
- **स्रोत:** ये प्रदूषक ज्वालामुखी विस्फोट और वनाग्नि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि और आवासीय हीटिंग जैसी मानवीय गतिविधियाँ वायु प्रदूषण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (NCAP): 2019 में प्रारंभ किया गया। NCAP एक व्यापक पहल है, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में चिह्नित शहरों और क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करना है।
  - इस कार्यक्रम का ध्यान वायु गुणवत्ता निगरानी में सुधार, कठोर उत्सर्जन मानकों को लागू करने और जन जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **भारत स्टेज** VI (BS-VI) **उत्सर्जन मानक:** सरकार ने 2020 में देश भर में वाहनों के लिए BS-VI उत्सर्जन मानकों को लागू किया। इन मानकों का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और अधिक उन्नत उत्सर्जन नियंत्रण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य बनाकर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** (PMUY): PMUY योजना का उद्देश्य पारंपरिक बायोमास आधारित खाना पकाने के तरीकों के विकल्प के रूप में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के उपयोग को बढ़ावा देकर घरों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है।
- FAME **(हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तीव्र गति से अपनाना और विनिर्माण योजना):** FAME योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से, होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देती है।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **सतत आवास के लिए हरित पहल (गृह):** गृह, भवनों के निर्माण और संचालन में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने की एक पहल है।
  - यह प्रदूषण को न्यून करने के लिए ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम:** अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अपशिष्ट वायु प्रदूषण में योगदान देता है।
  - स्वच्छ भारत अभियान सहित विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन पहलों का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट मुद्दों का समाधान करना और स्वच्छ निपटान विधियों को बढ़ावा देना है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग की स्थापना की गई है।

आगे की राह:

- अपर्याप्त निगरानी, सीमित डेटा और अप्रभावी प्रवृत्ति विश्लेषण विधियों ने इस बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को समझने में बाधा उत्पन्न की है।
  - भू-स्तर पर ओजोन का जटिल रसायन इसे एक ऐसा प्रदूषक बनाता है, जिसका पता लगाना और उसे कम करना कठिन है।
- वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है।
- भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

गुरु घासीदास-तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य

***राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** (NTCA) ने हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है।*

परिचय:

- **राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य:** गुरु घासीदास-तमोर पिंगला वन क्षेत्र राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनने के लिए तैयार है, जो इंद्रावती, उदंती-सीतानदी और अचानकमार बाघ अभ्यारण्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।
- **भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य:**
  - ये स्थापित होने के बाद गुरु घासीदास-तमोर पिंगला देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य होगा।
  - यह भारत के सबसे बड़े आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य तथा दूसरे सबसे बड़े असम के मानस बाघ अभ्यारण्य के बाद तीसरे स्थान पर होगा।

- **रणनीतिक स्थान और वन्यजीव गलियारा:**
  - राज्य के उत्तरी भाग में स्थित गुरु घासीदास-तमोर पिंगला के जंगल एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव गलियारे के रूप में कार्य करते हैं।
  - यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य को झारखंड के पलामू बाघ अभ्यारण्य से संपर्क स्थापित करता है, जिससे इन क्षेत्रों के बीच बाघों की आवाजाही और आनुवंशिक आदान-प्रदान में सुविधा होती है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- **स्थापना और पृष्ठभूमि:**
  - राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है।
  - इसकी स्थापना 2005 में,भारत में बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
- **विधिक आधार:**
  - NTCA का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किया गया था, जिसे प्राधिकरण के प्रावधानों को शामिल करने के लिए 2006 में संशोधित किया गया था।
  - इन संशोधनों ने NTCA को भारत में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से विशिष्ट शक्तियाँ और कार्य प्रदान किए।
- **संरचना और नेतृत्व:**
  - यह प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है, जो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
  - NTCA में तीन संसद सदस्य, पर्यावरण, वन मंत्रालय के सचिव और अन्य नामित सदस्य भी शामिल होते हैं, जो प्राधिकरण के कामकाज और निर्णय लेने में योगदान देते हैं।

बैलस्ट जल का प्रबंधन

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग (WRD) ने पाया कि कामराजर बंदरगाह, जहाजों से आने वाले जल को नियंत्रित न करने के कारण, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार का मुख्य कारण है।

परिचय:

- तमिलनाडु के जल संसाधन विभाग (WRD) ने आक्रामक चारु सीप (माइटेला स्ट्रिगाटा) की समस्या से निपटने के लिए कामराजर पोर्ट से 160 करोड़ रुपये माँगे हैं।
- इस सीप की उपस्थिति समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करती है और मत्स्यन नौकाओं की आवाजाही में अवरोध उत्पन्न करती है।
- **बैलस्ट जल और इसकी उपयोगिता:**
  - बैलस्ट जल, जो जहाजों पर लाया गया समुद्री जल है, का उपयोग यात्रा के दौरान स्थिरता और उचित विसर्जन बनाए रखने के लिए किया जाता है।
  - इसे सामान्यत: जहाज में तब पंप किया जाता है जब माल उतारा जाता है और जब माल लोड किया जाता है तो इसे बाहर पंप किया जाता है।
- **कार्य और महत्त्व:**
  - बैलस्ट जल, जहाजों की स्थिरता और गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से यात्रा के दौरान जब जहाज खाली हो, हल्का लदा हो, या उबड़-खाबड़ समुद्र में चल रहा हो।
  - इससे जहाज को आवश्यक भार भी मिलता है, जिससे वह पुलों और अन्य संरचनाओं के नीचे से सुरक्षित रूप से गुजर सकता है।
- **उभरते मुद्दे**
  - सुरक्षित और कुशल नौवहन के लिए इसके महत्त्व के बावजूद, बैलस्ट जल गंभीर पारिस्थितिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न कर सकता है।
  - जल में प्राय: विभिन्न प्रकार की समुद्री प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, छोटे अकशेरुकी, अंडे, सिस्ट और लार्वा शामिल हैं।
  - ये स्थानांतरित प्रजातियाँ नए वातावरण में जीवित रह सकती हैं, प्रजनन आबादी स्थापित कर सकती हैं तथा आक्रामक हो सकती हैं, संभावित रूप से देशी प्रजातियों को पछाड़ सकती हैं तथा कीट अनुपात में वृद्धि हो सकती है।
  - भारत में लगभग 30 आक्रामक प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, जिनमें चारु सीप विशेष रूप से हानिकारक है।

वैश्विक विनियम:

- 8 सितंबर, 2017 से प्रभावी बैलस्ट जल प्रबंधन (BWM) कन्वेंशन के अनुसार जहाजों को हानिकारक जीवों के प्रसार को रोकने के लिए बैलस्ट जल का प्रबंधन करना आवश्यक है।
  - कन्वेंशन के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में लगे सभी जहाजों को अपने बैलस्ट जल और अवसाद का प्रबंधन, जहाज-विशिष्ट बैलस्ट जल प्रबंधन योजना के अनुसार करना होगा।
  - जहाजों को बैलस्ट जल रिकॉर्ड बुक और अंतर्राष्ट्रीय बैलस्ट जल प्रबंधन प्रमाणपत्र साथ रखना आवश्यक है।

- समय के साथ बैलस्ट जल प्रबंधन मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा तथा एक मध्यवर्ती समाधान के अंतर्गत जहाजों को समुद्र के बीच में बैलस्ट जल का आदान-प्रदान करना होगा, ताकि आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश के जोखिम को न्यून किया जा सके।
- जहाजों को उतारने से पहले बैलस्ट जल को उपचारित करना चाहिए या उसे समुद्री जल में परिवर्तित करना चाहिए।
- ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश अपने पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए बैलस्ट जल नियमों को कठोरता से लागू करते हैं।

- समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (अनुच्छेद 196) एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के लिए मिलकर कार्य करें।
  - इसमें जानबूझकर या गलती से विशिष्ट समुद्री क्षेत्रों में विदेशी या नई प्रजातियों को लाना शामिल है, जिससे महत्त्वपूर्ण और हानिकारक परिवर्तन हो सकते हैं।

भारत की स्थिति:

- भारत ने बी.डब्लू.एम. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसका अर्थ है कि भारतीय बंदरगाहों पर बैलस्ट जल निर्वहन के लिए कोई विशिष्ट नियम या जाँच नहीं है।
- भारतीय बंदरगाह बैलस्ट जल के विनियमन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
- वर्तमान भारतीय विधि के अनुसार, बंदरगाह बैलस्ट जल के कारण होने वाली आक्रामक प्रजातियों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि नियम लागू होते तो जहाज मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।

जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे (गुड़मार)

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर कई औषधीय पौधों के बीच जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे, जिसे सामान्यतः गुड़मार के नाम से जाना जाता है, की पहचान की है।

परिचय

- **गुड़मार के अनोखे गुण**
  - गुड़मार रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध है।
  - यह प्रभाव मुख्यतः जिम्नेमिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है, जो आंतों में शर्करा के अवशोषण को अवरुद्ध करके कार्य करता है।
- **लिपिड चयापचय और फ्लेवोनोइड्स में भूमिका**
  - गुड़मार लिपिड चयापचय में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान देता है।
  - इसके अतिरिक्त, इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड तत्त्व इसके औषधीय गुणों को और बढ़ा देते हैं, जिससे यह मधुमेह के प्रबंधन में एक मूल्यवान सहयोगी बन जाता है।
- **मेटफॉर्मिन के साथ तालमेल**
  - गुड़मार को मधुमेह के उपचार के लिए प्रथम श्रेणी की दवा मेटफॉर्मिन के साथ प्रभावी रूप से संयोजित किया जा सकता है।
  - यह संयोजन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में समग्र प्रभावकारिता को बढ़ाता है।
- **मधुमेह रोधी दवाओं में योगदान**
  - गुड़मार का उपयोग पहले ही मधुमेह रोधी दवा BGR-34 के विकास में किया जा चुका है।
  - BGR-34 गुड़मार को अन्य शक्तिशाली फाइटो-तत्त्वों जैसे दारुहरिद्रा, गिलोय, विजयसार, मंजिष्ठा और मेथी के साथ मिलाकर मधुमेह के विरुद्ध एक शक्तिशाली संयोजन बनाता है।

मालाबार ट्री टॉड (MTT)

हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के संरक्षित क्षेत्रों (PA) में मालाबार ट्री टॉड (MTT) का वितरण क्षेत्र इसकी वर्तमान अनुमानित सीमा से 68.7% तक कम हो सकता है।

परिचय:

- मालाबार ट्री टॉड (पेडोस्टिब्स ट्यूबरकुलोसस) एक दुर्लभ और लुप्तप्राय उभयचर प्रजाति (मेढक की एक प्रजाति) है, जो भारत के पश्चिमी घाट, जो एक जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, में पाई जाती है।
- अपनी छद्म प्रकृति के लिए जाना जाने वाला यह छोटा टॉड, वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है।
- **खोज और ऐतिहासिक महत्त्व:**
  - इसकी खोज सबसे पहले 1876 में पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी।
  - हालाँकि, इसकी प्रारंभिक पहचान के बाद, यह प्रजाति विलुप्त हो गई तथा एक शताब्दी से अधिक समय तक इसका कोई भी दृश्य दर्ज नहीं किया गया।
  - अनुपस्थिति की इस लंबी अवधि के कारण यह चिंता उत्पन्न हो गई कि यह प्रजाति शायद विलुप्त हो गई है।
  - 1980 में इसे केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पुनः खोजा गया।

आवास विशेषताएँ:

- **वर्षावन वितान (CANOPY) में आवास:**
  - यह मुख्यतः वृक्षीय है, अर्थात यह अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर गुजारता है।
  - यह उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के घने, नम आवरणों में वृद्धि करता है, विशेष रूप से पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले वनों में।
- **सूक्ष्म आवास:**
  - दिन के समय, टॉड पत्तों के ढेर, पेड़ों की दरारों या ढीली छाल के नीचे छिपा रहता है, ताकि शिकारियों से बच सके और सूखने से बच सके।
  - यह रात में सक्रिय हो जाता है तथा भोजन की तलाश में वितान के ऊपर चढ़ता है।

- **भोजन की आदत:**
  - मालाबार वृक्ष टॉड रात्रिचर है तथा कीड़ों और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवों का आहार खाता है।
  - इसका आहार कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे यह पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन जाता है।
  - **अनुकूलन:** टॉड की रात्रिचर जीवनशैली और वृक्षीय अनुकूलन, जैसे कि उसके पंजों पर चिपचिपे पैड, उसे वर्षावन के वितान की फिसलन भरी, गीली सतहों पर चलने में सक्षम बनाते हैं।
- **भौतिक विशेषताएँ:**
  - **छोटा कद:**
    - यह अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसकी लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच होती है।
    - अपने छोटे आकार के बावजूद, इसमें विशिष्ट चिह्न होते हैं जो इसकी पहचान में मदद करते हैं।
  - **रंग और बनावट:**
    - त्वचा का रंग गहरा होता है, त्वचा भूरी या काली होती है तथा त्वचा पर मुख्य रूप से सफेद या पीले रंग के धब्बे होते हैं।
    - यह रंग प्राकृतिक आवास में छिपने में मदद करता है। त्वचा भी खुरदरी होती है, जो छोटे-छोटे गाँठ से ढकी होती है, जो इसे मस्से जैसा रूप प्रदान करती है।
  - **अंग और पैर की उंगलियाँ:**
    - टॉड के अंग पतले होते हैं तथा उसकी अंगुलियों और पंजों पर विशेष मांसल गद्दी होते हैं।
    - ये मांसल गद्दी गीली, चिकनी सतहों को पकड़ने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं, जिससे टॉड को पेड़ों पर चढ़ने और वर्षावन की जटिल संरचनाओं में चलने में मदद मिलती है।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेड लिस्ट में "लुप्तप्राय" के रूप में वर्गीकृत।
- **अस्तित्व के लिए खतरा:**
  - **वन अपरोपन:**
    - पश्चिमी घाट कृषि विस्तार, शहरीकरण और लकड़ी कटाई के कारण हो रहे वन अपरोपन से गंभीर खतरे में हैं।
    - जैसे-जैसे वर्षावन का आवरण नष्ट होता है, मालाबार वृक्ष टॉड अपना प्राथमिक आवास खो देता है।
  - **प्रदूषण:** कीटनाशकों और औद्योगिक अपवाह से होने वाला रासायनिक प्रदूषण इन वनों में स्थित जल निकायों को दूषित कर देता है, जिससे इस प्रजाति को सीधा खतरा पैदा हो जाता है, विशेषकर प्रजनन के मौसम के दौरान, जब जल की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है।
  - **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते पैटर्न और तापमान एवं आर्द्रता के स्तर में परिवर्तन भी टॉड के आवास के नाजुक संतुलन को प्रभावित करते हैं, जिससे उसके जीवित रहने और प्रजनन की क्षमता प्रभावित होती है।
- **संरक्षण प्रयास:**
  - **वनों का संरक्षण:** संरक्षण प्रयासों का ध्यान पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बचे हुए इलाकों को संरक्षित करने पर केंद्रित है। इन क्षेत्रों को वनों की कटाई और विखंडन से बचाना मालाबार ट्री टॉड और अन्य स्थानिक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
  - **जल निकाय संरक्षण:** चूँकि, मालाबार ट्री टॉड प्रजनन के लिए स्वच्छ, अप्रदूषित जल निकायों पर निर्भर करता है, इसलिए संरक्षण परियोजनाओं का उद्देश्य इन जलीय वातावरणों की रक्षा और पुन:स्थापना करना भी है।

साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान

- **स्थान:** नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित, केरल के मलप्पुरम जिले और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में विस्तृत यह उद्यान नीलगिरि जैवमंडल आगार (बायोस्फीयर रिजर्व) का हिस्सा है।
- **नदियाँ:** यह उद्यान भवानी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी), कुंतीपुझा नदी (भारतपुझा नदी की एक सहायक नदी) और कदलुंडी नदी का स्रोत है।
- **वनस्पति:** उद्यान में वर्षावन, उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन और शोला वन पाए जाते हैं।
- **प्रमुख जीव:** यहाँ लुप्तप्राय शेर-पूँछ वाले मकाक की सबसे बड़ी आबादी रहती है। अन्य उल्लेखनीय प्रजातियों में मालाबार विशाल गिलहरी, नीलगिरि तहर और त्रावणकोर उड़न गिलहरी शामिल हैं।
- **प्रमुख पक्षी:** यह उद्यान नीलगिरि वुड-पिजन, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और नीलगिरि फ्लाईकैचर जैसी प्रजातियों का आवास स्थल है।

खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण** (FSSAI) **ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की समस्या के समाधान के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है।

परिचय:

- **परियोजना का शीर्षक:** "उभरते खाद्य संदूषक के रूप में सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक: मान्य पद्धतियों की स्थापना और विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में प्रचलन को समझना।"
- **सहयोगी संस्थाएँ:**
  - CSIR-भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान (लखनऊ)
  - ICAR-केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (कोच्चि)
  - बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (पिलानी)
- **परियोजना के उद्देश्य:**
  - **पता लगाने के तरीकों का विकास और सत्यापन:**
    - इसमें मानकीकृत प्रोटोकॉल बनाना शामिल है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों, जैसे समुद्री भोजन, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पादों में प्लास्टिक संदूषकों की विश्वसनीय रूप से पहचान और मात्रा निर्धारित कर सके।
    - इन विधियों की सटीकता, संवेदनशीलता और पुनरुत्पादकता का परीक्षण किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें खाद्य सुरक्षा परीक्षण में व्यापक रूप से अपनाया जा सके।

- **व्यापकता और जोखिम स्तर का आकलन:**
  - इसमें विभिन्न क्षेत्रों और स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का विश्लेषण करना शामिल है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि माइक्रोप्लास्टिक संदूषण कितना व्यापक है।
  - परियोजना में आहार के माध्यम से इन प्रदूषकों के दीर्घकालिक संपर्क से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का भी पता लगाया जाएगा।

माइक्रोप्लास्टिक्स का परिचय:

- माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जिनकी लंबाई पाँच मिलीमीटर से भी कम होती है, जो लगभग एक तिल के बीज के आकार के होते हैं।
- ये कण बड़े प्लास्टिक मलबे से उत्पन्न हो सकते हैं, जो समय के साथ छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं या फिर सूक्ष्म मोतियों के रूप में निर्मित होकर सौंदर्य प्रसाधनों और सफाई एजेंटों जैसे उत्पादों में उपयोग किए जा सकते हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक के उपभोग को एक संभावित स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना गया है, विशेष रूप से विषाक्त रसायनों को ले जाने या अवशोषित करने की उनकी क्षमता के कारण।
  - **बिस्फेनॉल** A (BPA): प्लास्टिक के उत्पादन में सामान्यत: उपयोग किया जाने वाला एक रसायन, BPA अपने अंत:स्रावी-विघटनकारी गुणों के लिए जाना जाता है। जब BPA युक्त माइक्रोप्लास्टिक को निगल लिया जाता है, तो वे इस रसायन को शरीर में पहुँचा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है।
  - **थैलेट्स:** प्लास्टिक को अधिक लचीला बनाने के लिए प्राय: उपयोग किए जाने वाले इन रसायनों को माइक्रोप्लास्टिक द्वारा भी अवशोषित किया जा सकता है। थैलेट्स कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हैं, जिनमें प्रजनन संबंधी समस्याएँ और विकास संबंधी विकार शामिल हैं।
  - **भारी धातुएँ:** माइक्रोप्लास्टिक अपने आस-पास के वातावरण से सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं को भी आकर्षित और अवशोषित कर सकते हैं। ये धातुएँ अत्यधिक जहरीली होती हैं और तंत्रिका संबंधी क्षति तथा गुर्दे की बीमारी सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।

चिंताएँ:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **समुद्री प्रदूषण:** माइक्रोप्लास्टिक महासागरों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, जो समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं, जिससे समुद्री जीवों को शारीरिक क्षति, भोजन में बाधा तथा संभावित रूप से घातक रुकावटें हो सकती हैं।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान:** माइक्रोप्लास्टिक जीवों के प्राकृतिक व्यवहार और शरीरक्रिया विज्ञान को प्रभावित करके उनके आवासों को बदल सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकता है, जिससे खाद्य शृंखलाओं में परिवर्तन हो सकता है और जैव विविधता की हानि हो सकती है।
- **मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:**
  - **अंत:स्रावी व्यवधान:**
    - माइक्रोप्लास्टिक्स में मौजूद विषैले रसायन शरीर की अंत:स्रावी प्रणाली में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो हार्मोन को नियंत्रित करती है।
    - इस व्यवधान के कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें प्रजनन संबंधी समस्याएँ, मोटापा, मधुमेह और अन्य चयापचय संबंधी विकार शामिल हैं।
  - **पाचन तंत्र की सूजन:**
    - निगले जाने पर माइक्रोप्लास्टिक पाचन तंत्र में सूजन पैदा कर सकता है।
    - क्रोनिक सूजन विभिन्न जठरांत्र रोगों का अग्रदूत है, जिसमें सूजन आंत्र रोग (IBD) और अन्य क्रोनिक पाचन विकार शामिल हैं।
  - **संभावित दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव:** माइक्रोप्लास्टिक्स और उनके द्वारा लाए गए विषाक्त पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने से संचयी प्रभाव हो सकते हैं, जिससे कैंसर, हृदय संबंधी रोग और स्वप्रतिरक्षा विकारों सहित दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
- **कृषि प्रभाव:**
  - **मृदा प्रदूषण:** कृषि मृदा में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, प्राय: मलजल के मल को खाद के रूप में उपयोग करने से। इससे मृदा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और संभावित रूप से खाद्य शृंखला में प्रवेश कर सकता है।
  - **पौधों की वृद्धि:** प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि माइक्रोप्लास्टिक पौधों की वृद्धि और मिट्टी की संरचना को प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से फसल की उपज और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **आर्थिक लागत:**
  - **मत्स्य पालन और पर्यटन:** माइक्रोप्लास्टिक्स से समुद्री पर्यावरण के दूषित होने से मत्स्य पालन और पर्यटन उद्योगों में आर्थिक क्षति हो सकती है, क्योंकि प्रदूषित जल और समुद्र तट पर्यटकों को रोकते हैं और समुद्री जीवन के स्वास्थ्य से समझौता होता है।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन:** माइक्रोप्लास्टिक्स की व्यापक प्रकृति अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है, क्योंकि पारंपरिक निस्पंदन और अपशिष्ट उपचार विधियाँ प्राय: पर्यावरण से इन छोटे कणों को हटाने के लिए अपर्याप्त होती हैं।

माइक्रोप्लास्टिक से निपटने और प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के लिए पहल:

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021:**
  - इसे भारत में एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के व्यापक उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।
  - इन नियमों के अंतर्गत वर्ष 2022 के अंत तक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अनिवार्य है, जो प्लास्टिक कचरे को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
  - इसके अतिरिक्त, संशोधन में प्लास्टिक कैरी बैग की स्वीकार्य मोटाई को बढ़ा दिया गया है, जिससे वे अधिक टिकाऊ हो जाएँगे और इस प्रकार एक बार उपयोग के बाद उन्हें फेंके जाने की संभावना कम हो जाएगी।
  - मोटाई की आवश्यकता को बढ़ाकर सरकार का उद्देश्य पतले, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों के उपयोग को हतोत्साहित करना है तथा पुन: प्रयोज्य विकल्पों की ओर बदलाव को बढ़ावा देना है।

- **स्वच्छ भारत मिशन:**
  - स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो पूरे भारत में सफाई, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने पर केंद्रित है।
  - इस मिशन का एक प्रमुख घटक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को न्यून करना है।
  - यह पहल स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करने को प्रोत्साहित करती है, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, तथा प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरणीय खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने का लक्ष्य रखती है।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति:**
  - यह एक व्यापक ढाँचा है, जो प्लास्टिक सहित सभी प्रकार के कचरे के प्रबंधन को संबोधित करता है।
  - यह नीति पुनर्चक्रण, सुरक्षित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना और प्लास्टिक के उपयोग में कमी के माध्यम से प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है।
  - नीति टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जैसे प्लास्टिक के लिए जैवनिम्नीकरणीय विकल्पों का उपयोग करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, जहाँ सामग्रियों का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है, जिससे अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है।
- **गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे कार्यक्रम:**
  - इन पहलों का उद्देश्य भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी को साफ करना था।
  - इन कार्यक्रमों का लक्ष्य जलमार्गों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना भी है, जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।
  - इन पहलों के अंतर्गत नदी घाटियों में प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण, उसे जल में जाने से रोकना तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर उचित अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है।
- **अनुसंधान और विकास:**
  - माइक्रोप्लास्टिक के उभरते खतरे को पहचानते हुए, भारत सरकार स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुसंधान को वित्त पोषित कर रही है।
  - भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) जैसी संस्थाएँ खाद्य पदार्थ और जल में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की व्यापकता पर अध्ययन कर रही हैं।
  - इन शोध प्रयासों का उद्देश्य माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की सीमा निर्धारित करना, इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करना तथा इसके प्रभावों को कम करने के लिए रणनीति विकसित करना है।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व** (EPR):
  - सरकार ने निर्माताओं को उनके प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन से लेकर निपटान तक के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए जवाबदेह बनाने हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) नीतियाँ प्रारंभ की हैं।
  - EPR के अंतर्गत उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा उपयोग के बाद अपने उत्पादों को पुनर्चक्रण या सुरक्षित निपटान के लिए वापस लेना आवश्यक होता है।
  - यह नीति निर्माताओं को अधिक टिकाऊ उत्पाद डिजाइन करने और प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - EPR कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और पारंपरिक प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के विकास को प्रोत्साहित करने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

भारत का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम

हाल ही में, भारत 2025-26 तक 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

परिचय

- एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2003 में की गई थी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना था।
- यह कार्यक्रम विशेष रूप से पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित करता है, जो जीवाश्म ईंधन से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को न्यून करने में मदद करता है और भारत के ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- यह कार्यक्रम प्रारंभ में चुनिंदा क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल, 2019 से इसे पूरे देश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) में लागू कर दिया गया।
  - इस पहल के अंतर्गत, तेल विपणन कंपनियों (OMC) को 10% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का अधिकार दिया गया है।
  - यह मिश्रण न केवल आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करता है, बल्कि एथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त गन्ना और मक्का का उपयोग करके कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है।
- **प्रगति एवं लक्ष्य:**
  - एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने अपनी शुरुआत से ही उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। पेट्रोल के साथ एथेनॉल का अखिल भारतीय औसत मिश्रण 2013-14 में 1.6% से बढ़कर 2022-23 में 11.8% हो गया है।
  - यह उल्लेखनीय वृद्धि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा देने के प्रति देश की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
  - भारत ने प्रारंभ में 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था।
  - हालाँकि, 2021 में नीति आयोग द्वारा एथेनॉल रोडमैप जारी करने के साथ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 तक बढ़ा दी गई।
  - इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 2025-26 तक पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन आवश्यक होगा।

एथेनॉल:

- एथेनॉल, एक निर्जल एथिल अल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C_2H_5OH है। इसे गन्ना, मक्का, गेहूँ आदि से उत्पादित किया जा सकता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है।

- भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के गुड़ से किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
- एथेनॉल सम्मिश्रण से तात्पर्य गैसोलीन के साथ एथेनॉल को मिलाकर ईंधन मिश्रण बनाने की प्रक्रिया से है, जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है।
- **कुछ सामान्य मिश्रण हैं:**
  - **E10:** यह 10% एथेनॉल और 90% गैसोलीन का मिश्रण है। यह सबसे आम मिश्रण है और कई देशों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - **E15:** इस मिश्रण में 15% एथेनॉल और 85% गैसोलीन होता है।
  - **E85:** यह एक उच्च-एथेनॉल मिश्रण है, जिसमें 85% एथेनॉल और 15% गैसोलीन होता है। इसका उपयोग उच्च एथेनॉल सामग्री पर चलने के लिए डिजाइन किए गए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों में किया जाता है।

एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का महत्त्व:

- **भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना:**
  - भारत की ऊर्जा जरूरतें आयातित ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर हैं तथा 80% से अधिक ईंधन का आयात किया जाता है।
  - आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा को वैश्विक घटनाओं, जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध या ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती के निर्णय, के कारण जोखिम का सामना करना पड़ता है।
  - एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भारत की आयातित तेल पर निर्भरता को कम करता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है और यह ऐसे वैश्विक व्यवधानों के प्रति कम संवेदनशील बनता है।
- **आयात बिल को संतुलित करना:**
  - एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करता है।
  - नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, E20 लक्ष्य (पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण) को प्राप्त करने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल सालाना लगभग 4 बिलियन डॉलर कम हो सकता है।
  - इस कटौती से न केवल धन की बचत होती है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति भारत का आर्थिक लचीलापन भी मजबूत होता है।
- **उत्सर्जन में कमी:**
  - एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर देता है।
  - नीति आयोग के अनुसार, E20 (20% एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) के उपयोग से दोपहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 50% और चार पहिया वाहनों में 30% की कमी आने की अपेक्षा है।
  - उत्सर्जन में यह कमी स्वच्छ वायु और स्वस्थ पर्यावरण में योगदान देती है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **रोजगार सृजन:**
  - एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक महत्त्वपूर्ण चालक है।
  - एशियाई विकास बैंक (ADB) का अनुमान है कि इस कार्यक्रम से भारत में लगभग 18 मिलियन ग्रामीण रोजगार सृजित हो सकते हैं।
  - रोजगार सृजन की यह क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या को दूर करने, गरीबी उन्मूलन में योगदान देने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **संसाधन अनुकूलन:**
  - क्षतिग्रस्त खाद्यान्न और सब्जी के अपशिष्ट का उपयोग करके, एथेनॉल उत्पादन उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता को अधिकतम करता है, जो अन्यथा बर्बाद हो सकते हैं।
  - इससे ऐसे अपशिष्ट पदार्थों के निपटान से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।

मेट्टूकुरिंजी (स्ट्रोबिलैन्थेस सेसिलिस)

पश्चिमी घाट के मेट्टूकुरिंजी पौधों की घटती जनसंख्या के कारण इनके संरक्षण हेतु प्रयासों की आवश्यकता है।

परिचय

- मेट्टूकुरिंजी, जिसे टोपली कार्वी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थानिक वनस्पति प्रजाति है, जो एकेंथेसी कुल से संबंधित है।
  - इस कुल में लगभग 450 प्रजातियाँ शामिल हैं, जो एशिया और मेडागास्कर के आर्द्र उष्णकटिबंधीय जीवोम (बायोम) की स्थानिक प्रजाति हैं।
- मेट्टूकुरिंजी अपने सीमित भौगोलिक वितरण और अद्वितीय पुष्पन प्रारूप के कारण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।
- यह पौधा विशेष रूप से पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, जो भारत के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।

- **पुष्पन चक्र:**
  - यह पौधा प्रत्येक सात वर्ष में पुष्पित होता है, जिससे पश्चिमी घाट में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है।
  - ये फूल पश्चिमी घाट के एक अन्य प्रसिद्ध पौधे नीलकुरिंजी से काफी मिलते-जुलते हैं, जो प्रत्येक 14 वर्ष में एक बार खिलता है।

- बैंगनी, लैवेंडर और नीले रंग के अपने मनमोहक रंगों के साथ ये फूल न केवल इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में वृद्धि करते हैं, बल्कि दूर-दूर से पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं।

नीलकुरिंजी से तुलना

यद्यपि नग्न आँखों से देखने पर दोनों प्रजातियाँ लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं, फिर भी उनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं जो उन्हें अलग करते हैं:

- **पत्ती के डंठल:** नीलकुरिंजी के विपरीत, मेट्टूकुरिंजी में पत्ती के डंठल नहीं होते।
- **पुष्प व्यवस्था:** मेट्टूकुरिंजी में फूल शूल (Spike) के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तथा पत्ती के आधार और तने के बीच लंबे बाल होते हैं।
- **पंखुड़ी की स्थिति:** मेट्टूकुरिंजी की पंखुड़ियाँ उभरी हुई होती हैं, जो इसे नीलकुरिंजी से अलग करती हैं

- **जैव विविधता का महत्त्व**
  - भारत स्ट्रोबिलैन्थेस की विविधता के लिए एक वैश्विक केंद्र है। यह एक ऐसा वंश है, जिससे मेट्टूकुरिंजी संबंधित है।
  - देश में स्ट्रोबिलैन्थिस की 160 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 72 प्रजातियाँ सह्याद्रि (पश्चिमी घाट) में स्थानिक हैं।
  - यह समृद्ध विविधता इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्त्व को रेखांकित करती है तथा इन अद्वितीय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
- **औषधीय क्षमता:**
  - यद्यपि इस प्रजाति की पत्तियाँ विषाक्त और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हैं, फिर भी स्थानीय आदिवासी समुदायों द्वारा सूजन संबंधी विकारों के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता रहा है।
  - वैज्ञानिक अध्ययनों में जड़ों और फूलों के सिरों से सूजनरोधी तेलों के निष्कर्षण की खोज की गई है, जिनमें कवकरोधी गुण होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, एंडो फेनचाइल एसीटेट नामक एक जैविक रूप से महत्त्वपूर्ण स्वाद एजेंट निकाला गया है, जिसके सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में एक मूल्यवान उत्पाद बनने की अपेक्षा है।
- **मेट्टूकुरिंजी को खतरा:**
  - **मोनोकार्पी:**
    - मेट्टूकुरिंजी एक मोनोकार्पिक पौधा है, अर्थात यह अपने जीवनकाल में एक बार पुष्पित होता है और फिर मर जाता है।
    - यह विशेषता, वर्षा और तापमान में परिवर्तन के प्रति पौधे की संवेदनशीलता के साथ मिलकर, इसे पर्यावरणीय उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  - **भूस्खलन और बाढ़:**
    - पश्चिमी घाट में प्राय: भूस्खलन और बाढ़ की आशंका रहती है, जिससे उन घास के मैदानों को खतरा हो जाता है, जहाँ मेट्टूकुरिंजी उगते हैं।
    - इन प्राकृतिक आपदाओं से मेट्टूकुरिंजी की संख्या में कमी आ सकती है।
  - **मानवीय हस्तक्षेप:**
    - आगंतुकों द्वारा फूलों के गुच्छे तोड़ने की प्रथा ने भी मेट्टूकुरिंजी की संख्या में गिरावट में योगदान दिया है।
    - यह मानवीय हस्तक्षेप पौधे के प्राकृतिक जीवन चक्र को बाधित करता है और उसके सफल प्रजनन की संभावनाओं को कम करता है।
- **संरक्षण स्थिति:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा 'संकटग्रस्त' प्रजाति के रूप में वर्गीकृत।

5 भूगोल

तड़ित (विद्युत् विसर्जन) से मृत्यु

जुलाई में, ओडिशा सरकार ने विद्युत् विसर्जन (तड़ित/विद्युत् चमक/बिजली का गिरना) से होने वाली मृत्यु की समस्या से निपटने के लिए 19 लाख ताड़ के पेड़ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

परिचय:

- **तड़ित/विद्युत् विसर्जन की प्रकृति:**
  - तड़ित एक अचानक होने वाला स्थिरवैद्युत विसर्जन (इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज) है, जो तड़ित झंझा के दौरान घटित होता है। यह डिस्चार्ज भूमि पर किसी वस्तु से टकराने पर वायुमंडल में आवेशित क्षेत्रों को संतुलित करने में मदद करता है।
  - विद्युत विसर्जन से एक सेकण्ड के एक अंश में लगभग 100 मिलियन वोल्ट विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे 1 से 10 बिलियन जूल ऊर्जा निकलती है तथा 30,000 से 50,000 एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है।
- **तड़ित के प्रकार:**
  - **अंतर-बादल विद्युत् विसर्जन** (IC): एक ही बादल के अंदर विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच घटित होती है।
  - **बादल-से-बादल विद्युत् विसर्जन** (CC): दो अलग-अलग गरजने वाले बादलों के बीच घटित होती है।
  - **बादल से भूमि पर होने वाला विद्युत् विसर्जन** (CG): इसकी उत्पत्ति गरजते बादल से होती है और यह पृथ्वी की सतह पर समाप्त हो जाती है। हालाँकि,यह विपरीत रूप में भी हो सकती है।
    - CG विद्युत् विसर्जन सबसे प्रसिद्ध प्रकार है, क्योंकि यह प्राय: भूमि पर भौतिक वस्तुओं पर गिरती है, जिससे इसे उपकरणों से मापना आसान हो जाता है।

ओडिशा में विद्युत् विसर्जन की घटनाएँ

- विद्युत् विसर्जन की बढ़ती आवृत्ति के कारण विगत 11 वर्षों में कुल 3,790 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2015 में ओडिशा में विद्युत् विसर्जन को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था।
- ओडिशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित एक पूर्वी तटीय राज्य है, जिसकी गर्म, शुष्क जलवायु विद्युत् विसर्जन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती है।

प्रवृत्ति:

- दीर्घकालिक (1998-2014) उष्णकटिबंधीय वर्षा मापन मिशन (TRMM) उपग्रह-आधारित विद्युत् विसर्जन अवलोकन से हिमालय की तराई, सिंधु - गंगा के मैदानों और तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक बार विद्युत् विसर्जन की घटनाएँ सामने आई हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी में इन विद्युत् विसर्जन की तीव्रता सबसे अधिक पाई गई है।
- वार्षिक विद्युत् विसर्जन रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार, बादल से विद्युत् विसर्जन (CG) की सबसे अधिक घटनाएँ पूर्वी और मध्य भारत में होती हैं।

भारत में विद्युत् विसर्जन की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारक:

- **भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ:** उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र, जैसे पूर्वी राज्य और तटीय क्षेत्र, तड़ित झंझा और विद्युत् विसर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  - हिमालय और पश्चिमी घाट सहित स्थलाकृति भी विद्युत् विसर्जन की आवृत्ति को प्रभावित करती है।
- **मानसून की गतिशीलता:** मानसून का मौसम, अपनी तीव्र वर्षा और संवहनीय गतिविधि के कारण, भारत में विद्युत् विसर्जन का एक प्रमुख कारण है।
  - मानसून के मौसम में नम वायुराशियों के एकत्र होने तथा गर्म, नम वायु के ऊपर उठने से प्राय: तड़ित झंझा और विद्युत् विसर्जन की घटनाएँ होती हैं।
- **शहरीकरण और औद्योगीकरण:** तीव्रता से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण वायुमंडल में कृत्रिम ताप स्रोतों और एरोसोल की संख्या में वृद्धि हो रही है।
  - ये संवहन को बढ़ाते हैं और अधिक बार तड़ित झंझा उत्पन्न करने में योगदान देते हैं, जिससे विद्युत् विसर्जन की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।
- **विद्युत् विसर्जन की आवृत्ति पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - **विद्युत् विसर्जन की आवृत्ति में वृद्धि:**
    - ग्रीष्मकाल और मानसून-पूर्व अवधि के दौरान विद्युत् विसर्जन की घटनाओं में वृद्धि ने वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और विद्युत् विसर्जन की गतिविधि के बीच संबंध की जाँच करने के लिए प्रेरित किया है।
    - हालिया शोध से जानकारी मिली है कि दीर्घकालिक वैश्विक तापमान में प्रत्येक एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण विद्युत् विसर्जन की गतिविधि में लगभग 10% की वृद्धि होती है।
    - वैज्ञानिक विभिन्न मॉडलों का उपयोग करके इस बात की पुष्टि करते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी उष्ण परिस्थितियाँ जल निकायों से जल के वाष्पीकरण को बढ़ाती हैं, जिससे कम ऊँचाई पर बादलों का निर्माण बढ़ जाता है और विद्युत् विसर्जन की संभावना बढ़ जाती है।
  - **जल वाष्प की भूमिका:**
    - जल वाष्प, एक प्रमुख प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस है, जो पृथ्वी की जलवायु को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।
    - यह पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है तथा गर्म जलवायु में जलवाष्प का उच्च स्तर पृथ्वी को और अधिक उष्ण करने में योगदान देता है।
  - **सतही तापमान और विद्युत् विसर्जन:** अध्ययनों से पता चला है कि सतह के तापमान और विद्युत् विसर्जन की गतिविधि के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है। सतह का उच्च तापमान विद्युत् विसर्जन की घटनाओं की वृद्धि में योगदान देता है।

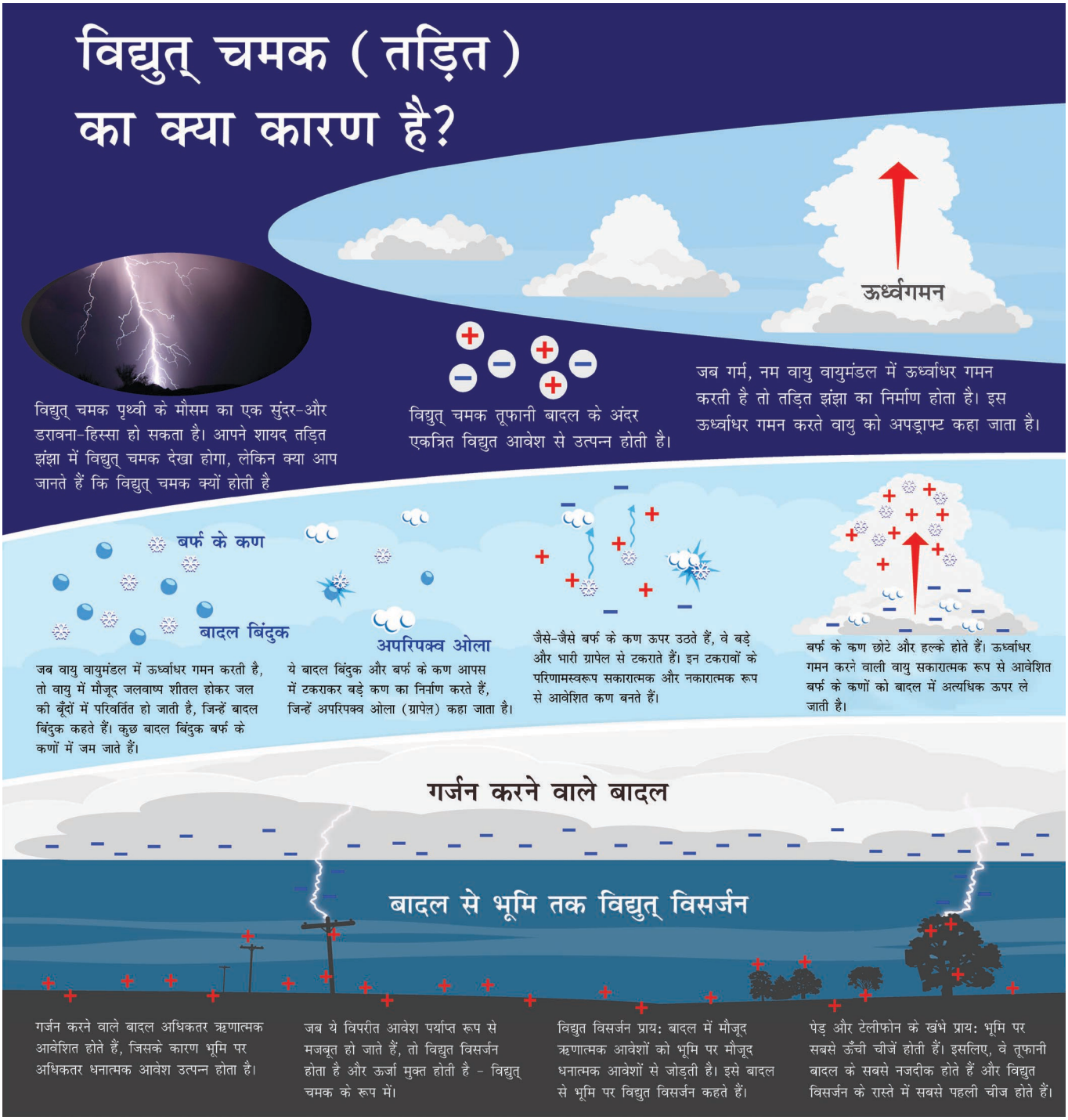

- **कृषि पद्धतियाँ:** कृषि अवशेषों को जलाने और वन अपरोपण से वायुमंडल में कणों का संचय हो सकता है। ये कण बादल निर्माण को प्रभावित करते हैं तथा तड़ित झंझा और विद्युत् विसर्जन की संभावना को बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष:

- हालाँकि, ओडिशा ने विद्युत् विसर्जन की भविष्यवाणी करने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाई है और मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इस संदेश का प्रसार किया है, लेकिन आलोचकों ने कहा है कि विद्युत् विसर्जन की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को शिक्षित करने के लिए विद्युत् विसर्जन के समय क्या करें और क्या न करें के बारे में व्यापक सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता है।

भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' का टैग

हाल ही में, केरल ने केंद्र सरकार से वायनाड भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित करने का अनुरोध किया है, जो प्राकृतिक आपदाओं और संवेदनशील जनसंख्या पर उनके प्रभाव से निपटने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

परिचय:

- 'राष्ट्रीय आपदाओं' की कोई आधिकारिक या परिभाषित श्रेणी नहीं है। हालाँकि, ये महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं, जो व्यापक क्षति, जान-माल की हानि और समुदायों में व्यवधान उत्पन्न कर सकती हैं।
- भारत में ऐसी आपदाओं के प्रबंधन की देख-रेख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा की जाती है, जो आपदा तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए जिम्मेदार एक सरकारी निकाय है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)

- **प्रकृति:**
  - यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक सर्वोच्च निकाय है।
  - भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वैधानिक संस्था।
- **अधिदेश:**
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा-निर्देश तैयार करना।
  - देश भर में आपदा प्रबंधन प्रयासों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
  - आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत 2005 में स्थापित।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:

- **अधिदेश:** प्रत्येक राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के बाद एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) स्थापित करना आवश्यक है।
- **संघटन:**
  - **सदस्य:** SDMA में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम नौ अन्य सदस्य शामिल होंगे। मानक संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **अध्यक्ष:** राज्य के मुख्यमंत्री, पदेन।
    - **अतिरिक्त सदस्य:** SDMA के अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम आठ सदस्य।
    - **राज्य कार्यकारी समिति अध्यक्ष:** सदस्य के रूप में पदेन कार्य करना।
- **उपाध्यक्ष:** SDMA का अध्यक्ष नामित सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष SDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा।

आपदा (HAZARD) के प्रकार

प्राकृतिक आपदा

- **चक्रवात:**
  - चक्रवात वायुमंडलीय अस्थिरता है, जिनकी विशेषता कम दाब वाले क्षेत्र के आस-पास तीव्र और प्राय: विनाशकारी वायु परिसंचरण है।
  - वे सामान्यत: प्रचंड तूफान और प्रतिकूल मौसम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात वामावर्त घूर्णन करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, वे दक्षिणावर्त घूर्णन करते हैं।
  - शब्द "चक्रवात" ग्रीक शब्द साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साँप की कुंडली, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय तूफानों की कुंडलित उपस्थिति का संदर्भ है।
- **सुनामी:**
  - सुनामी विशाल समुद्री तरंग है, जो जल के विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है। यह प्राय: भूकंप जैसी भूकंपीय (Seismic) गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है।
  - पृथ्वी का स्थलमंडल विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है और उनकी गति से समुद्र तल में ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो सकता है, जिससे सुनामी उत्पन्न हो सकती है।
- **हीट वेव:**
  - हीट वेव अत्यधिक उच्च तापमान की एक लंबी अवधि है, जो क्षेत्र के सामान्य अधिकतम तापमान से काफी अधिक होती है, जो सामान्यत: उत्तर-पश्चिमी भारत में मार्च और जून के बीच उत्पन्न होती है तथा कभी-कभी जुलाई तक बढ़ जाती है।
  - हीट वेव शारीरिक तनाव उत्पन्न करती है तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या मृत्यु का कारण बन सकती है।
  - IMD **द्वारा मानदंड:**
    - **मैदानी क्षेत्र:** जब अधिकतम तापमान 40°C या उससे अधिक हो जाता है, तो हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है, जिसमें हीट वेव के लिए सामान्य तापमान 5-6°C से अधिक तथा गंभीर हीट वेव के लिए सामान्य तापमान 7°C से अधिक हो जाता है।
    - **पहाड़ी क्षेत्र:** जब अधिकतम तापमान सामान्य से समान विचलन के साथ 30°C या उससे अधिक हो जाता है तो हीट वेव की स्थिति लागू होती है।
  - **सीमा:** जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C से अधिक हो जाता है, तब सामान्य तापमान की परवाह किए बिना, हीट वेव की घोषणा की जाती है।
- **भूस्खलन:**
  - भूस्खलन चट्टान, मृदा और मलबे के ढलान से नीचे खिसकने के कारण घटित होता है, जो प्राय: भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण होता है।
  - भारत के पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हिमालय, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच चल रहे टकराव के कारण प्राय: भूस्खलन का अनुभव करते हैं।
  - इस टकराव से उत्पन्न तनाव चट्टानों को कमजोर बना देता है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
  - भूस्खलन से हिमालय, पूर्वोत्तर पर्वत शृंखलाएँ, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट और विंध्य सहित विभिन्न क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

- **शहरी बाढ़:**
  - विकसित जलग्रहण क्षेत्रों के कारण बाढ़ की उच्चतम अवस्था और मात्रा में वृद्धि के कारण शहरी बाढ़ ग्रामीण बाढ़ से भिन्न होती है।
  - शहरीकरण के कारण अपवाह तीव्र हो जाता है और बाढ़ की उच्चतम अवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आ जाती है।
- **बाढ़:**
  - भारत में बाढ़ बार-बार आने वाली घटना है, जो प्रतिवर्ष 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रभावित करती है। इनसे जान-माल, संपत्ति, बुनियादी ढाँचे और फसलों को भारी क्षति पहुँचती है।
  - जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण विगत कुछ वर्षों में बाढ़ से होने वाली औसत वार्षिक क्षति में वृद्धि हुई है।
  - पिछले दशक में बाढ़ से लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिससे लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हुई है तथा भारी आर्थिक क्षति हुई है।
- **भूकंप:**
  - भूकंप गतिशील विवर्तनिक प्लेटों में संचित तनाव के अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होते हैं। ये प्रचंड भू-कंपन प्लेट सीमाओं पर घर्षण और तनाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
  - पृथ्वी की भूपर्पटी, जिसमें अनेक बड़ी और छोटी प्लेटें शामिल हैं, जो धीरे-धीरे और लगातार गति करती रहती है, जिससे भूकंपीय गतिविधियाँ होती हैं और आबादी वाले क्षेत्रों में संभावित क्षति होती है।

मानव निर्मित आपदा:

- **रासायनिक आपदा:**
  - रासायनिक आपदाओं में खतरनाक रसायनों का आकस्मिक रिसाव शामिल होता है, जिससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और संपत्ति को गंभीर क्षति होती है।
  - भारत की सबसे भीषण रासायनिक आपदा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी।
- **परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातकाल:**
  - इन आपात स्थितियों में परमाणु संयंत्रों में या रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग के दौरान होने वाली घटनाएँ शामिल होती हैं, जिनसे लोगों और पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचने की संभावना होती है।
  - ऐसी आपात स्थितियाँ संयंत्र दुर्घटनाओं, रेडियोधर्मी पदार्थों के अनुचित संचालन या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं।
- **जैविक आपदा:**
  - जैविक आपदाएँ रोगाणुओं, विषाक्त पदार्थों या जैवसक्रिय पदार्थों के संपर्क में आने से होती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, संपत्ति की क्षति होती है और सामाजिक विघटन होता है।
  - उदाहरणों में महामारी (जैसे; हैजा, प्लेग) और वैश्विक महामारी (जैसे, इंफ्लुएंजा H1N1) शामिल हैं। ये आपदाएँ व्यापक बीमारी का कारण बन सकती हैं, सेवाओं को बाधित कर सकती हैं और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं।

राज्य और केंद्र की भूमिका:

- NDMA की एक वार्षिक रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि 'आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों को प्रारंभ करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, लेकिन इन्हें केंद्रीय सहायता से पूरा किया जा सकता है।
- गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, जहाँ राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) खाते में उपलब्ध धन से अधिक होती है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- गृह मंत्रालय का आपदा प्रबंधन प्रभाग सहायता प्रदान करेगा तथा निधियों के उपयोग की निगरानी करेगा।
  - एक आपदा राहत कोष (CRF) स्थापित किया गया है, जिसकी धनराशि केंद्र और राज्य के बीच 3:1 के अनुपात में साझा की जाती है।
  - जब CRF में संसाधन अपर्याप्त हों, तो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है, जिसका 100% वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।
- वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।

पाइरोक्यूमुलोनिम्बस (उच्च तापीय कपासी वर्षा स्तरी) बादल

अमेरिका और कनाडा में वनाग्नि इतनी तीव्र हो गई कि इससे 'पाइरोक्यूमुलोनिम्बस' बादल उत्पन्न हो रहे हैं, जो तड़ित झंझा उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं।

परिचय:

- वे अत्यंत भीषण वनाग्नि या ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं।
- वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वनाग्नि की घटनाएँ अधिक तीव्र और लगातार हो सकती हैं, जिससे पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों की घटना बढ़ सकती है।
- **प्रक्रिया:** अग्नि से निकलने वाली तीव्र ऊष्मा आस-पास की वायु को गर्म करती है, जो पुनः ऊर्ध्वाधर गमन करती है, विस्तृत होती है और शीतल हो जाती है। जल वाष्प राख पर संघनित होकर पाइरोक्यूम्यलस बादल का निर्माण करती है।

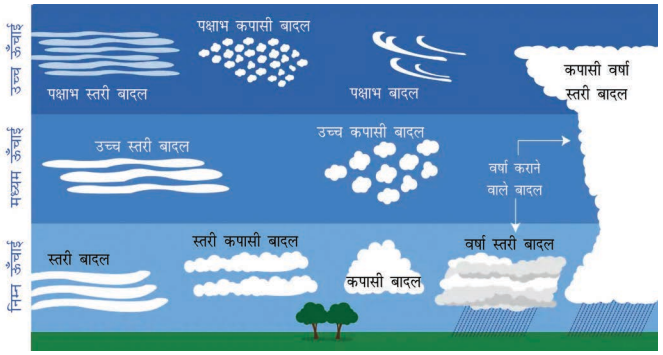

- **प्रभाव:** वे विद्युत चमक उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अधिक वर्षा नहीं करते। वे मुख्य अग्नि से दूर नई वनाग्नि को तीव्र कर सकते हैं तथा तीव्र पवनें चला सकते हैं, जिससे अग्नि तीव्रता से फैलती है।
- **डेटा:** 2023 से पहले, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर लगभग 102 पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल दर्ज किए गए, जिनमें से 50 कनाडा में निर्मित हुए।
  - 2023 में सिर्फ कनाडा में 140 पाइरोक्यूमुलोनिम्बस बादल निर्मित हुए

बादलों के प्रकार

- बादल पृथ्वी के वायुमंडल में निलंबित छोटी-छोटी जल की बूँदों या बर्फ के कणों का दृश्यमान संग्रह हैं। इनका निर्माण तब होता है जब वायु जल वाष्प से संतृप्त हो जाती है।
- चूँकि, गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में ज्यादा जल वाष्प धारण कर सकती है, इसलिए वायु राशि को ठंडा करना स्पंज से नमी निचोड़ने जैसा है। इस शीतल, नम वायु के संघनित होने पर बादल का निर्माण होता है।

उच्च ऊँचाई:

- **पक्षाभ कपासी बादल** (Cirrocumulus): स्थूल, धब्बेदार बादल जिनके बीच रिक्त स्थान होते हैं तथा जो प्राय: लहरदार प्रारूप का निर्माण करते हैं।
- **पक्षाभ स्तरी बादल** (Cirrostratus): हल्के भूरे या सफेद बादल जो पतले होते हैं और प्राय: आकाश के अधिकांश भाग को ढक लेते हैं, जिससे उनके माध्यम से सूर्य या चंद्रमा को देखा जा सकता है।
- **पक्षाभ बादल:** बर्फ के कणों से बने पतले, सूक्ष्म और पंखनुमा बादल।

मध्यम ऊँचाई:

- **उच्च कपासी बादल:** स्थूल, धब्बेदार बादल जिनके बीच रिक्त स्थान होते हैं।
- **उच्च स्तरी बादल:** हल्के भूरे रंग के बादल जो सामान्यत: एक समान होते हैं और आकाश के अधिकांश भाग को ढक लेते हैं।

निम्न ऊँचाई:

- **वर्षा स्तरी बादल:** गहरे भूरे रंग के बादल जो निम्न और मध्यम ऊँचाई को आच्छादित (कवर) करते हैं, उनसे वर्षा होती है। आधार बिखरे हुए होते हैं और वर्षा के कारण उनका निर्धारण करना कठिन होता है।
- **कपासी बादल:** स्थूल बादल जो कपास की गेंद, पॉपकॉर्न या फूलगोभी की तरह दृष्टिगत होते हैं।
- **स्तरी बादल:** हल्के या गहरे भूरे रंग के बादल जो सामान्यत: एक समान होते हैं और आकाश के अधिकांश भाग को ढक लेते हैं। कोहरे को स्तरी बादल माना जाता है।
- **स्तरी कपासी बादल:** बादलों के अनियमित समूह जो लुढ़कते हुए या स्थूल दृष्टिगत होते हैं। कभी-कभी उनके बीच रिक्त स्थान भी होता है।
- **कपासी वर्षा स्तरी बादल:** गहरे आधार वाले विस्तृत बादल और इनका विस्तार ऊँचाई में अधिक पाया जाता है। प्राय: अच्छी तरह से परिभाषित किनारों या शीर्ष पर निहाई के आकार (anvil shape) के साथ। ये बादल वर्षा को बाधित कर सकते हैं और भारी गर्जन के साथ जुड़े होते हैं।

बोत्सवाना द्वारा विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज

हाल ही में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, जिसका वजन 2,492 कैरेट है, बोत्सवाना में कनाडाई कंपनी लुकारा डायमंड के स्वामित्व वाली एक खदान में खोजा गया।

परिचय:

- **भूगोल:**
  - बोत्सवाना की सीमा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम और उत्तर में नामीबिया और उत्तर-पूर्व में जिम्बाब्वे से लगती है।
  - उत्तर में इसकी सीमा जाम्बिया से भी मिलती है।
  - देश का अधिकांश भाग कालाहारी मरुस्थल से ढका हुआ है, जो इसके अधिकांश भूदृश्य पर प्रभावी है।
- **प्रमुख नदियाँ:** महत्त्वपूर्ण नदियों में लिम्पोपो, ओकावांगो और शाशे शामिल हैं, जबकि मोलोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच भौगोलिक सीमा का निर्माण करती है।
- **राजधानी एवं प्रमुख शहर:**
  - राजधानी शहर गबोरोन है, जो देश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है।
  - अन्य प्रमुख शहरों में फ्रांसिसटाउन, मौन और लोबात्से शामिल हैं।
- **अर्थव्यवस्था:**
  - मूल्य के हिसाब से यह विश्व के सबसे बड़े हीरा उत्पादकों में से एक है।
  - हीरे के अलावा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पर्यटन, विशेषकर पारिस्थितिकी पर्यटन तथा पशुपालन शामिल हैं।
- **ज्वानेंग खदान:** मूल्य के आधार पर विश्व की सबसे समृद्ध हीरा खदान, ज्वानेंग, एक खुली खदान है, जो बोत्सवाना की राजधानी गबोरोन से लगभग 160 मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है।
  - 'ज्वानेंग' नाम का अर्थ है "छोटे पत्थरों का स्थान।"
- **स्थिति और उत्पादन:**
  - कालाहारी मरुस्थल के किनारे स्थित यह खदान तीन प्राथमिक किम्बरलाइट पाइपों और एक छोटे उपग्रह भंडार पर केंद्रित है।
  - 2019 में, ज्वानेंग ने 12.5 मिलियन कैरेट का उत्पादन किया, जिसने वैश्विक हीरा बाजार में इसके महत्त्व को रेखांकित किया।

तिब्बती पठार के सेडोंगपु घाटी का व्यापक स्तर पर सामूहिक स्थानांतरण

पर्यावरण वैज्ञानिकों ने हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 2017 से तिब्बती पठार के सेडोंगपु घाटी में व्यापक स्तर पर होने वाली सामूहिक स्थानांतरण की घटनाओं की उच्च आवृत्ति के बारे में चिंता जताई है।

सामूहिक स्थानांतरण

- **परिभाषा:**
  - यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नष्ट चट्टान अवशेष का नीचे और बाहर की ओर गति को संदर्भित करता है।

- इस प्रक्रिया में विभिन्न गति और क्रियाविधि शामिल होती हैं, जो सूक्ष्म मृदा से लेकर विशाल चट्टान तक को प्रभावित करती हैं।
- इससे निम्न स्तरीय घटनाओं से लेकर व्यापक स्तर पर आपदाएँ घटित हो सकती हैं, जिससे विभिन्न भू-आकृतियों के निर्माण में योगदान मिलता है।

- **सामूहिक स्थानांतरण के कारण:**
  - **निष्क्रिय कारण:**
    - **लिथोजेनिक:** इसमें असंगठित, कमजोर या फिसलन वाली सामग्री शामिल होती है।
    - **स्ट्रेटीग्राफिक:** पतली परत वाली संरचनाओं तथा कमजोर और मजबूत चट्टानों की वैकल्पिक परतों से संबंधित।
    - **संरचनात्मक:** इसमें सघन जोड़, भ्रंश या तीव्र ढलान वाली परत जैसी विशेषताएँ शामिल होती हैं।
    - **स्थलाकृतिक:** ऊर्ध्वाधर या उर्ध्वाधर ढालों से संबंधित है।
    - **जलवायु:** इसमें व्यापक वार्षिक और दैनिक तापमान विस्तार, हिमीकरण-विगलन चक्र और भारी वर्षा जैसे कारक शामिल हैं।
    - **जैविक:** वनस्पति की कमी से संबंधित।
  - **सक्रिय कारण:**
  - **आधार का हटना:** मानवीय गतिविधि या ढाल के आधार पर कटाव के कारण।
  - **ढाल का अत्यधिक तीव्र होना:** सतही अपवाह द्वारा मृदा के पुनर्वितरण जैसी गतिविधियों के परिणामस्वरूप।
  - **रेगोलिथ का अतिभारण:** इसमें ढालों पर बर्फ, हिम, जल या मानव निर्मित संरचनाओं का एकत्रण शामिल होता है।
- **सामूहिक स्थानांतरण के प्रकार:**
  - **मृदा सर्पण:**
    - इसे 'मृदा प्रवाह' के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रवाह गति का एक उप-प्रकार है।
    - यह तब घटित होता है, जब सतह जल-संतृप्त रेगोलिथ से ढक जाती है।
    - जल की मात्रा बढ़ने से मृदा गीली हो जाती है, जिससे इसकी ससंजक शक्ति और घर्षण कम हो जाता है तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण अपक्षयित परत ढाल से नीचे की ओर खिसक जाती है।
  - **परिस्थितियाँ:** इसके लिए एक अभेद्य उप-सतह परत और पर्याप्त मृदा की नमी की आवश्यकता होती है। यह गर्म और ठंडे दोनों जलवायु में घटित हो सकता है:
    - **गर्म क्षेत्र:** नमी वर्षा या सतही अपवाह द्वारा प्रदान की जाती है तथा एक अभेद्य परत संभवत: स्लेट, शिस्ट या अन्य कठोर चट्टानों का संस्तर होती है।
    - **ठंडे क्षेत्र:** नमी वसंत के दौरान पिघले जल से प्राप्त होती है, जब सतह की बर्फ और हिम पिघलती है। अभेद्य उप-सतही परत सामान्यत: पर्माफ्रॉस्ट होती है, जो जमी रहती है।
- **मृदा विसर्पण:**
  - इस प्रकार का सामूहिक स्थानांतरण व्यापक है और लगभग सभी सतहों पर होता है।
  - इसके लिए न्यूनतम ढाल की आवश्यकता होती है और इसमें किसी भी प्रकार का मलबा शामिल हो सकता है। इसे नमी की आवश्यकता नहीं होती है और यह सभी मौसमों में हो सकता है।
- **पंक प्रवाह और भूमि प्रवाह:**
  - **पंक प्रवाह:**
    - इसमें जल और मलबे के व्यापक स्तर पर, व्यवस्थित प्रवाह शामिल है।
    - यह सामान्यत: घाटियों में होता है और इसकी गति तीव्र होती है। शुष्क क्षेत्र मौसमी धाराओं और अनियमित लेकिन तीव्र वर्षा के कारण पंक प्रवाह के लिए विशेष रूप से प्रवण होते हैं।
    - वनस्पति की अनुपस्थिति इस प्रक्रिया को समर्थित करती है।
  - **भूमि प्रवाह:**
    - यह पंक प्रवाह के समान है, लेकिन किसी भी सतह पर अधिक स्थानीय तरीके से घटित होता है।
    - यह मृदा के प्रवाह की तुलना में कम सुनियोजित है और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में हो सकता है।

सेडोंगपु खड्ड (GULLY):

- **स्थान:** सेडोंगपु खड्ड तिब्बत में सेडोंगपु हिमनद के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है।
  - **खड्ड की परिभाषा:** प्रवाहित जल, सामूहिक स्थानांतरण या दोनों से कटाव के कारण निर्मित भू-आकृति।
- **जल निकासी और भूगोल:**
  - **जल निकासी:** यह खड्ड यारलुंग जांग्बो (त्सांगपो) नदी में अपवाहित होती है, जो एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है, जिसे ग्रेट बेंड के नाम से जाना जाता है।
  - **ग्रेट बेंड:** अरुणाचल प्रदेश के साथ तिब्बत की सीमा के पास स्थित है, जहाँ त्सांगपो नदी सियांग नदी कहलाती है।
  - **आगे का प्रवाह:** सियांग नदी असम में दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है, जो बांग्लादेश में जमुना के रूप में प्रवाहित होती है।
- **भूवैज्ञानिक विशेषताएँ:**
  - **घाटी:** ग्रेट बेंड एक घाटी का निर्माण करती है जो 505 किमी. लंबी और 6,009 मीटर गहरी है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटियों में से एक बनाती है।
  - **सेडोंगपु बेसिन:**
    - मुख्य रूप से प्रोटेरोजोइक संगमरमर (2.5 अरब से 541 मिलियन वर्ष पुराना) से निर्मित।
    - इस क्षेत्र में भूमि की सतह का तापमान -5° से -15° सेल्सियस के बीच रहा है, जो 2012 से पहले शायद ही कभी 0° सेल्सियस से अधिक रहा है।

चर्चित स्थल

माउंट किलिमंजारो

रक्षा मंत्रालय के एक अभियान दल ने 'दिव्यांग' उदय कुमार के नेतृत्व में माउंट किलिमंजारो पर सबसे बड़ा भारतीय झंडा फहराकर इतिहास रच दिया।

परिचय:

- यह पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है।
- इसे अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी (5,895 मीटर) का दर्जा प्राप्त है।
- यह पर्वत विश्व का सबसे ऊँचा स्वतंत्र पर्वत भी है, अर्थात यह किसी पर्वत शृंखला का भाग नहीं है।
- किलिमंजारो तीन अलग-अलग ज्वालामुखीय शंकुओं से बना है: शिरा, किबो और मावेंजी।
  - किबो सबसे ऊँचा है और यहाँ उहुरू चोटी भी स्थित है।
- यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 'किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान' का एक भाग है।

सेंट मार्टिन द्वीप

हाल ही में, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप विवादों में रहा।

परिचय:

- **अवस्थिति और भूगोल:** यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के निकट अवस्थित है।
  - यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार-टेकनाफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग नौ किलोमीटर दूर है।
- 7.3 किमी. लंबा यह द्वीप अधिकांशत: समतल है तथा समुद्र तल से 3.6 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, जहाँ पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में 10-15 किमी. तक चट्टानें हैं और यह समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल भी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- यह द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था (लगभग 5,000 वर्ष पूर्व) लेकिन धीरे-धीरे समुद्र में डूब गया।
- लगभग 450 वर्ष पहले, वर्तमान सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिणी उपनगर पुन: अस्तित्व में आए।
- अरब व्यापारी 18वीं शताब्दी में इस द्वीप पर निवास करने वाले प्रारंभिक लोगों में से थे।
  - व्यापारियों ने प्रारंभ में इस द्वीप का नाम 'जजीरा' (जिसका अर्थ है 'द्वीप' या 'प्रायद्वीप') रखा और बाद में इसे बदलकर 'नारिकेल जिंजीरा' या 'नारियल द्वीप' रख दिया।
- 1900 में ब्रिटिश भारत ने भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस द्वीप को अपने आधिपत्य में ले लिया। तब से, इस द्वीप को सेंट मार्टिन द्वीप के नाम से जाना जाने लगा, जिसका नाम चटगाँव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया।

सेंट मार्टिन द्वीप का सामरिक महत्त्व:

- **स्थान और समुद्री नियंत्रण:** सेंट मार्टिन द्वीप की अवस्थिति समुद्री यातायात को नियंत्रित करने और बंगाल की खाड़ी में गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **महत्त्वपूर्ण कारक:**
  - **महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग:** यह द्वीप वैश्विक व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट स्थित है।
  - **प्राकृतिक संसाधन:** यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
  - **हिंद महासागर का प्रवेश द्वार:** यह हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो नौसैनिक संचालन और प्रभुत्व के लिए इसके सामरिक महत्त्व को बढ़ाता है।
- **भू-राजनैतिक संदर्भ:**
  - **सामरिक महत्त्व का केंद्र:** क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण बंगाल की खाड़ी सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनती जा रही है।
  - **वैश्विक हित:** जैसे-जैसे चीन अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित अन्य राष्ट्र इस प्रभाव की निगरानी और संतुलन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  - **निगरानी और लाभ:** सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर निगरानी बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है।

गुआम द्वीप

INS शिवालिक हाल ही में विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, रिमपैक 2024 को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ऑपरेशनल टर्नअराउंड के लिए गुआम पहुँचा।

परिचय:

- **अवस्थिति:**
  - **भौगोलिक स्थिति:**
    - गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप क्षेत्र है।
    - यह संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में से एक है, जो इसे प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक स्थान बनाता है।
  - **सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप:**
    - गुआम मारियाना द्वीपसमूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है।
    - यह इस समूह का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है, जो प्रशांत क्षेत्र में सैन्य और नागरिक गतिविधियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **राजधानी:** हगाटना
  - गुआम की राजधानी हगाटना है, जिसे अगाना के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह शहर द्वीप के प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, तथा यहाँ गुआम के सरकारी संस्थान और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं।
- **इतिहास:**
  - **स्पेनिश आधिपत्य और अमेरिकी अधिग्रहण:**
    - गुआम 1898 तक स्पेनिश शासन के अधीन था।
    - स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध के दौरान, यह द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गया, जिससे इसकी राजनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और यह प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी शासन और सैन्य रणनीति के साथ निकटता से जुड़ गया।
  - **मूल जनसंख्या:** चमोरोस
    - गुआम के मूल निवासियों को चमोरोस के नाम से जाना जाता है।
    - वे मलय-इंडोनेशियाई वंश के हैं, और सदियों से उनकी आबादी में जातीयताओं का उल्लेखनीय मिश्रण देखा गया है, जिसमें स्पेनिश, फिलिपिनो, मैक्सिकन और अन्य यूरोपीय और एशियाई वंश शामिल हैं।
- **सांस्कृतिक विरासत:**
  - चमोरोस की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, जो ऐतिहासिक प्रवास, उपनिवेशीकरण और व्यापार के कारण विभिन्न क्षेत्रों और देशों के विविध प्रभावों को प्रतिबिंबित करती है।
  - उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान स्वदेशी परंपराओं और उनके औपनिवेशिक अतीत की विरासतों का मिश्रण है।

युद्धाभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) 2024:

- **अवलोकन:**
  - **प्रकृति:** इस युद्धाभ्यास को विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्धाभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह हवाई में आयोजित किया गया।
  - **उद्देश्य:**
    - रिमपैक (रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज) का उद्देश्य मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना तथा विश्वास का निर्माण करना है।
    - इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य बहुआयामी नौसैनिक अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना और समन्वय में सुधार करना है।
- **थीम:**
  - यह युद्धाभ्यास **'भागीदार: एकीकृत और तैयार'** विषय के अंतर्गत संचालित होता है।
  - यह थीम समुद्री चुनौतियों से निपटने में एकता और तैयारी के महत्त्व को रेखांकित करता है।

गुमटी नदी

सरकार ने हाल के दावों को खारिज कर दिया है कि बांग्लादेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ त्रिपुरा में गुमटी नदी पर डंबूर बाँध से जल छोड़े जाने के कारण आई।

परिचय:

- **भौगोलिक स्थिति:**
  - **क्षेत्र:** गुमटी बेसिन पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा के निचले मध्य भाग में स्थित है।
  - **सीमाएँ:** गुमटी बेसिन पूर्वी और पश्चिमी दोनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व वाला एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक स्थल बनाता है।
- **नदी का मार्ग:**
  - पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में उतरने के बाद गुमटी नदी सामान्यत: पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह अंतत: भारत-बांग्लादेश सीमा सोनामुरा पर स्थित बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
  - गुमटी नदी की अपने उद्गम से लेकर भारत-बांग्लादेश सीमा तक कुल लंबाई लगभग 167.4 किमी. है।
  - इस बिंदु से आगे नदी बांग्लादेश के मैदानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है और अंतत: दाउदकंडी के पास मेघना नदी प्रणाली में संगम हो जाता है।
- **डंबूर बाँध:**
  - डंबूर बाँध, लगभग 30 मीटर ऊँचा एक कम ऊँचाई वाला ढाँचा है, जो बांग्लादेश सीमा से 120 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है।
  - यह विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा ग्रिड में विद्युत का योगदान देता है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश दोनों को आपूर्ति करता है।
  - विशेष रूप से, बांग्लादेश इस ग्रिड से 40 मेगावॉट विद्युत प्राप्त करता है, जो क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग में बाँध के महत्त्व को रेखांकित करता है।

6 आंतरिक सुरक्षा

LRGB गौरव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लंबी दूरी ग्लाइड बम (LRGB), जिसे गौरव नाम प्रदान किया गया है, का पहला उड़ान परीक्षण किया।

परिचय

- यह परीक्षण ओडिशा के तट पर भारतीय वायु सेना (IAF) के एक SU-30 MK-I विमान से किया गया था।
- गौरव 1,000 किलोग्राम वजनी हवा से दागा जाने वाला ग्लाइड बम है। इसे लंबी दूरी तक निशाना लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सटीक निशाना लगाने के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) और GPS को मिलाकर हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।
- यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।

LRGB का महत्त्व

- **विस्तारित दूरी क्षमता:** LRGB विमानों को भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना महत्त्वपूर्ण दूरी पर स्थित लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम बनाता है, जिससे पायलटों और विमानों के लिए जोखिम कम हो जाता है।
- **सटीक लक्ष्यीकरण:** उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस, LRGB निर्धारित लक्ष्यों पर प्रहार करने में उच्च सटीकता प्रदान करते हैं, संपार्श्विक क्षति को कम करते हैं और मिशन की सफलता को बढ़ाते हैं।
- **पेलोड में बहुमुखी प्रतिभा:** LRGB विभिन्न प्रकार के आयुध ले जा सकते हैं, जिससे वे विभिन्न मिशन आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित हो सकते हैं, जिनमें अवसंरचना विरोधी (एंटी-इन्फ्रास्ट्रक्चर), कार्मिक विरोधी (एंटी-पर्सनल), और बख्तरबंद विरोधी (एंटी-आर्मर) अभियान शामिल हैं।
- **रणनीतिक हमला विकल्प:** LRGB उच्च मूल्य के लक्ष्यों, जैसे दुश्मन कमान केंद्रों, हवाई क्षेत्रों और आपूर्ति डिपो के विरूद्ध रणनीतिक हमले करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं, जो समग्र निवारक स्थिति में योगदान करते हैं।
- **लागत प्रभावी समाधान:** दूसरे लंबी दूरी के हमले के विकल्पों जैसे क्रूज मिसाइलों की तुलना में, LRGB एक अधिक किफायती समाधान प्रदान करते हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक हथियार पहुँचाने में सक्षम होते हैं। इससे वे किसी भी सेना के हथियार भंडार में एक महत्त्वपूर्ण संसाधन बन जाते हैं।

BPR&D का 54वाँ स्थापना दिवस

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के 54वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो:

- **परिचय:**
  - इसकी औपचारिक स्थापना 1970 में की गयी तथा इसने 1966 में गठित पुलिस अनुसंधान सलाहकार परिषद का स्थान लिया था। यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है।
  - इसमें भारतीय पुलिस बलों को स्मार्ट (रणनीतिक, आधुनिक, चुस्त, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सुसज्जित) बलों में बदलने की परिकल्पना की गई है, जो पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हों।
- **उद्देश्य एवं दृष्टि:**
  - गतिशील और विकासशील समाज में पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों पर व्यवस्थित और तीव्र अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - देश भर में पुलिसिंग पद्धतियों और तकनीकों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को लागू करना।
- **प्रमुख कार्य और प्रभाग:**
  - **प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण प्रभाग:** यह प्रभाग पुलिस प्रशिक्षण के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करता है तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन कर्मियों को अपनी भूमिका में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधन प्राप्त हों।
  - गोर-समिति (1971) ने पुलिस के प्रशिक्षण पहलुओं का अध्ययन किया और कई सिफारिशें दीं।
  - सरकार ने ब्यूरो के अधीन कार्य करने के लिए पहले से मौजूद दो प्रभागों के अतिरिक्त एक प्रशिक्षण प्रभाग (1973) का भी गठन किया।
  - यह प्रशिक्षण पहलों में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) भी शामिल है, जो सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **विशेष परियोजना प्रभाग:** यह इंटरनेट सुरक्षा, मानव तस्करी, लैंगिक मुद्दों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह पुलिसिंग और प्रशासन में मूल्यवान शोध भी प्रकाशित करता है।
  - **अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग:** प्रमुख पुलिसिंग क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए जिम्मेदार यह प्रभाग साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सुधारात्मक प्रथाओं में योगदान देता है।

महत्त्व:

- **पुलिस प्रभावशीलता में वृद्धि:** BPR&D अनुसंधान आयोजित करके और तकनीकी प्रगति को लागू करके पुलिस प्रभावशीलता को बढ़ाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

- **स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देना:** BPR&D का SMART (Strategic, Modern, Agile, Responsive, Technologically Equipped) पुलिसिंग का दृष्टिकोण भारतीय बलों को आधुनिक बनाता है तथा उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ता है।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** ब्यूरो का प्रशिक्षण प्रभाग गुणवत्ता मानकों और iGOT जैसी पहलों के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है तथा अधिकारियों को उनकी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है।
- **उभरते सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करना:** विशेष परियोजना प्रभाग इंटरनेट सुरक्षा, मानव तस्करी और लैंगिक चिंताओं जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निपटता है, पुलिस व्यवस्था को सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप ढालता है।
- **साक्ष्य-आधारित नीतियों का समर्थन:** BPR&D का अनुसंधान डेटा-संचालित नीति-निर्माण में योगदान देता है, जिससे पूरे भारत में पुलिसिंग और सुधारात्मक प्रथाओं में सुधार होता है।

द्विपक्षीय युद्धाभ्यास

मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास से परिचालन के संदर्भ में रचनात्मक जुड़ाव होता है और विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों के साथ कार्य करके युद्ध-संचालन के कई विविध क्षेत्रों में हमारे सशस्त्र बलों के कौशल में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया में ऐसे अभ्यासों के दौरान वर्तमान सामरिक और तकनीकी अभ्यासों / तकनीकों आदि का आदान-प्रदान किया जाता है।

अभ्यास	उदार शक्ति अभ्यास	मित्र शक्ति अभ्यास	तरंग शक्ति अभ्यास
संदर्भ	भारतीय वायु सेना का दल 2024 में सफल भागीदारी के बाद भारत लौट आया।	दसवाँ संस्करण सेना प्रशिक्षण स्कूल, मडुरू ओया, श्रीलंका में संपन्न हुआ।	पहला चरण 6 अगस्त से प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त तक जारी रहा।
सहयोगी राष्ट्र	भारत और मलेशिया	भारत और श्रीलंका	फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित कई राष्ट्र।
संचालन बल	भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल मलेशियाई वायु सेना (RMAF)	भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना	भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वायु सेनाओं की भागीदारी के साथ यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
स्थान	कुआंटन, मलेशिया	सेना प्रशिक्षण स्कूल, मडुरू ओया, श्रीलंका	चरण 1: सुलूर, तमिलनाडु; चरण 2: जोधपुर, राजस्थान।
प्राथमिक फोकस	परिचालन दक्षता बढ़ाना और तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाना।	संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना।	भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन तथा भाग लेने वाली सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना।

द्विपक्षीय अभ्यास का महत्त्व

- **अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना:** द्विपक्षीय अभ्यास विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न परिदृश्यों में संयुक्त रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता में सुधार होता है, जो गठबंधन अभियानों और शांति मिशनों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- **राजनयिक संबंधों को मजबूत करना:** ये अभ्यास भाग लेने वाले देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देते हैं, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाते हैं तथा रक्षा सहयोग के माध्यम से राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं।
- **क्षमता निर्माण:** भाग लेने वाले देशों को ज्ञान, रणनीति और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान से लाभ होता है, जिससे उनकी क्षमताओं में सुधार होता है और उनके सैन्य बलों का आधुनिकीकरण होता है।
- **निवारण:** नियमित द्विपक्षीय अभ्यास एकजुटता और तत्परता का एक मजबूत संदेश देते हैं तथा संयुक्त मोर्चे और बढ़ी हुई सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करके संभावित खतरों के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करते हैं।
- **संकट प्रबंधन:** वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का अनुकरण करके, द्विपक्षीय अभ्यास सैन्य बलों को संकटों, प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार करते हैं, जिससे समग्र तत्परता और प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती है।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

एक्सट्रीमोफाइल

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक्स्ट्रीमोफाइल्स** (Extremophiles) **नामक जीवाणु प्रजाति की खोज की है, जो माइक्रोवेव ओवन में रहते हैं तथा विकिरण के बार-बार के प्रक्रियाओं से बच जाते हैं।

परिचय:

- जो सूक्ष्मजीव अत्यधिक प्राकृतिक परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है।
- सूक्ष्मजीव अद्वितीय जैविक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को शामिल करके चरम वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं।

उत्तरजीविता तंत्र:

- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक चरम पर्यावरणीय स्थान में, एक्स्ट्रीमोफाइल के रूप में हुई तथा उसके बाद यह अधिक समशीतोष्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों में विस्तृत होकर अनुकूलित हो गया।
- एक्सट्रीमोफाइल सूक्ष्मजीवों में प्रोटीन के कई समूह होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट पर्यावरणीय स्थान में जीवन के लिए अनुकूलित होता है।
- वे अपने आस-पास की परिस्थितियों और जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजों के आधार पर प्रत्येक समूह को सक्रिय करते हैं।

WHO ने Mpox को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) **ने** Mpox **को "अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल"** (PHEIC) **घोषित किया है। यह दो वर्षों में** Mpox **के लिए दूसरा** PHEIC **है।

परिचय:

- Mpox मंकीपॉक्स वायरस (MPXV) के कारण होता है, जो ऑर्थोपॉक्सवायरस वंश से संबंधित एक आवरणयुक्त द्विसूत्री संरचना (डबल-स्ट्रैंडेड) DNA वायरस है। MPXV के दो आनुवंशिक क्लेड (जीवशाखा) हैं: क्लेड-I और क्लेड-II।
- **उत्पत्ति और इतिहास**
  - **खोज:** मंकीपॉक्स वायरस की पहचान सबसे पहले 1958 में डेनमार्क के बंदरों में हुई थी।
  - **पहला मानव से संबंधित मामला:** पहला मानव से संबंधित मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक नौ महीने के बच्चे में सामने आया था।
  - **भौगोलिक उद्भव:** Mpox प्रारंभ में मध्य, पूर्व और पश्चिम अफ्रीका में उभरा। 2022 और 2023 के बीच यह वैश्विक प्रकोप बन गया।
- **संचरण:** Mpox फैलता है:
  - **शारीरिक संपर्क:** संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क।
  - **दूषित सामग्री:** वायरस से दूषित सामग्री के साथ संपर्क।
  - **संक्रमित पशु:** ऐसे पशुओं के संपर्क में आना, जो वायरस के वाहक होते हैं।
- **टीकाकरण और वित्तपोषण:**
  - **टीका** (Vaccine)**:** Mpox के लिए दो टीके उपलब्ध हैं, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीकाकरण पर विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह द्वारा अनुशंसित किया गया है और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - **वित्तपोषण की आवश्यकता:** निगरानी, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए 15 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक वित्तपोषण की आवश्यकता है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्तपोषण:** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन स्थितियों के लिए अपने आकस्मिक कोष से 1.45 मिलियन डॉलर का आवंटन किया है, तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि की भी संभावना है।

PHEIC

- PHEIC एक असाधारण घटना है, जो अंतर्राष्ट्रीय रोग प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है तथा इसके लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- यह गंभीर, आकस्मिक, असामान्य, अप्रत्याशित है तथा इसका प्रभाव प्रभावित देश की सीमाओं के बाहर भी पड़ता है।

विज्ञान धारा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग** (DST) **की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना 'विज्ञान धारा' में विलय कर दिया गया है।

विज्ञान धारा योजना के उद्देश्य और कार्यान्वयन:

- **सतत विकास के लिए फोकस क्षेत्र:** विज्ञान धारा योजना का प्राथमिक उद्देश्य आने वाले दशकों में भारत के सतत वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर वैज्ञानिक प्रयासों को निर्देशित करना है। इस योजना का उद्देश्य उन प्रमुख क्षेत्रों को संबोधित करना है, जो देश की उन्नति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना:** इस योजना का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ स्थापित करके देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को बढ़ाना है।

- इससे मजबूत अनुसंधान वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी, जो नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देगा।

- **विविध अनुसंधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना:** विज्ञान धारा कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - अंतर्राष्ट्रीय मेगा सुविधाओं तक पहुँच के साथ बुनियादी अनुसंधान।
  - टिकाऊ ऊर्जा और जल जैसे क्षेत्रों में अनुवादात्मक अनुसंधान।
  - अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधान।
- **राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखण:** विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के पाँच वर्ष के लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में योगदान करते हैं। यह संरेखण सुनिश्चित करता है कि अनुसंधान पहल राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों के अनुरूप हों।
- ANRF **के साथ एकीकरण:** योजना द्वारा समर्थित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के साथ समन्वित किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय अनुसंधान प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में स्थिरता और तालमेल सुनिश्चित होगा।
- **शैक्षिक और शोध के अवसर:** यह योजना कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उन्हें वैज्ञानिक शोध के बारे में शुरुआती जानकारी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह स्नातक और स्नातकोत्तर शोध के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी, जिससे शोधकर्त्ताओं और वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा।

महत्त्व:

- **बढ़ी हुई दक्षता और समन्वय:** मौजूदा योजनाओं को एक एकीकृत कार्यक्रम में विलय करने का उद्देश्य निधि उपयोग में दक्षता में सुधार करना और विभिन्न उप-योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
  - इस समेकन से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सुव्यवस्थित होंगी और अतिरेक कम होगा, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन संभव होगा।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन को मजबूत बनाना:** एकीकृत योजना से एक मजबूत मानव संसाधन पूल के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलने की अपेक्षा है, जो देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  - अनुसंधान एवं विकास आधार का विस्तार करके, यह योजना पूर्णकालिक समकक्ष (FTE) शोधकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगी, जिससे देश की समग्र अनुसंधान एवं विकास क्षमता में वृद्धि होगी।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित पहल लागू की जाएँगी।
  - इस योजना का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं को दूर करना तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STE) में लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना है तथा अधिक समावेशी और न्यायसंगत अनुसंधान वातावरण को बढ़ावा देना है।
- **शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नवाचार को प्रोत्साहित करना:** यह योजना प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर नवाचारों को समर्थन प्रदान करेगी।
  - लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करके, यह प्रारंभिक आयु से ही रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करेगा तथा सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- **उद्योग और स्टार्टअप को सहायता:** इस योजना के माध्यम से उद्योगों और स्टार्टअप को सहायता देने के लिए लक्षित प्रयास किए जाएँगे। इसमें उन्नत अनुसंधान सुविधाओं तक पहुँच को सुगम बनाना, नवाचार परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण और सहयोग के अवसर प्रदान करना शामिल है।
  - इसका लक्ष्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और उद्यमशील उपक्रमों को समर्थन देना है, जिससे एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान मिल सके।
- **अनुसंधान एवं विकास के अवसरों का विस्तार:** यह योजना बेहतर बुनियादी ढाँचे, संसाधन और वित्तपोषण प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास के अवसरों को बढ़ाएगी।
  - यह विस्तार शोधकर्त्ताओं को अधिक महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएँ प्रारंभ करने तथा विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना:** एकीकृत योजना अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी।
  - वैश्विक अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहलों में भाग लेने से, यह वैश्विक मंच पर भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाएगा।

टैनेजर-1 उपग्रह

नासा ने हाल ही में मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए टैनेजर-1 उपग्रह लॉन्च किया है।

परिचय:

- उपग्रह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक का उपयोग करेगा।
- यह पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाले प्रकाश की सैकड़ों तरंगदैर्ध्यों को मापकर ऐसा करेगा।
  - **ग्रह के वायुमंडल में विभिन्न यौगिक** - जिनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं - प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करते हैं, तथा वर्णक्रमीय "फिंगरप्रिंट" छोड़ते हैं, जिन्हें इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर पहचान सकता है।
  - इन इन्फ्रारेड फिंगरप्रिंट्स की सहायता से शोधकर्त्ताओं को प्रबल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सटीक पता लगाने और उसकी मात्रा निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है।

मीथेन का परिचय:

- मीथेन सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों में से एक है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में 30% की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, 20 वर्षों की अवधि में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक तापमान वृद्धि करने में सक्षम है।
- यह जमीनी स्तर पर ओजोन के निर्माण में भी योगदान देता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष लगभग दस लाख लोगों की असामयिक मृत्यु होती है।

वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मेघालय में पोलियो का मामला टीके से उत्पन्न है।

परिचय:

- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियोवायरस (VDPV) ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में कमजोर जीवित पोलियोवायरस का एक प्रकार है।
  - यदि VDPV किसी प्रतिरक्षाविहीन व्यक्ति की प्रतिरूपित आबादी में कम या बिना प्रतिरक्षित आबादी में प्रसारित होता है, तो यह उस रूप में परिवर्तित हो सकता है, जो बीमारी और पक्षाघात का कारण बनता है।
  - VDPV अल्प-प्रतिरक्षित आबादी में उत्पन्न होते हैं, जहाँ OPV से कमजोर वायरस फैल सकता है और उत्परिवर्तित हो सकता है।

पोलियो:

- यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है तथा 200 में से 1 संक्रमित व्यक्ति में स्थायी पक्षाघात या 5-10% पक्षाघातग्रस्त बच्चों की मृत्यु का कारण बनता है।
- **संचरण:** यह वायरस मुख्यत: मल-मौखिक मार्ग से या कभी-कभी दूषित जल या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है।
- **लक्षण:** शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, सिरदर्द, उल्टी, गर्दन में अकड़न और अंगों में दर्द शामिल हैं। पक्षाघात कुछ मामलों में होता है और प्राय: स्थायी होता है।
- **टीका और रोकथाम:** पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण के माध्यम से इसकी रोकथाम संभव है।

क्वांटम नॉनलोकैलिटी

नए अध्ययन से पता चला है कि क्वांटम नॉनलोकैलिटी को मापने के लिए एक सार्वभौमिक मानक असंभव है।

परिचय:

- **परिभाषा:** क्वांटम नॉनलोकैलिटी का तात्पर्य दूर की भौतिक वस्तुओं के बीच एक अद्वितीय संबंध से है, जहाँ इनटेंगल कण एक दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकते हैं, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो। यह घटना पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है कि सूचना या प्रभाव प्रकाश की गति से अधिक तीव्र नहीं हो सकता है।
- **पारंपरिक सिद्धांतों के लिए निहितार्थ:** क्वांटम नॉनलोकैलिटी पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती देती है कि कोई भी सूचना या प्रभाव प्रकाश की गति से अधिक तीव्र गति से प्रसारित नहीं हो सकता है। यह पारंपरिक भौतिकी की तुलना में इनटेंगल कणों के व्यवहार का वर्णन करने के तरीके में एक मौलिक अंतर को प्रकट करता है।
- **नई खोजें और संभावनाएँ:** हाल ही में किए गए शोध क्वांटम नॉनलोकल सहसंबंधों की समझ को बढ़ाते हैं, नए संभावित अनुप्रयोगों को प्रकट करते हैं और क्वांटम यांत्रिकी में अंतर्दृष्टि को गहरा करते हैं। यह खोज क्वांटम नॉनलोकैलिटी की जटिल और बहुआयामी प्रकृति पर बल देती है, जो क्वांटम प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में एक बहुमुखी और महत्त्वपूर्ण संसाधन के रूप में इसके मूल्य को प्रदर्शित करती है।

क्वांटम नॉनलोकैलिटी के अनुप्रयोग

- **सुरक्षित संचार:** क्वांटम संचार प्रणालियों के विकास में क्वांटम नॉनलोकैलिटी महत्त्वपूर्ण है। क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) प्रोटोकॉल, जैसे कि BB84 और E91, क्वांटम इनटेंगलमेंट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि संचार गुप्तचरता (छिपकर सुनना) से सुरक्षित है।
  - क्वांटम नॉनलोकैलिटी के सिद्धांत यह गारंटी देते हैं कि क्वांटम अवस्थाओं को रोकने या मापने का कोई भी प्रयास उनमें परिवर्तन ला देता है, जिससे छिपकर सुनने वाले की उपस्थिति का पता चल जाता है और संचार की अखंडता सुनिश्चित हो जाती है।
- **यादृच्छिक संख्या सृजन:** क्वांटम नॉनलोकैलिटी का उपयोग वास्तविक यादृच्छिक संख्याएँ उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों और सिमुलेशन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
  - शास्त्रीय यादृच्छिक संख्या जनरेटरों के विपरीत, जो पूर्वानुमान योग्य हो सकते हैं, क्वांटम यादृच्छिक संख्या जनरेटर उच्च एन्ट्रॉपी और बिना किसी पूर्वाग्रह के यादृच्छिक अनुक्रम उत्पन्न करने के लिए क्वांटम माप की अंतर्निहित अप्रत्याशितता का लाभ उठाते हैं।
- **क्रिप्टोग्राफिक कुंजी निर्माण:** QKD के अलावा, क्वांटम नॉनलोकैलिटी क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को बनाने और वितरित करने में एक भूमिका निभाती है। इनटेंगल कणों का उपयोग पार्टियों के बीच साझा गुप्त कुंजियाँ बनाने के लिए किया जा सकता है, जो जानकारी को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  - इन कुंजियों की सुरक्षा मूलत: क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों द्वारा सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे भविष्य में कम्प्यूटेशनल शक्ति या क्रिप्टोग्राफिक हमलों में होने वाली प्रगति के प्रति प्रतिरोधी बन जाती हैं।
- **क्वांटम कंप्यूटिंग:** क्वांटम नॉनलोकैलिटी भी क्वांटम कंप्यूटर के संचालन का आधार है। क्वांटम इनटेंगल क्वांटम बिट्स (क्यूबिट) को क्लासिकल कंप्यूटर द्वारा अप्राप्य गति से जटिल गणना करने की अनुमति देता है।

- क्वांटम एल्गोरिदम, जैसे कि बड़ी संख्याओं के गुणनखंडन के लिए शोर का एल्गोरिदम और डेटाबेस खोज के लिए ग्रोवर का एल्गोरिदम, कम्प्यूटेशनल दक्षता प्राप्त करने के लिए इनटेंगलमेंट का लाभ उठाते हैं।

- **क्वांटम नेटवर्किंग:** क्वांटम नेटवर्किंग में विकास, वैश्विक क्वांटम इंटरनेट बनाने के लिए क्वांटम नॉनलोकैलिटी के उपयोग की खोज कर रहा है।
  - यह नेटवर्क लंबी दूरी पर इनटेंगल क्वांटम अवस्थाओं के संचरण की अनुमति देगा, जिससे सुरक्षित संचार के नए रूप, वितरित क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम प्रणालियों के उन्नत समन्वयन को संभव बनाया जा सकेगा।
- **क्वांटम टेलीपोर्टेशन:** क्वांटम नॉनलोकैलिटी क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मूल है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्वांटम कण की स्थिति को, कण के भौतिक रूप से स्थानांतरित किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है।
  - इस तकनीक में क्वांटम संचार और कंप्यूटिंग में संभावित अनुप्रयोग हैं, जहाँ यह नेटवर्क पर क्वांटम सूचना के हस्तांतरण को सुविधाजनक बना सकता है।

विशाल रेडियो स्रोत

भारतीय रेडियो खगोलविदों के नेतृत्व में एक टीम ने विशाल मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) का उपयोग करके 34 नए विशाल रेडियो स्रोतों (GRS) की खोज की सूचना दी है।

परिचय:

- विशाल रेडियो स्रोत ब्रह्माण्ड में विशाल संरचनाएँ हैं, जो व्यापक मात्रा में रेडियो तरंगें उत्सर्जित करती हैं। वे प्राय: सक्रिय आकाशगंगा नाभिक से जुड़े होते हैं और सामान्यत: बड़ी आकाशगंगाओं के केंद्रीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- विशाल रेडियो स्रोत लाखों प्रकाश वर्ष तक विस्तृत हो सकते हैं। वे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे बड़ी संरचनाओं में से कुछ हैं, जो अधिकांश आकाशगंगाओं से कहीं अत्यधिक बड़ी हैं।
- **सिग्नस A:** सबसे प्रसिद्ध विशाल रेडियो स्रोतों में से एक, जो लगभग 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
- **3C 295:** एक अन्य प्रमुख उदाहरण, जो अपनी विशाल एवं जटिल रेडियो संरचना के लिए विख्यात है।

विशाल रेडियो स्रोतों के अध्ययन का महत्त्व:

- **आकाशगंगा निर्माण और विकास:** विशाल रेडियो स्रोत आकाशगंगा निर्माण के प्रारंभिक चरणों और उसके बाद के विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।
  - वे वैज्ञानिकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि ब्रह्माण्डीय समय के साथ आकाशगंगाएँ कैसे विकसित होती हैं और बदलती हैं, जिसमें उनकी संरचना पर अतिविशाल ब्लैक होल का प्रभाव भी शामिल है।
- **अतिविशाल ब्लैक होल्स की भूमिका:** ये स्रोत प्राय: सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN) से जुड़े होते हैं और अतिविशाल ब्लैक होल्स के व्यवहार के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
  - उनके ऊर्जा उत्पादन और प्रतिक्रिया तंत्र का अध्ययन करने से शोधकर्त्ताओं को ब्लैक होल के विकास और उनके मेजबान आकाशगंगाओं पर इसके प्रभाव को समझने में मदद मिलती है।
- **आकाशगंगा-पर्यावरण अंत:क्रिया:** विशाल रेडियो स्रोत बताते हैं कि आकाशगंगाएँ अपने आस-पास के वातावरण के साथ किस प्रकार अंत:क्रिया करती हैं, जिसमें अंतर-आकाशगंगा माध्यम पर पड़ने वाले प्रभाव भी शामिल हैं।
  - ये अंत:क्रियाएँ आकाशगंगाओं की गतिशीलता और व्यापक ब्रह्माण्डीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
- **ब्रह्माण्ड संबंधी अंतर्दृष्टि:** विशाल रेडियो स्रोतों के अवलोकन से ब्रह्माण्ड की बड़े पैमाने की संरचनाओं, जैसे आकाशगंगा समूहों और सुपरक्लस्टर्स के मानचित्रण में योगदान मिलता है।
  - वे ब्रह्माण्ड संबंधी मॉडलों के परीक्षण और परिशोधन में भी सहायता करते हैं, जिससे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी मूलभूत ब्रह्माण्डीय शक्तियों के बारे में हमारी समझ में सुधार होता है।

AXIOM-4 मिशन

भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के आगामी एक्सिओम-4 मिशन के लिए प्रशिक्षण हेतु अमेरिका जाने के लिए चुना गया है।

परिचय:

- नासा और एक्सिओम स्पेस ने एक्सिओम मिशन 4 (X-4) के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसका प्रक्षेपण लक्ष्य फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अगस्त 2024 से पहले नहीं होना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।
- **उद्देश्य:** यह नासा के निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) संचालन को मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित से वाणिज्यिक में परिवर्तित करने के प्रयास का हिस्सा है, जिसमें नासा का लक्ष्य LEO बाजार में कई ग्राहकों में से एक बनना है।
  - नासा का लक्ष्य चंद्रमा और मंगल ग्रह के लिए आर्टेमिस जैसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वाणिज्यिक LEO बाजार विकसित करना है।

सिरेमिक वस्तुएँ

मनुष्य 25,000 वर्षों से अधिक समय से सिरेमिक की वस्तुओं का निर्माण और उपयोग करता आ रहा है।

परिचय:

- **सिरेमिक की सामग्री:** सिरेमिक का उत्पादन गैर-धात्विक, अकार्बनिक सामग्रियों को उच्च तापमान पर गर्म करके किया जाता है। "सिरेमिक" शब्द ग्रीक शब्द केरामोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है "कुम्हार की मिट्टी", जो मिट्टी के बर्तनों में सिरेमिक के ऐतिहासिक उपयोग को दर्शाता है।

- **सेरामोग्राफी:** यह सिरेमिक के सूक्ष्म गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन है।
- **खोज:** पुरातत्त्वविदों ने सिंधु घाटी और तमिलनाडु के कीझाड़ी सहित विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त सिरेमिक के बर्तन और मूर्तियाँ खोज निकाली हैं।
- **गुण:** सिरेमिक की उच्च तापमान और अम्लीय वातावरण को सहन करने, रासायनिक क्षरण का प्रतिरोध करने और कठोरता और संपीड़न शक्ति प्रदर्शित करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हालाँकि, वे भंगुर भी होते हैं, टूटने की संभावना होती है।

अनुप्रयोग:

- **एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:**
  - **ऊष्मा कवच:** अंतरिक्ष यान को वायुमंडल में पुन: प्रवेश के दौरान तीव्र ऊष्मा से बचाने के लिए अंतरिक्ष यान के ऊष्मा कवच में सिरेमिक का उपयोग किया जाता है।
  - **थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम:** इनका उपयोग अंतरिक्ष यान के घटकों को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में किया जाता है।
- **माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी:** सिरेमिक का उपयोग माइक्रोवेव भट्टियों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे बिना खराब हुए उच्च तापमान को प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता का लाभ उठाया जा सके।
- **औद्योगिक अनुप्रयोग:**
  - **अपघर्षक:** उनकी कठोरता और स्थायित्व के कारण इनका उपयोग अपघर्षक पदार्थों को पीसने और काटने के लिए किया जाता है।
  - **वैरिस्टर:** वैरिस्टर में सिरेमिक की प्रमुख घटक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वोल्टेज वृद्धि से बचाते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:**
  - **अर्धचालक:** अर्धचालकों के उत्पादन में कुछ सिरेमिक का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक हैं।
  - **ऊष्मारोधी:** वे उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों में विद्युत ऊष्मारोधी के रूप में कार्य करते हैं, विद्युत प्रवाह को रोकते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **परमाणु प्रौद्योगिकी:** सिरेमिक का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनमें स्थिरता होती है तथा ये विकिरण और उच्च तापमान का प्रतिरोध करने में सक्षम होते हैं।
- **रक्षा एवं सैन्य:**
  - **कवच:** उन्नत सिरेमिक को उनकी कठोरता और हल्केपन के कारण सुरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर के कवच और वाहन कवच में शामिल किया जाता है।
  - **लड़ाकू विमान की खिड़कियाँ:** इनका उपयोग लड़ाकू विमान की खिड़कियों में किया जाता है, जहाँ उच्च तापमान और तनाव को प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता महत्त्वपूर्ण होती है।
- **चिकित्सा प्रौद्योगिकी:** सिरेमिक का उपयोग टोमोग्राफिक स्कैनर में इमेजिंग प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जो उनकी स्थिरता और परिशुद्धता से लाभान्वित होता है।
- **उपभोक्ता उत्पाद:**
  - **मिट्टी के बर्तन और मेज पर प्रयोग होने वाले बर्तन:** पारंपरिक सिरेमिक के बर्तन, जैसे मिट्टी के बर्तन और मेज पर प्रयोग होने वाले बर्तन, अपने सौंदर्य और कार्यात्मक गुणों के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं में उपयोग किए जाते हैं।
  - **टाइलें और फर्श:** सिरेमिक की टाइलें अपने टिकाऊपन और रखरखाव में आसानी के कारण घरों तथा व्यावसायिक स्थानों में फर्श और दीवार कवरिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं।

विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (DST) ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार में अपना वार्षिक योगदान वापस ले लिया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस वापसी का विरोध किया है और समर्थन बहाल करने का अनुरोध किया है।

परिचय:

- इसकी स्थापना 1951 में कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष श्री बिजॉयानंद पटनायक के दान के बाद हुई थी।
- यह यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है।
- इस पुरस्कार विजेता का चयन यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा पाँच सदस्यीय निर्णायक मंडल की सिफारिश पर किया जाता है।
- यह पुरस्कार बुडापेस्ट और भारत में आयोजित विश्व विज्ञान दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है।
- **पात्रता:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति, संस्थान, गैर सरकारी संगठन या संस्थाएँ।
- **दाता:** कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट, उड़ीसा राज्य सरकार, भारत सरकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)।
- **पुरस्कार:** 40,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार और 5,000 अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त कलिंगा चेयर, यूनेस्को-अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक।
- **उद्देश्य:** यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करता है।
  - इसका उद्देश्य विज्ञान और समाज के बीच की दूरी को कम करना है।
  - इसमें विज्ञान के लोकप्रियकरण में मीडिया संचार के विभिन्न रूप शामिल हैं।

DDoS हमला

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ लाइव ऑडियो साक्षात्कार की मेजबानी की। संदिग्ध "व्यापक स्तर पर DDoS हमले" के कारण साक्षात्कार में विलंब और गड़बड़ियाँ हुईं।

परिचय:

- डिनायल-ऑफ-सर्विस (DoS) हमला किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सेवा पर अत्यधिक ट्रैफिक उत्पन्न करके उस तक पहुँच को रोकता है।

- वितरित डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमले में एक ही लक्ष्य पर कई स्रोतों द्वारा हमला किया जाता है, जिससे हमलावरों की पहचान करना कठिन हो जाता है।
- DDoS **हमले कैसे कार्य करते हैं:** हमलावर सर्वर की बैंडविड्थ को प्रभावित करने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रैफिक भेजते हैं।
  - हमले को अंजाम देने के लिए उपयोग किए गए समझौता उपकरणों का नेटवर्क।
  - लक्ष्य के सर्वर को प्रतिक्रियाओं से भरने के लिए नकली IP Address का उपयोग करता है।
  - अपूर्ण कनेक्शन अनुरोध भेजता है, सर्वर पर अधिक भार डालता है और वैध कनेक्शन को रोकता है।
- **संकेत:** धीमी इंटरनेट गति और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने में असमर्थता।
  - सत्यापन के लिए फायरवॉल और ऑनलाइन सुरक्षा प्रणालियाँ सर्वोत्तम हैं, क्योंकि इंटरनेट समस्याओं के अन्य कारण भी हो सकते हैं।

DoS हमलों का प्रभाव:

- **सेवा में व्यवधान:** DoS हमले लक्षित सेवाओं के लिए महत्त्वपूर्ण डाउनटाइम का कारण बन सकते हैं, जिससे घंटों या दिनों तक उनकी उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। यह उन उपयोगकर्त्ताओं को प्रभावित करता है, जो इन सेवाओं पर निर्भर हैं और व्यवसायों के लिए भारी वित्तीय क्षति का कारण बन सकता है।
- **परिचालन में रुकावटें:** संगठनों को अपने परिचालन में रुकावटों का अनुभव हो सकता है, जिससे उत्पादकता और दक्षता प्रभावित होती है।
  - यह स्वास्थ्य सेवा, वित्त और आपातकालीन सेवाओं जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है।
- **वित्तीय नुकसान:** ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यवसायों के लिए, डाउनटाइम का तात्पर्य बिक्री और राजस्व में कमी है। व्यवधान जितना लंबा होगा, संभावित वित्तीय प्रभाव उतना ही अधिक होगा।
- **परिचालन संबंधी तनाव:** IT और सुरक्षा टीमों को हमले के दौरान और उसके बाद कार्यभार में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधियों से संसाधनों का विचलन हो सकता है और परिचालन संबंधी तनाव बढ़ सकता है।
- **सिस्टम की कमियाँ:** लंबे समय तक चलने वाले हमले अंतर्निहित सिस्टम कमियों को प्रकट कर सकते हैं, जिनका बाद के हमलों में या अन्य दुर्भावनापूर्ण अभिकर्त्ताओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है।
- **विधिक और अनुपालन संबंधी मुद्दे:** यदि संगठन किसी हमले के दौरान डेटा संरक्षण और सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें नियामक जाँच और संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है।

DoS हमलों को कम करने के उपाय:

- **एंटीवायरस सॉफ्टवेयर:** उन्नत एंटीवायरस और सुरक्षा समाधान असामान्य गतिविधि के लिए ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे संभावित DoS हमलों का पता लगाने और उन्हें महत्त्वपूर्ण क्षति पहुँचाने से पहले रोकने में मदद मिलती है।
- **स्वचालित अद्यतन:** एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नियमित अद्यतन यह सुनिश्चित करते हैं कि नवीनतम खतरे के संकेत और हमले के पैटर्न को पहचाना जाए और कम किया जाए।
- **फायरवॉल:** दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को फिल्टर करने वाले फायरवॉल की तैनाती नेटवर्क अवसंरचना की सुरक्षा और DoS हमलों के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है।
- **घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियाँ** (IDS): IDS संदिग्ध गतिविधि के संकेतों के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी कर सकती है, तथा संभावित हमलों की पूर्व चेतावनी दे सकती है।
- **लोड संतुलन और अतिरेक:**
  - **लोड बैलेंसर्स:** लोड बैलेंसर्स को लागू करने से आने वाले ट्रैफिक को कई सर्वरों में वितरित किया जा सकता है, जिससे उच्च ट्रैफिक मात्रा के प्रभाव को कम किया जा सकता है और सेवा की उपलब्धता बनाए रखी जा सकती है।
  - **अनावश्यक प्रणालियाँ:** अनावश्यक प्रणालियाँ और विफलता तंत्र होने से यह सुनिश्चित होता है कि यदि एक प्रणाली पर हमला होता है या वह विफल हो जाती है, तो अन्य प्रणालियाँ कार्य करना जारी रख सकती हैं, जिससे डाउनटाइम न्यूनतम हो जाता है।
- **दर सीमित करना और ट्रैफिक को आकार देना:** किसी निश्चित समय सीमा के अंदर सर्वर पर किए जाने वाले अनुरोधों की संख्या को सीमित करने से ओवरलोड को रोकने और DoS हमलों को कम करने में मदद मिलती है।
- **क्लाउड-आधारित सुरक्षा सेवाएँ:** कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN) बड़ी मात्रा में ट्रैफिक को अवशोषित और कम कर सकते हैं, जिससे मूल सर्वर पर लोड कम हो सकता है और सेवा की उपलब्धता बनी रह सकती है।
- ISP **समन्वय:** इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के साथ सहयोग करने से दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक की पहचान करने और उसे अवरुद्ध करने में मदद मिल सकती है, जिससे उसे लक्ष्य नेटवर्क तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
- **विधि प्रवर्तन:** विधि प्रवर्तन और साइबर सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने से हमलों के स्रोत की जाँच करने और उसका समाधान करने के साथ-साथ निवारक उपायों को लागू करने में सहायता मिल सकती है।

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध एक नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अंतिम रूप दे दिया।

परिचय:

- इस मसौदा समझौते को इस वर्ष के अंत में महासभा द्वारा अपनाए जाने की अपेक्षा है, जिससे यह साइबर अपराध पर पहला वैश्विक विधिक रूप से बाध्यकारी साधन बन जाएगा।

- **पृष्ठभूमि:** इस सम्मेलन की राह पाँच वर्ष से भी अधिक पहले प्रारंभ हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आपराधिक विधि के समक्ष नई चुनौतियों को पहचाना था।
  - तदर्थ समिति की स्थापना 2019 में की गई थी और मसौदा सम्मेलन को अंततः अगस्त 2024 में अंतिम रूप दिया गया था।

सम्मेलन का परिचय:

- **उद्देश्य:** साइबर अपराध के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, विधि प्रवर्तन प्रयासों का समन्वय करना तथा सदस्य देशों में तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- **उपकरण:** यह राज्यों को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनेक उपकरण प्रदान करता है।
  - यह तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकासशील देशों को समर्थन दे रहा है।
- इसका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जाँच और अभियोजन में राष्ट्रीय प्राधिकारियों की क्षमताओं में सुधार करना है।
- कन्वेंशन में सूचना प्रणालियों तक अवैध पहुँच, अवैध अवरोधन, डेटा हेरफेर और सिस्टम हस्तक्षेप जैसे आपराधिक अपराधों की परिभाषा शामिल है।
- यह विधिक व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व, अपराध की आय की जब्ती और कुर्की, तथा आपराधिक अभियोजन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साक्ष्य के संरक्षण से संबंधित है।

साइबर अपराध के सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

- **हैकिंग:** डेटा चुराने, बदलने या नष्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुँच।
- **फिशिंग:** किसी विश्वसनीय संस्था के रूप में प्रस्तुत होकर संवेदनशील जानकारी, जैसे उपयोगकर्त्ता का नाम, पासवर्ड और वित्तीय विवरण, प्राप्त करने का भ्रामक प्रयास।
- **मैलवेयर:** कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करने, नुकसान पहुँचाने या अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। इसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पाइवेयर शामिल हैं।
- **पहचान की चोरी:** किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे सामाजिक सुरक्षा नंबर या क्रेडिट कार्ड विवरण, को चुराना और धोखाधड़ी के प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करना।
- **साइबर जासूसी:** राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए संवेदनशील जानकारी तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली गुप्त गतिविधियाँ।
- **साइबर धमकी:** व्यक्तियों को परेशान करने, धमकाने या भयभीत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।
- **ऑनलाइन धोखाधड़ी:** मौद्रिक लाभ के लिए पीड़ितों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए ऑनलाइन घोटाले और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में शामिल होना।

साइबर क्राइम

- साइबर अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है, जिनमें कंप्यूटर, नेटवर्क और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल होता है।
- इसमें वर्चुअल स्पेस में की जाने वाली अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रायः कंप्यूटर प्रणालियों, नेटवर्कों और डेटा को नुकसान पहुँचाना, या उन तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करना होता है।
- साइबर अपराधी नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करते हैं और वे व्यक्तियों, संगठनों या यहाँ तक कि सरकारों को भी अपना निशाना बना सकते हैं।

भारत में साइबर अपराध:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि देश में प्रतिदिन औसतन 5,000 साइबर शिकायतें दर्ज होती हैं, जिनमें से लगभग 40-50% शिकायतें देश के बाहर से आती हैं।
- साइबर अपराधों की सबसे अधिक शिकायतें हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा से आईं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा शिकायतें दिल्ली से आईं, उसके बाद चंडीगढ़ और पुडुचेरी का नंबर आता है।

साइबर अपराधों का प्रभाव:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** जब राज्य प्रायोजित अभिकर्त्ता या आपराधिक संगठन महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, सरकारी संस्थानों या सैन्य प्रणालियों को निशाना बनाते हैं तो साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- **वित्तीय हानि:** इसमें व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और रैनसमवेयर हमले शामिल हैं।
- **डेटा उल्लंघन:** डेटा उल्लंघन से व्यक्तिगत जानकारी, व्यापार रहस्य, बौद्धिक संपदा और अन्य गोपनीय डेटा का प्रकटीकरण हो सकता है, जिससे प्रभावित संस्थाओं को गंभीर क्षति हो सकती है।
- **सेवाओं में व्यवधान:** साइबर हमले आवश्यक सेवाओं जैसे विद्युत ग्रिड, संचार नेटवर्क और परिवहन प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं।

सरकारी पहल:

- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल** (CERT-In): CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
  - यह सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक साइबर सुरक्षा सहायता प्रदान करता है तथा देश के साइबर बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा और प्रतिरोध सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र** (NCIIPC): यह साइबर खतरों से महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
  - यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें नामित करता है तथा इन क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को उनके साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में सलाह देता है।

- **महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम** (CCPWC) **योजना:** गृह मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर सलाहकारों की नियुक्ति के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (I4C)**:** सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के लिए एक ढाँचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु I4C की स्थापना की है।
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** सरकार ने जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल प्रारंभ किया है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र):** इस पहल का उद्देश्य बॉटनेट और मैलवेयर संक्रमण के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनका पता लगाने और क्लीनिंग के लिए उपकरण प्रदान करना है।

साइबर अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- **साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन (साइबर अपराध पर यूरोप परिषद कन्वेंशन):** इसे बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, यह पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विशेष रूप से इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराधों को संबोधित करती है।
  - इसमें अवैध पहुँच, डेटा हस्तक्षेप, सिस्टम हस्तक्षेप और सामग्री-संबंधी अपराध जैसे अपराधों पर प्रावधान शामिल हैं।
- **इंटरनेट गवर्नेंस फोरम:** संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) डिजिटल सार्वजनिक नीति पर चर्चा के लिए विभिन्न हितधारक समूहों के लोगों को समान स्तर पर एक साथ लाने का कार्य करता है।
- **साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर अफ्रीकी संघ सम्मेलन (मालाबो कन्वेंशन):** यह सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर केंद्रित है।
- **अमेरिकी राज्यों का संगठन** (OAS) **साइबर अपराध सम्मेलन:** यह सम्मेलन, जिसे "साइबर अपराध पर OAS मॉडल विधि" के रूप में भी जाना जाता है, सदस्य राज्यों को साइबर अपराध से निपटने के लिए एक आदर्श विधिक ढाँचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

- साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक विधिक दस्तावेज से कहीं अधिक है।
- यह एक ऐसे विश्व में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता का प्रतीक है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ तीव्र गति से महत्त्वपूर्ण होती जा रही हैं और साथ ही नए जोखिम और खतरे भी उत्पन्न कर रही हैं।
- वैश्विक समुदाय के समक्ष अब इस कन्वेंशन को व्यवहार में लाने तथा यह सुनिश्चित करने का कार्य है कि यह न केवल साइबर अपराध से निपटने में मदद करे, बल्कि डिजिटल युग में मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करे।

8 समाज

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट

हाल ही में, न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में व्यापक यौन शोषण और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का प्रकटीकरण हुआ।

पृष्ठभूमि:

- 17 फरवरी, 2017 को एक प्रमुख मलयालम फिल्म अभिनेत्री को कुछ लोगों के समूह द्वारा उसकी कार में अगवा कर लिया गया तथा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया; एक ऐसी घटना जिसने बाद में एक प्रमुख अभिनेता को भी फँसाया।
- इस मामले ने पूरे केरल में व्यापक आक्रोश उत्पन्न कर दिया और मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले व्यापक भेदभाव को उजागर किया।
- इस घटना के जवाब में, वूमेन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) का गठन किया गया, जिसमें महिला अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और तकनीशियन शामिल थीं।
- 18 मई, 2017 को, WCC ने केरल के मुख्यमंत्री को एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना की जाँच करने और राज्य के फिल्म उद्योग के भीतर व्यापक लैंगिक मुद्दों को संबोधित करने की माँग की गई।
- इसके बाद, जुलाई 2017 में, केरल सरकार ने मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों की जाँच करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।
- उद्योग जगत की अनेक महिलाओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट केरल के मुख्यमंत्री को सौंप दी।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **यौन उत्पीड़न की व्यापक संस्कृति:**
  - रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की गहरी जड़ें जमाए हुए संस्कृति का प्रकटीकरण किया गया है।
  - इसमें कास्टिंग काउच का प्रचलन शामिल है, जहाँ शक्तिशाली पुरुष फिल्म के अवसरों के बदले महिलाओं से यौन संबंध बनाने की माँग करते हैं।
  - रिपोर्ट में कार्यस्थल पर पुरुषों द्वारा प्राय: सांकेतिक और अश्लील (अशिष्ट) टिप्पणियों के प्रयोग और नशे में धुत्त पुरुष सह-कलाकारों द्वारा महिला सहकर्मियों के कमरे में जबरन प्रवेश करने के मामलों पर भी प्रकाश डाला गया है।
- **प्रतिशोध का भय:**
  - रिपोर्ट में प्रतिशोध के डर को रेखांकित किया गया है, जो कई लोगों को यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से रोकता है।
  - न्यायमूर्ति हेमा ने कहा कि समिति के समक्ष बयान देने वाली कई महिलाएँ अपने अनुभवों का प्रकटीकरण करने से बहुत डरती थीं, जो दर्शाता है कि उनके डर का कोई आधार नहीं था।
  - प्रत्यक्ष प्रतिशोध के अतिरिक्त, रिपोर्ट में साइबर उत्पीड़न के भय को भी उजागर किया गया है, विशेष रूप से खतरनाक फैन क्लबों से, जो महिलाओं को चुप कराने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- **All Male "माफिया" का प्रभुत्व:**
  - रिपोर्ट में प्रभावशाली अभिनेताओं और निर्माताओं के All Male "माफिया" का वर्णन किया गया है, जो उद्योग पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण रखते हैं और अपनी शक्ति का बेखौफ प्रयोग करते हैं।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरुष और महिला दोनों ही इस शक्तिशाली समूह के विरुद्ध बोलने से डरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इस प्रमुख लॉबी द्वारा उन्हें इस उद्योग से बाहर कर दिया जा सकता है।
- **महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव:**
  - रिपोर्ट में फिल्म सेट पर महिलाओं के लिए शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी मुहैया कराने में उद्योग की विफलता की आलोचना की गई है।
  - महिला कर्मचारियों को प्राय: खुले स्थनों या साझा बाथरूम पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे मूत्र पथ के संक्रमण (UTIs) और अस्पताल में भर्ती होने जैसे स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **लिंग आधारित वेतन असमानता:**
  - रिपोर्ट में पारिश्रमिक में लैंगिक समानता की कमी का मुख्य कारण लिखित अनुबंधों का अभाव बताया गया है।
  - औपचारिक समझौतों की कमी उद्योग में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान वेतन को बनाए रखती है।

महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम आरंभ किया गया।

परिचय:

- इस पहल का उद्देश्य देश भर में 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाना है तथा उन्हें सफल व्यवसाय प्रारंभ करने और विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और संसाधन प्रदान करना है।
- दो चरणों में विभाजित कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, NSDC, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) के समर्थन से, स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH) के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन स्व-शिक्षण उद्यमिता पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।

- अगले चरण में, एनएसडीसी 100 व्यवसाय मॉडल में 10,000 शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतियोगियों को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करेगा।

भारत में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:** महिला उद्यमियों को अक्सर महत्त्वपूर्ण सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें लैंगिक असमानता, सामाजिक अपेक्षाएँ और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। यह स्थिति उनके उद्यमशीलता प्रयासों में बाधा डालती है।
- **वित्तीय बाधाएँ:**
  - महिला उद्यमियों के लिए पूँजी और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। ऋण और कार्यशील पूँजी की सीमित उपलब्धता उनके व्यवसाय को बढ़ाने और जारी रखने की उनकी क्षमता को बाधित करती है।
  - उदाहरण के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बकाया ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 7% है।
- **विपणन और प्रतिस्पर्धा:** महिला उद्यमियों को प्राय: अपने उत्पादों के विपणन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा वृहद् पुरुष-प्रधान उद्यमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ विशेष रूप से अपंजीकृत और छोटे पैमाने के व्यवसायों के बीच अधिक हैं।
- **सीमित सरकारी सहायता और जागरूकता:** महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बावजूद, बहुत सी महिलाएँ इन अवसरों से अनभिज्ञ हैं। इस अंतर को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहतर पहुँच और सहायता तंत्र की आवश्यकता है।
- **ग्लास सीलिंग** (Glass Ceiling)**:** ग्लास सीलिंग अदृश्य बाधाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो महिलाओं को उनके करिअर में शीर्ष पदों पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। भारत की अग्रणी कंपनियों में, यह घटना स्पष्ट है, जहाँ केवल 5% महिलाएँ ही सीईओ की भूमिका में हैं।

सरकारी पहल:

- **कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना:** महिला कारीगरों को 3,000 रुपये मासिक वजीफे के साथ दो महीने का कयर कताई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **महिला समृद्धि योजना:** यह योजना ब्याज छूट के साथ सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है। इसके तहत महिलाओं के लिए 1,40,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **महिला उद्यमिता मंच** (WEP)**:** महिला उद्यमियों के लिए संसाधन, साझेदारी और सीखने के अवसर प्रदान करने वाला एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म।
- **व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास** (TREAD)**:** महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों को परियोजना लागत का 30% तक अनुदान दिया जाता है, शेष राशि ऋण के रूप में वित्तपोषित की जाती है।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता:** रोजगार क्षमता बढ़ाने और स्व-रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **महिलाओं के लिए मुद्रा योजना/महिला उद्यमी योजना:** महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए कम ब्याज दरों और लचीली पुनर्भुगतान शर्तों के साथ, बिना किसी जमानत के 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- **नई रोशनी - अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए योजना:** गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थानों के माध्यम से नेतृत्व, वित्तीय साक्षरता और अन्य आवश्यक कौशल पर प्रशिक्षण के साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त बनाती है।
- **महिला शक्ति केंद्र:** इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना, सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना और क्षमता निर्माण करना है।
- BIRAC-TiE WInER **पुरस्कार:** चयनित महिला उद्यमियों को 5 लाख रुपये की प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है, साथ ही मार्गदर्शन और त्वरक कार्यक्रमों तक पहुँच भी प्रदान की जाती है।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना:** यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित महिला सूक्ष्म उद्यमों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करती है।
- **स्वरोजगार ऋण योजनाएँ-महिला समृद्धि योजना:** शिल्प गतिविधियों में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है, इसके उपरांत 7% ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- NSDC की स्थापना 2008 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।
- यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) उद्यम है, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार के अधीन कार्य करता है।
- NSDC का उद्देश्य बड़े, गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

महाराष्ट्र के धनगर

हाल ही में, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में धनगरों के एक बड़े समूह ने अपनी भेड़ों और बकरियों के लिए 'चरागाह गलियारे' की माँग की।

परिचय:

- धनगर एक चरवाहा समुदाय है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चरवाही पर केंद्रित पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है।
- वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, लेकिन गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी रहते हैं।

ऐतिहासिक चरागाह मार्ग:

- सदियों से, धनगर अपने पशुओं को चराने के लिए विशिष्ट मार्गों का अनुसरण करते आए हैं।

- ये चरागाह गलियारे सिर्फ जीविका का साधन नहीं हैं; ये धनगर जीवन शैली का अभिन्न अंग हैं, जो उनकी सांस्कृतिक और पैतृक प्रथाओं से गहरा संबंध दर्शाते हैं। ये मार्ग उनकी पहचान का उतना ही हिस्सा हैं, जितना कि उनकी भाषा, रीति-रिवाज और परंपराएँ।

सांस्कृतिक पहचान:

- धनगरों द्वारा चरने के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग सिर्फ भौगोलिक मार्ग नहीं हैं; वे समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं।
- इन मार्गों पर उनके पशु झुंडों की आवाजाही पीढ़ियों से चली आ रही एक प्रथा है, जो इसे उनके सांस्कृतिक संरक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बनाती है।

वर्तमान वर्गीकरण:

- महाराष्ट्र में, धनगरों को वर्तमान में विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति (VJNT) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- यह वर्गीकरण उन्हें कुछ लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी के तहत मान्यता जितना फायदेमंद नहीं है।

दृढ़ पैरवी:

- धनगर समुदाय कई दशकों से अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता की माँग कर रहा है।
- यह प्रयास आरक्षण लाभों तक अधिक पहुँच की इच्छा से प्रेरित है। उनका मानना है कि उनके समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास में बेहतर सहायता करेगा।

क्षेत्रीय विसंगतियाँ:

- रोचक बात यह है कि भारत के अन्य भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र के बाहर, इस समुदाय को "धंगड़" के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्हें पहले से ही एसटी दर्जे का लाभ मिल रहा है।
- इस विसंगति ने महाराष्ट्र में भी इसी तरह की मान्यता प्राप्त करने के लिए धनगरों के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा दिया है, क्योंकि वे अन्य राज्यों में अपने समकक्षों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।

पसमांदा मुस्लिम

हाल ही में, ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महज (AIPMM) और अन्य मुस्लिम समूहों ने कम से कम 12 मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की माँग की है।

परिचय:

- भारत में मुसलमानों की श्रेणियाँ: भारत में मुसलमानों को सामान्य-तौर पर तीन मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - **असरफ:** इन्हें "कुलीन" अभिजात वर्ग या "सम्माननीय" के रूप में जाना जाता है तथा मुस्लिम समुदाय में इन्हें उच्च सामाजिक दर्जा प्राप्त माना जाता है।
  - **अजलफ्स:** पिछड़े मुसलमान कहलाने वाले ये लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से आते हैं।
  - **अर्जल्स:** ये दलित मुसलमान हैं, जो सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर हैं।
- **पसमांदा पहचान:**
  - फारसी से लिया गया शब्द "पसमांदा" का अर्थ है 'पीछे छूटे हुए लोग।'
  - इसका उपयोग मुसलमानों के बीच वंचित और पीड़ित वर्गों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो उनके व्यवस्थित बहिष्कार और सामाजिक हाशिए पर होने को उजागर करता है।
  - समय के साथ, 'पसमांदा' एक सामूहिक पहचान के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमान शामिल हैं, जो उन्हें एक साझा उद्देश्य के तहत एकजुट करते हैं।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - 'पसमांदा मुसलमान' शब्द का प्रयोग पहली बार 1998 में अली अनवर अंसारी ने किया था, जिन्होंने पसमांदा मुस्लिम महज की स्थापना की थी।
  - इस संगठन की स्थापना पसमांदा मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करने और बड़े मुस्लिम समुदाय के अंदर उनके सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए की गई थी।
- **पसमांदा मुसलमानों के सामने चुनौतियाँ:**
  - मुस्लिम समुदाय में संख्यात्मक रूप से प्रमुख होने के बावजूद, पसमांदा मुसलमानों का रोजगार, विधायी निकायों और सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक संस्थानों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व है।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रायः समुदाय द्वारा संचालित मुस्लिम संगठनों में नेतृत्व के पदों से बाहर रखा जाता है, जिन पर सामान्यतः अशरफ वर्ग का प्रभुत्व होता है।
- **पसमांदा समुदाय की प्रमुख माँगें:** पसमांदा मुसलमानों ने अपने समक्ष आने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए कई माँगें रखी हैं:
  - **जाति जनगणना:** वे मुस्लिम समुदाय के अंदर सामाजिक स्तरीकरण को सटीक रूप से दर्शाने के लिए एक व्यापक जाति जनगणना की वकालत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतियाँ उनकी आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें।
  - **आरक्षण श्रेणियों का पुनर्गठन:** वे पिछड़े, दलित और आदिवासी मुसलमानों की बेहतर सेवा के लिए मौजूदा आरक्षण प्रणाली के पुनर्गठन की माँग करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुँचे।
  - **वंचित श्रमिकों के लिए राज्य सहायता:** पसमांदा मुसलमान कारीगरों, शिल्पकारों और कृषि मजदूरों (जिनमें से कई पसमांदा समुदाय से हैं) के लिए भी अधिक सरकारी सहायता की माँग करते हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

समावेशन मानदंड

- **पृष्ठभूमि:**
  - न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के.जी. बालकृष्णन समिति विभिन्न धर्मों की विभिन्न जातियों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के आधार पर अनुसूचित जातियों (SC) की श्रेणी में शामिल किए जाने की संभावना की जाँच कर रही है।

- यह मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय कानून के तहत सकारात्मक कार्रवाई और अन्य लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करता है।

- **समावेशन के लिए मानदंड:**
  - **अनुसूचित जातियाँ** (SCs):
    - ऐसे समुदाय जो मुख्य रूप से अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा के कारण अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अनुभव करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जाता है।
    - इस मान्यता का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और इन समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व और समर्थन सुनिश्चित करना है।
  - **अनुसूचित जनजातियाँ** (STs): अनुसूचित जनजातियों के लिए मानदंड में शामिल हैं:
    - आदिम लक्षणों की उपस्थिति
    - एक विशिष्ट संस्कृति
    - भौगोलिक अलगाव
    - व्यापक समुदाय के साथ संपर्क में संकोच
    - विकास और सामाजिक संकेतकों के संदर्भ में सामान्य पिछड़ापन
  - **अन्य पिछड़ा वर्ग** (OBCs):
    - सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के साथ-साथ केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने पर विचार किया जाता है।
    - इस वर्गीकरण का उद्देश्य अवसरों और संसाधनों तक उनकी पहुँच को बढ़ाना है।

- **समावेशन की प्रक्रिया:**
  - **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में समुदायों को शामिल करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं:
  - समावेशन हेतु प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं।
  - इन प्रस्तावों पर भारत के महापंजीयक (RGI) और अनुसूचित जातियों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सहमति होनी चाहिए।
  - एक बार सहमति हो जाने पर, इन प्रस्तावों पर संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खंड (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग:**
  - OBC की केंद्रीय सूची में समुदायों को शामिल करने का कार्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सलाह के आधार पर किया जाता है, जैसा कि NCBC अधिनियम, 1993 की धारा (9) में निर्धारित है।
  - यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि केवल निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले समुदायों को ही सूची में शामिल किया जाए।

डिस्कनेक्ट होने का अधिकार

हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने "राइट टू डिस्कनेक्ट" नामक एक विनियमन लागू किया है, जो कर्मचारियों को कार्य समय के पश्चात् अपने नियोक्ताओं के संचार को अनदेखा करने की अनुमति प्रदान करता है।

परिचय:

- **नीति उद्देश्य:**
  - **तनाव कम करना:** यह नीति नियमित कार्य समय के बाहर नियोक्ता के संचार के लिए लगातार उपलब्ध रहने और प्रतिक्रिया देने की अपेक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के लिए तैयार की गई है।
  - **कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना:** कर्मचारियों को कार्य के घंटों के पश्चात् संचार को नजरअंदाज करने की अनुमति देकर, नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने में मदद करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास स्वयं को पुनः ऊर्जावान करने के लिए समर्पित समय हो।

- **वैश्विक संदर्भ:**
  - ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीति 20 से अधिक देशों, मुख्य रूप से यूरोप और लैटिन अमेरिका में अपनाए गए समान नियमों के अनुरूप है।
  - ये नियम कार्य और व्यक्तिगत समय के बीच सीमाएँ निर्धारित करने की आवश्यकता को पहचानते हैं।

- **कार्यान्वयन विवरण:**
  - **कर्मचारी अधिकार:**
    - कर्मचारियों के पास नियमित कार्य घंटों के पश्चात् अपने नियोक्ताओं से कॉल या टेक्स्ट को अस्वीकार करने का विकल्प होता है, बिना किसी नकारात्मक परिणाम का सामना किए।
    - इससे कर्मचारियों को अपनी उपलब्धता को नियंत्रित करने और अपने निजी समय के दौरान कार्य से संबंधित तनाव को कम करने का अधिकार मिलता है।
  - **नियोक्ता संचार:**
    - हालाँकि, नियोक्ताओं को व्यावसायिक घंटों के पश्चात् संपर्क करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन नीति कर्मचारियों को यह निर्धारित करने की अनुमति देती है कि कब जवाब देना उचित है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि कार्य घंटों के पश्चात् संचार व्यक्तिगत समय का उल्लंघन नहीं करता है।
  - **विवाद समाधान:**
    - नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच कार्य के घंटों के बाद संचार के संबंध में मतभेदों को सीधे दोनों पक्षों के बीच हल किया जाना चाहिए।
    - यदि आवश्यक हो, तो फेयर वर्क कमीशन (FWC) विवादों में मध्यस्थता कर सकता है।

- **निष्पक्ष कार्य आयोग की भूमिका** (FWC):
  - **मध्यस्थता और प्रवर्तन:**
    - FWC के पास विवादों में मध्यस्थता करने और कार्य के घंटों के बाद संचार से संबंधित आदेश जारी करने का अधिकार है।

- आयोग नियोक्ताओं को कार्य के घंटों के बाद संपर्क बंद करने का निर्देश दे सकता है या कर्मचारियों से जवाब माँग सकता है यदि उनका इनकार अनुचित माना जाता है।
- **गैर-अनुपालन के लिए दंड:** FWC's के आदेशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। व्यक्तियों पर 19,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि उद्यमों पर 94,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

निहितार्थ

- **कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ाना:**
  - **उद्देश्य:** डिस्कनेक्ट करने का अधिकार कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों के पास कार्य-संबंधी संचार से मुक्त समर्पित समय हो।
  - **कर्मचारी कल्याण:** इसमें यह स्वीकार किया गया है कि कर्मचारियों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्य से दूर रहने की आवश्यकता होती है, जिससे निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े तनाव और थकान को कम करने में मदद मिलती है।
- **चिंताएँ और विचार:**
  - **लचीलेपन के मुद्दे:**
    - ऐसी चिंताएँ हैं कि कठोर सीमाएँ उन भूमिकाओं को प्रभावित कर सकती हैं, जिनमें निरंतर उपलब्धता की आवश्यकता होती है, जैसे आपातकालीन सेवाएँ या कुछ महत्त्वपूर्ण पद।
    - इन भूमिकाओं को डिस्कनेक्शन मानदंडों का कठोरता से पालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
  - **उत्पादकता का प्रभाव:** कुछ लोगों का तर्क है कि कार्य-समय के पश्चात् संचार पर कठोर नियमन से व्यावसायिक उत्पादकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, जहाँ निरंतर संपर्क और त्वरित प्रतिक्रियाएँ प्राय: आवश्यक होती हैं।
- **नियोक्ता की जिम्मेदारियाँ:**
  - **हित की रक्षा:** अधिवक्ता इस बात पर बल देते हैं कि नियोक्ताओं का कर्त्तव्य है कि वे निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रभाव को प्रबंधित करके अपने कर्मचारियों के हित की रक्षा करें। अनियंत्रित कनेक्टिविटी से तनाव और उत्तेजना बढ़ सकती है।
  - **व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन:** यद्यपि कर्मचारियों के हित की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसे व्यावसायिक आवश्यकताओं और परिचालन, लचीलेपन के साथ संतुलित करने की भी आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक बदलाव:**
  - **विकसित होते मानदंड:** डिस्कनेक्ट करने का अधिकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में बदलते सांस्कृतिक मानदंडों को दर्शाता है, यह मानते हुए कि 'निरंतरता' मानसिकता दीर्घकालिक कर्मचारी स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए धारणीय नहीं है।
  - **टेक डिजाइन:**
    - आलोचकों का तर्क है कि कठोर नियम लागू करने के बजाय, तकनीकी कंपनियों को ऐसे उपकरण डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो स्वस्थ सीमाओं को बढ़ावा दें और कार्य-जीवन संतुलन का समर्थन करे।
    - यह दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी के उपयोग को विकसित कार्य मानदंडों के साथ संरेखित करेगा और अधिक संतुलित तरीके से कनेक्टिविटी को प्रबंधित करने में मदद करेगा।

वैश्विक उदाहरण

- **फ्रांस:**
  - **पहल:** फ्रांस ने 2017 में 'डिस्कनेक्ट होने का अधिकार' नीति की शुरुआत की थी। यह विनियमन कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्य घंटों के अतिरिक्त कार्य से संबंधित ईमेल और संचार को अनदेखा करने की अनुमति देता है।
  - **उद्देश्य:** नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ाना है कि कर्मचारियों के पास कार्य और व्यक्तिगत समय के बीच स्पष्ट सीमाएँ हों, जिससे निरंतर संपर्क से जुड़े तनाव और थकान को कम किया जा सके।
- **पुर्तगाल, बेल्जियम और आयरलैंड:**
  - **स्वीकृति:** फ्रांस के अनुसरण में पुर्तगाल, बेल्जियम और आयरलैंड ने भी समान नीतियाँ लागू की हैं या उन पर विचार कर रहे हैं।
  - **केंद्र:** ये देश नियमित कार्य घंटों से परे कार्य-संबंधी संचार का प्रबंधन करके स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने और कर्मचारी कल्याण की सुरक्षा के महत्त्व पर जोर देते हैं।

निष्कर्ष

- **कर्मचारी कल्याण:** इन नीतियों का सामूहिक उद्देश्य कर्मचारियों को निरंतर डिजिटल कनेक्टिविटी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें आराम करने और ऊर्जा प्राप्त करने का समय मिले।
- **व्यवसाय लचीलापन:** संतुलन को बढ़ावा देते हुए, इन विनियमों में उन भूमिकाओं और उद्योगों पर भी विचार करने की आवश्यकता है, जहाँ संचार में लचीलापन महत्त्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों से व्यवसाय संचालन पर अनुचित प्रभाव न पड़े।
- **व्यक्तिगत समय की मान्यता:** कानून कार्य-संबंधी संचार से दूर समर्पित अवकाश के महत्त्व को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य तनाव को कम करना और उत्तेजना को रोकना है।

हिमाचल प्रदेश ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की

हाल ही में, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने 'बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024' पारित किया।

परिचय:

- **मौजूदा कानून:**
  - **अधिनियम अवलोकन:** बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और इससे संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए लागू किया गया था।
  - **उद्देश्य:** इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना तथा बाल विवाह से संबंधित विभिन्न मामलों का समाधान करना है।
- **प्रस्तावित परिवर्तन:**
  - **संशोधन विधेयक:** विधेयक में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
  - **संशोधन के लक्ष्य:** न्यूनतम आयु में वृद्धि का उद्देश्य लैंगिक समानता प्रदान करना तथा लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अधिक अवसर पैदा करना है।

- **महत्त्व:**
  - **सशक्तीकरण और अवसर:** विवाह की आयु बढ़ाकर, संशोधन का उद्देश्य महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने तथा व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से विकसित होने के लिए अधिक समय देकर उन्हें सशक्त बनाना है।
  - **स्वास्थ्य और करिअर पर प्रभाव:**
  - कम उम्र में विवाह करने से महिलाओं के करियर की संभावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - विवाह की प्रस्तावित आयु वृद्धि का उद्देश्य इन मुद्दों को कम करना है, जिससे महिलाओं को बेहतर विकल्प और अवसर मिल सकें।
  - **हिमाचल प्रदेश की भूमिका:** हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का कानून बनाया है।

प्रमुख संशोधन:

- **"बच्चे" की परिभाषा:**
  - **वर्तमान कानून (धारा 2(a)):** 'बच्चे' की परिभाषा के अनुसार वह पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा वह महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
  - **प्रस्तावित विधेयक:** लिंग भेद को समाप्त करता है। "बच्चे" को "ऐसा पुरुष या महिला जो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाया है" के रूप में परिभाषित करता है।
- **"बाल विवाह" की परिभाषा (धारा 2(b)):**
  - **वर्तमान कानून:** "बाल विवाह" को ऐसे विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई भी पक्ष अल्पवयस्क हो।
  - **प्रस्तावित विधेयक:**
    - इसमें एक ऐसा खंड जोड़ा गया है, जो नई आयु आवश्यकता को किसी भी अन्य कानून, रीति-रिवाज या प्रथाओं पर हावी होने का अधिकार देता है।
    - इसका तात्पर्य है कि नई न्यूनतम विवाह आयु हिमाचल प्रदेश में सार्वभौमिक रूप से लागू होगी, चाहे अन्य कानून या सांस्कृतिक प्रथाएँ कुछ भी हों।
- **विवाह निरस्तीकरण हेतु याचिका (धारा 3):**
  - **वर्तमान कानून:** यह अनुबंध करने वाले पक्ष को, जो विवाह के समय अल्पवयस्क था, वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर (महिलाओं के लिए 20 वर्ष और पुरुषों के लिए 23 वर्ष की आयु होने से पहले) विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है।
  - **प्रस्तावित विधेयक:** इस अवधि को बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है, जिससे महिला और पुरुष दोनों को 23 वर्ष की आयु से पहले अपने विवाह को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति मिल गई है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया:

- **संवैधानिक ढाँचा:** समवर्ती सूची: विवाह, तलाक और संबंधित मामले संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इन मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।
- **विधायी प्रक्रिया:**
  - **राज्य एवं केंद्रीय कानून:**
    - सामान्य-तौर पर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिए।
    - यदि विधेयक केंद्रीय कानून के साथ टकराव में आता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।
  - **केंद्रीय कानून के साथ असंगतता:**
    - यदि राज्य का कानून केंद्रीय कानून से असंगत है, तो राज्य का कानून अनुच्छेद 254(1) के अंतर्गत शून्य है, जब तक कि उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए।
    - हिमाचल प्रदेश विधेयक, जिसमें विवाह की अलग आयु का प्रस्ताव है, को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा वैध बनने के लिए उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी चाहिए।

9 संस्कृति एवं इतिहास

उधम सिंह

हाल ही में, देश भर में उधम सिंह की 85वीं पुण्यतिथि मनाई गई।

परिचय:

- 26 दिसंबर, 1899 को पंजाब के सुनाम में शेर सिंह के रूप में जन्मे उधम सिंह एक समर्पित देशभक्त और अडिग दृढ़ संकल्प के प्रतीक थे।
- उनके जीवन का मिशन प्रसिद्ध जलियाँवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों के लिए न्याय की माँग करना था।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड:

- **स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी:** पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर ने अमृतसर में स्थानीय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी का आदेश दिया, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।
- **विरोध प्रदर्शन और हिंसक प्रतिक्रिया:**
  - गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की माँग को लेकर अमृतसर में प्रदर्शन हुए।
  - सैनिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और लोगों में आक्रोश बढ़ गया।
- **जलियाँवाला बाग सम्मेलन:** जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा के लिए 15,000 से अधिक लोग एकत्र हुए, जिनमें स्थानीय निवासी और स्वर्ण मंदिर आने वाले तीर्थयात्री भी शामिल थे।
  - ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सैनिकों के साथ पहुँचे तथा निकास मार्ग अवरुद्ध करते हुए बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधा-धुंध गोलीबारी का आदेश दिया।
  - गोलीबारी 10 मिनट तक चली, जिसके परिणामस्वरूप 1,000 से अधिक लोग मारे गए और 1,500 घायल हुए।
- **परिणाम और मार्शल लॉ:**
  - पाँच जिलों-लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, गुजरात और लायलपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।
  - इससे वायसराय को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए तत्काल कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमा चलाने का निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
  - जब नरसंहार की सूचना फैली, तो रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।

माइकल ओ डायर की हत्या

- भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर का पता लगाया, जो जलियाँवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था।
- उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान ओ डायर को गोली मार दी।
- यह हत्या केवल बदला लेने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि जलियाँवाला बाग हत्याकांड के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए न्याय की माँग करने वाला एक शक्तिशाली बयान था।
- **परीक्षण और कारावास:**
  - हत्या के बाद, उधम सिंह पर माइकल ओ डायर की हत्या का मुकदमा चलाया गया।
  - कारावास के दौरान, उधम सिंह ने भूख हड़ताल की, जिससे उनके उद्देश्य के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के विरुद्ध उनके विरोध का प्रदर्शन हुआ।
  - उधम सिंह पर, लंदन के सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, जहाँ उन्हें हत्या का दोषी पाया गया।

पिंगली वेंकैया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र को तिरंगा प्रदान करने में उनके प्रयासों को याद किया।

परिचय:

- **पृष्ठभूमि:** पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था।
- **कार्य:** उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में सेवा की, जहाँ उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई।
  - उन्होंने गांधीजी के साथ एक स्थायी सहचर्य स्थापित किया, जो 50 वर्षों से अधिक समय तक चला।

एंग्लो-बोअर युद्ध

- एंग्लो-बोअर युद्ध, जिसे दक्षिण अफ्रीकी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य और दो बोअर गणराज्यों: दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य (ट्रांसवाल) और ऑरेंज फ्री स्टेट के बीच लड़ा गया था।
- दक्षिण अफ्रीका पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटिश और बोअर निवासियों (बोअर) के बीच तनाव, विशेष रूप से बोअर गणराज्यों में खोजे गए सोने और हीरे के संसाधनों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में ब्रिटिश निवासियों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित था।
- अंततः ब्रिटिश विजयी हुए, जिसके परिणामस्वरूप 31 मई, 1902 को वेरीनिगिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के परिणामस्वरूप युद्ध समाप्त हो गया और 1910 में बोअर गणराज्यों का दक्षिण अफ्रीका संघ के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य में एकीकरण हो गया।

- **राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन और उसे अपनाना:** उन्होंने सर्वप्रथम वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में गांधीजी को झंडे का डिजाइन प्रस्तुत किया था।
  - केसरिया और हरे रंग से विकसित होकर इस डिजाइन में सफेद रंग और एक चरखा शामिल किया गया।
  - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1931 में उनके झंडे के डिजाइन को अपनाया।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास

भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अपने वर्तमान स्वरूप में, आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया था। इसका विकास भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के विभिन्न चरणों को दर्शाता है और इसका प्रदर्शन भारत की स्वतंत्रता की कहानी का प्रतिनिधित्व करता है।

- **1906:** स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान, पहला भारतीय ध्वज कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था।
- **1907:** इसी प्रकार का ध्वज, थोड़े संशोधन के साथ, मैडम भीकाजी कामा द्वारा पेरिस में फहराया गया था।
  - इस ध्वज को बर्लिन में एक समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया, जिसके कारण इसे "बर्लिन समिति ध्वज" नाम दिया गया।
- **1917:** होमरूल आंदोलन के एक भाग के रूप में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने औपनिवेशिक साम्राज्य के अन्दर भारतीयों के लिए स्वायत्त शासन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक नया झंडा फहराया।
- **1921:** बेजवाड़ा (अब विजयवाड़ा) में कांग्रेस अधिवेशन में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को ध्वज का एक डिजाइन प्रस्तुत किया।
  - इस ध्वज में तीन धारीदार पट्टियाँ थीं, जो भारत के विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव का प्रतीक थीं तथा मध्य भाग में एक गतिशील चक्र था, जो प्रगति का प्रतीक था।
- **1931:** एक औपचारिक प्रस्ताव द्वारा पिंगली वेंकैया के ध्वज डिजाइन को मामूली परिवर्तन के साथ अपना लिया गया।
  - लाल पट्टी के स्थान पर केसरिया रंग अपनाया गया, जो साहस का प्रतीक था, जबकि सफेद रंग शांति का तथा हरा रंग उर्वरता और विकास का प्रतीक था।
- **जुलाई 1947:** संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया।
  - चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थापित किया गया, जो सत्य और जीवन का प्रतीक था तथा ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाने लगा।

- **मरणोपरांत सम्मान:** वर्ष 2009 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया।
  - वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत रत्न के लिए अनुशंसित।
  - वर्ष 2015 में, AIR विजयवाड़ा का नाम बदलकर वेंकैया के नाम पर रखा गया और एक प्रतिमा का अनावरण किया गया।

श्रीनगर को मिला 'विश्व शिल्प नगरी' का दर्जा

विश्व शिल्प परिषद** (WCC) ने **श्रीनगर को विश्व शिल्प शहरों की सूची में शामिल किया।

परिचय:

- श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद (WCC) द्वारा 'विश्व शिल्प शहर' के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है।
- यह मान्यता श्रीनगर को उसके शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क (UCCN) का हिस्सा बनाए जाने के तीन वर्ष बाद मिली है।
- अन्य भारतीय शहर जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है, उनमें शामिल हैं:
  - जयपुर
  - मलप्पुरम
  - मैसूर
- श्रीनगर विभिन्न पारंपरिक शिल्पों का केन्द्र है, जो शहर और उसके उप-नगरों में फल-फूल रहे हैं, जिनमें सम्मिलित हैं:
  - **पेपर-मैश:** कागज का उपयोग करके निर्मित एक शिल्प तकनीक, जिसे सामान्यत: गोंद या पेस्ट के साथ मिलाकर सजावटी और कार्यात्मक वस्तुएँ बनाई जाती हैं। इसमें एक साँचे पर कागज की पट्टियों की परत चढ़ाना और फिर कठोर हो चुके भाग को रंगना या सजाना शामिल है।
  - **अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी:** लकड़ी की प्राकृतिक समृद्धि और रंग इसे विस्तृत डिजाइन बनाने के लिए आदर्श बनाते हैं।
  - **कालीन:** कश्मीर के पारंपरिक भारतीय कालीनों में जटिल पैटर्न और डिजाइन होते हैं, जिन्हें प्राय: ऊन, रेशम या रेशों के मिश्रण से हाथ से बुना जाता है।
  - **सोजनी कढ़ाई:** कश्मीर की एक बेहतरीन कढ़ाई तकनीक, जिसमें रेशम के धागों का उपयोग करके कपड़े पर उत्कृष्ट, जटिल पैटर्न बनाना शामिल है। यह कढ़ाई शैली अपने विस्तृत पुष्प और ज्यामितीय डिजाइनों के लिए जानी जाती है, जो प्राय: महीन ऊन या रेशमी कपड़े पर बनाई जाती है।
  - **पश्मीना शॉल:** ये हिमालयी बकरी, जिसे पश्मीना बकरी के नाम से भी जाना जाता है, की मुलायम ऊन से बने शानदार शॉल हैं।
  - **कनी शॉल:** पश्मीना शॉल के विपरीत, कनी शॉल "कनी" नामक एक छोटी लकड़ी की छड़ी से बुनी जाती है और इसमें विस्तृत पैटर्न होते हैं, जो प्राय: मुगल डिजाइनों से प्रेरित होते हैं। वे अपने जटिल, रंगीन डिजाइन और शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं।
- ऐतिहासिक शाहरा-ए-अबरेशम (रेशम मार्ग) पर स्थित इस शहर ने कला और शिल्प से संबंधित विचारों के संसाधन रूपी भंडार को उत्पन्न किया और व्यापार, सांस्कृतिक प्रथाओं और वैज्ञानिक ज्ञान में गतिविधियों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।
- इसने क्षेत्र में सदियों पुराने शिल्प प्रभावों का पता लगाने और शिल्पकारों को अपने कौशल एवं आधार को विस्तृत करने के अवसर प्रदान करने के लिए एक दुर्लभ मार्ग खोला है।

विश्व शिल्प परिषद (WCC):

- **उद्देश्य:** परिषद का उद्देश्य शिल्पकारों को प्रोत्साहन, सहायता और सलाह देकर उनके बीच भाई-चारे को बढ़ावा देना है।
- **लक्ष्य:** विश्व शिल्प परिषद AISBL का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन दोनों में शिल्प की स्थिति को मजबूत करना है।
- विश्व शिल्प परिषद एक कुवैत-आधारित संगठन है, जो विश्व भर में पारंपरिक शिल्प की मान्यता और संरक्षण के लिए समर्पित है।
- इस संगठन की स्थापना 12 जून, 1964 को न्यूयॉर्क में प्रथम विश्व शिल्प परिषद महासभा के दौरान निम्नलिखित के द्वारा की गई थी:
  - सुश्री ऐलीन ओसबोर्न वेंडरबिल्ट वेब
  - सुश्री मार्गरेट एम. पैच
  - श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय
- अपनी स्थापना के बाद से, विश्व शिल्प परिषद ने कई वर्षों तक परामर्शदात्री स्थिति के अंतर्गत यूनेस्को के साथ संबद्धता बनाए रखी है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन

- **स्थापना और संरचना:**
  - यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर, 1945 को हुई थी।
  - **सदस्य:** इसमें 195 सदस्य देश और 8 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।
  - महानिदेशक के नेतृत्व में सचिवालय इन शासी निकायों के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  - यूनेस्को विश्व भर में 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है, जिसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
- **मिशन और उद्देश्य:**
  - यूनेस्को का उद्देश्य शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, गरीबी को समाप्त करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करना है।
  - इसका मिशन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में प्रयासों के माध्यम से साकार होता है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - संगठन साझा मूल्यों पर आधारित सभ्यताओं, संस्कृतियों और लोगों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है।
  - इस तरह के संवाद के माध्यम से, यूनेस्को वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने, मानवाधिकारों को कायम रखने, आपसी सम्मान और गरीबी को कम करने की कल्पना करता है।

भारत छोड़ो आंदोलन

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

परिचय:

- **पृष्ठभूमि और प्रारंभिक घटनाक्रम:**
  - वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के साथ ही भारत को, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण, औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वत: ही संघर्ष में शामिल कर दिया गया।
  - कांग्रेस कार्य समिति ने 10 अक्टूबर, 1939 को जर्मन आक्रमण की निंदा की, लेकिन इस बात पर बल दिया कि भारत बिना पूर्व परामर्श के युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता।
  - 17 अक्टूबर, 1939 को वायसराय ने कहा कि ब्रिटेन वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए लड़ रहा है और उसने भारतीय इच्छाओं के आधार पर 1935 के अधिनियम में युद्ध के बाद के सुधारों का वादा किया।
- **गांधीजी तथा कांग्रेस की प्रतिक्रिया:**
  - गांधीजी ने वायसराय के बयान की आलोचना करते हुए इसे "फूट डालो और राज करो" की नीति की निरंतरता बताया। कांग्रेस ने और अधिक ठोस रियायतों की माँग की, लेकिन उसे केवल मामूली वादे ही मिले।
  - कांग्रेस हाई कमान ने अपने मंत्रियों को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया, जिसके कारण आठ प्रांतों की सरकार द्वारा त्यागपत्र प्रदान कर दिए गए।
- **राजनीतिक परिवर्तन और रूढ़िवादी रुख:**
  - इंग्लैंड में नेविल चेम्बरलेन की जगह विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बने।
  - सामान्यत: कंजर्वेटिव सरकार भारतीयों की माँगों के प्रति कम सहानुभूति रखती थी, अत: इस कारण स्थिति और खराब हो गई।
  - युद्ध की बढ़ती परिस्थितियों के बीच भारतीयों को खुश करने के लिए, कंजर्वेटिवों ने 8 अगस्त को "अगस्त प्रस्ताव" पेश किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
- **गांधीजी का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का आह्वान:**
  - व्यापक असंतोष और क्रिप्स मिशन की विफलता के बीच, गांधी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा।
  - विनोबा भावे के नेतृत्व में इस आंदोलन का उद्देश्य अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था।
- **भारत छोड़ो आंदोलन:**
  - 8 अगस्त, 1942 को आरंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें अंग्रेजों को भारत से "व्यवस्थित तरीके से वापस जाने" की माँग की गई थी, जो मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी जी के "करो या मरो" के आह्वान पर आधारित था।
    - कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई, 1942 को पूर्ण स्वतंत्रता की माँग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और अंग्रेजों द्वारा इसका पालन न किए जाने पर व्यापक सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा।
    - जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे नेताओं की प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद, इस आंदोलन को सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों से उल्लेखनीय समर्थन मिला।
    - क्षेत्रीय सफलताओं में मिदनापुर के तामलुक और कोंटाई उपखंडों में समानांतर सरकारों की स्थापना और उत्तर प्रदेश के बलिया में उल्लेखनीय विद्रोह शामिल है।
    - ग्रामीण बंगाल में युद्ध कर और चावल निर्यात के विरुद्ध आक्रोश से प्रेरित विरोध प्रदर्शन हुए।
- **सरकारी प्रतिक्रिया और दमन:**
  - ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस कार्यसमिति के सभी सदस्यों को जेल में डाल दिया।

- प्रत्यक्ष नेतृत्व की कमी के बावजूद, देश भर में विरोध, हड़ताल और प्रदर्शन हुए।
- इस आंदोलन में बम विस्फोट, आगजनी और सेवाओं में बाधा डालने जैसी हिंसात्मक गतिविधियाँ शामिल थीं। जवाब में अंग्रेजों ने दस हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।

नामधारी संप्रदाय

हाल ही में, हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित रानिया में नामधारी धार्मिक संप्रदाय के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के सैकड़ों अनुयायियों के बीच हिंसक झड़प हुई।

नामधारी के बारे में:

- **नामधारियों की विशिष्ट पहचान:**
  - **विशिष्ट उपस्थिति:** नामधारी, जिन्हें कूका के नाम से भी जाना जाता है, सिख समुदाय में अपनी सफेद पोशाक से पहचाने जाते हैं, जिसमें कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और पारंपरिक गोल सफेद पगड़ी शामिल होती है।
  - **आधारभूत मान्यताएँ:** नामधारी अपनी आध्यात्मिक वंशावली का श्रेय सतगुरु बालक सिंह जी (1785-1862) को देते हैं, जिन्होंने सतगुरु गोबिंद सिंह जी के आशीर्वाद से आध्यात्मिक दायित्व सतगुरु राम सिंह जी को सौंप दिया, जिससे नामधारी आंदोलन की शुरुआत हुई।
- **सतगुरु राम सिंह जी का दर्शन और नामधारी आंदोलन:**
  - **ऐतिहासिक संदर्भ:**
    - पंजाब में एक बढ़ई परिवार में जन्में सतगुरु राम सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान और उसके बाद सिख सेना में सेवा की।
    - उन्होंने सिख मूल्यों के पतन और अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों को देखा, जिसने उन्हें सिख खालसा के गौरव को बहाल करने और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की माँग करने के लिए प्रेरित किया।
  - **नामधारी संत खालसा की स्थापना:**
    - 12 अप्रैल, 1857 को बैसाखी के दिन, सतगुरु राम सिंह जी ने पाँच चुने हुए सिखों को बपतिस्मा देकर सिख खालसा को पुनर्जीवित किया और नामधारी संत खालसा की स्थापना की।
    - उन्होंने स्वतंत्रता का सफेद त्रिकोणीय झंडा फहराया, जिससे एक बहुआयामी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने महात्मा गांधी जैसे अन्य नेताओं को प्रभावित किया।
- **सामाजिक और धार्मिक सुधार:**
  - **सिख प्रथाओं का पुनरुद्धार:**
    - सतगुरु राम सिंह जी ने सतगुरु नानक और सतगुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं से भटके हजारों सिखों को फिर से अपने साथ जोड़ा, बंद पड़े गुरुद्वारों को फिर से खुलवाया और श्री आदि ग्रंथ साहिब जी को फिर से स्थापित किया।
    - उन्होंने मुख्य अभ्यासों के रूप में ध्यान, भजन गायन और स्वयं से ऊपर सेवा पर बल दिया।
  - **सामाजिक बुराइयों का निषेध:**
    - नामधारी लोगों को शराब, मांस और नशीली दवाओं से दूर रहने का निर्देश दिया गया।
    - इस आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों के बहिष्कार का भी आह्वान किया, जिससे शाही शासन के विरुद्ध लोगों के आंदोलन को बढ़ावा मिला।
- **प्रतिरोध और दमन:**
  - **अंग्रेजों के साथ टकराव:**
    - नामधारियों ने ब्रिटिश नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध किया, विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर के पास गाय के वधशालाओं की स्थापना, जिसके कारण प्रत्यक्ष टकराव हुआ।
    - कई नामधारियों को मार दिया गया या कैद कर लिया गया और सतगुरु राम सिंह जी को 1872 में म्यांमार निर्वासित कर दिया गया।

श्री अरबिंदो की 152वीं जयंती

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो की 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

परिचय:

- **प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:**
  - श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त, 1872 में कलकत्ता में हुआ था। वर्ष 1879 में, सात वर्ष की उम्र में, उन्हें शिक्षा के लिए अपने दो बड़े भाइयों के साथ इंग्लैंड भेजा गया था। वे वहाँ चौदह वर्ष तक रहे।
  - प्रारंभ में, उनका पालन-पोषण मैनचेस्टर में एक अंग्रेज परिवार में हुआ और बाद में उन्होंने 1884 में लंदन के सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई आरंभ की।
  - वर्ष 1890 में, वे किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ उन्होंने दो वर्ष तक पढ़ाई की।
- **भारतीय सिविल सेवा प्रयास:**
  - 1890 में, उन्होंने भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता भी उत्तीर्ण की, लेकिन घुड़सवारी परीक्षा पूरी करने में असफल रहे, जिसके कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।
  - इस अवधि के दौरान, उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा नियुक्ति के माध्यम से बड़ौदा सेवा में एक पद हासिल किया।
- **बड़ौदा में सेवा:**
  - श्री अरबिंदो ने 1893 से 1906 तक बड़ौदा में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया। सर्वप्रथम राजस्व विभाग और सचिवालय में, फिर अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में और बाद में बड़ौदा कॉलेज के उप-प्राचार्य के रूप में।
  - यह अवधि उनकी खुद की संस्कृति, साहित्यिक गतिविधि और भविष्य के प्रयासों की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण थी।
  - उन्होंने संस्कृत और कई भारतीय भाषाएँ सीखीं और भारतीय सभ्यता का सार आत्मसात किया।

- **राजनीतिक भागीदारी:**
  - **प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियाँ:**
    - श्री अरबिंदो की राजनीतिक गतिविधियाँ वर्ष 1902 में प्रारंभ हुईं, जिसमें उनका ध्यान स्वदेशी आंदोलन और नई पार्टी पर केंद्रित था।
    - उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी सुधारवाद की तुलना में अधिक आक्रामक राजनीतिक स्वरूप की वकालत की।
  - **राष्ट्रवादी पार्टी का गठन:**
    - उन्होंने कांग्रेस के अन्दर राष्ट्रवादी पार्टी के गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका लक्ष्य क्रमिक सुधार के बजाय स्वराज था।
    - इस पार्टी ने स्वदेशी उद्योगों और शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का विरोध किया।
  - **बंदे मातरम में भूमिका:** श्री अरबिंदो ने दैनिक समाचार पत्र बंदे मातरम का कार्यभार संभाला, जिसने भारतीय राजनीतिक विचार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उथल-पुथल हुई, जिसमें राजद्रोह का मुकदमा भी शामिल था।
- **आध्यात्मिक ध्यान की ओर ध्यान केंद्रित करना:**
  - **राजनीतिक असफलताएँ और वापसी:**
    - 1907 में राजद्रोह के आरोपों से बरी होने और 1908 में अलीपुर षडयंत्र मामले में गिरफ्तार होने के बाद, श्री अरबिंदो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
    - राष्ट्रवादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद, उन्होंने अंततः एक अधिक केंद्रित आध्यात्मिक खोज की आवश्यकता को पहचाना।
  - **सेवानिवृत्ति और आध्यात्मिक कार्य:**
    - फरवरी 1910 में, उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया और फ्रांसीसी भारत के पांडिचेरी में चले गए, जहाँ उन्होंने खुद को आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया।
    - उन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की, जो एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक समुदाय के रूप में विकसित हुआ।
- **दर्शन और साहित्य में योगदान:**
  - **आर्या का प्रकाशन:**
    - 1914 में, श्री अरबिंदो ने दार्शनिक मासिक पत्रिका **आर्य** का प्रकाशन प्रारंभ किया।
    - इस पत्रिका में उनकी प्रमुख रचनाएँ प्रकाशित हुईं, जिनमें "द लाइफ डिवाइन", "द सिंथेसिस ऑफ योगा" और "एसेज ऑन द गीता" शामिल हैं।
  - **दार्शनिक दृष्टिकोण:**
    - श्री अरबिंदो के दर्शन ने आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं को एकीकृत किया, जिसमें दिव्य चेतना के अवतरण के माध्यम से जीवन के परिवर्तन पर बल दिया गया।
    - उन्होंने प्रस्तावित किया कि भौतिक दुनिया आध्यात्मिक विकास के लिए एक मंच है और उच्चतम मानवीय क्षमता में ईश्वर के साथ सीधा संबंध शामिल है।

'भारतीय' राष्ट्रवाद पर अरबिंदो के विचार

- **प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की आलोचना:**
  - **प्रारंभिक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण:** प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का मानना था कि अलग-अलग स्थानों पर कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित करने से राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा।
  - **अरबिंदो का दृष्टिकोण:** अरबिंदो ने इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद ऐसी घटनाओं पर निर्भर नहीं है। उन्होंने इसे भारतीय पहचान का एक शाश्वत और आंतरिक पहलू माना।
- **नव-वेदांतवाद का प्रभाव:**
  - स्वामी विवेकानंद से जुड़ा नव-वेदांतवाद, ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था की आलोचना करता है तथा 'सनातन धर्म' (शाश्वत धर्म) के सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत करता है।
  - विवेकानंद ने तर्क दिया कि ब्राह्मणवाद ने भारतीय एकता को कमजोर किया है।
  - उन्होंने सनातन धर्म के आधार पर 'विविधता में एकता' के विचार को बढ़ावा दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि क्षेत्रीय और सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद, सभी भारतीयों के बीच एक मौलिक एकता है।
  - **अरबिंदो का समर्थन:** अरबिंदो ने इस दृष्टिकोण को साझा किया तथा वकालत की कि राष्ट्रवाद युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाना चाहिए, जो धार्मिक भक्ति के समान हो तथा जिसके लिए समान स्तर की प्रतिबद्धता और समर्पण की आवश्यकता हो।
- **आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और बंकिमचंद्र चटर्जी का प्रभाव:**
  - बंकिमचंद्र चटर्जी ने भारत को देवी काली के रूप में 'भारत माता' को चित्रित किया, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शक्ति और प्रतिरोध का प्रतीक है।
  - उन्होंने युवाओं से देशभक्ति की अपील की, उनसे विदेशी वर्चस्व को अस्वीकार करने का आग्रह किया।
  - **अरविंद द्वारा अपनाया गया:** अरबिंदो ने इस प्रतीकात्मकता को आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अपनी अवधारणा में शामिल किया। औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध भारतीय लोगों की दैवीय शक्ति और सामूहिक शक्ति पर बल दिया।
- **अरबिंदो की राष्ट्र की अवधारणा:**
  - **राष्ट्र एक दैवीय अवधारणा है:**
    - अरबिंदो ने राष्ट्र को केवल भौगोलिक इकाई या राजनीतिक निर्माण के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य और आध्यात्मिक इकाई के रूप में परिभाषित किया।
    - उन्होंने राष्ट्र को भौतिक और बौद्धिक परिभाषाओं से परे एक आस्था, धर्म और आत्मा के रूप में देखा।
    - अरबिंदो के अनुसार, राष्ट्र केवल जमीन का एक टुकड़ा, लोगों का समूह या एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसके बदले, यह अपनी आत्मा और सार के साथ एक दिव्य आस्था है।

10 विविध

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) प्रदान किए।

परिचय:

- **ऐतिहासिक महत्त्व:** भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। मूल रूप से इसे राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2009 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया।
- **पुरस्कार का उद्देश्य:** इन पुरस्कारों का उद्देश्य भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को मान्यता देना और सम्मानित करना है, जिसमें खनिज खोज, अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी, खनिज लाभकारीकरण और मौलिक एवं अनुप्रयुक्त भूविज्ञान दोनों शामिल हैं।
- **पात्रता मापदंड:** कोई भी भारतीय नागरिक जिसने भूविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, वह इस पुरस्कार के लिए पात्र है, जिससे यह क्षेत्र में उत्कृष्टता की एक समावेशी मान्यता बन जाती है।
- **पुरस्कारों की श्रेणियाँ:** खान मंत्रालय प्रतिवर्ष तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है:
  - आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
  - राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
  - राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार

एरी सिल्क

हाल ही में, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (NEHHDC) को अपने एरी सिल्क के लिए जर्मनी से ओईको-टेक्स (OEKO-TEX) प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

परिचय:

- **अद्वितीय विशेषताएँ:** एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के एकमात्र शाकाहार (वीगन) सिल्क के रूप में जाना जाता है। पारंपरिक सिल्क के विपरीत, सामिया सिंथिया रिकिनी या फिलोसामिया रिकिनी कीट को प्राकृतिक रूप से कोकून से बाहर निकलने दिया जाता है, जिससे यह उपयोग के लिए बरकरार रहता है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** एरी रेशम मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, चीन और जापान में भी इसका कुछ उत्पादन होता है। इसे असम के भौगोलिक संकेत (GI) उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **एरी सिल्क के गुण:** एरी सिल्क एक प्रोटीन फाइबर है, जो सामिया सिंथिया रिकिनी कीट के कोकून से प्राप्त होता है। यह वस्त्र अपनी खुरदरी, महीन और सघन बनावट के लिए जाना जाता है। यह मजबूत, धारणीय और लचीला भी होता है। इसके समतापी गुण इसे गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखते हैं।
- **ओईको-टेक्स प्रमाणन:** एरी सिल्क के पास ओईको-टेक्स प्रमाणन है। यह एक कठोर मानक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वस्त्र हानिकारक पदार्थों से मुक्त हों तथा पर्यावरण के अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादित हों।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किया।

परिचय:

- **उद्देश्य और प्रतिष्ठा:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण योगदान को मान्यता देने वाले प्रतिष्ठित सम्मान हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों और श्रेणियों में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों का सम्मान करते हैं।
- **पात्रता मापदंड:** किसी भी पुरस्कार के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ये पुरस्कार भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के लिए खुले हैं, विज्ञान रत्न श्रेणी के लिए अधिकतम एक पुरस्कार, विज्ञान श्री एवं VY-SSB श्रेणियों के लिए तीन पुरस्कार और विज्ञान टीम श्रेणी के लिए कोई पुरस्कार नहीं (PIOs) दिया जायेगा।
- **पुरस्कार के घटक:** पुरस्कार में नकद पुरस्कार शामिल नहीं है। इसके बदले पुरस्कार पाने वालों को एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है।
- **चयन प्रक्रिया:** पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति उत्तरदायी होती है। समिति के सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अपात्र होते हैं।

पुरस्कार श्रेणियों और पुरस्कार विजेताओं के बारे में:

- **विज्ञान रत्न पुरस्कार:** यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है।
  - **प्राप्तकर्त्ता:** प्रो. गोविंदराजन पद्मनाभन, भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रणी हैं। उनके कार्य ने जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ को काफी उन्नत किया है।
- **विज्ञान श्री पुरस्कार:** ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं।
  - **प्राप्तकर्त्ता:** 13 वैज्ञानिक जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व शोध किया है। उनका कार्य वैज्ञानिक विषयों की एक विस्तृत शृंखला में फैला हुआ है।

- **विज्ञान युवा-SSB पुरस्कार:** यह युवा वैज्ञानिकों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है।
  - **प्राप्तकर्त्ता:** 18 वैज्ञानिक, जिन्होंने भारतीय महासागर के तापमान में वृद्धि, स्वदेशी 5G बेस स्टेशन विकास, क्वांटम यांत्रिकी परिशुद्धता परीक्षण जैसे क्षेत्रों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- **विज्ञान टीम पुरस्कार:** यह पुरस्कार तीन या अधिक वैज्ञानिकों की टीम को अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए दिया जाता है।
  - **प्राप्तकर्त्ता:** चंद्रयान-3 टीम

वाधवन बंदरगाह: विकासशील भारत के लिए एक गेम-चेंजर

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी, जो अपनी रणनीतिक स्थिति और क्षमता के कारण कई मायनों में भारत के व्यापार को बढ़ावा देगी।

परिचय:

- महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित वाधवन बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- इस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। इस मॉडल में, निजी कंपनियाँ परिचालन संबंधी पहलुओं को स्वयं देखती हैं, जबकि बंदरगाह प्राधिकरण नियामक और भूस्वामी के रूप में कार्य करता है।

महत्त्व:

- यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल के बंदरगाहों में से एक होगा और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों जैसे: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- इसके अतिरिक्त, बंदरगाह से महत्त्वपूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न होने, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने की उम्मीद है।

पंप स्टोरेज परियोजनाएँ

वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में वादा किया गया है कि विद्युत भंडारण के लिए पंप भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को इसकी परिवर्तनशील और अनिश्चित प्रकृति के साथ सुचारू रूप से एकीकृत करने की सुविधा के लिए एक नीति लाई जाएगी।

परिचय:

- यह अलग-अलग ऊँचाई पर स्थित दो जलाशयों का विन्यास है, जो एक टरबाइन से गुजरते हुए जल के एक से दूसरे में प्रवाहित होने (निर्वहन) से विद्युत उत्पन्न कर सकता है।
- पंप भंडारण परियोजनाएँ पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परिवर्तनशीलता को संतुलित करने के लिए ऊर्जा का भंडारण करती हैं।
- **पंप भंडारण के प्रकार:**
  - **ऑन-रिवर:** नदी के प्रवाह का उपयोग करके पारंपरिक जलविद्युत परियोजनाएँ।
  - **ऑफ-रिवर:** बंद लूप में अलग-अलग ऊँचाई पर दो जलाशयों का उपयोग किया जाता है। जल को एक उच्च जलाशय में पंप करके और उसे नीचे प्रवाहित करके विद्युत उत्पन्न करके ऊर्जा संगृहीत की जाती है। ऐसी ही एक परियोजना तमिलनाडु के कदमपराई में है।
- **क्षमता:** 400 मेगावॉट, चार 100 मेगावॉट इकाईयों सहित।

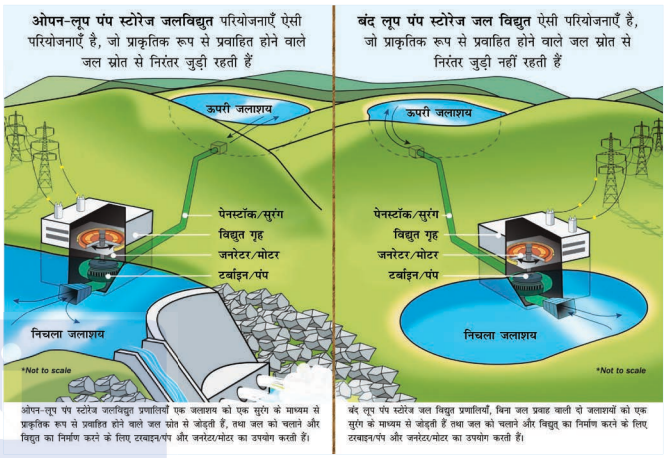

भारत में स्थिति

- भारत में 3.3 गीगावॉट पंपयुक्त भंडारण है। इनमें प्रमुख हैं नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर), कडाना (गुजरात), कदमपराई (तमिलनाडु), पंचेत (झारखंड) और भीरा (महाराष्ट्र)।
- चीन 50 गीगावॉट पंप स्टोरेज क्षमता के साथ विश्व में अग्रणी है, जो 1,300 गीगावॉट पवन और सौर ऊर्जा को सहायता प्रदान करता है।

- भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा सृजित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है।
- 2021 से 2023 तक इसने लगभग 23 गीगावॉट गैर-जीवाश्म उत्पादन क्षमता सृजित की।
  - 2023-24 में आठ महीनों में संकलित किए गए कुल 10 गीगावॉट में से 7.5 गीगावॉट पवन और सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा, जो यह दर्शाता है कि भारत में संकलित किए जाने वाले नए विद्युत उत्पादन में अधिकांश हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा का होगा।

लाभ:

- **त्वरित प्रतिक्रिया से ग्रिड को स्थिर करना:** ये परियोजनाएँ उत्पादन परिवर्तनशीलता पर त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, जिससे ग्रिड को स्थिर करने और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलती है।
- **आंतरायिक** (Intermittent) **ऊर्जा संसाधनों का एकीकरण:** पंप भंडारण परियोजनाएँ पवन और सौर जैसे अस्थायी ऊर्जा संसाधनों को ऊर्जा प्रणाली में एकीकृत करने में अत्यधिक प्रभावी हैं तथा नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन में सहायता करती हैं।

- **ग्रिड दक्षता में सुधार:** पंप भंडारण परियोजनाओं के उपयोग से ग्रिड दक्षता बढ़ती है तथा ऊर्जा वितरण एवं प्रदर्शन अनुकूलित होता है।
- **कम परिचालन एवं रखरखाव** (O&M) **लागत:** ये परियोजनाएँ अपनी कम परिचालन और रखरखाव लागत के कारण लागत प्रभावी हैं, जिससे ये ऊर्जा उत्पादन के लिए एक धारणीय विकल्प बन जाती हैं।
- **पर्यावरण अनुकूल:** पंप भंडारण परियोजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल हैं तथा जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देती हैं।

NATS 2.0

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना (NATS) 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

परिचय:

- इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा AICTE और BoATs/BoPT के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह छात्र पंजीकरण, रिक्तियों के विज्ञापन, आवेदन, अनुबंध निर्माण, प्रमाणन और वजीफा वितरण सहित प्रशिक्षुता जीवनचक्र गतिविधियों का प्रबंधन करता है।
- यह युवाओं के कौशल विकास और रोजगार क्षमता में सुधार लाने पर सरकार के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप है।
- **प्रशिक्षुता क्षेत्र:** प्रशिक्षुओं को IT/ITes, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

महत्त्व:

- **सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ:** यह प्रशिक्षुता प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बनाता है, प्रशासनिक बोझ को कम करता है और रिक्तियों, अनुबंधों और वजीफों के प्रबंधन में दक्षता बढ़ाता है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** यह प्रणाली वजीफा वितरण और अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, भ्रष्टाचार को न्यूनतम करती है और प्रशिक्षुता के अवसरों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करती है।
- **डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि:** यह प्रशिक्षुता प्रवृत्तियों पर मूल्यवान डेटा और विश्लेषण प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माताओं और उद्योगों को कौशल अंतराल को दूर करने और बाजार की जरूरतों के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **पहुँच में वृद्धि:** प्रशिक्षुता जीवनचक्र को डिजिटल बनाकर, यह अवसरों तक पहुँच को व्यापक बनाता है, विशेष रूप से दूर-दराज या वंचित क्षेत्रों के प्रशिक्षुओं के लिए, तथा कौशल विकास में समावेशिता को बढ़ावा देता है।
- **उद्योग साझेदारी को मजबूत बनाना:** यह प्रणाली उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग को सुगम बनाती है, प्रशिक्षुता कार्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है तथा प्रशिक्षण की प्रासंगिकता में सुधार करती है।

NATS

- राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) भारतीय युवाओं को व्यापार विषयों में कौशल प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, जिसे 1973 में संशोधित किया गया था; स्नातक, डिप्लोमा छात्रों और व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों को 6 महीने से 1 वर्ष तक की अवधि के साथ व्यावहारिक, ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग (OJT) आधारित कौशल अवसर प्रदान करती है।

वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र

हाल ही में, भारत ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए साक्ष्य आधार को मजबूत करने और विश्व भर में स्वास्थ्य प्रणालियों में इसके एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को समर्थन देने के लिए अगले दशक में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का संकल्प लिया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) **के प्रयास:**

- इसने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी क्षमता का दोहन करने के लिए भारत में पारंपरिक चिकित्सा हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक केंद्र की स्थापना की है।
- **फोकस के पाँच क्षेत्र:**
  - अनुसंधान और साक्ष्य;
  - प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज;
  - स्वदेशी ज्ञान और जैव विविधता;
  - डिजिटल स्वास्थ्य अनुप्रयोग;
  - द्विवार्षिक WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन और सहयोग;
- WHO **सहयोग केंद्र:** भारत में, बायोमेडिसिन और संबद्ध विज्ञान के विभिन्न विषयों में कार्यरत लगभग 58 विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केंद्र हैं।
  - राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान (NIIMH), हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन का तीसरा सहयोगी केंद्र माना गया है। इससे पहले आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY), नई दिल्ली का स्थान है।

भारत में पारंपरिक चिकित्सा

- भारत में पारंपरिक चिकित्सा की समृद्ध विरासत है, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं।
- **अभ्यास:**
  - आयुर्वेद और योग का देश भर में व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है।
  - सिद्ध प्रणाली का पालन मुख्यतः तमिलनाडु और केरल में किया जाता है।
  - सोवा-रिग्पा प्रणाली मुख्य रूप से लेह-लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल और स्पीति में प्रचलित है।

- इन प्रणालियों को संस्थागत शिक्षा और अनुसंधान परिषदों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत किया गया है।
- WHO पारंपरिक चिकित्सा को ज्ञान, कौशल और प्रथाओं के कुल योग के रूप में वर्णित करता है, जिसका उपयोग स्वदेशी और विभिन्न संस्कृतियों ने समय के साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक और मानसिक बीमारी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए किया है।

भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- भारत ने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक अलग आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की स्थापना की है।
  - यह पारंपरिक भारतीय दवाओं और होम्योपैथी के विकास की देख-रेख करता है, जिसका उद्देश्य जनता के लिए सुलभ, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाएँ उपलब्ध कराना है।
- **डिजिटल पहल और पोर्टल:**
  - **अमर पोर्टल:** आयुष पांडुलिपियों की सूची, जिसमें डिजिटल सामग्री उपलब्ध है।
  - SAHI **पोर्टल:** चिकित्सा-ऐतिहासिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित करता है।
  - **आयुष की ई-पुस्तकें:** शास्त्रीय पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल संस्करण।
  - **नमस्ते पोर्टल:** अस्पतालों से रुग्णता के आँकड़े।
  - **आयुष अनुसंधान पोर्टल:** अनुक्रमित आयुष अनुसंधान लेख प्रकाशित किए गए।
- **संग्रह और प्रकाशन:**
  - **पांडुलिपियाँ और पुस्तकालय:** 15वीं शताब्दी ई. से 500 से अधिक भौतिक पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पुस्तकें।
  - **जर्नल:** जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज प्रकाशित करता है।

महत्त्व:

- **साक्ष्य आधार को मजबूत करना:** केंद्र पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मान्य करने के लिए गहन शोध करेगा तथा वैज्ञानिक प्रमाणों के माध्यम से उनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों का एकीकरण:** इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा देना है।
- **वैश्विक सहयोग:** यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा तथा पारंपरिक चिकित्सा में ज्ञान को साझा करने और आगे बढ़ाने के लिए शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को एकजुट करेगा।
- **मानकीकरण और विनियमन:** यह केंद्र वैश्विक मानकों और दिशा-निर्देशों को विकसित करने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की सुरक्षा, गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- **क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण पर केंद्रित यह केंद्र स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्त्ताओं के कौशल को बढ़ाएगा तथा उन्हें आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण में योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा।
- **स्वास्थ्य सेवा में नवाचार:** यह केंद्र पारंपरिक और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को मिलाकर नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे संभावित रूप से नए उपचार और चिकित्सा के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2024 की घोषणा की।

मुख्य तथ्य:

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने लगातार छठे वर्ष समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है तथा इंजीनियरिंग में लगातार नौवें वर्ष अपना स्थान बरकरार रखा है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार नौवें वर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है। यह लगातार चौथे वर्ष अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा।
- IIM अहमदाबाद ने लगातार पाँचवें वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखते हुए प्रबंधन विषय में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली लगातार सातवें वर्ष मेडिकल में शीर्ष स्थान पर है।
- हिंदू कॉलेज ने पहली बार कॉलेजों में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मिरांडा हाउस ने लगातार सात वर्षों तक अपना पहला स्थान बरकरार रखा था।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF):

- **प्रारंभ और उद्देश्य:** भारत में शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) प्रारंभ किया गया था।
- **रैंकिंग पैरामीटर:** NIRF पाँच व्यापक श्रेणियों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन करता है:
  - शिक्षण, शिक्षा और संसाधन
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास
  - स्नातक परिणाम
  - पहुँच और समावेशिता
  - समकक्ष अनुभूति; इनमें से प्रत्येक श्रेणी 10 के मानक स्तर पर भारांश रखती है।
- **2024 संस्करण में शामिल:** भारत रैंकिंग के 2024 संस्करण में चार नए तत्व शामिल किए गए:
  - **तीन नई श्रेणियाँ:** राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय।
  - NIRF ढाँचे का उपयोग करके भारत रैंकिंग में "नवाचार" रैंकिंग का एकीकरण।
- **विस्तृत पोर्टफोलियो:** इन तीन श्रेणियों को जोड़ने के साथ, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में अब 16 श्रेणियाँ और विषय डोमेन शामिल हो गए हैं।

11 डेटा पुनर्कथन (Data Recap)

भारत-बांग्लादेश:

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
- भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेशी निर्यात लगभग 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का होगा।
- वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 बिलियन अमरीकी डॉलर बताया गया है।

भारत-जापान:

- वर्ष 2019 में, उन्होंने अहमदाबाद और कोबे के बीच सिस्टर-सिटी संबंध स्थापित किया और 2023 में, जापान ने पाँच वर्षों में भारत में निवेश के लिए 5 ट्रिलियन येन (42 बिलियन अमरीकी डॉलर) देने का वादा किया।
- भारत जापानी आधिकारिक विकास सहायता (ODA) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है, जिसमें दिल्ली मेट्रो और हाई-स्पीड रेलवे जैसी महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2022 में, जापान की सहायता में ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग के रूप में 567.5 बिलियन येन शामिल थे।

भारत-यूक्रेन:

- भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 2021-22 में 3.39 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई है - भारत-यूक्रेन व्यापार की मात्रा 2021-22 में 3.39 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 0.78 बिलियन अमरीकी डॉलर और 0.71 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गई है।
- यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के जवाब में, भारत ने पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान की है, जिसमें कुल 99.3 टन सहायता की 12 खेपें शामिल हैं।

पर्यटन क्षेत्र:

- 2022 में विश्व भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। भारत ने 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के साथ इसमें योगदान दिया, जो वैश्विक में पर्यटन बाजार का 1.47% है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अंदर, भारत ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का 15.66% हिस्सा प्राप्त किया, जो क्षेत्रीय पर्यटन बाजार में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

लिथियम:

- भारत अपनी लिथियम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करता है, जिससे यह प्रसंस्कृत लिथियम का विश्व का सबसे बड़ा आयातक बन गया है।
- इनमें से ज्यादातर आयात हांगकांग और चीन से होते हैं। 2020-2021 के वित्तीय वर्ष के दौरान, भारत ने 722.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा मूल्य की लिथियम का आयात किया।
- इसके अतिरिक्त, भारत लिथियम-आयन बैटरी का एक प्रमुख आयातक है, जो मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से इन्हें आयात करता है, केवल 2022 में 617 मिलियन यूनिट आयात किए गए, जिनकी कीमत 1.8 बिलियन डॉलर है।
- जनवरी 2024 में, KABIL (खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में पाँच ब्लॉकों में लिथियम अन्वेषण के लिए 24 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए।

LNG क्षेत्र:

- **भारत के LNG आयात प्रवृत्ति:** वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक भारत ने बढ़ती कीमतों के कारण 2022 में अपने LNG आयात को कम कर दिया, जिसमें अमेरिका से शिपमेंट घटकर 2.16 मिलियन टन (MT) रह गया।
- भारत के LNG आयात में UEA की हिस्सेदारी में हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव देखा गया। यह 2019 में 2.6 मीट्रिक टन से बढ़कर 2020 में 3.32 मीट्रिक टन हो गया, फिर 2022 में घटकर 2.59 मीट्रिक टन हो गया और फिर 2023 में फिर से बढ़कर 2.85 मीट्रिक टन हो गया।
- कतर लगातार पाँच वर्षों (2019-2023) तक भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्त्ता बना रहा, जिसका वार्षिक शिपमेंट 10 मीट्रिक टन से अधिक रहा, सिवाय 2019 के जब कुल शिपमेंट 9.7 मीट्रिक टन था।

जैव अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 2022 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 4% होगा, जिसका GDP 3.47 ट्रिलियन डॉलर होगा।
- यह क्षेत्र 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे यह एक महत्त्वपूर्ण रोजगार प्रदानकर्त्ता जाता है।
- अनुमान है कि जैव कृषि क्षेत्र 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था में अपना योगदान लगभग दोगुना करके 10.5 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर तक पहुँच जायेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:

- RRBs के लिए, समेकित पूँजी से जोखिम (भारित) परिसंपत्ति अनुपात (CRAR) वित्त वर्ष 2021 में 7.8% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 13.7% हो गया है, जो मजबूत वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन को दर्शाता है।
- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात, जो खराब ऋणों के अनुपात को इंगित करता है, अपेक्षाकृत कम 3.9% है।

अंतरिक्ष क्षेत्र:

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने विगत एक दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 24 बिलियन डॉलर (₹20,000 करोड़) का प्रत्यक्ष योगदान दिया है।
- 2023 में, अंतरिक्ष क्षेत्र का राजस्व $6.3 बिलियन तक पहुँच गया, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 1.5% है।
- विगत एक दशक में, भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र में $13 बिलियन का निवेश किया है।
- 2024-25 के केंद्रीय बजट में, भारत सरकार ने अंतरिक्ष से संबंधित पहलों के लिए 13,042.75 करोड़ आवंटित किए।
- संशोधित FDI नीति के तहत, अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है।
- वर्तमान में, अंतरिक्ष से संबंधित सेवाओं में भारत की निर्यात बाजार हिस्सेदारी 2,400 करोड़ (लगभग $0.3 बिलियन) है।

स्वयं परीक्षण (Test Yourself)

Objective Questions

Visit: www.nextias.com for monthly compilation of Current based MCQs

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्री अरबिंदो के योगदान और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के उनके दर्शन का परीक्षण कीजिए ।
(10 अंक, 150 शब्द)
2. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्त्व पर चर्चा कीजिए । **(10 अंक, 150 शब्द)**
3. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए । इसके कार्यान्वयन से जुड़े संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए । **(15 अंक, 250 शब्द)**
4. भारत में महिलाओं की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए और नीतिगत उपायों और सामाजिक सुधारों का सुझाव दीजिए, जो देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार कर सकें।
(10 अंक, 150 शब्द)

जीएस पेपर-II

5. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए । इसका उद्देश्य भारत के तेल और गैस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान कैसे करना है? **(10 अंक, 150 शब्द)**
6. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधानों की जाँच कीजिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के अधिकारों के लिए इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । **(15 अंक, 250 शब्द)**
7. भारत में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर चर्चा कीजिए । आरक्षण के लिए इन समूहों को उप-वर्गीकृत करने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?
(10 अंक, 150 शब्द)
8. भारत में सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की अवधारणा की आलोचनात्मक जाँच कीजिए । निजी क्षेत्र और शिक्षा जगत से पेशेवरों को सरकारी भूमिकाओं में शामिल करने के संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?
(15 अंक, 250 शब्द)
9. हाल के वर्षों में भारत-यूक्रेन संबंधों के विकास की जाँच कीजिए । दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए । **(10 अंक, 150 शब्द)**
10. आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान ने भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में संभावित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
11. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीति के लिए AUKUS नए सौदे के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए । **(10 अंक, 150 शब्द)**
12. ग्लोबल साउथ समिट के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए । यह विकासशील देशों के सामने आने वाले मुद्दों को कैसे संबोधित करता है, और इसका वैश्विक कूटनीति और सहयोग पर क्या प्रभाव पडता है?
(10 अंक, 150 शब्द)

जीएस पेपर-III

13. भारत में पर्यटन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की जाँच कीजिए । इसके विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की क्षमता को बढाने के उपाय सुझाएँ। **(15 अंक, 250 शब्द)**
14. भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए । क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और देश में ई-कॉमर्स के संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएँ। **(10 अंक, 150 शब्द)**
15. भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अंतरिक्ष क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण कीजिए । भविष्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने में अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमता पर चर्चा कीजिए । **(15 अंक, 250 शब्द)**
16. आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक महत्त्व पर चर्चा कीजिए। आर्द्रभूमि के लिए प्रमुख जोखिम क्या हैं तथा उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
(15 अंक, 250 शब्द)
17. वैश्विक बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए । समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा इन परिवर्तनों को कम करने और उनके अनुकूल होने के लिए कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं? **(15 अंक, 250 शब्द)**
18. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधानों की जाँच कीजिए । देश के आपदा प्रबंधन ढाँचे को बढ़ाने पर इसके संभावित प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए ।
(15 अंक, 250 शब्द)
19. ई-मोबिलिटी की अवधारणा और सतत परिवहन के लिए इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिए । **(10 अंक, 150 शब्द)**
20. भारत में कृषि, स्वास्थ्य सेवा और उद्योग जैसे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका की जाँच कीजिए ।
(15 अंक, 250 शब्द)